VISIONIAS

www.visionias.in

समसामयिकी

सितम्बर - 2017

VISION IAS

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS

विषय सूची

1. राजव्यवस्था और संविधान 6

1.1. भारत में सहकारी आंदोलन 6

1.2. सचेतक (व्हिप) 8

1.3. सांसदों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा 8

1.4. राज्य सभा चुनावों में NOTA 9

1.5. हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम की मांग 11

1.6. पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नियम 12

1.7. निवारक सतर्कता 13

2. अन्तर्राष्ट्रीय/भारत और विश्व 16

2.1. BRICS सम्मेलन 2017 16

2.2. भारत-म्यामार 17

2.3. भारत-जापान 19

2.4. रोहिंग्या मुद्दा 21

2.5. उत्तर कोरिया परमाणु संकट 22

2.6. भारत-चीन संयुक्त प्रस्ताव: WTO 24

2.7. BRICS मैकेनिज्म के तहत एक्सिम बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते 25

3. अर्थव्यवस्था 26

3.1. मजदूरी संहिता विधेयक 2017 26

3.2. डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक 26

3.3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन 27

3.4. भारतीय रिज़र्व बैंक की आकस्मिकता निधि 27

3.5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ 28

3.6. आर्थिक सलाहकार परिषद 29

3.7. शेल कंपनियाँ 29

3.8. स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव 30

3.9. GIS-इनेबल्ड पोर्टल मैप्स -भूमि सम्बंधित जानकारी 31

3.10. डेरी क्षेत्रक 32

3.11. कृषकों की आय को दोगुना करना 33

VISION IAS

3.12. इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाऊसिंग रिसीट 35
3.13. सौभाग्य योजना 35
3.14. अरब सागर में तेल की खोज 37
3.15. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स 38
3.16. भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में तृतीय स्थान पर 39
3.17. WEF का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 39
3.18. सड़क सुरक्षा: भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2016 40
4. सुरक्षा 43
4.1. पुलिस सुधार: पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना 43
4.2. रोहिंग्या: राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दा 44
4.3. अस्त्र मिसाइल 45
4.4 DRDO द्वारा नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया 45
4.5. सैन्य अभ्यास 46
4.5.1 युद्ध अभ्यास 2017 46
4.5.2 सूर्य किरण अभ्यास 46
5. पर्यावरण 47
5.1. तटीय अपरदन 47
5.2. प्लास्टिक बैग/अपशिष्ट प्रबंधन 48
5.3. नदी तलछट प्रबंधन नीति का मसौदा 48
5.4. मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतिक क्षेत्रीय योजना 50
5.5.बाँध सुरक्षा 50
5.6.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन 52
5.7. गंध प्रदूषण के लिए दिशा-निर्देश 52
5.8. फेकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम (FSM) 53
5.9. कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी 54
5.10. भारत की तलछट घाटियाँ 55
5.11. प्राकृतिक संपदा का संरक्षण 56
5.12. भारतीय सुंदरवन में पशु प्रजातियाँ 57
5.13. हिम तेंदुआ 58
5.14. नवीन आर्द्रभूमि संरक्षण नियम 59

VISION IAS

6. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 62

6.1. हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन 62

6.2. HIV का माँ से शिशु तक संचरण 63

6.3. 5G 64

6.4. भारत क्वांटम कम्प्यूटिंग की दौड़ में शामिल 65

6.5. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी 66

6.6. पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना 67

6.7. आर्टिफिशियल लीफ 68

6.8. मंकी फीवर 68

6.9. जीवन बिंदी 69

6.10. चन्द्रयान-1 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा चंद्रमा पर विद्यमान जल का मानचित्रण 70

6.11. राष्ट्रव्यापी हैकथॉन # OpenGovDataHack लांच किया गया 71

6.12. ओसीरिस-रेक्स स्पसेक्राफ्ट 71

6.13. कैसिनी मिशन 72

7. सामाजिक मुद्दें 74

7.1. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति 74

7.2. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा 75

7.2.1. अपर्याप्त संसाधन- अवसंरचना और मानव 75

7.2.2. निवारक सार्वजनिक चिकित्सा पर कम ध्यान 76

7.2.3 खरीद प्रबंधन में विफलता 77

7.3. भारत का महत्वाकांक्षी 'जीरो हंगर' कार्यक्रम 77

7.4. स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नये गर्भ निरोधकों का शुभारंभ किया 78

7.5. भारत वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियाँ 79

7.6 महिला आरक्षण विधेयक 80

7.7 भारत में भिक्षावृति पर कानून 82

7.8. केंद्र की हाफवे होम बनाने की योजना 84

7.9. वैश्विक मानव पूँजी सूचकांक (ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स) 85

7.10. यौन हमले का निर्धारण करने के लिए नये प्रतिमान 86

7.11. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के लिए डीबीटी 86

7.12. उच्च शिक्षा में सुधार 88

VISION IAS

7.13. स्वच्छता ही सेवा 89
7.14. LPG पंचायत 90
7.15 पेंसिल पोर्टल 90
8. संस्कृति 92
8.1. कोंकणी 92
8.2. बोंडा जनजाति 92
8.3. कावेरी महापुष्करम 93
9. नीतिशास्त्र 94
9.1. नीतिशास्त्र और अंधविश्वास 94
9.2. ब्लू व्हेल चैलेंज 95
10. विविध 96
10.1.खेलो इंडिया 96
10.2. दिव्यांग सारथी ऐप 97
10.3. नार्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल 97
10.4. फार्मर कनेक्ट ऐप 97

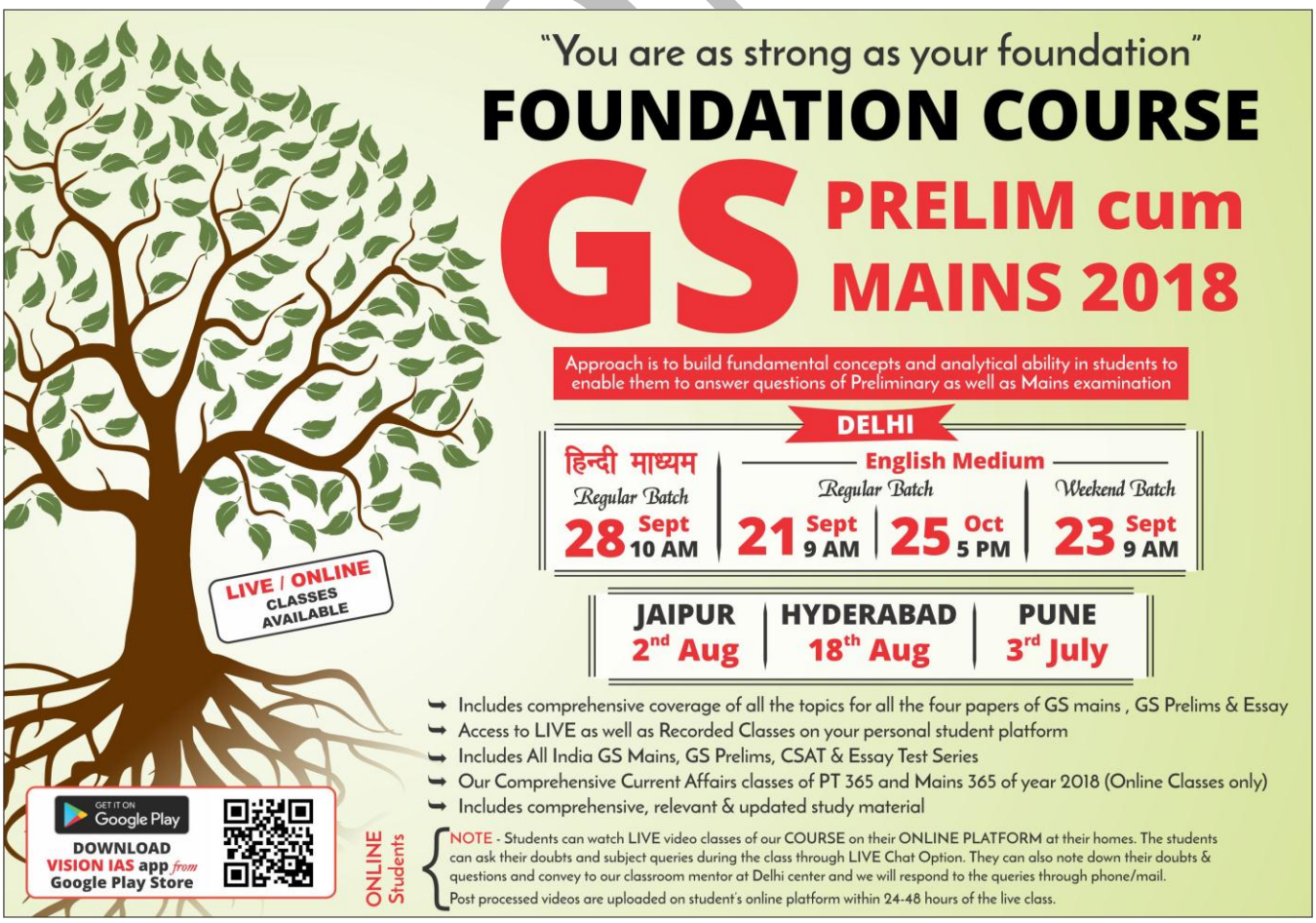

1. राजव्यवस्था और संविधान

(POLITY AND CONSTITUTION)

1.1. भारत में सहकारी आंदोलन

(Co-Operative Movement in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारतीय समाज में सहकारी क्षेत्र के महत्व और योगदान के बारे में चर्चा की। भारत में सहकारी आंदोलन विश्व में सबसे बड़े सहकारी आंदोलनों में से एक है, जिसमें **8 लाख से अधिक सहकारी समितियाँ** शामिल हैं।

भारत में सहकारिता का इतिहास

- 19वीं शताब्दी के अंत तक, सहकारी समितियों को किसानों द्वारा अपने कर्ज से मुक्ति पाने और कृषि समस्याओं के हल के रूप में देखा गया।
- सहकारी समितियों के कामकाज से प्राप्त अनुभव ने **को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अधिनियम, 1904** के अधिनियमन का मार्ग प्रशस्त किया।
- **1919 के मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार** के तहत, सहकारिता को प्रांतीय विषयों के अंतर्गत रखा गया तथा प्रांतों को अपने स्वयं के सहकारी कानून बनाने हेतु अधिकृत किया गया। यह वर्गीकरण **भारतीय शासन अधिनियम, 1935** में भी बनाए रखा गया।
- एक से अधिक प्रांतों के सदस्यों की सदस्यता युक्त सहकारी समितियों को समाविष्ट करने के लिए भारत सरकार ने **बहु-इकाई सहकारी समिति अधिनियम, 1942** लागू किया।
- स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, योजना प्रक्रिया के आगमन के साथ, सहकारी समितियां **पंचवर्षीय योजनाओं** का एक अभिन्न हिस्सा बन गईं। 1958 में, **राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)** ने भी सहकारी समितियों पर राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी।
- एक ही प्रकार के समाजों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न कानूनों को प्रतिस्थापित करने के लिए, संसद द्वारा **बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 1984** लागू किया गया।
- इसके परिणामस्वरूप, भारत में सहकारिता के कई सफल उदाहरण हैं, जिनमे दो सबसे महत्वपूर्ण हैं- **हरित क्रांति और श्वेत क्रांति।**
- भारत सरकार द्वारा वर्ष **2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति** की घोषणा की गई थी। **राष्ट्रीय नीति के प्रमुख उद्देश्य थे -**
    - सहकारिता के प्रसार और विकास के लिए समर्थन प्रदान करना;
    - क्षेत्रीय असंतुलन में कमी लाना;
    - सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास को सशक्त करना।

संवैधानिक प्रावधान-

- **भाग IV, में अनुच्छेद 43** एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में किसी राज्य सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रयास करने हेतु निर्देशित करता है।
- यह भारतीय संविधान की **राज्य सूची** की प्रविष्टि संख्या 32 (7 वीं अनुसूची) के अंतर्गत राज्य का एक विषय है।
- सहकारी समितियों के गठन के अधिकार को अनुच्छेद 14 - (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद **19(1)(c) के तहत 'संगम या संघ बनाने का अधिकार'** के अंतर्गत **मूल अधिकार** के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई है।

सहकारी समितियों के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने के लिए नियुक्त विभिन्न समितियां:

- अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की रिपोर्ट (1954);
- चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति (इसके द्वारा एक मॉडल कानून का प्रस्ताव दिया गया) (1990);
- मिर्धा समिति (1996);
- जगदीश कपूर समिति (2000);
- विखे पाटिल समिति (2001); और
- वी.एस. व्यास समिति (2001और 2004)।

इन समितियों ने विद्यमान **सरकारी प्रभुत्व वाले सहकारी कानूनों के स्थान पर एक नए जन केंद्रित कानून अपनाने की आवश्यकता** का जोरदार समर्थन किया।

VISION IAS

भारत के लिए सहकारिता क्षेत्र का महत्व (Importance of Cooperative sector for India)

भारत जैसे विशाल देश में सहयोग (सहकारिता) बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह गरीबों, अशिक्षित और अकुशल लोगों के लिए एक समर्पित संगठन है।

- **महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश:** यह कृषि ऋण और निधि प्रदान करता है। वैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां राज्य और निजी क्षेत्र अधिक कार्य करने में सक्षम नहीं होते वहां सहकारी क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को वितरित करने की क्षमता रखते हैं।
- **महत्वपूर्ण आगत (Inputs):** ग्रामीण सहकारी समितियां कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती हैं। उपभोक्ता समितियां अपनी खपत आवश्यकताओं को रियायती दरों पर प्राप्त करती हैं। यह कृषि विकास में आने वाली बाधाओं से निपटने में सहायक है।
- **किसानों के लिए लाभदायक:** विपणन समितियां किसानों को लाभकारी कीमतों और सहकारी प्रसंस्करण इकाइयों की सहायता से कच्चे मालों के मूल्य में वृद्धि करने में सहायता प्रदान करती हैं।
- **अवसंरचना निर्माण (Building Infrastructure):** इसके अतिरिक्त, सहकारी समितियां कोल्ड स्टोरेज सहित भण्डारण गोदामों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण तथा सिंचाई, बिजली, परिवहन और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान करने में सहायता करती हैं।
- **नौकरशाही से तटस्थ:** यह नौकरशाही और राजनीतिक जड़ता में कमी लाता है। यह कृषि और संबद्ध गतिविधियों को समृद्ध बनाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाता है।
- **सदस्यों के बीच एकता:** सहकारी गतिविधियां ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास में मदद करती हैं, जोकि इनके सदस्यों के मध्य एकता, विश्वसनीयता और निरंतरता के माध्यम से ही सम्भव है। यह पारस्परिक सहयोग और सहभाजन (sharing) से जुडी संस्था है।
- **वर्ग संघर्ष से परे:** सामाजिक आधार पर विभाजित किसी देश में, यह वर्ग संघर्ष में कमी लाता है तथा सामाजिक मतभेदों को दूर करता है।
- **लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रोत्साहन:** यह स्वयं-सहायता, लोकतंत्र, समानता और एकता जैसे मूल्यों को प्रोत्साहित करता है। सहकारी सदस्यों को ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी तथा दूसरों की देखभाल करने के नैतिक मूल्यों में विश्वास होता है।

सहकारी समितियों के समक्ष चुनौतियां (Challenges for Cooperative movement)

- **सक्रिय सदस्यता सुनिश्चित करने में असमर्थता,** गैर-उपयोगकर्ता सदस्यों का शीघ्र बाहर निकलना (speedy exit), सदस्यों के बीच संचार और जागरूकता निर्मित करने वाले उपायों की कमी।
- बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के मामले सहित **प्रशासन में गंभीर कमियाँ।**
- **पूंजी निर्माण के प्रयास में कमी,** विशेष रूप से सदस्यों की इक्विटी बढ़ाने के माध्यम से समिति में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाने के संबंध में।
- आवश्यकता से अधिक कर्मचारी आदि जैसे मुद्दों के कारण **लागत प्रतिस्पर्धा में कमी** तथा भारतीय बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश के फलस्वरूप समग्र प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
- सहकारी अधिनियमों में प्रतिबंधात्मक प्रावधानों और कमियों के कारण सहकारी समितियों का **राजनीतिकरण और इसमें सरकार की अत्यधिक भूमिका**।
- सहकारी वित्त प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में **सहकारी बैंकों की स्थिति बहुत खराब है।** अत्यंत लघु संस्था होने के कारण इनका सही प्रकार से संचालन नहीं हो पाता तथा उनमें से कुछ केवल कागज पर ही अस्तित्व में हैं।
- NPAs से परिसंपत्ति अनुपात (NPAs to asset ratios) के सन्दर्भ में **सहकारी बैंकों के NPAs** वाणिज्यिक बैंकों के मुकाबले उच्च हैं।
- अपने कामकाज के संदर्भ में अपेक्षा से कम शेयरधारक भागीदारी के साथ-साथ, इन बैंकों को **बुनियादी ढांचागत कमियों** का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सहकारी समितियों के समग्र काम-काज में बाधा उत्पन्न होती है।
- **सहकारी समितियों में क्षेत्रीय विविधता -** वैसे क्षेत्रों में सहकारी समितियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है जहां भूमि सुधार अधिकांशतः सफल रहा है। हालांकि, अधिक उपजाऊ और सघन आबादी वाले क्षेत्रों में से कुछ में सहकारी समितियों की सीमित सफलता विभिन्न जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक कारकों की ओर भी संकेत करती है।

आगे की राह

- जिन क्षेत्रों में राज्य और निजी क्षेत्र, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को वितरित करने में असफल रहे हैं, उन क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पास व्यापक संभावनाएं हैं। कृषि और संबद्ध गतिविधियां ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ सहकारी आंदोलनों की अधिक भूमिका के कारण लाभ हुआ है।
- हालांकि, सदस्यों को यह एहसास होना चाहिए कि केवल उनकी सतत सतर्कता से ही उनकी सहकारी संस्थाओं की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और प्रगति को सुनिश्चित किया जा सकता है।आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में विस्तृत करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
  - सहकारी समिति के एक सदस्य की आवश्यक न्यूनतम वार्षिक भागीदारी के संबंध में कानून में प्रावधान शामिल करना।
  - सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक भागीदारी की रुपरेखा को कानूनी तौर पर निर्दिष्ट करना।
  - प्रभावी नेतृत्व विकसित करना जोकि सरकार द्वारा सहकारी समितियों के अनुकूल नीतियों को भी प्रभावित कर सके।
  - दक्षता का समावेश क्योंकि यह विचारों / नीतियों का वास्तविक परिणामों के रूप में रूपांतरण हेतु प्रमुख आवश्यकता है। वर्तमान प्रतिस्पर्धी माहौल में पेशेवर प्रबंधन अस्तित्व बनाए रखने में भी मदद करेगा।
  - सहकारी समितियों में भर्ती, प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा आदि के संबंध में बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने हेतु व्यवस्था का सशक्तिकरण।

VISION IAS

1.2. सचेतक (व्हिप)

(WHIP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, राजनीतिक पार्टियों द्वारा अनेक मुद्दों पर सचेतक जारी किए जाने पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन में सचेतक (व्हिप)

संयुक्त राज्य अमेरिका में, पार्टी के सचेतक (व्हिप) का कार्य, यह पता लगाना होता है कि विधेयक के पक्ष में कितने विधायक हैं और कितने इसके विपक्ष में — एवं जहाँ तक संभव हो, उन्हें इस मुद्दे पर पार्टी की विचारधारा के अनुसार मतदान करने के लिए सहमत करना।

ब्रिटेन में, कुछ सचेतकों के उल्लंघन को गंभीरतापूर्वक लिया जाता है—कभी-कभी इसके परिणामस्वरूप सदस्य को पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार का सदस्य पार्टी द्वारा पुन: स्वीकार किए जाने तक संसद में स्वतंत्र सदस्य के रूप में बना रह सकता है।

सचेतक (व्हिप) क्या है?

- प्रत्येक राजनीतिक पार्टी का अपना सचेतक (व्हिप) होता है, जिसे पार्टी द्वारा सहायक दल नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है।
- अपनी पार्टी के सदस्यों की अधिक संख्या में उपस्थिति सुनिश्चित करना एवं किसी विशेष मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में उनका समर्थन प्राप्त करना, उसका उत्तरदायित्व होता है।
- सचेतक संसद में उनके व्यवहार का विनियमन एवं निगरानी करता है।
- वह पार्टी के नेता का निर्णय सदस्यों को एवं पार्टी के सदस्यों की राय पार्टी के नेता तक पहुंचाता है।
- सदस्यों से सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अनुपालन में विफल रहने पर पार्टी की सदस्यता हेतु अयोग्यता या दल-बदल विरोधी कानून के अंतर्गत पार्टी से निष्कासन जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाईयाँ की जा सकती हैं।
- भारत में सचेतक के पद का उल्लेख न तो संविधान में, न ही सदन के नियमों में किया गया है और न ही संसदीय कानून में किया गया है।
- यह संसदीय सरकार के कन्वेंशन पर आधारित है। भारत में सचेतक की अवधारणा औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से ली गई थी।

समस्या

- आलोचकों का मानना है कि सचेतक संबंधी विवादों में वृद्धि के कारण, राजनीतिक दलों ने पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को सीमित कर दिया है। इस प्रकार अलग-अलग सदस्यों को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होती है। यह पार्टी के सदस्यों की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।
- यह विभिन्न मुद्दों पर 'विवशतापूर्ण सर्वसम्मति (forced consensus)' का निर्माण करता है। जो लोकतंत्र के उद्देश्य को निरर्थक बनाता है, क्योंकि सचेतक द्वारा पार्टी सदस्यों के लिए पार्टी के निर्णय का पालन करना अनिवार्य बना दिया गया है। यह पार्टी के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण या अपने निर्वाचन क्षेत्र की जनता के दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

सचेतक का महत्व

ऐसा संभव है कि संसद के सभी सदस्यों के दृष्टिकोण भिन्न हों, चाहे उनकी किसी भी पार्टी से संबद्धता हो (यहाँ तक कि ये दृष्टिकोण संबंधित पार्टी के नेतृत्व के दृष्टिकोण से भी भिन्न हो सकते हैं)। ऐसे मामले में, वह मतदान के समय पार्टी के दृष्टिकोण का उलंघन कर सकता/सकती है।

आगे की राह

- राजनीतिक रूप से आम सहमति निर्मित करने की आवश्यकता है, ताकि संसद में व्यक्तिगत सदस्य के लिए राजनीतिक और नीतिगत अभिव्यक्ति के अवसरों का विस्तार किया जा सके। यह कार्य कई रूपों में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सचेतक जारी किया जाना केवल ऐसे विधेयकों तक सीमित किया जा सकता है जो सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते हैं, उदाहरण स्वरूप धन विधेयक या अविश्वास प्रस्ताव।
- सरकार द्वारा देश में ऐसे मुद्दों पर व्यापक बहस आयोजित करवाई जानी चाहिए। जो दीर्घकाल में लाभदायक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करेगी।

1.3. सांसदों द्वारा परिसंपत्तियों की घोषणा

(Declaration of Assets of MPs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संसद के शीतकालीन सत्र में एक निजी विधेयक (*प्राइवेट मेम्बेर्स बिल*) प्रस्तुत किया जायेगा। इस विधेयक का प्रमुख उद्देश्य सांसदों द्वारा अपने कार्यकाल के अंत में अपनी परिसंपत्तियों की अनिवार्य रूप से घोषणा करना है।

विवरण

- **परिसंपत्तियों की घोषणा:** सांसदों को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद 90 दिनों के भीतर अपनी परिसंपत्तियों की घोषणा करनी चाहिए। इस प्रावधान को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उपखंड 75B(1) में प्रविष्ट किया जाएगा। वर्तमान में सांसदों को केवल सासंद के रूप में पदग्रहण के समय ही परिसंपत्तियों की घोषणा करनी होती है।
- इस मुद्दे का संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने भी हाल ही में उन राजनेताओं से संबंधित आवश्यक सूचनाओं की मांग की है जिनकी परिसंपत्तियों में दो चुनावों के बीच 500% तक की भारी वृद्धि हुई है। न्यायालय द्वारा CBDT को इस मामले की जांच के आदेश भी दिए गए हैं।

महत्त्व

- प्रस्तावित विधेयक शीर्ष स्तर पर जनप्रतिनिधियों की **पारदर्शिता तथा जवाबदेही** को सुनिश्चित करेगा।
- यह विधि निर्माताओं की परिसंपत्तियों और संपत्तियों में औचित्यपूर्ण वृद्धि होने पर उनके **उत्पीड़न पर भी रोक** लगाएगा।

निजी विधेयक

- मंत्रियों तथा सभापतियों के अतिरिक्त सभी सांसद निजी सदस्य कहलाते हैं।
- निजी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयक निजी विधेयक कहलाता है, जो सरकारी विधेयकों से अलग होते हैं, जिन्हें मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।
- संसदीय सत्र के दौरान, प्रत्येक शुक्रवार को संसदीय कार्यवाही के आखिरी दो या ढाई घंटे का समय निजी विधेयकों तथा निजी सदस्यों द्वारा उठाये गए अन्य मुद्दों पर पर चर्चा करने के लिए आरक्षित होता है।

निजी विधेयकों से संबंधित सामान्य मुद्दे

- संसद के इतिहास में अभी तक मात्र 14 निजी सदस्य विधेयकों को पारित किया गया है और अंतिम निजी विधेयक 1970 में पारित किया गया था।
- ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार विधेयक (*राइट्स ऑफ़ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल*) जिसे 2014 में राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था, वह 47 वर्षों में ऊपरी सदन में पारित होने वाला पहला निजी विधेयक था। लेकिन इसे काफी बदलावों के साथ पुनः लोक सभा में पेश किया गया और वर्तमान में यह संसद की स्थायी समिति के समक्ष लंबित है।
- 15वीं लोक सभा में 372 निजी विधेयक पेश किये गए लेकिन उनमें से केवल 11 विधेयकों पर ही कमोबेश चर्चा हुई है। इसका अर्थ है कि 96% निजी विधेयक सदन में बिना किसी चर्चा के ही समाप्त हो गए।
- इस प्रकार, निजी विधेयकों के साथ दोहरी समस्या है। पहला उनका पारित न होना और दूसरा उन पर कोई बहस न किया जाना।
- यदि बहस होती भी है तो सरकार द्वारा उस विधेयक को बाद में लाने के संबंध में किसी आश्वासन के बिना ही किसी मंत्री के निवेदन पर ही सबंधित प्रस्तुतकर्ता सांसद निजी विधेयक को वापस ले लेता है। इस प्रकार सदन, संसद में चर्चित एक विधेयक को कानून के रूप में आकार देने के अवसर से वंचित रह जाता है।

1.4. राज्य सभा चुनावों में NOTA

(NOTA in Rajya Sabha Poll)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में गुजरात में हुए राज्य सभा के चुनावों (अप्रैल, 2017) के संदर्भ में, राज्य सभा चुनावों में अनुगमित आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली के संबंध मे निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए -

- उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)।
- खुली मतपत्र प्रणाली (ओपन बैलट सिस्टम)।

उपर्युक्त में से कोई नहीं (NOTA)

- जब मतदाता चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए किसी भी उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं होता है तो वह NOTA के माध्यम से अपना असंतोष दर्ज करा सकता है।
- निर्वाचन आयोग ने जनवरी 2014 में एक परिपत्र जारी किया था कि 2013 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में एक विकल्प के रूप में सम्मिलित किए जाने के बाद राज्यसभा के चुनावों में भी NOTA का प्रावधान सम्मिलित किया जायेगा।

VISION IAS

मुद्दा क्या है?

- राज्य सभा की सदस्यता के लिए गुजरात में हुए हाल ही के चुनावों में निर्वाचन आयोग को दी गई याचिका के माध्यम से NOTA के विकल्प को चुनौती दी गई थी।
- इस चुनाव ने **1961 के निर्वाचन संचालन नियमों के नियम 39AA के अंतर्गत 'खुली मतपत्र प्रणाली'** के प्रक्रियात्मक आव्यूह के गोपनीयता सम्बन्धी पक्ष पर बहस को बढ़ावा दिया।
- निर्वाचन आयोग को जारी याचिका में कहा गया कि राज्य सभा चुनावों के दौरान NOTA का उपयोग संविधान, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचन संचालन नियमों के अधिदेश के विपरीत था।
- याचिका में आगे कहा गया कि "अप्रत्यक्ष निर्वाचन" में NOTA का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के विपरीत है।
- यह याचिका दल के दलबदल और विद्रोही पार्टी सदस्यों के संबंध में राजनीतिक दलों की आशंकाओं को प्रतिबिंबित करती है। ऐसे सदस्यों द्वारा NOTA के उपयोग से उनके प्रतिनिधि की हार हो सकती है।
- हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय और निर्वाचन आयोग दोनों ने राज्य सभा चुनावों में NOTA के उपयोग को यथावत बनाए रखा है।

राज्यसभा के चुनाव

- राज्य सभा की एक-तिहाई सीटों के लिए चुनाव प्रत्येक दो वर्ष में आयोजित होते हैं।
- राज्य विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के चुनावों में मतदान करते हैं, जिसे **एकल हस्तांतरणीय मत (STV) प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व** कहा जाता है। प्रत्येक मतदाता का मत केवल एक बार गिना जाता है।
- राज्यसभा में जीत दर्ज करने हेतु उम्मीदवार को आवश्यक संख्या में मत प्राप्त होना चाहिए। उम्मीदवार के निर्वाचन हेतु कुल मतों में से एक चौथाई मतों के अतिरिक्त एक और मत की आवश्यकता होती है।
- प्रत्येक मतदाता अपनी पसंद को श्रेणीबद्ध करता है और यदि पहली पसंद वाले उम्मीदवार के पास पहले से ही पर्याप्त मत हैं या निर्वाचित होने की कोई संभावना नहीं है, तो मत को दूसरी पसंद वाले उम्मीदवार को और इसी तरह आगे स्थानांतरित कर दिया जाता है ।
- विधान सभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं।
- राज्यसभा के चुनाव में, विधायकों को मत, मतपेटी े में डालने से पहले अधिकृत पार्टी एजेंट को अपना मतपत्र दिखाना होता है।

राज्यसभा में NOTA के निहितार्थ

- यदि कोई मतदाता (विधायक) पार्टी के निर्देशों का विरोध करता है और किसी अन्य को मत देता है या NOTA विकल्प का उपयोग करता है, तो उसे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता है। परन्तु पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होती है। पार्टी का हाई कमान राज्यसभा उम्मीदवार के लिए व्हिप जारी कर सकता है, लेकिन दलबदल विरोधी कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते हैं और अवज्ञाकारी विधायक को सदन की सदस्यता से अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।
- सैद्धांतिक रूप में, विधायकों के लिए NOTA विकल्प की उपस्थिति उनके लिए अस्वीकार्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए पार्टी हाईकमान के आदेश के विरुद्ध, विरोधी पार्टियों के उम्मीदवार को चुने बिना, विरोधस्वरूप मतदान की संभावना प्रदान करती है।

कुलदीप नैयर बनाम भारत संघ वाद, 2006

- इसमें अगस्त 2003 से प्रभावी जनप्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम,2003 (2003 का संख्या 40) के माध्यम से जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में किए गए संशोधनों को चुनौती दी गई थी।
- रिट याचिका में खुली मतपत्र प्रणाली को भी चुनौती दी गई थी, जो याचिकाकर्ता के अनुसार, **'गोपनीयता' के सिद्धांत'** का उल्लंघन करती है।

1961 के निर्वाचन संचालन नियमों का नियम 39AA

- यह नियम उल्लिखित करता है कि मतदाता अपना मत मतपेटी में डालने से पहले अपने राजनीतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि को दिखा सकते हैं।
- निर्वाचन आयोग के अनुसार नियम 39 AA "स्पष्ट रूप से यह कहता है कि मतदाता को केवल अपने दल के अधिकृत प्रतिनिधि को मतपत्र दिखाना है न कि किसी अन्य को। हालांकि, स्वतंत्र विधायकों की स्थिति में, उन्हें अपना मतपत्र किसी को भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
- हालांकि, विद्रोही विधायक के लिए कौन अधिकृत प्रतिनिधि होगा इस विषय से संबंधित कोई प्रावधान नियम 39AA में नहीं है।
- कुलदीप नायर बनाम भारत संघ, 2006 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने कहा है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा को प्रभाव में लाने के लिए "मुक्त और निष्पक्ष निर्वाचन" व्यवस्था को "खुले मतपत्र" के कारण पराजित नहीं होने देंगे।

VISION IAS

1.5. हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम की मांग

(Demand for a Hybrid Electoral System)

सुर्खियों में क्यों?

विभिन्न राजनीतिक दलों ने संसदीय पैनल को बताया है कि वर्तमान ***फर्स्ट पास्ट द पोस्ट*** सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम/मिश्रित निर्वाचक प्रणाली क्या है?

- हाइब्रिड सिस्टम/मिश्रित प्रणाली ऐसी निर्वाचक प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें एक से अधिक निर्वाचक प्रणालियों की सकारात्मक विशेषताओं को शामिल करते हुए दो प्रणालियों का एक ही में विलय कर दिया जाता है।
- मिश्रित प्रणाली में, दो निर्वाचक प्रणाली भिन्न-भिन्न सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, एक साथ संचालित होती हैं। उन्हीं मतदाताओं द्वारा मत दिए जाते हैं और दोनों प्रणालियों के अंतर्गत प्रतिनिधियों के निर्वाचन में योगदान देते हैं।
- उनमें से एक प्रणाली बहुलता/बहुमत प्रणाली (या कभी-कभी एक 'अन्य' प्रणाली) है, जिसका सामान्यतः एकल सदस्यीय जिला प्रणाली और दूसरी 'सूची PR प्रणाली'(List PR system) है।
- मिश्रित प्रणाली के दो रूप हैं-
    - जब दो प्रकार के चुनावों का परिणाम PR स्तर पर सीट आवंटन के साथ जुड़ा हुआ होता है (जो बहुसंख्यक / बहुमत /या अन्य जिला सीटों पर क्या हुआ, इस पर निर्भर होता है) और साथ ही किसी भी असंगतता के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है, तो ऐसी प्रणाली को **मिश्रित सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व (MMP) प्रणाली कहा जाता है।**
    - जहां निर्वाचनों के दो समुच्चय पृथक और विशिष्ट होते हैं तथा सीट आवंटन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ऐसी प्रणाली को **समानांतर प्रणाली** कहा जाता है।
- जहां MMP प्रणाली का सामान्यत: आनुपातिक परिणाम होता है, वहीं समानांतर प्रणाली द्वारा ऐसे परिणाम की संभावना होती है, जिसकी अनुरूपता बहुलता/बहुमत की आनुपातिकता और PR प्रणाली की आनुपातिकता के मध्य होती है।

विभिन्न प्रकार की निर्वाचक प्रणालियां

- *फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम*।
- आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।
- मिश्रित प्रणालियां, जिन्हें कभी-कभी हाइब्रिड सिस्टम (hybrid system) भी कहा जाता है।

भारत में, हम मतदान की FPTP और साथ ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दोनों का अनुसरण करते हैं। उदाहरण के लिए, लोकसभा के चुनावों के लिए FPTP और राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए हम आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अनुसरण करते हैं।

हाइब्रिड सिस्टम की मांग क्यों की जा रही है?

- यह तर्क दिया जा रहा है कि वर्तमान निर्वाचक प्रणाली में बहुमत की आकांक्षाएं और व्यक्तियों की इच्छा निर्वाचन परिणामों में प्रतिबिंबित नहीं हो रही हैं।
- जब FPTP की वर्तमान प्रणाली को अपनाए जाने के बाद से (एक दल का शासन), परिस्थितियों में बहुत बदलाव आया है। परन्तु, वर्तमान में मतों का विभाजन होने के कारण, 20% वोट हिस्सेदारी प्राप्त होने के बाद भी दल को एक भी सीट नहीं मिलती है, जबकि 28% हिस्सेदारी वाला दल अनुपातिक रूप से बड़ी संख्या में सीटें प्राप्त कर लेता है। उदाहरण के लिए, मार्च, 2017 में आयोजित उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव।
- इस प्रणाली का विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा सफलतापूर्वक अनुसरण किया गया है।
- **विधि आयोग की 170वीं और 255वीं रिपोर्ट** में भी यह सुझाव दिया गया था कि वर्तमान लोकसभा में 25% या 136 अतिरिक्त सीटों की वृद्धि की जानी चाहिए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा भरी जानी चाहिए।
- कई व्यक्तियों के द्वारा संकेत किया जाता है कि वर्तमान प्रणाली "अल्पसंख्यक लोकतंत्र" को प्रतिबिंबित करती है, जो स्वतत्रता के पश्चात् से देश में चली आ रही है।

FPTP क्या है?

- एकल सदस्य जिलों और उम्मीदवार-केंद्रित मतदान का उपयोग करने वाली *फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम* बहुलता / बहुमत प्रणाली का सरलतम रूप है।
- मतदाता के समक्ष नामांकित उम्मीदवारों का नाम प्रस्तुत किया जाता है और वह उनमें से एक और केवल एक को चुनकर मत देता है।
- विजयी उम्मीदवार केवल वही व्यक्ति होता है, जो सबसे अधिक मत प्राप्त करता है। सिद्धांतत:, वह दो मतों से भी निर्वाचित हो सकता है, यदि अन्य सभी उम्मीदवारों को केवल एक ही मत मिले।

VISION IAS

- इस प्रणाली का UK में *हाउस ऑफ कॉमन्स,* US कांग्रेस के दोनों सदनों और भारत एवं कनाडा में निचले सदन के सदस्यों को चुनने के साथ-साथ ऐसे अन्य स्थानों पर उपयोग किया जाता है जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करते थे।

हमने FPTP क्यों चुना?

देश ने निम्नलिखित कारणों से निर्वाचन प्रणाली के लिए FPTP को चुना -

- **सरलता -** स्वतंत्रता के समय अधिकांश भारतीय आबादी साक्षर नहीं थी और PR प्रणाली की जटिलता समझने में असमर्थ थी।
- **सुपरिचितता (Familiarity) -** स्वतंत्रता पूर्व से FPTP प्रणाली के आधार पर नियमित रूप से कई चुनावों का आयोजन किया गया था, जिसने इस प्रक्रिया को देश के जन सामान्य के लिए अधिक सुपरिचित बना दिया था।
- PR प्रणाली दल को सत्ता के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है, जबकि FPTP निश्चित विशिष्ट क्षेत्र के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को चुनती है। स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति देखते हुए, यह हमारे नेताओं के लिए बड़ी चिंता की बात थी, क्योंकि लोग एक विशेष राजनीतिक दल की अपेक्षा अपने नेताओं से अधिक जुड़े हुए थे।

FPTP और PR के बीच का अंतर

आनुपातिक प्रतिनिधित्व	फर्स्ट पास्ट द पोस्ट
• डाले गए मतों को सत्यतापूर्वक जीती गई सीटों में परिवर्तित करता है। • प्रतिनिधित्व या जिले के आकार के आधार पर अल्पसंख्यक दल को प्रतिनिधित्व की सुविधा प्रदान करता है। • दलों और हित समूहों के मध्य सत्ता-साझेदारी को अधिक स्पष्ट करता है। • एकल पार्टी का प्रभुत्व मुश्किल होता है। • यह प्रणाली प्रतिनिधित्व से छोटे दलों को बाहर नहीं करती है	• यह डाले गए मतों का संपूर्ण रूप से जीती गई सीटों में परिवर्तित नहीं करता है। • इससे अल्पसंख्यक दलों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता है। • विभिन्न समूहों के बीच सत्ता साझेदारी अधिक स्पष्ट नहीं होता है। • यह प्रणाली एक-दलीय सरकारों को जन्म देती है। • यह प्रणाली 'उचित' प्रतिनिधित्व से छोटे दलों को बाहर कर देती है

1.6. पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति संबंधी नियम

(Panchayat Staffing Rules)

सुर्खियों में क्यों?

केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र ही गैर-निर्वाचित पंचायत कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित दिशा-निर्देशों पर एक रिपोर्ट जारी किया जाएगा।

पृष्ठभूमि

- वर्तमान में, कुछ सरकारों, जैसे कि हरियाणा और राजस्थान में PRI's के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए **शैक्षणिक योग्यताएं** निर्धारित की गयी हैं। परन्तु, किसी भी राज्य में पंचायतों के गैर-निर्वाचित कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कोई स्पष्ट नियम नहीं हैं।
- पंचायती राज मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) द्वारा पूर्व में एक सर्कुलर जारी किया गया था। जिसमें 5000 की आबादी वाले एक ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के समूह के लिए पंचायत विकास अधिकारी (PDO)/ सचिव, एक तकनीकी सहायक (TA) और एक **लेखाकार (Accountant)** की नियुक्ति की अनुशंसा की गयी थी। परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इसके कार्यान्वयन की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है।
- सरकार ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणाम प्राप्त करने हेतु पूर्व वित्त सचिव सुमित बोस के नेतृत्व में प्रदर्शन-आधारित भुगतान पर एक **विशेषज्ञ समिति** की भी नियुक्त की है।
- इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधान मंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDAs) की **प्रशासनिक संरचना** को भी शामिल किया जाएगा।

इस कदम का महत्व

- **बेहतर निगरानी और अनुशासन**- विगत कुछ वर्षों में विकास कार्यक्रम और योजनाएं विस्तारित हुई हैं, परन्तु वर्तमान में, यह अस्थायी कर्मचारियों और अनुचित प्रबंधित कैडर द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।

- कोर स्टाफ की नियुक्ति के लिए **सम्पूर्ण भारत में एक समान नियमों** से नियुक्ति में संरक्षणवाद और भाई-भतीजावाद की प्रणाली तथा पक्षपातपूर्ण व्यवहार को समाप्त करेगा। नियुक्ति के संबंध में ये अनियमितताएं ग्रामीण विकास की पहल के परिणामों को पथभ्रष्ट कर रही हैं।
- **दक्षता और प्रभावशीलता -** समस्त भारत में लगभग 239,000 पंचायतों को हस्तांतरित किए जा रहे विशाल कोष का अधिक समावेशन और बेहतर उपयोग अपेक्षित है। चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के पश्चात से फंडिंग में वृद्धि हुई है, जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए पांच वर्षों (2015-2020) में 1.87 लाख करोड़ रुपये की सिफारिश की गई थी।
- **जमीनी स्तर पर बेहतर सेवा वितरण -** चूँकि अब जटिल कार्य सुनिश्चित करने के लिए समर्पित श्रमिक होंगे। अभी तक, MoRD के अनुसार, राजस्थान में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जिन्हें केवल स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए नियुक्त किया गया, उनको सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सभी के लिए आवास योजना की निगरानी की जा रही है।
- **बेहतर जवाबदेहिता:** प्रशिक्षित कर्मचारी पंचायत स्तर पर बेहतर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, खाते के विवरण और प्राप्त वित्तीय सहायता के संबंध में प्रयोज्यता प्रमाण-पत्र के माध्यम से जवाबदेहिता सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे।

1.7. निवारक सतर्कता

(Preventive Vigilanc)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में CVC की सतर्कता पुस्तिका का 7वां संस्करण जारी किया गया। जिसमें निवारक सतर्कता के संबंध में चर्चा की गई है।

भारत में सतर्कता प्रशासन में सम्मिलित हैं:

- केंद्रीय सतर्कता आयोग- संथानम समिति की अनुशंसाओं के आधार पर स्थापित किया गया है।
- DoPT में प्रशासकीय सतर्कता प्रभाग।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो।
- भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, केंद्रीय PSEs और अन्य स्वायत्त संगठनों में सतर्कता इकाइयां।
- अनुशासनिक प्राधिकारी।
- पर्यवेक्षी अधिकारी।

निवारक सतर्कता क्या है?

- यह **भ्रष्टाचार उन्मूलन/कम करने**, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सुधार लाने हेतु उपायों के एक पैकेज को अपनाता है।
- सतर्कता को सतर्क दृष्टि और सजगता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार यह सतर्कता प्रशासन में प्राय: निवारक और दंडात्मक भ्रष्टाचार विरोधी उपाय और कुशल तरीके से व्यवस्था का कामकाज सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को सम्मिलित करता है।

भ्रष्टाचार के कारण

- सरकार नियामकीय कार्यों के माध्यम से जितना प्रबंधन कर सकती है उससे अधिक बोझ ले रही है।
- विभिन्न श्रेणियों के सरकारी सेवकों के लिए व्यक्तिगत विवेकाधिकार का क्षेत्र।
- दिन प्रति दिन के विभिन्न प्रकरणों से निपटने की बोझिल प्रक्रियाएं।
- वस्तुओं / सेवाओं के वितरण पर एकाधिकार।
- पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव और नियमित/आवधिक/औचक जांच की अपर्याप्तता।
- निम्न स्तरीय नियामकीय ढांचा और भ्रष्टाचार का पता लगाने की बहुत निम्न दर।
- अधिकारों, कर्तव्यों, शिकायत की प्रक्रिया, नियम, कानूनों आदि के संबंध में जागरुकता का अभाव और कमजोर शिकायत निवारण तंत्र।
- मूल्य, नैतिकता और सत्यनिष्ठा जाग्रत करने वाली औपचारिक प्रणाली का अभाव।

निवारक सतर्कता के उपाय

चूंकि भ्रष्टाचार के विभिन्न संभावित क्षेत्र हैं, जैसे कि खरीद, मानव संसाधन प्रबंधन, सेवाओं का वितरण, वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री, नियमों और विनियमों का प्रवर्तन आदि। अत: निम्नलिखित निवारक सतर्कता उपाय अपनाने की आवश्यकता है:

- वर्तमान नियमों और विनियमों की पूरी समीक्षा कर नियमों का **सरलीकरण और मानकीकरण** करने से स्पष्टता और उत्तरदायित्व में सुधार आएगा और विवेकाधिकार और स्वेच्छाचारिता का उन्मूलन होगा, इस प्रकार भ्रष्टाचार में कमी आएगी।

VISION IAS

- **तकनीक का लाभ उठाना -** जैसे ई-खरीद, ई-भुगतान, सूचना प्रसार और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न वेबसाइट, पब्लिक डीलिंग वाले स्थानों पर **CCTV, GPS** क्षम युक्तियां / **RFID,** धोखाधड़ी आदि पता लगाने के लिए कंप्यूटर सहायतित लेखा परीक्षण तकनीकें।
- **स्वचालन - IT** का उपयोग करने से सार्वजनिक अधिकारियों और आम जनता के बीच होने वाली अंतरक्रिया / बातचीत कम हो जाती है। **IT** का उपयोग सेवाओं के वितरण पर एकाधिकार समाप्त करता है और विवेकाधिकार का अवसर कम करता है।
- **व्यापार प्रक्रिया री-इंजीनियरिंग -** संगठन के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को पुनः क्रियान्वित करने में संगठन की सहायता करता है। रि-इंजीनियरिंग से राजस्व के रिसाव की रोकथाम भी हो सकती है।
- **पारदर्शिता:** पारदर्शिता से जनता और लोक अधिकारियों के बीच सूचना अंतराल समाप्त हो जाता है, जिससे भ्रष्टाचार कम होता है।
- **जवाबदेही और जागरूकता -** कदाचार की स्थिति में प्रभावी दण्डात्मक कार्रवाई के साथ स्पष्ट उत्तरदायित्व की प्रणाली सुचारू कामकाज और दक्षता के लिए आवश्यक है। साथ ही लोक अधिकारियों को भी उनके कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों, आचार संहिता, नियमों, प्रक्रियाओं आदि से अवगत कराया जाना चाहिए।
- **नियंत्रण और पर्यवेक्षण:** नियमित और नित्य निरीक्षण, औचक निरीक्षण, लेखापरीक्षण और समीक्षाएं निरंकुश और भ्रष्ट व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं। साथ ही कदाचार का शीघ्र पता लगने से हानि की क्षतिपूर्ति करना संभव हो सकता है। आगे और भी नुकसान नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है
- **समयबद्ध और प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई –** चूँकि लोग इस विश्वास के तहत कदाचार का जोखिम उठाने के लिए अन्य लोगों को प्रोत्साहन और साहस देते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा।
- **आवश्यक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना:** आवास, परिवहन, उपयोगिताओं आदि जैसी पर्याप्त अवसंरचना सुविधाओं का प्रबंध न होना भी भ्रष्टाचार को प्रेरित करता है।
- **जनता में जागरूकता -** लोक अधिकारियों द्वारा मनमाने व्यवहार के विरूद्ध अपनी आवाज उठाने के लिए उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सक्षम बनाने हेतु।
- **सहायक कार्य वातावरण -** संवेदनशील पदों की पहचान करना और ऐसे पदों पर सत्यनिष्ठा वाले व्यक्ति को रखना, व्हिसल ब्लोअर का संरक्षण करना आदि।
- **नैतिक मूल्य पैदा करना -** जनता, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच नैतिक व्यवहार पैदा करना निवारक सतर्कता का महत्वपूर्ण उपकरण है।
- **सत्यनिष्ठा समझौता -** सरकार/ सरकारी विभागों/ सरकारी कंपनियों आदि के द्वारा स्वयं को रिश्वतखोरी, टकराव आदि दूर रखने के लिए सहमत सभी बोलीदाताओं के बीच लिखित समझौता। इसे **CVC** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है और समझौते का उल्लंघन करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। **CVC** द्वारा नामित **IEM** (स्वतंत्र बाहरी निगरानीकर्ता) के माध्यम से निगरानी की जाती है।

यद्यपि भारत में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कई उपाय किए गए हैं। परन्तु अभी भी भारत को काफी लंबा रास्ता तय करना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की **करप्शन परसेप्शन इंडेक्स** (CPI) में भारत की रैंकिग **176** देशों में **79 है जो कि** बहुत नीचे है। इस प्रकार, भारत को लोकपाल कानून को क्रियान्वित करने, भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रयासों में जनता की भागीदारी बढ़ाने जैसे उपायों का अनुसरण करना चाहिए।

सरकार द्वारा हाल में उठाए गए कदम:

- प्रत्येक अधिकारी के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा दबाब महसूस किए बिना कार्य करने के लिए उचित वातावरण सुनिश्चित करने हेतु PCA में संशोधन करना।
- अनावश्यक कानूनों को निरस्त करके कानूनों का सरलीकरण करना।
- डिजिटलीकरण - जैसे कि खरीद के लिए सरकारी ई-बाजार, ई-भुगतान के लिए BHIM आदि का उपयोग करना ।
- बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 में संशोधन।
- चुनावी वित्त पोषण में अधिक पारदर्शिता लाना।
- लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसे LPG आदि के लिए।
- मॉरीशस आदि जैसे देशों के साथ दोहरे कराधान का परिहार समझौता ।
- रियल स्टेट क्षेत्र को लक्षित करना जो कि भ्रष्टाचार का महत्वपूर्ण हिस्सा एकत्र करता है।

VISION IAS

एशिया-प्रशांत क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- भ्रष्टाचार से लड़ाई में अपनी सरकार के प्रयासों को लेकर भारत में लोग सबसे अधिक सकारात्मक थे। 53% लोगों का कहना था कि सरकार भ्रष्टाचार से निपटने में अच्छा प्रदर्शन कर रही है।
- भारत में केवल 41% उत्तरदाताओं का मानना है कि भ्रष्टाचार का स्तर बढ़ा है। यह चीन (73%), इंडोनेशिया (65%) आदि जैसे देशों की तुलना में काफी कम है।
- लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी सार्वजनिक सेवाओं में से पुलिस बल में भ्रष्टाचार का उच्चतम स्तर माना जाता है।
- भारत में 69% की उच्चतम रिश्वतखोरी दर है।

2. अन्तर्राष्ट्रीय/भारत और विश्व

(INTERNATIONAL/ INDIA AND WORLD)

2.1. BRICS सम्मेलन 2017

(BRICS Summit 2017)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में 9वां ब्रिक्स सम्मेलन, 2017 का आयोजन चीन के शियामेन (Xiamen) में किया गया।

शियामेन घोषणापत्र

'स्ट्रांगर पार्टनरशिप फॉर ए ब्राइटर फ्यूचर' विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए नेताओं ने इस वर्ष के एजेंडे की रूपरेखा के साथ-साथ राष्ट्रों द्वारा इस पर काम करने हेतु सहमति से सम्बंधित एक संयुक्त बयान जारी किया।

कोम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT)

- **CCIT को सर्वप्रथम** 1996 में भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया।
- इसमें आतंकवाद की सार्वभौम परिभाषा, धन एवं सुरक्षित आश्रयों तक आतंकवादी समूहों की पहुंच को समाप्त करने के उपाय और सीमापार आतंकवाद को एक प्रत्यर्पणात्मक अपराध बनाने के लिए घरेलू कानूनों में संशोधन करना शामिल है।

शियामेन घोषणापत्र के मुख्य बिंदु

आतंकवाद का मुद्दा·

- ब्रिक्स के इतिहास में पहली बार आतंकवाद के मुद्दे पर अत्यंत कठोर और स्पष्ट भाषा का उपयोग किया गया है।
- नेताओं द्वारा आतंकी हमलों की निंदा की गई। साथ ही वैश्विक आतंकी संगठनों (हक़्क़ानी नेटवर्क, इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा) के साथ पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठनों (लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद) के नाम घोषणापत्र में शामिल किए गए। यह पहली बार है कि जब ब्रिक्स घोषणापत्र में भारत-विरोधी संगठनों का नाम शामिल किए गए।
- ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा **कोम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म (CCIT)** को तुरंत अंतिम रूप देने और अपनाने की मांग की है।
- इस घोषणा में अफगानिस्तान में शांति एवं राष्ट्रीय समन्वय की स्थापना हेतु अफगानिस्तान के लोगों द्वारा तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को ब्रिक्स द्वारा समर्थन दिया गया।

उत्तर कोरिया

- ब्रिक्स नेताओं ने **DPRK द्वारा आयोजित परमाणु परीक्षण** की कड़ी निंदा की। कोरियाई प्रायद्वीप पर व्याप्त तनाव और दीर्घकालीन परमाणु मुद्दे पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। इस बात पर भी बल दिया कि इस मुद्दे का समाधान केवल **शांतिपूर्ण तरीके एवं संबंधित सभी दलों के मध्य प्रत्यक्ष वार्ता** द्वारा किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन

- ब्रिक्स नेताओं ने **हरित विकास, निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था, हरित वित्तपोषण** का विस्तार आदि को आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया तथा सभी देशों से **पेरिस समझौते** का पूर्ण क्रियान्वयन करने का आग्रह किया।

ग्लोबल इकनोमिक गवर्नेंस

- ब्रिक्स नेताओं ने एक **ग्लोबल इकनोमिक गवर्नेंस आर्किटेक्चर** को प्रोत्साहन देने का संकल्प लिया है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अधिक प्रभावशाली एवं विचारशील है तथा उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की आवाज़ और प्रतिनिधित्व में वृद्धि करेगा।
- ब्रिक्स **कांटिनजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA),** ब्रिक्स वित्तीय सहयोग एवं विकास के किए एक मील का पत्थर है। यह वैश्विक वित्तीय स्थिरता में भी योगदान देता है।

ब्रिक्स कांटिनजेंट रिज़र्व सिस्टम (CRA) एक फ्रेमवर्क है जो वास्तविक या संभावित अल्पकालिक भुगतान संतुलन दबावों की प्रतिक्रिया में तरलता और निवारक उपकरणों के माध्यम से समर्थन का प्रावधान करता है। यह 2015 में ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था।

संरक्षणवादी उपायों का विरोध

- ब्रिक्स नेताओं ने दृढ़तापूर्वक संरक्षणवाद का विरोध करते हुए एक **खुली एवं संयुक्त विश्व अर्थव्यवस्था** के महत्व पर बल दिया है जिससे सभी देशों और लोगों की वैश्वीकरण के लाभों में भागीदारी सुनिश्चित हो सके।
- ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि वे विश्व व्यापार संगठन की **नियम-आधारित, पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण,** खुली और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं।

VISION IAS

ऊर्जा के लिए सहयोग

- एक **ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च कोऑपरेशन प्लेटफार्म** की स्थापना के लिए निरंतर वार्ता जारी है तथा संबंधित संस्थाओं को ऊर्जा सहयोग एवं ऊर्जा दक्षता पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

ब्रिक्स वित्तीय सहयोग

- **ब्रिक्स** के नेताओं द्वारा **ब्रिक्स** देशों में वित्तपोषण को पूंजी स्थिरता प्रदान करने में योगदान देने हेतु **ब्रिक्स लोकल करेंसी बांड मार्केट** के विकास को प्रोत्साहित करने तथा संयुक्त रूप से एक **ब्रिक्स लोकल करेंसी बांड फंड** की स्थापना हेतु सहमति व्यक्त की गई है।

भारत के परिपेक्ष्य में शियामेन घोषणापत्र का महत्व:

- आतंकवाद का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है और आतंकवादी संगठनों (विशेषकर पाकिस्तान आधारित) को सूचीबद्ध किया गया है जो **गोवा घोषणापत्र** से आगे की प्रगति है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का उल्लेख बीजिंग द्वारा कोई पहली बार नहीं हुआ है तथा चीन को आतंकवाद पर द्विपक्षीय प्रतिबद्धता के माध्यम से इसे सुदृढ़ करना चाहिए।
- पूरे घोषणापत्र में **OBOR का कोई उल्लेख नहीं** है जिस पर भारत द्वारा कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई थी।

10 श्रेष्ठ प्रतिबद्धताएं:

भारतीय प्रधानमंत्री ने प्रस्तावित किया है कि वैश्विक परिवर्तन में ब्रिक्स की भूमिका हेतु पांच सदस्यीय दल द्वारा 10 श्रेष्ठ प्रतिबद्धताएँ निर्धारित की जाएगी।

- कम से कम तीन मुद्दों यथा: आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आपदा प्रबंधन पर संगठित और समन्वित कार्रवाई द्वारा **एक सुरक्षित विश्व का निर्माण** करना।
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु भारत द्वारा आरम्भ किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी नई पहलों के माध्यम से ठोस कार्रवाई कर **एक हरित विश्व का निर्माण** करना।
- दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को साझा एवं प्रसारित करके **एक सक्षम विश्व का निर्माण** करना।
- हमारे लोगों को बैंकिंग और वित्तीय व्यवस्था सहित आर्थिक मुख्यधारा में लाकर **एक समावेशी विश्व का निर्माण** करना।
- हमारी अर्थव्यवस्थाओं के भीतर और बाहर डिजिटल अंतराल को खत्म करके **एक डिजिटल विश्व का निर्माण** करना।
- हमारे लाखों युवाओं को भविष्य आधारित कौशल प्रदान करके **एक कुशल विश्व का निर्माण** करना।
- बीमारियों का उन्मूलन करने और सभी के लिए सस्ती स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए अनुसंधान एवं विकास में सहयोग करके **एक स्वस्थ विश्व का निर्माण** करना।
- सभी के लिए अवसरों, विशेष रूप से लैंगिक समानता के माध्यम से **एक न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण** करना।
- वस्तुओं, व्यक्तियों और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सक्षम करके **एक कनेक्टेड वर्ल्ड का निर्माण** करना।
- विचारधाराओं, प्रथाओं और विरासत को प्रोत्साहित करके शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर केंद्रित और प्रकृति के प्रति सद्भाव रखने वाले **सामंजस्यपूर्ण विश्व का निर्माण** करना।

2.2. भारत-म्यामार (India-Myanmar)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारतीय प्रधानमंत्री ने म्यांमार की अपनी पहली (द्विपक्षीय) आधिकारिक यात्रा की। उन्होंने 2014 में आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी इस देश का दौरा किया था।

दोनों देशो के मध्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे

रोहिंग्या संकट

म्यांमार द्वारा अपने अल्पसंख्यक रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रति किये जा रहे क्रूर व्यवहार के मुद्दे से भारत प्रत्यक्ष तौर से जुड़ा हुआ नहीं है।

- लेकिन इस समय जब म्यांमार अलग-थलग पड़ रहा है, भारत ने संयुक्त बयान:"भारत ने हाल ही में उत्तरी रखाइन प्रान्त में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की" में म्यांमार के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया।
- दोनों पक्षों ने माना है कि आतंकवाद मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है और इसलिए, आतंकवादियों का शहीदों के रूप में गुणगान नहीं किया जाना चाहिए।

चीन कारक

चूंकि भारत के आस-पास के क्षेत्रों में चीन की गतिवधियाँ बढती जा रही है, अतः केंद्र सरकार को म्यांमार में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के विकास के माध्यम से अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा। भारत के लिए म्यांमार में चीन के प्रभाव का सामना करना कठिन हो रहा है।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व

म्यांमार भारत के रणनीतिक पड़ोसी देशों में से एक है। इसकी 1,640 किलोमीटर लंबी सीमा अनेक पूर्वोत्तर राज्यों के साथ लगती है। इन पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद प्रभावित नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्य भी शामिल हैं।

- म्यांमार, भारत-म्यांमार-थाईलैंड एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टीमॉडल प्रोजेक्ट, सड़क-नदी-बंदरगाह कार्गो परिवहन परियोजना और बिम्सटेक सहित भारत सरकार की *एक्ट ईस्ट पालिसी* का प्रमुख केंद्र बिंदु है।
- भारत म्यांमार के सुरक्षा बलों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि देश के पूर्वोत्तर में सक्रिय विद्रोही समूहों को समाप्त किया जा सके।

दोनों देशो के संबंधों को मज़बूती प्रदान करने वाले संभावित क्षेत्र:-

विकास सहयोग फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाना

- म्यांमार के लिए किसी अन्य देश ने इतने आधिक अनुदान की घोषणा नहीं की है जितनी भारत ने की है। भारत म्यांमार में चार प्रमुख कनेक्टिविटी परियोजनाओं का विकास कर रहा है:
  - **कलादान मल्टीमॉडल कॉरिडोर**
  - **तामू-कलेवा सड़क** पर 69 पुलों की मरम्मत
  - 120 किलोमीटर के **कलेवा-यार्गी कॉरिडोर** का निर्माण (दोनों **भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग** का हिस्सा हैं), और
  - मिजोरम की सीमा से लगे चिन राज्य में **री-टिडिम सड़क**।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में सभी **बागान पैगोडा** में सबसे प्रमुख, **आनंद मंदिर** के पुनर्निर्माण का काम सराहनीय ढंग से किया है।

भारत और म्यांमार के बीच निम्नलिखित समझौता ज्ञापन(MoU) पर हस्ताक्षर किया गया हैं

- समुद्री सुरक्षा सहयोग (Maritime Security Cooperation)
- वर्ष 2017-2020 के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
- चिकित्सा उत्पाद विनियमन (Medical Products Regulation) में सहयोग
- स्वास्थ्य एवं औषधि के क्षेत्र में सहयोग
- तटीय निगरानी प्रणाली (Coastal Surveillance System) प्रदान करने के लिए तकनीकी समझौता
- म्यांमार इंस्टिट्यूट ऑफ़ इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (MIIT) की स्थापना
- यामेथिन, म्यांमार में महिला पुलिस प्रशिक्षण केंद्र को अपग्रेड करना
- भारत और म्यांमार की नौसेना के बीच व्हाइट शिपिंग इनफार्मेशन (white shipping information) साझा करना
- भारतीय चुनाव आयोग और म्यांमार के चुनाव आयोग के बीच चुनाव के क्षेत्र में सहयोग
- प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और म्यांमार प्रेस काउंसिल के बीच सहयोग
- आईटी-स्किल (IT-Skill) में संवर्धन के लिए भारत-म्यांमार केंद्र की स्थापना

म्यांमार में क्षमता निर्माण

- भारत, म्यांमार में क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। विभिन्न विषयों जैसे अंग्रेजी भाषा से लेकर औद्योगिक कौशल तक प्रशिक्षण देने वाले छह केंद्र, म्यांमार में सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
- IIIT बंगलौर के सहयोग से मांडले में स्थापित म्यांमार इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फोर्मेशन टैक्नोलॉजी ने अपने सभी स्नातकों को रोजगार प्रदान कराया है।
- भारत के ICAR के सहयोग से स्थापित *एडवांस्ड सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन* ने दालों और तिलहनों पर अनुसंधान को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।
- म्यांमार की सरकार द्वारा उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल दिए जाने के कारण म्यांमार में भारत की सहायता से अनेक संस्थानों की स्थापना की जा सकती है।

पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी म्यांमार के बीच व्यापक सहयोग

- पूर्वोत्तर भारत के चार राज्यों की सीमाएं म्यांमार के सागाईंग और चिन प्रांतों के साथ जुडी हुई हैं। भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह पर पहुंचने का कलादान कॉरिडोर भी रखाईन प्रान्त से होकर गुजरता है।

पूर्वोत्तर भारत और म्यांमार के बीच सहयोग के कार्यक्षेत्र

- दोनों पक्षों के व्यवसाय, विशेषकर निकटवर्ती प्रांतों के SMEs तथा सरकारों को उभर रहे नए गलियारों को विकास के गलियारों में बदलने के लिए एक्शन प्लान्स आरम्भ करने की आवश्यकता है।
- तामू/मोरेह और री/ज़ोखावतार से होने वाले सीमा व्यापार को वास्तव में सिंगल-विंडो क्लीयरेंस और आसान मुद्रा व्यवस्था के साथ और अधिक औपचारिक बनाने की आवश्यकता है।
- सीमावर्ती हाट स्थानीय उत्पादन के आदान-प्रदान को उत्साहित कर सकते हैं।

VISION IAS

- सीमा पार बस सेवाएं जन संपर्क को बढ़ावा दे सकती हैं।
- चिकित्सा, निदान, यहां तक कि शिक्षा और प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाओं में सीमा पार व्यापार के को बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए एक विशाल बाजार मौजूद है।

आगे की राह

- भारत द्वारा आरम्भ की गयी विभिन्न परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पायी हैं। जिसके परिणामस्वरूप, भारत को इनका उचित लाभ नहीं मिल पाया है। भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अपने प्रामाणिकता में सुधार के लिए परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करे।
- यह आवश्यक है कि दोनों देश बुनियादी ढांचे के अनुकूलतम उपयोग के लिए माल और वाहनों के निर्बाध परिचालन हेतु पारगमन और अन्य समझौतों पर तुरंत बातचीत करना शुरू कर दे- भले इस तरह का परिवहन 2020 से पहले शुरू नहीं हो पाए।
- दोनों देशो के फायदे के लिए म्यांमार में स्कूली शिक्षा की मैट्रिक्यूलेशन प्रणाली और अंडरग्रेजुएट के लिए छात्रवृति की भारतीय 10+2 प्रणाली के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता है।
- वाणिज्यिक व्यापार और निवेश संकीर्ण आधारों पर टिके हुए है, म्यांमार से व्यापार के मामले में प्राथमिक रूप से कृषि एवं वन उत्पाद तथा निवेश के मामले में तेल और गैस। अतः, म्यांमार की विकास आवश्यकताओं हेतु योगदान देने और 2012 में निर्धारित भारत के 3 अरब डॉलर के व्यापार लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्यावसायिक संबंधों में विस्तार, विविधता और प्रगति लाने की प्रबल आवश्यकता है।
- ऊपरी म्यांमार में नुमालीगढ़ रिफाइनरी से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री जैसी बड़ी पहल पर सहयोग की भी संभावनाएं है। इसका अर्थ होगा कि पूर्वोत्तर को एक्ट ईस्ट पालिसी से फायदा होगा।
- भारतीय उद्योग म्यांमार में विद्युत्, इस्पात, ऑटोमोबाइल और यहां तक की कपड़ा क्षेत्रों में निवेश करने के अवसर तलाश सकते हैं। यदि कहा जाये तो भारत, हिंसा का सामना करने वाले क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार ला सकता है तथा रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा सकता है।

2.3. भारत-जापान

(India-Japan)

सुर्ख़ियों में क्यों?

जापान के प्रधान मंत्री ने भारत की आधिकारिक यात्रा की तथा **12वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन** में भाग लिया।

यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित MoUs/समझौतों की सूची

12वें भारत-जापान वार्षिक सम्मेलन में, दोनों देशों ने विनिर्माण, नागरिक उड्डयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कनेक्टिविटी और कौशल विकास के क्षेत्रो में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

भारत और जापान ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को व्यापक एवं विस्तृत करने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए तथा भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, जहां चीन अपनी पहुँच में वृद्धि कर रहा है।

शिखर सम्मेलन में, उनके रणनीतिक साझेदारी को व्यापक एवं विस्तृत करने के लिए 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण समझौते इस प्रकार हैं:

- भारत और जापान के चुनिन्दा शहरों के बीच असीमित उड़ाने शुरू करने के लिए एक *ओपन स्काई* समझौता किया गया था।
- भारत में जापानी निवेश को सुविधाजनक बनाने और गति प्रदान करने के लिए DIPP और *मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल ट्रेड एंड इंडस्ट्री* (METI) के मध्य *इंडिया-जापान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन रोड मैप* समझौता ज्ञापन।
- मंडल बेचराज-खोराज में 'जापान-इंडिया स्पेशल प्रोग्राम फॉर मेक इन इंडिया' के लिए METI और गुजरात के बीच समझौता ज्ञापन।

<u>हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट का संयुक्त उद्घाटन</u>

- भारतीय प्रधानमंत्री और उनके जापानी समकक्ष ने अहमदाबाद में मुंबई और अहमदाबाद के बीच देश की पहली 508 किलोमीटर की हाई-स्पीड रेल प्रोजेक्ट की नींव रखी।
- इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन जापान से प्राप्त लगभग 90% वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाएगा।
- प्रोजेक्ट के लिए जापान के साथ साझेदारी करने का भारत का निर्णय बुनियादी ढांचे से ज्यादा राजनीतिक है क्योंकि जापान अपने अनुबंधों को लागू कराने का इच्छुक है जबकि यह महत्वपूर्ण है कि चीन अपनी बेल्ट एंड रोड रेलवे लाइन के साथ-साथ अन्य परियोजनाओं को हासिल कर रहा है।

संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएं

संयुक्त वक्तव्य का शीर्षक **"टुवर्ड्स ए फ्री, ओपन एंड प्रोसपरस इंडो-पेसिफ़िक रीजन"** था, जो दोनों देशों के लिए समान सामान्य चिंता का विषय है।

भारत-प्रशांत क्षेत्र

- संयुक्त वक्तव्य में भारत-प्रशांत क्षेत्र में **"नियम-आधारित व्यवस्था"** की बात की गई है। इस व्यवस्था के तहत **"संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान किया जाता है**; मतभेदों को आपसी वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाता हैं तथा जहां बड़े या छोटे **सभी देश** नेविगेशन और अधिक उड़ानों की स्वतंत्रता, सतत विकास तथा एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और खुली व्यापार एवं निवेश प्रणाली का लाभ उठाते है।"

चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)

- संयुक्त वक्तव्य के तहत चीन के OBOR इनिशिएटिव पर इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी एवं बुनियादी ढांचे के विकास करने के लिए पारदर्शिता की मांग की गई और एशिया एवं अफ्रीका को जोड़ने के लिए इंडिया-जापान प्रोजेक्ट की पुन: पुष्टि की गई।
- संयुक्त वक्तव्य में उन सिद्धांतों का भी समर्थन किया गया जिनके आधार पर भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) से बाहर रहने का फैसला किया था।

उत्तर कोरिया

- रणनीतिक साझेदारी का प्रदर्शन करते हुए, भारत और जापान ने उत्तर कोरिया को अपने परमाणु एवं मिसाइल कार्यक्रमों को बंद करने के लिए कहा।
- संयुक्त वक्तव्य में उत्तर कोरिया की निंदा की गई है, लेकिन पहली बार जिस देश ने परमाणु कार्यक्रम विकसित करने में उस देश की मदद की उसकी "सभी पक्षों की जवाबदेही तय करने के महत्व" को भी शामिल किया गया है, इसमें न केवल चीन बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक संकेत है।

आतंकवाद

- शिखर सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के रिजोल्यूशन 1267 के कार्यान्वयन की मांग की गई।
- आतंकवाद पर ***जीरो टोलरन्स*** सम्बन्धी उप-खंड(clause) ने, जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख पर चीन के वीटो का संदर्भ देते हुए उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों की सूची में डाल दिया है।

संयुक्त अभ्यास

- संयुक्त वक्तव्य में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HA/DR), शांति स्थापना अभियानों और आतंकवाद से मुकाबला करने के क्षेत्रों में संयुक्त अभ्यास के विस्तार पर बल दिया गया है, जिसमें अगले वर्ष जापान और भारत की सेना के मध्य संपन्न होने वाले संयुक्त क्षेत्र अभ्यास भी शामिल होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सहायता

- जापान ने देश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी रुचि का भी उल्लेख किया।
- वर्तमान में जापान की दो अवसंरचनात्मक परियोजनाएं, मेघालय और मिजोरम में चल रही हैं और व्यवहार्यता अध्ययन के बाद इस सूची में और अधिक परियोजनाओ के जोड़े जाने की संभावना है।

विश्लेषण

- यह स्पष्ट है कि सरकार ने भू-राजनैतिक आधार पर भारत-जापान संबंध स्थापित किए हैं जो बाकी विश्व, विशेष रूप से चीन के साथ अपने व्यवहार को एक नयी दिशा देने में प्रमुख कारक होगा, विशेष रूप से उस समय जब अमेरिका इस क्षेत्र से खुद को पीछे हटा रहा है ।
- हालांकि रणनीतिक साझेदारी को मजबूत आर्थिक संबंधों की आवश्यकता है। आज, भारत-जापान के मध्य करीब 15 अरब डॉलर व्यापार होता है जो चीन के साथ होने वाले व्यापार का एक चौथाई हिस्सा है। जबकि जापान-चीन का व्यापार लगभग 300 अरब डॉलर का है। जापान, भारत के लिए सबसे बड़ा दानदाता देश है तथा FDI प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश भी है, हालाँकि 2013 से दोनों देशो के मध्य द्विपक्षीय व्यापार में लगातार गिरावट आई है।
- दोनों देशो ने उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधि के चलते इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए रक्षा संबंधों को मजबूत करने का निर्णय लिया है।
- दोनों पक्ष मानव रहित यान (Unmanned Ground Vehicles) और रोबोटिक्स के क्षेत्रों में अनुसंधान सहयोग के लिए तकनीकी चर्चा शुरू करने के लिए भी सहमत हुए।
- हाल ही में कनेक्टिविटी निर्माण के लिए एक अन्य प्रमुख पहल के तौर पर ***एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर*** लॉन्च किया गया। इस पहल के तहत जापान ने 30 बिलियन डॉलर और भारत ने 10 अरब डॉलर का योगदान दिया है।
- यह दोनों देशों के बीच 'वैश्विक भागीदारी' हेतु एक महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है। हालांकि, इसे लाभप्रद बनाने के लिए भारत को विदेशों में परियोजनाओं को लागू करने की अपनी शैली को बदलने की आवश्यकता है, जिनमें से परियोजनाओं अधिकांश लागत और पूरा करने में अधिक समय लेने जैसी समस्याओं से ग्रस्त हैं।

VISION IAS

2.4. रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार, तत्कालीन हुई हिंसा के कारण 25 अगस्त के बाद से लगभग 400,000 से अधिक रोहिंग्या मुस्लिम ने म्यांमार के रखाइन प्रान्त से बांग्लादेश में पलायन किया है।

वर्तमान हिंसा का कारण

- म्यांमार में मुस्लिम उग्रवादियों ने पूर्वनियोजित तरीके से 30 पुलिस चौकियों पर और 25 अगस्त को रखाइन राज्य में सेना के बेस कैंप पर हमला किया।
- **अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA)** नामक समूह ने इस हमले की ज़िम्मेदारी ली है। यह समूह पहले हराका अल-याकिन के नाम से जाना जाता था।
- हमले के प्रतिक्रिया में, म्यांमार सेना ने **ARSA** को जड़ से समाप्त करने हेतु "क्लीयरेंस ऑपरेशन" शुरू किया, लेकिन हिंसा ने सीमावर्ती क्षेत्र को गम्भीर रूप से प्रभावित किया है और 400,000 से ज्यादा रोहिंग्या मुस्लिमों का बांग्लादेश में पलायन आरम्भ हो गया है।

म्यांमार के लिए निहितार्थ

देश की नागरिक सरकार ने "उग्रवादी बंगाली आतंकवादियों" के विरुद्ध प्रत्युत्तर में हाल ही में हुए हिंसक कार्रवाई का समर्थन किया है। हालांकि, वर्तमान संकट म्यांमार के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न करेगा।

- प्रत्युत्तर में हुए आक्रमण ने **म्यांमार के बाह्य संबंधों** को अत्यधिक प्रभावित किया है, क्योंकि विश्व समुदाय ने रोहिंग्या मुस्लिमों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है तथा म्यांमार की सरकार के हिंसक कृत्यों की निंदा की है।
- सैन्य शासन से मुक्ति के तुरंत बाद, रोहिंग्या मुद्दे ने **आंग सान सू की** की सरकार के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न की है।
- रखाइन राज्य में चल रही हिंसा ने म्यांमार के अनेक पड़ोसी देशों से संबंधों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है जैसे म्यांमार और मलेशिया।

इस क्षेत्र के लिए निहितार्थ

म्यांमार की आंतरिक सुरक्षा के अतिक्रमण के अलावा, रोहिंग्या संकट दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर रहा है।

- **मानवीय संकट:** सबसे तत्काल निहितार्थ मानवतावादी संकट है, जो सैन्य अभियानों के शुरू होने के बाद से सामने आ रहा है। संघर्ष क्षेत्रों तक सीमित मानवीय पहुंच के कारण अनेक लोगों की भोजन और चिकित्सा देखभाल आदि जैसी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
- **रैडिकलाइजेशन का जोखिम:** इस क्षेत्र में एक ओर बढ़ती चिंता यह है कि यदि म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिमों का उत्पीड़न जारी रहता है, तो संभव है कि कई लोगों को कट्टरता की ओर विवश किया जा सकता है तथा म्यांमार के इस्लामवादी उग्रवादियों को अपने कदम मजबूत करने का रास्ता मिल सकता है।
- **ARSA का उद्भव:** *इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप* ने एक नए विद्रोही समूह **अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी** (ARSA) के उद्भव की बात की है जो सऊदी अरब में प्रवास किये हुए रोहिंग्या मुस्लिमों के अगुवाई में बना हैं। ARSA पर रोहिंग्या मुस्लिमों का प्रभुत्व है तथा इनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण के आधार पर और आधुनिक गुरिल्ला रणनीति के आधार पर इस समूह का संचालन किया जा रहा है।
- **एशिया प्रशांत पर प्रभाव:** यह संकट **एशिया पेसिफ़िक पर भी प्रतिकूल प्रभाव** डाल सकता है, जो निकट भविष्य की आर्थिक ताकत है।
- **आसियान पर प्रभाव:** इस संकट में आसियान संगठन को कमजोर करने की क्षमता है, जो अब तक यूरोपीय संघ के बाद सबसे सफल क्षेत्रीय संगठन माना जाता है।
- **मानव तस्करी**: हिंसा से बचने वालों की बड़ी तादाद तस्करी नेटवर्क में फंस चुकी है।

भारत के लिए निहितार्थ

रखाइन प्रांत में शांति और स्थिरता की स्थापना **भारत के सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण** हेतु महत्वपूर्ण है।

- रखाइन राज्य में निरंतर चल रही हिंसा के कारण दक्षिण-पश्चिम म्यांमार और भारत के पूर्वोत्तर में परिवहन संबधी बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य आरम्भ की गई भारत की **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट** परियोजना प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रही है।
- छिद्रिल सीमा के कारण, यह संभावना है कि **कई अवैध प्रवासी** भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं जो पूर्वोत्तर में पहले से ही मौजूद नाजुक स्थिति को गंभीर चुनौती दे सकता है।
- **पूर्वोत्तर में** आतंक के खतरे से मुकाबला करने में भारत को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इस चल रहे संघर्षों में **ARSA** और अधिक कठिनाईयां उत्पन्न कर सकता है।
- **ARSA और पूर्वोत्तर भारत के विद्रोही समूहों** के बीच सहयोग, दोनों समूह के प्रभाव को बनाये रखने एव संघर्ष को जारी रखने के लिए नए ठिकाने और इलाके (पूर्वोत्तर के विद्रोहियों के लिए रखाइन और **ARSA** के लिए पूर्वोत्तर भारत) प्रदान कर सकता है।
- भारत के लिए समस्या यह है कि **ARSA** के पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के साथ **मज़बूत सम्बन्ध** है, कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह समूह वहां प्रशिक्षित किया गया है।

VISION IAS

- कुछ रिपोर्ट्स पिछले कई वर्षों से **लश्कर-ए-तैयबा / जमात उद दावा के कैडर के** म्यांमार में प्रवेश को भी दर्शाती हैं।

भारत ने म्यांमार के आचरण की आलोचना क्यों नहीं की?

- **नेबरहुड फर्स्ट पालिसी और एक्ट ईस्ट पालिसी** के तहत म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया से जुड़ने और बंगाल की खाड़ी से चीन को अलग करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- म्यांमार, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद के खतरों से निपटने में भारत की मदद करता है।
- म्यांमार की एक केवल सार्वजनिक निंदा इसे चीन के करीब ला सकती है। जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रोहिंग्या मुद्दे को उठाया जाएगा तो म्यांमार बीजिंग के वीटो पर निर्भर करेगा।
- भारत, ARSA द्वारा किए गए 25 अगस्त के आतंकवादी हमलों में लश्कर-ए-तैयबा जैसे पाकिस्तान आधारित आतंकवादी समूहों की संभावित भूमिका से भी अवगत है।

बांग्लादेश के साथ भारत का संतुलन

भारत ने बांग्लादेश को शरणार्थियों की इस बड़ी समस्या से निपटने के लिए सभी संभव मदद देने का आश्वासन दिया है।

- शरणार्थियों की भारी संख्या को देखते हुए विपक्षी दलों ने शेख हसीना सरकार के खिलाफ घरेलू प्रतिक्रिया के रूप में मुद्दा उठाया है, जिसे उनका भारत की तरफ झुकाव के रूप में देखा जा रहा है।
- एक सहायता न करने वाला भारतीय दृष्टिकोण बांग्लादेश में हसीना की स्थिति को कमजोर करेगा और अपने प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया को मजबूत। खालिदा जिया भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है।
- म्यांमार की तरह, बांग्लादेश भी भारत के लिए उग्रवाद विरुद्ध प्रयासों और एक्ट ईस्ट नीति के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण है।
- **ऑपरेशन 'इंसानियत':** विदेश मामलों के मंत्रालय ने म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों की भारी आबादी के कारण उत्पन्न मानवतावादी संकट का सामना करने के क्रम में बांग्लादेश को सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंसानियत की शुरुआत की है।

आगे की राह

हालाँकि बाह्य कारक इस संकट को कम कर सकते हैं, वे इसे हल नहीं कर सकते। इसके समाधान म्यांमार के अंदर ही निहित है।

- आसियान को यहां अग्रणी भूमिका निभानी होगी, सदस्य राष्ट्रों के बीच शरणार्थियों के न्यायसंगत वितरण द्वारा संकट से निपटने हेतु एक तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शरणार्थियों को शरण देने वाले देशों को वित्तीय सहयोग प्रदान कर सकता है।
- अन्नान (Annan) की अगुवाई वाली आयोग की रिपोर्ट रोहिंग्या मुस्लिमों की नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया के लिए तर्क प्रदान करती है। रोहिंग्या मुस्लिमों की नागरिकता को म्यांमार के नागरिकता कानून, 1982 के तहत छीन लिया गया है। रोहिंग्या मुस्लिमों की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ उपयोगी सुझाव अपनाये जा सकते हैं।

2.5. उत्तर कोरिया परमाणु संकट

(North Korea Nuclear Crisis)

सुर्खियों में क्यों?

उत्तर कोरिया ने अपना छठा और सर्वाधिक शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया। उसके अनुसार यह लंबी दूरी की मिसाइल के लिए एक उन्नत हाइड्रोजन बम था। इस परीक्षण के बाद उत्तर कोरियाई शासन का संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके मित्र देशों के साथ चल रहा गतिरोध नाटकीय रूप से बढ़ गया है।

उत्तर कोरिया की कार्रवाई के पीछे कारण

- परमाणु क्षमता मुख्य रूप से शासन का अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।
  - **लीबिया और इराक में पश्चिमी हस्तक्षेप तथा यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप का परिणाम** देखने के बाद किम जोंग-उन ने समझ लिया है कि उन्हें शासन के अस्तित्व के लिए नाभिकीय भयादोहन की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, वह अमेरिका के साथ सीधी वार्ता चाहता है। इससे उसे मान्यता मिलेगी और चीन पर उसकी निर्भरता कम होगी तथा अंततोगत्वा प्रतिबंधों में शिथिलता आएगी।
  - संभव है कि किम जोंग-उन भी **ईरान जैसे समझौते के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय कूटनीतिक दाँव** चल रहा हो, जिसके तहत वह अपने देश के परमाणु हथियारों का अंतरराष्ट्रीय मान्यता और आर्थिक साझेदारी से विनिमय कर सकता है।
- **वह दक्षिण कोरिया और जापान का अमेरिका के साथ गठबंधन तोड़ना** चाहता है।
  - ICBM क्षमता अमेरिका को उसके मित्र देशों से 'अलग' करने का विश्वसनीय साधन है।
  - दक्षिण कोरिया और जापान के पास इस बात पर संदेह करने का प्रत्येक कारण मौजूद है कि क्या उत्तर कोरिया के विरूद्ध उनके बचाव के लिए अमेरिका अपने प्रमुख शहरों को जोखिम में डालेगा।
- दक्षिण कोरिया की भांति उत्तर कोरिया भी **कोरियाई प्रायद्वीप के एकीकरण की इच्छा रखता** है, लेकिन यह एकीकरण वह अपनी शर्तों पर करना चाहता है।

परमाणु कूटनीति की विफलता का परिणाम

- वर्तमान संकट स्पष्ट रूप से उस परमाणु कूटनीति की विफलता को प्रदर्शित करते हैं जिसमे अमेरिका एवं अन्य प्रमुख शक्तियां कई वर्षों से सम्मिलित थी।

आर्थिक प्रतिबंधों की सीमित उपयोगिता

- **आर्थिक प्रतिबंधों की उपयोगिता सीमित** होगी क्योंकि चीन के साथ उत्तर कोरिया का **90%** विदेशी व्यापार होता है। तथा चीन के लिए परमाणु संपन्न उत्तर कोरिया, इसके पतन के बाद बने अमेरिकी गठबंधन वाले एकीकृत कोरिया की तुलना में कम खतरनाक है।
- प्रतिबंध केवल ऐसे देशों पर ही काम करते हैं जहां शासक कुछ राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से **अपनी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं।** एकदलीय शासन में, जिसका प्राथमिक लक्ष्य अपना स्वयं का अस्तित्व होता है, प्रतिबन्ध अधिक कारगर नहीं होते।

भारत के लिए निहितार्थ

- भारत के लिए, सबसे तात्कालिक चिंता एशिया में **अमेरिका की भूमिका में कोई भी संभावित कमी** होगी। अमेरिकी प्रभुत्व चीन की चुनौती का सामना करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **उत्तर कोरिया प्रेरित अलगाव** तथा दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों के विकास; दोनों ही स्थितियों से अमेरिका द्वारा इस क्षेत्र में निभाई जाने वाली सुरक्षा भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकता है। हालाँकि, दक्षिण कोरिया और जापान द्वारा अपने स्वयं के परमाणु हथियारों का विकास एक सुदूर संभावना है।
- कुछ भारतीय विश्लेषक, प्रसार नेटवर्क का इतिहास देखते हुए उन्नत **परमाणु प्रौद्योगिकी के उत्तर कोरिया से पाकिस्तान तक होने वाले प्रसार** को लेकर चिंतित हैं।

भारत की प्रतिक्रिया और उत्तर कोरिया पर उसका प्रभाव

- भारत ने उत्तर कोरिया के कार्यों की निंदा की है। भारत ने खाद्य पदार्थों और दवाओं के निर्यात के अतिरिक्त उत्तर कोरिया के साथ सभी प्रकार के व्यापार पर प्रतिबंध लगाकर संयुक्त राष्ट्र का साथ दिया है। भारत **2015-16** में उत्तर कोरिया का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। इस प्रकार इसके उत्तर कोरिया के लिए निम्नलिखित निहितार्थ हो सकते हैं:
    - **व्यापार पर प्रभाव:** इस निर्णय से भारत-उत्तर कोरिया के मध्य एक दशक से बढ़ रहे व्यापारिक संबंधों में एकाएक रूकावट आ गई है। व्यापार की हानि के कारण, उत्तर कोरिया को पहले से ही गंभीर स्थिति में आ चुकी हार्ड करेंसी की कमी का सामना करना पड़ेगा। भारत के साथ व्यापार की हानि से उत्तर कोरिया की चीन पर अधिक निर्भरता बढ़ेगी, वह भी तब जब विशेषकर दोनों देशों के बीच संबंध उतने सौहार्दपूर्ण नहीं होंगे।
    - **प्रौद्योगिकी साझेदारी संबंधों की समाप्ति:** 2006 में उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधों का पहला समुच्चय जारी करने के बाद भारत में स्थित *द सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया एंड द पैसिफ़िक* (CSSTEAP), विश्व के ऐसे कुछ संस्थानों में से एक था जो उत्तर कोरिया के छात्रों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करता था।

कजाखस्तान में निम्न समृद्ध यूरेनियम (LEU) के लिए यूरेनियम बैंक

- IAEA किसी भी देश से स्वतंत्र होकर बैंक का संचालन करेगा। यह सिविल रिएक्टरों के लिए निम्न-समृद्ध यूरेनियम ईंधन की खरीद और भण्डारण तो करेगा, परंतु परमाणु हथियारों के लिए आवश्यक किसी घटक के रूप में नहीं।
- एक सदस्य राज्य जिसे IAEA के **निम्न समृद्ध यूरेनियम** बैंक से LEU खरीदने की आवश्यकता होगी, उसे IAEA के साथ एक व्यापक सुरक्षा समझौता करना होगा और रक्षोपाय (safeguard) के कार्यान्वयन के संबंध में किसी भी विवाद से मुक्त रहना होगा।
- इससे घरेलू संवर्धन सुविधाओं से रहित देशों को भी ईंधन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ।

यह संकट दूर करने के लिए आगे की राह

'परमाणु निशस्त्रीकरण' और 'एकीकरण' के पुराने उद्देश्यों को किनारे रखना होगा। कम से कम निकट भविष्य के लिए उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता को स्वीकार करना आवश्यक है।

- उत्तर कोरिया के मुद्दे का सैन्य समाधान अधिक मुश्किल और जोखिम भरा कार्य है। यह भयादोहन के रूप में देश के परमाणु हथियारों का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई से जापान और दक्षिण कोरिया में भी परमाणुकरण (nuclearization) हो सकता है।
- ऐसे में अमेरिका के लिए अधिक सम्मानजनक विकल्प पारस्परिक सुभेद्यताओं (vulnerability) को स्वीकार करना, उत्तर कोरिया के साथ पुन: वार्ता आरंभ करना और इस बात का आकलन करना है कि दक्षिण कोरिया और जापान में अमेरिकी उपस्थिति को अधिक प्रभावित किए बिना उत्तर कोरिया की किन मांगों को स्वीकार किया जा सकता है।
- **चीन की भूमिका:** चीन ऐसा एकमात्र देश है जो उत्तर कोरिया के साथ विचार विमर्श कर उसे पुनः वार्ता में शामिल होने के लिए राजी कर सकता है। ईरान समझौता सुनिश्चित करने में किये गए रूसी योगदान के समान ही चीन भी कोरियाई प्रायद्वीप पर मंडरा रहे संकट का समाधान करने के प्रयास का ऐतिहासिक उत्तरदायित्व धारण करता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को परमाणुकरण के बढ़ते खतरे से निपटने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आगे आना चाहिए। उदाहरण के लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा नए देशों को परमाणु ईंधन समृद्ध होने के प्रति हतोत्साहित करने के लिए कजाखस्तान के ओस्केमेन शहर में **निम्न समृद्ध यूरेनियम (LEU) के लिए यूरेनियम बैंक** की स्थापना की गयी है।

VISION IAS

2.6. भारत-चीन संयुक्त प्रस्ताव: WTO

(India-China Joint proposal: WTO)

सुर्खियों में क्यों

- भारत और चीन ने WTO में एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव के तहत 'एग्रीगेट मेज़रमेंट ऑफ़ सपोर्ट' (AMS) और 'एम्बर बॉक्स' सब्सिडी को पूर्णतया समाप्त करने की मांग की गई है।

अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर (AOA) के तहत विकासशील देश कृषि उत्पादन के कुल मूल्य का 10% तक कृषि सब्सिडी या एग्रीगेट मेजरमेंट सपोर्ट (AMS) दे सकते हैं, जबकि विकसित देशों के लिए यह 5% हैं।

AMS के दो घटक हैं

- 'उत्पाद विशिष्ट' अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमतों पर दिया जाने वाला अतिरिक्त मूल्य या एक्सटर्नल रिफरेन्स प्राइस (ERP) एवं उपज की मात्रा के गुणन से प्राप्त राशि। यह 1986-88 के मूल्य स्तर पर आधारित हैं, जिससे विकसित देशों में सरकार द्वारा किसानों को दिया जाने वाला अनुदान विकासशील देशों की अपेक्षा काफी अधिक हो जाता हैं।
- 'गैर-उत्पाद विशिष्ट' या सब्सिडी दरों पर उर्वरक, बीज, सिंचाई, बिजली जैसे कृषि आगतों की आपूर्ति हेतु योजनाओं के लिए व्यय किया जाने वाला धन।

संयुक्त प्रस्ताव के बारे में

- संयुक्त प्रस्ताव के अनुसार विकसित सदस्य द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अधिकांशत: उत्पादन मूल्य से 200% अधिक होती है, जबकि निर्धारित मात्रा 5% है।
- WTO के नियम समृद्ध देश को उच्च सब्सिडी प्रदान करने से रोक रहे हैं, क्योकि पहले से ही उनके निर्धारित AMS का स्तर उच्च है।
- "अधिकांश विकासशील देशों" का AMS केवल 10 प्रतिशत की न्यूनतम सीमा तक ही सीमित हैं, जबकि कई विकसित देशों का व्यक्तिगत तौर पर AMS का स्तर काफी उच्च है। इसमे शुरुआत में ही विसंगतियां आ गई थी जब *अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर* पर वार्ता हुई थी। विकसित देशों ने 5 प्रतिशत की एक उत्पाद-विशिष्ट सीमा (a product specific ceiling) अथवा एक निश्चित समग्र सीमा (an overall cap) निर्धारित करने को कहा था।
- इस निश्चित समग्र सीमा के चलते विकसित देश, अपने सभी कृषि उत्पादों के लिए निर्धारित सब्सिडी की सीमा में हेरफेर करते हैं। उदाहरण के लिए-1995-2014 की अवधि के दौरान अमेरिका ने 30 उत्पादों के लिए कम से कम एक वर्ष तक उत्पाद मूल्य के 10% के आस-पास तक उत्पाद-विशिष्ट सब्सिडी प्रदान करना जारी रखा था। निम्न उत्पादों- सूखे मटर (57%), चावल (82%), कैनोला (61%), फ्लेक्स सीड (69%), सूरजमुखी (65%), चीनी (66%), कपास (74%), मोहेर (141%) और ऊन (215%) पर सब्सिडी उत्पादन मुल्य का 50% से अधिक प्रदान की गई।
- वर्तमान में, जहाँ विकसित देशों के पास वैश्विक AMS का 90% से अधिक AMS देने की सुविधा प्राप्त हैं, जो लगभग 160 अरब डॉलर की राशि है। जबकि भारत और चीन को इस प्रकार की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। विकसित देश इसे व्यापार को विकृत न करने वाली सब्सिडी (WTO के अनुसार ग्रीन-बॉक्स सब्सिडी) बताते है, जो कि विश्व व्यापार पर न्यूनतम प्रभाव डालता हैं।

अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर

- **नैरोबी पैकेज 2015**, नैरोबी में हुए विश्व व्यापार संगठन के मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के तहत यह निष्कर्ष निकाला गया कि विकसित देशों द्वारा कुछ कृषि उत्पादों को छोड़कर, निर्यात सब्सिडी को तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा, जबकि विकासशील देशों को ऐसा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
- **बाली पैकेज:** यह खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों हेतु पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान के लिए की गई समझौता वार्ता है तथा खाद्य सुरक्षा के लिए विकासशील देशों के पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग प्रोग्राम्स से उत्पन्न घरेलू समर्थन प्रतिबद्धताओं के उल्लंघनों से बचने के लिए कुछ शर्तों का प्रावधान है।

भारत में कृषि सब्सिडी

- भारत प्रतिवर्ष प्रत्येक किसान को ग्रीन-बॉक्स सब्सिडी के तहत लगभग $260 निर्वाह राशि प्रदान करता है। जबकि कुछ विकसित देशों में यह 100 गुणा अधिक है।
- 2013 में अमेरिका के साथ इस मुद्दे पर हुए भारत के समझौते के बाद, बाली मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में "पीस क्लॉज़" पर सहमति बनी। पीस क्लॉज़ के तहत स्थायी समाधान निकलने तक भारत के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के निरंतर कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है।
- इस मुद्दे पर, भारत ने विश्व व्यापार संगठन को सूचित किया है कि इसकी **इनपुट फार्म सब्सिडी** जिसमें उर्वरक, सिंचाई और बिजली आदि शामिल हैं, इसके लिए निर्धारित सीमा से अधिक नहीं है।

VISION IAS

- भारत, खाद्य सब्सिडी के लिए निर्धारित 10% सीमा की गणना के लिए उपयोग किये जाने वाले सूत्र को संशोधित करने पर बल दे रहा है। इसका कारण यह है कि यह सूत्र 1986-88 के संदर्भ मूल्य (reference price) पर आधारित है या ऐसी योजनाओं को सब्सिडी सीमा के दायरे से बाहर मानने की अनुमति प्रदान करता है।

विश्व व्यापार संगठन: सब्सिडी

तीन बॉक्स सब्सिडी को 1993 में निर्धारित किया गया था। यह अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के घरेलू समर्थन खंड से संबंधित है।

इन सब्सिडीयों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

ग्रीन बॉक्स सब्सिडी: सब्सिडी जो किसी भी प्रकार का व्यापार विकृत प्रभाव या उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं डालती या कम से कम प्रभाव डालती हैं। इन सब्सिडी को विश्व व्यापार संगठन की व्यवस्था के तहत अनुमति प्राप्त है, उदाहरण के लिए सरकारी सेवाएं जैसे अनुसंधान, रोग नियंत्रण और बुनियादी ढांचे एवं खाद्य सुरक्षा इत्यादि।

एम्बर बॉक्स सब्सिडी या AMS: उत्पादन और व्यापार को विकृत करने के लिए किये जाने वाले सभी घरेलू समर्थन उपाय (कुछ अपवादों के साथ) एम्बर बॉक्स में आते हैं। उदाहरण के लिए MSP, ख़रीद मूल्य, उर्वरक, पानी, ऋण, बिजली जैसे निवेश पर दी जाने वाली सब्सिडी की कुल राशि।

ब्लू बॉक्स सब्सिडीज: इसमें प्रत्यक्ष भुगतान सब्सिडी शामिल है, जो बिना किसी सीमा के बढ़ाई जा सकती है जब तक भुगतान उत्पादन-सीमित करने वाली परियोजना से जुड़ा हो। ये विकृति को कम करने के लिए बनायीं गई शर्तें हैं, जिन्हे **एम्बर बॉक्स विद कंडीशन्स** कहते है। सामान्य रूप से एम्बर बॉक्स में आने वाला कोई भी समर्थन, ब्लू बॉक्स में रखा जाता है यदि दिया गया समर्थन किसानों द्वारा उत्पादन सीमित करने की मांग करता है।

स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट बॉक्स (S&DT): S&DT उपाय में सामान्य रूप से शामिल हैं:

1. **किसानों को ट्रैक्टर और पंप सेट आदि पर दी गई निवेश सब्सिडी**।
2. किसानों के लिए उर्वरक जैसी कृषि आगत सेवाएं। ये सब्सिडी केवल **कम आय वाले और संसाधन की कमी वाले उत्पादकों (या गरीब किसानों)** को विकासशील देशों में प्रदान की जाती है।
3. किसानों के पुनर्वास के लिए नशीले पदार्थों की फसलों के विविधीकरण के लिए उपाय।

2.7. BRICS मैकेनिज्म के तहत एक्सिम बैंक द्वारा हस्ताक्षरित समझौते

(Pacts Signed by Exim Bank Under BRICS Mechanism)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, कैबिनेट ने ब्रिक्स इंटर-बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म के अंतर्गत एक्ज़िम बैंक को **इंटर-बैंक लोकल करेंसी क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट और कोऑपरेशन मेमोरेंडम रिलेटिंग टू क्रेडिट रेटिंग** पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी।

कोऑपरेशन मेमोरेंडम रिलेटिंग टू क्रेडिट रेटिंग

- यह ब्रिक्स के सदस्य देशों के बैंकों के बीच क्रेडिट रेटिंग जानकारी को साझा करने को सक्षम बनाएगा तथा सीमा-पार वित्तीयन से जुड़े क्रेडिट जोखिम को कम करने में मदद करेगा।
    - भविष्य में, इस तरह की व्यवस्था ब्रिक्स देशों द्वारा एक वैकल्पिक रेटिंग एजेंसी अपनाने के प्रस्ताव का पूर्व-संकेत बन सकती है।

इंटर-बैंक लोकल करेंसी क्रेडिट लाइन अग्रीमेंट

- यह एक गैर-बाध्यकारी अम्ब्रेला समझौता है। यह हस्ताक्षरकर्ता देशों में प्रचलित राष्ट्रीय कानूनों, विनियमों और आंतरिक राजनीति के अधीन रहते हुए उन्हें सदस्य बैंकों के साथ द्विपक्षीय समझौतें करने में सक्षम बनाएगा।
- लोकल करेंसी का प्रयोग आपसी लाभ के आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा, करेंसी जोखिमों को घटाएगा, व्यापार में वृद्धि करेगा और कंपनियों की ब्रिक्स बाजारों तक पहुँच बढ़ाने में मदद करेगा।

एक्सिम बैंक

- यह भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वित्त उपलब्ध करता है तथा सुविधाएँ एवं प्रोत्साहन प्रदान करता हैं। यह व्यापार के विभिन्न चरणों में प्रतिस्पर्धी वित्त प्रदान करता है
- एक्ज़िम बैंक ऑफ-शोर मार्किट में अलग-अलग करेंसी के माध्यम से संसाधनों को बढ़ाता है तथा जोखिम को कम करने के लिए विनिमय करता है।

ब्रिक्स इंटर-बैंक कोऑपरेशन मैकेनिज्म

- इसकी स्थापना 2010 में ब्रिक्स देशों के पांच बैंकों द्वारा की गई थी तथा इसका उद्देश्य सदस्य देशों और उद्यमों के बीच आर्थिक और निवेश सहयोग को विकसित एवं मजबूत करना था।
- यह सदस्य देशों के विकास बैंकों के बीच बहुआयामी अंत:क्रिया के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जिसका उद्देश्य पारस्परिक पुनरुत्थान एवं सशक्तिकरण है।

VISION IAS

3. अर्थव्यवस्था

(ECONOMY)

3.1. मजदूरी संहिता विधेयक 2017

(Wage Code Bill 2017)

अगस्त 2017 में श्रम और रोजगार मंत्री द्वारा लोकसभा में **द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग** की अनुशंसाओं के अनुरूप मजदूरी संहिता विधेयक, 2017 प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के मुख्य बिन्दु

- यह मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को प्रतिस्थापित कर मजदूरी से संबंधित कानूनों को समेकित करने का प्रयास करता है।
- यह संहिता सरकारी प्रतिष्ठानों समेत किसी भी उद्योग, व्यापार, कारोबार, विनिर्माण या व्यवसाय पर लागू होगी।
- मजदूरी के अंतर्गत वेतन, भत्ता या मौद्रिक रूप में व्यक्त कोई भी अन्य घटक शामिल है। हालाँकि इसमें कर्मचारियों को देय बोनस, कोई यात्रा भत्ता इत्यादि शामिल नहीं होंगे।
- यह रेलवे, खान और तेल क्षेत्रों जैसे प्रतिष्ठानों के लिए मजदूरी से संबंधित निर्णय करने में केन्द्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार में भेद करता है।
- यह विधेयक किसी नियोक्ता द्वारा किए गए अपराधों जैसे देय मजदूरी से कम भुगतान करना या इस संहिता के किसी प्रावधान की अवहेलना करने पर अर्थदंड का प्रावधान करता है।
- विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा शुरू की गई है। यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी राज्य सरकार उस विशेष क्षेत्र के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित 'राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी' से कम 'न्यूनतम मजदूरी' नियत न करे।
- चेक या डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के माध्यम से मजदूरी के भुगतान का प्रावधान किया गया है।
- दावा करने वाले प्राधिकरण और न्यायिक फोरम के बीच अपीलीय प्राधिकरण का प्रावधान किया गया है।

मजदूरी संहिता विधेयक की आवश्यकता क्यों?

- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट 2010,** में यह रेखांकित किया गया था कि एकीकृत मजदूरी कानून के अभाव में देश की आर्थिक संभावना वांछित परिणाम प्रदान नहीं कर सकती।
- श्रम कल्याण और सुधार, भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची में निहित है। अब तक देश के विभिन्न क्षेत्रों में वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का अभाव था।
- वर्तमान में, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम केवल अनुसूचित रोजगारों/प्रतिष्ठानों तक ही सीमित हैं।

इस विधेयक का महत्व

- यह ***इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस*** को बढ़ावा देगा।
- प्रस्तावित कानून का प्रयोजन एक ही नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में कर्मचारियों के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना है।
- यह श्रम कानून में स्पष्टता लाएगा एवं श्रमिकों के कल्याण एवं लाभों की मूल अवधारणा से समझौता किए बिना कानूनों की विविधता में कमी करेगा।
- यह विधेयक कार्यशील वर्ग को अपने अधिकारों और उत्तरदायित्व से अवगत कराएगा और रोजगार के वृहत अवसरों हेतु विचार करने में सहायता करेगा।
- प्रस्तावित कानून के प्रवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग से इसके प्रभावी प्रवर्तन के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी।

3.2. डोमेस्टिक सिस्टेमेटिक इम्पोर्टेन्ट बैंक

(Domestic Systematic Important Bank)

हाल ही में RBI द्वारा पिछले वर्ष निर्धारित *'बकेट स्ट्रक्चर'* के अंतर्गत HDFC को Domestic Systematic Important Bank: DSIB के रूप में सूचीबद्ध किया गया।

DSIBs क्या हैं?

- DSIBs को ऐसे बैंकों के रूप में संदर्भित किया जाता है जो अपने आकार, अनेक क्षेत्राधिकारों में गतिविधियों के संचालन, जटिलता एवं प्रतिस्थापन के अभाव एवं अंतर्संबंधों के कारण **"इतने विशाल हैं कि ध्वस्त नहीं हो सकते"** (Too Big To Fall:TBTF)।
- ऐसे बैंक जिनकी परिसंपत्तियां **सकल घरेलू उत्पाद के 2%** से अधिक हो उन्हें DSIB माना जाता है। अर्थव्यवस्था पर इनके विफल होने का विघटनकारी प्रभाव हो सकता है।

- DSIBs को **पांच श्रेणियों (बकेट)** में वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार बैंकों को अलग से **जोखिम भारित आस्तियों (RWAs) के प्रतिशत के रूप में** अतिरिक्त सामान्य इक्विटी टियर -1 को बनाए रखना होता है।
- वर्तमान में **भारतीय स्टेट बैंक** को **श्रेणी 3** के तहत रखा गया है एवं इसे वित्तीय वर्ष 2018 की शुरुआत से अतिरिक्त 0.45% जोखिम भारित आस्तियाँ (RWAs) बनाए रखने का निर्देश दिया गया है, जिन्हें अप्रैल 2019 में बढ़ाकर 0.6% करना होगा।
- **HDFC** एवं **ICICI** बैंक **श्रेणी 1** के अंतर्गत शामिल हैं। इसके अनुसार अप्रैल 2018 से उन्हें 0.15% जोखिम भारित आस्तियाँ (RWAs) बनाए रखना होगा। यह आवश्यक मात्रा अगले वित्तीय वर्ष में बढ़कर 0.2% हो जाएगी।
- DSIBs को विशेष प्रावधानों के तहत अधिदेशित किया गया है। मनी लांड्रिंग जैसे अवैध कार्यों से दूर रखने तथा बेहतर कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए उन पर केंद्रीय बैंक द्वारा बारीकी से नज़र रखी जाती है।
- महत्वपूर्ण व्यवस्थित बैंकों की घरेलू रूप से देश के केंद्रीय बैंक द्वारा और वैश्विक रूप से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा पहचान की जाती है।

3.3. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का समेकन

(Consolidation Of Public Sector Banks)

सरकार वैश्विक स्तर के 3-4 बैंकों का निर्माण करने तथा राज्य स्वामित्व वाले बैंकों की सख्या को 21 से घटाकर लगभग 10-12 करने की दृष्टि से सरकारी बैंकों के समेकन करने पर कार्य कर रही है।

नरसिंहन समिति रिपोर्ट 1991

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सशक्त बनाने हेतु उनका विलय।
- इसने तीन स्तरीय बैंकिंग संरचना की परिकल्पना की थी। इस संरचना में अंतरराष्ट्रीय स्तर के तीन बड़े बैंकों को शीर्ष स्तर पर, 8 से 10 राष्ट्रीय बैंकों को दूसरे स्तर पर तथा क्षेत्रीय और स्थानीय बैंकों की बड़ी संख्या को अंतिम स्तर पर रखा गया।
- बैंकिंग की पैठ बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय बैंकों की स्थापना।
- विलय का निर्णय करते समय क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक पहुँच, वित्तीय बोझ और मानव संसाधन का आसानी से संचरण जैसे कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 44A (स्वैच्छिक विलय के लिए मानदंडों का निर्धारण करती है) एवं धारा 45 (बलपूर्वक विलय) का कुशल उपयोग।
- एकाधिकार जैसी प्रथाओं से बचने हेतु विलय के लिए प्रतियोगिता होनी चाहिए।

विलय/बड़े आकार के बैंकों का महत्व

- दबावग्रस्त तुलन पत्र एवं गैर निष्पादित परिसंपत्तियों की निरंतर बढ़ती समस्या को देखते हुए समेकन लागत में कमी करने एवं अधिक दक्षता प्राप्त करने में सहायक होगा।
- यह एकीकरण बढ़ती अर्थव्यवस्था की विशाल ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है तथा आर्थिक झटकों को प्रतिसंतुलित कर सकता है। इसके साथ ही इसमें राजकोष पर अनुचित रूप से निर्भर रहे बिना संसाधन जुटाने की क्षमता विद्यमान है।
- समेकन एक ही बैंक की विभिन्न शाखाओं के बीच प्रतिस्पर्धा पर रोक लगाएगा एवं उनके संसाधनों को ऐसे अन्य संभागों की ओर मोड़ देगा जिन पर कम ध्यान दिया गया है।

चुनौतियाँ

- इसके द्वारा 'स्वैप रेशियो' तक पहुंचना कठिन होगा क्योंकि प्रस्तावित समेकित बैंक में अल्पसंख्यक हितधारकों के अधिकारों का संरक्षण किया जाना आवश्यक होगा।
- विलय के समक्ष प्रमुख अवरोध- शहरी केंद्रों में शाखाओं का व्यापक पैमाने पर बन्द होना, कर्मचारियों की संख्या में कमी तथा बेहतर व्यापार तालमेल एवं कार्य संस्कृति का पता लगाना।

3.4. भारतीय रिज़र्व बैंक की आकस्मिकता निधि

(Contingency Fund of Reserve Bank of India)

सुर्खियों में क्यों?

वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी अर्जित राशि में से हस्तांतरित की गई अधिशेष राशि पिछले वर्ष की तुलना में आधी से भी कम थी। इतने कम अधिशेष का एक कारण था- भारतीय रिज़र्व बैंक की आकस्मिकता निधि में धनराशि का स्थानांतरण किया जाना।

आकस्मिकता निधि

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा इसे 'ब्लैक स्वान' घटनाओं (ऐसी घटनाएं जिनकी आशा न की गई हो) या ऐसी अप्रत्याशित आकस्मिकताओं से निपटने के लिए रखा जाता है जो बैंक की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती हैं। उदाहरण के लिए-संयुक्त राज्य अमेरिका के लेहमेन ब्रदर्स बैंक अथवा किसी अन्य बैंक के पतन की घटना।

- यह विदेशी मुद्रा एवं सोने के मूल्यों में आए अभूतपूर्व उतार-चढ़ावों एवं बॉन्ड धारिताओं के मूल्यांकन संबंधी घाटों जैसी घटनाओं के विरूद्ध आघात-अवशोषक (cushion) के रूप में भी कार्य करता है।
- हालाँकि, वर्तमान में आकस्मिकता निधि के लिए स्थानांतरित की जाने वाली धनराशि की मात्रा के सम्बन्ध में बहस जारी है।
- सरकार का मानना है कि किसी त्वरित आवश्यकता की स्थिति में बैंक की स्वामी होने के नाते वह इसमें अतिरिक्त पूँजी डाल सकती है।
- साथ ही 2012-13 में वाई.एच. मालेगम समिति ने भी अनुशंसा की थी कि केन्द्रीय बैंक को पूरा अधिशेष सरकार को स्थानांतरित करना चाहिए।
- हालांकि, RBI के तर्क का आधार जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क है, जिसकी गणनाओं के अनुसार आरक्षित कोषों का एक निश्चित स्तर बनाकर रखना आवश्यक है।

आगे की राह

- वर्तमान में भारतीय बैंकिंग प्रणाली विदेशी बाजार में छाई अस्थिरता के साथ-साथ ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम (twin balance sheet syndrome) की समस्या से जूझ रही है। ऐसी स्थितियों में आकस्मिकता निधि को बनाए रखना आवश्यक हो जाता है।
- सरकार को एक ऐसा तंत्र विकसित करना चाहिए जिसमें RBI और सरकार के कार्यक्षेत्र के दायरे में एक संतुलन बना रहे।

3.5. क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ

(Credit Rating Agencies)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (CRA) की "बाजार कुशलता" सुधारने, व उनकी 'अभिशासन पद्धति, जवाबदेही, और कार्यप्रणाली' में सुधार लाने के कुछ उपाय प्रस्तावित किए हैं।

विवरण: महत्वपूर्ण प्रावधानों में शामिल हैं:

- रेटिंग एजेंसियों के बीच की क्रॉस-शेयर होल्डिंग (cross-shareholding) को बिना किसी नियामकीय अनुमोदन के 10% तक सीमित करना,
- मौजूदा और नई एजेंसियों के लिए न्यूनतम निवल संपत्ति आवश्यकता (minimum net worth requirement) को वर्तमान के □5 करोड़ से बढ़ाकर □50 करोड़ करना।
- रेटिंग एजेंसियों के प्रमोटर्स के लिए कम से कम पांच वर्ष का अनुभव।

प्रभाव

- डिस्क्लोजर के प्रस्तावित नियम रेटिंग एजेंसियों की कार्यप्रणाली के संबंध में निवेशकों की जागरूकता में वृद्धि करेंगे।
- रेटिंग एजेंसियों के गौण कार्यों (non-core operations) को अलग कर दिए जाने के चलते अब SEBI केवल इसके क्रेडिट रेटिंग कार्यों पर ध्यान केन्द्रित कर पाएगी।
- इससे रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्णय लेने के संबंध में की जाने वाली साँठ-गाँठ पर रोक लगेगी।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की भूमिका:

- ये एजेंसियाँ उधार लेने वालों को स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध कराकर उधार एवं ऋणों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित करने के उपकरण के रूप में कार्य करती हैं। साथ ही ये जारीकर्ता की ऋण सेवाओं संबंधी बाध्यताओं को पूरा कर पाने की क्षमता और इच्छाशक्ति के संबंध में शोधपरक राय देती हैं। इसके अलावा, ये किसी प्रपत्र (instrument) विशेष से जुड़ी डिफ़ॉल्ट की संभावना भी व्यक्त करती हैं।

भारत में क्रेडिट रेटिंग से सम्बंधित मुद्दे

- **हितों का टकराव :** एक ओर तो यह निवेशकों के उपयोग हेतु स्वतंत्र रेटिंग प्रदान करने का प्रयास करती है, साथ ही रेटिंग प्रदान करने के लिए जारीकर्ताओं (issuers) से मिलने वाले राजस्व में वृद्धि के माध्यम से CRA अंशधारकों (शेयरहोल्डर्स) के मूल्य को अधिकतम करने की दिशा में कार्य भी करती हैं।
- **जारीकर्ता का भुगतान मॉडल:** चूँकि वे अपने व्यापार के लिए जारीकर्ता पर निर्भर रहते हैं, अत: यह बात उनकी निष्पक्षता को प्रभावित करती है।
- **सूचना उपलब्धता:** यदि जारीकर्ता कुछ निर्धारक प्रश्नों का उत्तर नहीं देने का निर्णय लेता है, तो उस अवस्था में सार्वजनिक जानकारी के आधार पर रेटिंग की जा सकती है।
- **यह प्रणाली जारीकर्ता की सहमति के बिना किसी रेटिंग को प्रकाशित करने की अनुमति नहीं देती:** यदि रेटिंग जारीकर्ता की उम्मीद के अनुसार उच्च नहीं है, तो वह अन्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के पास जाने एवं बेहतर रेटिंग हासिल करने का विकल्प चुन सकता है। इससे काफी हद तक CRA की स्वतंत्रता छिनकर जारीकर्ता के हाथों में चली जाती है।
- **क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की गैर-रेटिंग गतिविधियाँ:** ये अपनी विशेष सहायक कम्पनियों (subsidiaries) द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गैर-रेटिंग गतिविधियों से पर्याप्त मात्रा में राजस्व प्राप्त करती हैं। ऐसी गैर-रेटिंग गतिविधियों के चलते इन एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाले मुख्य सेवा (यानि जारीकर्ता को रेटिंग देना) के संबंध में हितों का बड़ा संघर्ष उत्पन्न होता है।

इन समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने जिन कंपनियों को रेटिंग प्रदान की है उन कंपनियों को सलाहकारी सेवाएँ देने से दूर रहना चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से भी ऐसा नहीं करना चाहिए।
- सीमित जानकारी के आधार पर रेटिंग निकालने से बचना चाहिए,भले ही इसका अर्थ पूर्ववर्ती स्थिति का बने रहना हो।
- रेटिंग में अंतर्निहित अनुमानों का खुलासा करना चाहिए, जिससे भावी निवेशक अंतिम रेटिंग में अन्तर्निहित जोखिमों के आधार पर निर्णय ले सके।
- एक तय शुल्क वाले ढाँचे पर कार्य किया जाना चाहिए, ताकि प्रतिस्पर्धा गुणवत्ता को लेकर हो, न कि मूल्य-निर्धारण को लेकर।
- रेटिंग मॉडल्स की वस्तुनिष्ठता बढ़ाई जाए, जिससे आत्मनिष्ठता (subjectivity) और संज्ञानात्मक पक्षपात (cognitive bias) को कम किया जा सके।

3.6. आर्थिक सलाहकार परिषद

(Economic Advisory Council)

सुर्खियों में क्यों?

सरकार द्वारा बिबेक देबराय (नीति आयोग के सदस्य) की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री के लिए पांच सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद (Economic Advisory Council to the Prime Minister: EAC-PM) के गठन की घोषणा की गयी है।

EAC-PM का इतिहास:

पहली बार इसका गठन 29 दिसंबर 2004 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह द्वारा सी. रंगराजन की अध्यक्षता में किया गया था।
इस परिषद के कार्यों में समय-समय पर नीतिगत मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देना शामिल था। इसके अलावा, यह परिषद् प्रधानमंत्री के लिए देश में और देश के बाहर होने वाली आर्थिक गतिविधियों पर एक मासिक रिपोर्ट भी तैयार करती थी।
वर्ष 2014 में राजग (NDA) सरकार ने इसे भंग कर दिया।

विवरण

EAC-PM आर्थिक एवं अन्य संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार, विशेष रूप से प्रधानमंत्री, को सलाह देने के लिए गठित एक स्वतंत्र निकाय है।

- EAC-PM की संदर्भ-शर्तों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:
  - प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किए गए किसी आर्थिक या अन्य मुद्दे का विश्लेषण करना एवं उन्हें उसके संबंध में परामर्श प्रदान करना; व्यापक आर्थिक महत्व के मुद्दों का समाधान करना एवं उनके संबंध में प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी राय प्रस्तुत करना।
  - यह स्वतः संज्ञान (suo moto) से अथवा प्रधानमंत्री या अन्य किसी प्राधिकारी के द्वारा कोई मुद्दा संदर्भित किये जाने पर कार्य करेगी। इसके अलावा, यह समय-समय पर प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य कार्य संपन्न करेगी।
- इसके अन्य सदस्य हैं- सुरजीत भल्ला, रथिन रॉय, आशिमा गोयल तथा रतन वाटल।

आवश्यकता

- अर्थव्यवस्था में वृद्धि की गति एवं रोजगार सृजन की धीमी दर पर चिंताओं में बढ़ोत्तरी हुई है। पहली वित्तीय तिमाही में GDP में हुई 5.7% की वृद्धि दर के कारण भारत, विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सूची में चीन के पीछे हो गया है।
- EAC-PM आर्थिक विकास पर निकट दृष्टि रखने में सहायता करेगी और समष्टि अर्थशास्त्र सम्बन्धी (macroeconomic) व अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह प्रदान करेगी।
- EAC-PM वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले परामर्शों में गुणवत्तापरक परिवर्तन लाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री को सलाह का नया स्रोत प्राप्त होगा और सरकारी प्रणाली के भीतर ही दूसरी राय प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
- साथ ही, इस परिषद के होने से सरकारी प्रणाली के भीतर ही आर्थिक नीति निर्माण पर सिविल सेवकों के प्रभाव व भूमिका तथा अर्थशास्त्रियों द्वारा दी जाने वाली सलाह के बीच अत्यावश्यक संतुलन सुनिश्चित होगा।

3.7. शेल कंपनियाँ

(Shell Companies)

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (MCA) द्वारा 2.1 लाख **निष्क्रिय कंपनियों** का पंजीकरण रद्द कर किया गया है तथा उनमें से लगभग 1.07 लाख शेल कंपनियों के निदेशकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

निष्क्रिय कंपनी और शेल कंपनी के बीच अंतर

कोई कंपनी निष्क्रिय कंपनी है यदि

- इसने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के अनुपालन की आवश्यकताओं के तहत *रजिस्ट्रार ऑफ़ कम्पनीज* से **'निष्क्रिय'** स्टैटस का दर्ज़ा प्राप्त किया हो,
- अथवा, कम्पनी ने लगातार दो वित्तीय वर्षों के लिए *एनुअल रिटर्न* नहीं भरा हो।

दूसरी ओर शेल कंपनी ऐसी कम्पनी है जिसके द्वारा मुख्यत रूप से कर अपवंचन एवं अवैध गतिविधियों का वित्तपोषण किए जाने की आशंका होती है।

शेल कंपनियाँ क्या हैं?

- ये ऐसी कम्पनियाँ हैं जो **सक्रिय व्यावसायिक संचालनों के बिना भी महत्वपूर्ण परिसम्पत्तियाँ रखती हैं**। इन्हें वैध और अवैध दोनों प्रयोजनों के लिए स्थापित किया जा सकता है।
  - **वैध प्रयोजन** में धन जुटाकर किसी स्टार्ट-अप को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है और
  - **अवैध उद्देश्य** में कानून प्रवर्तन से स्वामित्व छुपाना, अवैध धन का शोधन करना एवं कर अपवंचन शामिल है।
- भारत में शेल कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 या किसी अन्य विधान के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। लेकिन कुछ कानून काले धन को वैध करने जैसी अवैधानिक गतिविधियों को रोकने में सहायता कर सकते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से शैल कंपनियों को लक्ष्य बनाने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं – जैसे बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 एवं कंपनी अधिनियम 2013।

इस कदम का महत्व

- निष्क्रिय कंपनियाँ, नियामक प्रणाली में तनाव पैदा करती हैं। इस कार्रवाई से पहले लगभग 13 लाख कंपनियाँ पंजीकृत थीं एवं लगभग 2.10 लाख कंपनियों को बन्द किए जाने के बाद रजिस्ट्री में 11 लाख कंपनियाँ सक्रिय स्थिति धारण करने वाली शेष रह जाएगी।
- यह उपाय विमुद्रीकरण के बाद की अवस्था में शेल कंपनियों पर सरकारी कार्रवाई एवं साथ ही काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। विमुद्रीकरण के बाद की गई कार्रवाई सफल रही है क्योंकि उस चरण में लेनदेन बहुत कम हुआ था।
- शेल कंपनियों को हटाने की प्रक्रिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस में सुधार करेगी एवं भारतीय विनियामक प्रणाली में निवेशकों के विश्वास को बढ़ाकर *इज़ ऑफ़ डूइंग बिजनेस* को सुसाध्य बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी।

चिंताएँ

- ऐसी कंपनियाँ जो शेल कंपनियाँ नहीं हैं उनको आर्थिक नुकसान एवं व्यापार पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता हैं।
- यह देश में *स्टार्ट-अप्स* को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है और स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम की संभावनाओं को क्षति पहुँचा सकता है।
- शेल कंपनियों के निदेशकों की भूमिका के अतिरिक्त अवैध लेनदेन करने में कथित मिलीभगत करने के लिए लेखा परीक्षकों की भूमिका भी जाँच के दायरे में आ गई है और वे ऐसी लेनदेन से संबंधित सूचनाओं का खुलासा नहीं करेंगे।
- कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा लेखा परीक्षा फर्मों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर TERI के अध्यक्ष अशोक चावला की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल की अनुशंसाओं का परीक्षण भी किया जा रहा है।

3.8. स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव

(Smart Agriculture Conclave)

हाल ही में, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी में स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इसका उद्देश्य किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक "फार्मर ज़ोन" की पूर्वपीठिका तैयार करना था।

आवश्यकता

- अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के साथ स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव, कृषि के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय एकीकरण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव "फार्मर जोन" नामक क्लाउड-सर्विस स्थापित करने के लिए एक रोडमैप बनाने में सहायता करेगा जहाँ किसानों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करने हेतु आंकड़ों को संसाधित किया जाएगा।
- वर्तमान में भारत की लगभग 55% कृषि वर्षा आधारित है जिसके कारण इस क्षेत्रक में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि अस्थिर रही है।
- यह बढ़ती हुई जनसंख्या का पोषण सुनिश्चित करने, जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम को कम करने हेतु विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता एवं साथ ही डेटा क्रांति में छोटी जोत के किसानों का समावेशन करने में सहायता करता है।
- संधारणीय विकास लक्ष्य 2 भी खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण की स्थिति प्राप्त करने एवं संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने के विषय में चर्चा करता है।

क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है?

यह खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन की परस्पर सम्बद्ध चुनौतियों के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य है:

- कृषि उत्पादकता में सतत वृद्धि जिससे कृषि आय, खाद्य सुरक्षा और विकास को बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।
- जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए कृषि में अनुकूलन एवं लचीलेपन लाना।
- कृषि के कारण होने वाले ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करना।

VISION IAS

फार्मर ज़ोन

- यह छोटी जोत धारण करने वाले किसानों के लिए स्मार्ट कृषि समाधान उत्पन्न करने हेतु बाजार आसूचना (market intelligence) के साथ-साथ **क्षेत्र आधारित और रिमोट सेंसिंग डेटा** के संग्रहण, एकीकरण एवं निरीक्षण करने हेतु क्लाउड आधारित प्लेटफार्म निर्मित करने की पहल को समाविष्ट करता है।
- फार्मर जोन एक 'मल्टीपरपज़ विंडो' होगी जो किसान को जलवायु परिवर्तन आधारित जानकारी से लेकर मौसम पूर्वानुमानों, मृदा, जल और बीज की आवश्यकताओं तथा बाजार संयोजन (लिंकेज) तक के समाधान प्रदान करेगी।
- यह सूचना किसानों द्वारा **विश्व में कहीं से भी** प्राप्त की जा सकती है। इन सेवाओं को किसान द्वारा **सीधे या स्थानीय सहकारी समितियों जैसे मध्यवर्तियों** के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- यह मार्केट ज़ोन को भी सम्मिलित करता है, जहाँ किसान अपनी उपज को सीधे बेच सकते हैं और उपज को सीधे उनके खेतों से एकत्रित भी किया जा सकता है।
- यह 'फार्म टू क्लाउड' एवं इसके व्युत्क्रम में **डेटा प्राप्ति एवं इसके स्थानांतरण** में आने वाले तकनीकी अंतराल को कम करने में भी सहायता करेगा।
- यह विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों जैसे कि किसानों, वैज्ञानिकों, सरकारी अधिकारियों, अर्थशास्त्रियों और वृहत डेटा विश्लेषण और ई-कॉमर्स में कार्यरत वैश्विक कंपनियों को भी जोड़ेगा। यह स्थानीयकृत प्रौद्योगिकी आधारित समाधान एवं **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) आधारित** सेवा वितरण तंत्र का विकास सुनिश्चित करेगा।

3.9. GIS-इनेबल्ड पोर्टल मैप्स -भूमि सम्बंधित जानकारी

(GIS-Enabled Portal Maps Land-Related Information)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार द्वारा उद्योगों को सहायता प्रदान करने हेतु 5 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का ऑनलाइन डेटाबेस लांच किया गया है।

पृष्ठभूमि

- सरकार देश में 2020 तक विनिर्माण हब निर्मित करने पर ज़ोर दे रही है। इसके लिए मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसी पहलों को प्रारम्भ किया गया है।
- सरकार एक नवीन **औद्योगिक एवं विनिर्माण नीति** भी विकसित कर रही है जिसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्रक भागीदारी को 2020 तक वर्तमान 16% से 25% करना है। साथ ही इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना एवं रोजगार सृजन करना भी है।
- विनिर्माण क्षेत्रक न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा अपितु देश के जनांकिकी लाभांश का दोहन भी करेगा।
- इसलिए, सक्षम परिवेश प्रदान करने के लिए सरकार ने **GIS-इनेबल्ड पोर्टल मैप्स -भूमि सम्बंधित जानकारी** का आरम्भ किया है।

GIS-सक्षम डेटाबेस

- केंद्र सरकार द्वारा लांच किये गए इस डेटाबेस के माध्यम से उद्योगों द्वारा औद्योगिक पार्क या क्लस्टर्स, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों तथा साथ ही कृषि और बागवानी फसलों और खनिज उत्पादन की क्षेत्र वार उपलब्धता के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी।
- डेटाबेस में गोदामों, विद्युत ग्रिड; वित्तीय संस्थाओं के विषय में भी जानकारी होगी तथा साथ ही परियोजनाओं के लिए उद्यमियों द्वारा निर्मित एप्लीकेशन के माध्यम से अवसंरचनाओं की मांग भी सम्मिलित किया जा सकेगा।

जियोग्राफिक इनफार्मेशन सिस्टम (Geographic Information System: GIS)

GIS को एक ऐसे कम्प्यूटर आधारित उपकरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ,जोकि पृथ्वी की सतह पर अवस्थिति से सम्बंधित भौगोलिक सूचना प्रदर्शन, आँकड़े का विश्लेषण, संग्रहण, परिवर्तन (manipulates) तथा परिकल्पना (visualize) करता है।

- उपलब्ध अन्य सूचनाओं में सम्मिलित हैं:
  - औद्योगिक भूमि उपयोग एवं औद्योगिक भूमि की उपलब्धता।
  - अनुमोदित और लंबित परियोजनाएं।
  - अवसंरचना जैसे– राज्य और राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डे, पत्तन, रेलवे स्टेशन और विद्युत।
  - निवेश और रोजगार लक्ष्य
  - अपशिष्ट निपटान सुविधाएँ आदि।
- यह सरकार द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों एवं कुशल और अर्द्ध-कुशल प्रतिभाओं की उपलब्धता के विषय में भी विवरण प्रदान करेगा।
- यह पोर्टल औद्योगिक क्षेत्रक के लिए अत्यधिक लाभप्रद होगा क्योंकि:
  - यह सूचना असममिति को समाप्त करेगा।
  - विनिर्माण क्षेत्रक में औद्योगिक नीति निर्माण और निवेश में सुधार लाएगा।
  - विशिष्ट जॉब प्रोफ़ाइल के अनुसार श्रम की नियोजनीयता में सुधार करेगा।

- इस डेटाबेस को औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (DIPP) एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-शासन प्रभाग के साथ गुजरात सरकार के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुप्रयोगों और भू-सूचना हेतु संस्थान, बिसाग (BISAG- Bhaskaracharya Institute For Space Applications and Geo-Informatics) द्वारा विकसित किया जा रहा है।

3.10. डेरी क्षेत्रक

(Dairy Sector)

आर्थिक मामलों पर गठित मंत्रिमंडलीय समिति ने 10,881 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ 2017-18 से 2028-29 की अवधि के लिए "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) अनुमोदित की है।

निधि की आवश्यकता :

- निधि का प्रयोग कुशल दुग्ध अधिप्राप्ति प्रणाली एवं अन्य संसाधन संरचना का निर्माण करने हेतु ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- **किसानों को लाभ:** इस निवेश से लगभग 50,000 गाँवों में 95 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
- **दुग्ध प्रसंस्करण में क्षमता निर्माण:** अतिरिक्त दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता, दुग्ध शुष्कन क्षमता, दुग्ध द्रुतशीतन क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक दुग्ध मिलावट परीक्षण उपकरण एवं मूल्यवर्धित उत्पाद विनिर्माण क्षमता का निर्माण किया जाएगा।
- रोजगार सृजन: "डेरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि" (DIDF) का कार्यान्वयन कुशल, अर्द्ध कुशल और अकुशल जनशक्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। योजना के अंतर्गत लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित किए जाएंगे। चौथे, पांचवें एवं छठें टियर शहरों/कस्बों इत्यादि में दुग्ध और दुग्ध उत्पाद विपणन संचालनों के कारण लगभग 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

भारत में डेयरी क्षेत्र

भारतीय डेयरी क्षेत्र 15 करोड़ किसानों को आजीविका प्रदान करता है। वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन आइटम के उत्पादन के साथ भारत विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक है। लेकिन, भारत से इन आइटम का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है। जबकि न्यूज़ीलैंड वैश्विक डेरी व्यापार के 25% एवं ऑस्ट्रेलिया लगभग 5% का नियंत्रण करता है।

डेयरी क्षेत्रक का महत्व: यह समाज के सीमांत वर्गों से संबंधित कई मिलियन किसानों को आजीविका प्रदान करता है।

क्षमता: क्रिसिल (Crisil) रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दुग्ध अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ रु. मूल्य की है, यह 15-16 प्रतिशत CAGR वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रही है, जिसमें से संगठित दुग्ध अर्थव्यवस्था का मूल्यमान 80,00 करोड़ रु. है।

वृद्धि कारक:

- वैश्विक डेयरी उपभोग स्थिर है और यहाँ तक कि इसमें गिरावट आ रही है, वहीं भारतीय उपभोग बढ़ रहा है। भारत का प्रति व्यक्ति 97 लीटर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपभोग पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यधिक कम है।
- भारतीय उपभोक्ता – विशेष रूप से समृद्ध शहरी उपभोक्ता – अधिक मूल्यवर्धित उत्पादों का उपभोग कर रहा है। चूँकि भारतीय सहकारी संस्थाएं केवल आधारिक दुग्ध व्यवसाय में ही अटकी रह गई हैं, इसलिए बाजार में ऐसा अन्तराल रह गया है जिसने कुछ नए प्रतिभागियों को नए उत्पादों के प्रस्तुतीकरण के साथ आने की अनुमति प्रदान की।
- उच्च प्रयोज्य आय वाले कार्यशील दम्पत्तियों की परिघटना ने भी पूर्ण भोजन (दुग्ध) की तत्काल आवश्यकता के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया।
- अंतत:, सीमा से अधिक क्षमता के कारण दूध के वैश्विक मूल्यों में गिरावट आ रही है, जबकि भारतीय बाजार आधारिक दुग्ध के साथ साथ मूल्य वर्धित उत्पादों, दोंनों के लिए अभी भी विकासमान है।

चुनौतियाँ:

अंतरराष्ट्रीय स्तर

- **मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) का प्रभाव:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समेत मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के अंतर्गत दूध और दुग्ध उत्पादों पर आयात शुल्कों की समाप्ति आयातों को अधिक सस्ता बनाएगी।
- **निर्यात के लिए अधिशेष की न्यूनता:** भारत वार्षिक रूप से 156 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन के साथ विश्व का सर्वाधिक विशाल दुग्ध उत्पादक देश है। लेकिन, दूध और दुग्ध उत्पादों की अत्यधिक मांग है, इसलिए भारत से इन आइटम का निर्यात नगण्य (लगभग 0.5 मिलियन मीट्रिक टन या उत्पादन का 0.3 प्रतिशत) है। जबकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया अपने उत्पादन का 86% एवं 25% निर्यात करते हैं।
- **अन्य देशों द्वारा निर्यात प्रतिबंध:** क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) वाले अधिकतर देशों में डेयरी उत्पादों पर अत्यधिक प्रतिबंधात्मक व्यवस्था - या तो उच्च आयात शुल्क या प्रमाणीकरण एवं निरीक्षण अनिवार्यताओं वाली बोझिल प्रक्रियाएं- विद्यमान हैं। उदाहरण के लिए चीन भारतीय डेयरी उत्पादों के आयात की अनुमति नहीं देता है। इसी प्रकार, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया भारत को पदास्य-रोग (मवेशियों का होने वाली पैर और मुँह की बीमारी) से पीड़ित देश के रूप में वर्गीकृत करते हैं और भारतीय डेयरी उत्पादों को प्रतिबंधित करते हैं। न्यूजीलैण्ड द्वारा डेयरी उत्पादों पर कई पशु चिकित्सा दस्तावेजों की अनिवार्यता भी उस देश को भारतीय निर्यात रोकती है।

VISION IAS

राष्ट्रीय स्तर

- **असंगठित क्षेत्रक का प्रभुत्व:** यह मूल्य वर्द्धन एवं अवसंरचना निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश को रोकता है।
- **अवसंरचनागत मुद्दे:** शीत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला, दुग्ध प्रसंस्करण सुविधाएं, दुग्ध उत्पादों इत्यादि का परिवहन करने के लिए वाहन, विपणन सुविधाओं एवं विस्तार सुविधाओं का अभाव; अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएं।
- **चारे की गैर उपलब्धता:** विशेष रूप से वर्ष भर हरे चारे के मामले में। खेती पैटर्न की वर्तमान पद्धति जारी रहने पर 2025 तक हरे चारे की 65% कमी होगी।
- **खंड वार समस्या: घर के पिछवाड़े स्थित पशु अहातों** के मामले में अपने पशुओं के लिए संतुलित पोषण स्वीकार करने के प्रति अनिच्छा मुख्य चुनौती है। ऐसे अधिकतर स्थानों में उनमें से अधिकतर अभी भी अपने पशुओं का असंतुलित फ़ीड, चारा और पूरकों का उपयोग करते हुए पारंपरिक रूप से खिलाते-पिलाते हैं और इसके कारण पशुओं से अपेक्षा से कम दुग्ध उत्पादन प्राप्त होता है।**अर्द्ध संगठित डेरी फार्मों के लिए,** रेवड़ की दक्षता में सुधार करना एवं वर्ष भर लगातार दुग्ध उत्पादन बनाए रखना महत्वपूर्ण चुनौती है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम:

भारत विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं जैसे "राष्ट्रीय गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास कार्यक्रम", राष्ट्रीय डेरी योजना (चरण-I) और "डेयरी उद्यमिता विकास योजना". के माध्यम से डेरी क्षेत्रक को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास कर रही है।

3.11. कृषकों की आय को दोगुना करना

(Doubling The Farmers Income)

सुर्खियों में क्यों?

कृषि मंत्रालय ने हाल ही में 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के प्रयोजन को पूरा करने हेतु सात सूत्री रणनीति का एक प्रारूप जारी किया किया है। अशोक दलवई की अध्यक्षता में किसानों की आय को दोगुना करने हेतु गठित समिति ने पहले से जारी 12 में से 4 रिपोर्टों पर कुछ सुझाव भी दिए हैं।

अशोक दलवाई समिति के सुझाव

- सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रकों से किसानों की आय दोगुना करने हेतु 6.39 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है।
- पूर्वी क्षेत्र के कम विकसित राज्यों में वित्तीय और अन्य बुनियादी ढांचे के विकास की आवश्यकता है जो निजी निवेश के मामले में पिछड़ा हुआ है।
- बड़े पैमाने पर संस्थागत ऋण को बढ़ाना, क्योंकि वे किसानों की केवल 50-60% निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं।
- कृषिगत रूप से कम विकसित राज्यों में कृषि अनुसंधान एवं विकास, सिंचाई, ऊर्जा और शिक्षा में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि यहां आय के संदर्भ में मार्जिनल रिटर्न अपेक्षाकृत अधिक हैं।
- "मांग-आधारित फोर्क-टू-फार्म दृष्टिकोण" पर फोकस, उच्च मूल्य फसलों आदि की दिशा में विविधीकरण।
- कृषि निर्यात को 2022-23 तक 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने के लिए निर्यात पर फोकस करना। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि निर्यात में विविधता लाकर अनाज और मांस के अतिरिक्त अन्य उत्पादों की निर्यात में हिस्सेदारी बढ़ाना। वर्तमान में अनाज और मांस हमारे निर्यात का बड़ा हिस्सा हैं।

सात-सूत्री रणनीति

सिंचाई दक्षता में सुधार के माध्यम से **उत्पादन में वृद्धि** -

- सिंचाई बजट में वृद्धि (मध्य प्रदेश ने 2004-2015 तक 3.6% की राष्ट्रीय विकास दर की तुलना में 9.7% की कृषि विकास दर प्राप्त की है, इसके पीछे मुख्य कारण मुख्यतः सिंचाई पर पर्याप्त निवेश था)।
- प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना का कार्यान्वयन
- लम्बित पड़ी मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं में तेजी लाना।
- वॉटरशेड डेवलपमेंट, जल संचयन और प्रबन्धन परियोजनाओं में तेजी लाना।

निवेश लागत का प्रभावी उपयोग –सरकार ने अलग-अलग निवेश लागतों हेतु विभिन्न कदम उठाये गए हैं:

- **मृदा –** मृदा के पोषक तत्वों के संबंध में किसानों को सूचित करने हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रारम्भ की गयी है।
- **उर्वरक –** मृदा के पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी दे कर उर्वरकों के उपयोग को तर्कसंगत बनाना, नीम लेपित यूरिया योजना के माध्यम से यूरिया के अवैध उपयोग को रोकने के साथ-साथ पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **बीज –** वहनीय या सस्ते मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना।
- **जागरूकता –** ऑनलाइन और दूरसंचार माध्यमों जैसे किसान कॉल सेंटर और किसान सुविधा एप्प द्वारा सामयिक जानकारी और परामर्श सेवाएं प्रदान करना।

- **बेहतर नियोजन –** फसल उत्पादन संबंधी पूर्वानुमान, कृषि भूमि उपयोग का मानचित्रण, सूखा पूर्वानुमान और रबी फसलों के लिए परती धान के खेतों का उपयोग के संदर्भ में अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी (स्पेस टेक्नोलॉजी) जैसी नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बेहतर नियोजन।
- जैविक कृषि को प्रोत्साहित करना, इसकी इनपुट लागत कम होती है, लेकिन उत्पाद तुलनात्मक रूप से अधिक मूल्य पर बिकते हैं।

फसल कटाई के पश्चात होने वाले क्षति में कमी:

- **भंडारण सुविधाएँ –** सरकार किसानों को कम मूल्य पर आपात बिक्री से बचने के लिए भंडार गृहों के उपयोग को प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त नेगोशिएबल वेयरहाऊस रिसीट के एवज में ऋण प्रदान किए जा रहे हैं और इन ऋणों के मामलों में ब्याज अनुदान लाभ भी प्रदान किया जा रहा है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला।

मूल्य संवर्धन

- **खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से गुणवत्ता में सुधार –**प्रधानमन्त्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत कृषि प्रसंस्करण केन्द्रों के क्लस्टर से अग्रगामी और पश्चगामी सम्बन्ध बना कर खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं विकसित की जाएँगी, जिससे 20 लाख किसान लाभान्वित होंगे और लगभग 5 लाख के लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

कृषि विपणन में सुधार

- **E-NAM के माध्यम से बाजारों का एकीकरण करना,** जहाँ 455 मंडियों को इस मंच से जोड़ा गया है।
- **मॉडल कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) अधिनियम** पर कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निजी बाजार यार्ड और प्रत्यक्ष विपणन भी सम्मिलित हैं।
- **अनुबंध पर खेती –** सरकार अनुबंध पर खेती को प्रोत्साहित करने के लिए एक मॉडल अधिनियम पर भी कार्य कर रही है।

जोखिम, सुरक्षा और सहायता

- **बीमा –** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के माध्यम से खरीफ और रबी की फसलों के लिए न्यूनतम दर तय कर खड़ी फसलों और बुवाई पूर्व से लेकर फसल कटाई तक को सम्मिलित कर संभावित जोखिम में कमी करना। इस योजना के अंतर्गत दावे का 25% तुरंत ऑनलाइन रूप से निपटारा कर दिया जाता है। स्मार्टफोन, उपग्रह चित्रों और ड्रोन सुविधाओं जैसी नयी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से फसलों की क्षति का त्वरित आकलन किया जाता है। इसके तहत मुआवजे की राशि को 1.5 गुना बढ़ाया गया है और कम से कम 33% फसल क्षतिग्रस्त होने पर मुआवजा प्रदान किया जाता है।

सम्बद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहित करना: इसमें सम्मिलित हैं:

- **समेकित कृषि प्रणाली** जिसमें कृषि के साथ ही बागवानी, पशुपालन, और मधुमक्खी पालन पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। इस योजना से न केवल किसान की आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह सूखे, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को भी कम करेगा।
- **नीली क्रांति:** मत्स्य पालन के समन्वित विकास और प्रबन्धन के अंतर्गत राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (NFDB) द्वारा प्रारंभ की गई अंतर्देशीय मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर (जल कृषि) और सागरीय कृषि जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना; गहरे सागर में मछली पकड़ने की शुरुआत आदि।
- **कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन:** इसका उद्देश्य अंतर-सस्यन को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत "मेड़ पर पेड़" अभियान को भी सम्मिलित किया गया है।
- **ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट (पोल्ट्री) विकास:** इस योजना में कुक्कट किसानों को पूरक आय और पोषण सम्बन्धी सहायता प्रदान करना; भेड़, बकरी, सूअर और बत्तख किसानों को आय वृद्धि के अवसरों के प्रति संवदेनशील बनाना आदि सम्मिलित है।

बागवानी: बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (MIDH) योजना के माध्यम से बागवानी विकास। MIDH योजना के अंतर्गत बेहतर रोपण सामग्री, बेहतर बीज और संरक्षित खेती, उच्च घनत्व वृक्षारोपण, पुनरुद्धार और सटीक खेती की व्यवस्था की गई है।

श्वेत क्रांति: इस संदर्भ में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत स्वदेशी नस्लों के संरक्षण, आनुवांशिक परिवर्तन द्वारा सुधार, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि, डेयरी प्रसंस्करण और बुनियादी ढांचा विकास निधि की स्थापना तथा डेयरी उद्यमिता विकास योजना के माध्यम से स्व-रोजगार के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

मधुमक्खी पालन: बड़ी संख्या में किसानों / मधुमक्खी पालन करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करके, मधुमक्खी पालन करने वालों और मधु सोसाइटियों / कंपनियों / फर्मों को पंजीकृत करके तथा एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र (IDBC) की स्थापना के माध्यम से मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

किसानों की आय दुगनी होने के SDG की लक्ष्य संख्या 2 (अर्थात भूख उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना और उन्नत पोषण, और संधारणीय कृषि को बढ़ावा देना) की प्राप्ति पर संभावित प्रभाव हो सकते हैं। उपर्युक्त कदमों के अतिरिक्त, निम्नलिखित उपायों पर भी विचार किया जायेगा:

- **MSP और खरीद द्वारा गिरती हुई कीमतों को रोकना –** यह बढ़ते हुए ऋण को कम करेगा, जिसके कारण देश के कई भागों में किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आ रही हैं।

VISION IAS

- **कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवोन्मेष को प्रोत्साहन –** नयी प्रौद्योगिकी/नवोन्मेष से कृषि उत्पादकता और पैदावार को बढ़ावा देने वाले स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करना।
- **भूमि सुधार –** इसमें भूमि सीमा से अधिशेष भूमि और बंजर भूमि का वितरण, प्रमुख कृषि भूमि और वनों को कॉरपोरेट क्षेत्रक द्वारा गैर-कृषि उपयोग के लिए स्थानांतरित किये जाने पर रोक लगाना, एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग परामर्श सेवा आदि सम्मिलित हैं।

3.12. इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाऊसिंग रिसीट

(Electronic Warehousing Receipt)

सुर्खियों में क्यों?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में नेगोशिएबल वेयरहाऊस रिसीट का उपयोग प्रारम्भ किया है, इन रसीदों का किसान खोने या दुरुपयोग के भय के बिना सरलता से बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधा हेतु उपयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं।

वेयरहाऊसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2007

- गोदामों के विकास और विनियमन के लिए प्रावधान करने, गोदाम रसीदों (वेयरहाऊस रिसीट) की नेगोशिएसन आदि से सम्बंधित प्रावधान बनाना।
- वेयरहाऊसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी (WDRA) इसकी कार्यान्वयन एजेंसी है।
- WDRA देश में गोदामों को विनियमित और पंजीकृत करता है। केवल WDRA के साथ पंजीकृत एक गोदाम नेगोशिएबल वेयरहाऊस रसीद (NWR) जारी कर सकता है।
- इस अधिनियम में वेयरहाउस मालिक की असावधानी के कारण माल को हुए नुकसान या क्षति के लिए उसी को उत्तरदायी माना गया है और माल के जमाकर्ता को क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी

- इसने तेजी से और अधिक पारदर्शिता से वेयरहाऊसों के पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल भी प्रारम्भ किया है। इस नये पोर्टल पर WDRA के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया आसान और तेज बन गयी है।
- इसने राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरीवेटिव्स एक्सचेज (NCDEX) और सेन्ट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज (CDSL) के साथ दो रिपोजिट्री भी प्रारम्भ कर दी हैं, जिन पर नेगोशिएबल वेयरहाऊस रिसीट का कारोबार किया जायेगा।

नेगोशिएबल वेयरहाऊस रिसीट (NWR) क्या है?

- वेयरहाऊस रिसीट या गोदाम रसीदें, वेयरहाऊस या माल गोदाम में जमा किये गये माल के बदले में वेयरहाऊस द्वारा जारी की जाती हैं, जिनके लिए वेयरहाऊस अमानतदार की तरह होते हैं।
- वेयरहाऊस की रसीदें नॉन-नेगोशिएबल या नेगोशिएबल हो सकती हैं। NWR का व्यापार, बिक्री, या अदला-बदली की जा सकती है और इनका उपयोग ऋण लेने के लिए अमानत (कोलेटरल) के रूप में भी किया जा सकता है।
- इसे वेयरहाऊसिंग (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 2007 (WDR अधिनियम) में परिभाषित किया गया है।
- NWR को पहले 2011 में प्रारम्भ किया था और इन्हें वेयरहाऊसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अथॉरिटी (WDRA) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

लाभ

- यह किसानों को NWR के विरुद्ध बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता करते हैं और इस प्रकार से NWR व्यापार के लिए एक प्रमुख उपकरण बन गये हैं।
- इससे किसान अधिक जल्दी खराब न होने वाले उत्पादों को कटाई के मौसम के बाद तक बेंचने में समर्थ होंगे। बिक्री की अवधि बढ़ने से आपात बिक्री से बचने में सहायता मिलेगी।
- यह वेयरहाऊस (गोदाम) में रखे हुए सामान को भौतिक रूप से हस्तांतरित किये बिना उसके स्वामित्व को हस्तांतरित कर सकते हैं।
- NWRs पंजीकृत गोदामों में किसानों द्वारा जमा किये गये कृषि उत्पादों के आधार पर किसानों को ऋण देने में बैंक की रूचि बढ़ा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में नकदी की उपलब्धि में वृद्धि हो सकती है और यह वस्तुओं के वैज्ञानिक रूप से भंडारण को प्रोत्साहित कर सकता है।

3.13. सौभाग्य योजना

(Saubhagya Yojana)

सुर्खियों में क्यों?

दिसंबर 2018 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में चार करोड़ से अधिक घरों को विद्युत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' का शुभारंभ किया है।

अभी तक सभी के लिए विद्युत कार्यक्रम की प्रगति:

- 2015 में,प्रधान मंत्री ने 1 मई, 2018 तक शेष बचे 18,452 अविद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने की घोषणा की थी।इस समय 3,000 से कम गांव गैर-विद्युतीकृत बने हुए हैं और सभी गांवों का इस वर्ष के अंत तक,कार्यक्रम की निर्धारित अवधि से पहले विद्युतीकरण किया जा सकेगा।
- सरकार ने मार्च 2019 तक सभी को 24X7 विद्युत प्रदान करने का लक्ष्य तय किया है।भारत दिसंबर 2018 तक सभी को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है। वर्तमान में 25 करोड़ घरों में से चार करोड़ घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं है।

नई योजना की आवश्यकता क्यों?

- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा द्रुत गति से ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम चलाये जाने के बावजूद यह अनुभव किया गया कि विद्युत 'पहुंच' की समस्या का समाधान नहीं हुआ है।
- अभी भी बड़ी संख्या में परिवारों की विद्युत तक पहुंच न होने से, इस योजना का उद्देश्य केवल गांवों के कवरेज पर केन्द्रित ना होकर गाव में बसे प्रत्येक परिवार के कवरेज को सुनिश्चित करना है।

योजना का विवरण

- उद्देश्य: भारत में सभी परिवारों को विद्युत प्रदान करना।
- कुल परिव्यय: 16,320 करोड़ रुपये की योजना, सकल बजटीय सहायता (GBS) 12,320 करोड़ रुपये है। इस योजना का केंद्रीय अनुदान द्वारा 60%, बैंक ऋण द्वारा 30% और राज्यों द्वारा 10% की सीमा तक वित्त पोषण किया जा रहा है।
- यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों को लाभान्वित करती है,जिनमें विद्युत कनेक्शन विहीन परिवारों की विशाल संख्या है। 16,320 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से, ग्रामीण क्षेत्रों को 14,025 करोड़ रुपये मिलेगा। शहरी परिवारों के लिए परिव्यय 2,295 करोड़ रूपये है।
- लाभार्थियों की पहचान: सरकार नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन के लिए लाभार्थियों की पहचान हेतु सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) 2011 के आंकड़ो का उपयोग करेगी।SECC आंकड़ों से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक कवर ना किये गए गैर-विद्युतीकृत घरों को भी 500 रुपये के भुगतान पर योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन प्रदान किया जाएगा जिसे डिस्काम द्वारा 10 किश्तों में विद्युत बिल के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

कार्यान्वयन:

- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड पूरे देश में इस योजना के संचालन के लिए नोडल एजेंसी होगा।
- मौके पर पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए, मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा।जबकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (BPL) को निशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा, यहां तक कि इस के अंतर्गत अनाच्छादित परिवार अपने मासिक बिल के साथ 10 किश्तों में 500 रुपये का भुगतान करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
- जहां राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड नहीं पहुंच सकता है, ऐसे घरों को बैटरी बैंक के साथ सौर ऊर्जा पैकस प्रदान किया जाएगा।
- दूरदराज की बस्तियों को पांच वर्ष तक मरम्मत और रखरखाव के साथ पांच LED बल्ब, एक DC पंखा और एक प्लग प्वाइंट के साथ सौर पैनलों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा।
- मासिक विद्युत उपभोग के सन्दर्भ में कोई सब्सिडी नहीं प्रदान की जाएगी और ग्राम क्षेत्रों में ग्राम पंचायत और सार्वजनिक संस्थानों को बिलिंग और संग्रह कार्य संचालित करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो डिस्कॉम के लिए समस्या बन गया था।
- 31 दिसंबर 2018 तक विद्युतीकरण लक्ष्य पूरा हो जाने पर राज्यों को अनुदान में परिवर्तित होने वाले उनके ऋणों का 50% प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया गया है।

योजना के संभावित प्रभाव

- पहले विद्युत वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) विद्युतीकृत हो जाने पर भी गांवों को आपूर्ति नहीं करना चाहती थीं।प्रीपेड और स्मार्ट मीटरों के प्रयोग से मांग स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जा सकेगी।इस प्रकार डिस्कॉम इन गांवों में आपूर्ति करने के लिए बाध्य होंगे।
- इस योजना से विकास को बढ़ावा मिलेगा।ऊर्जा तक पहुंच विकास का केंद्रबिंदु है।अधिकाधिक लोगों की उर्जा स्त्रोतों तक पहुच सुनिश्चित करने की दिशा में यह पहल एक सार्थक प्रयास है।
- परिवारों के लिए कनेक्शन की ऊँची लागत और राज्यों के लिए आपूर्ति की ऊँची लागत के कारण अंतिम बिंदु तक कनेक्टिविटी हमेशा बड़ी चुनौती रही है। इससे ऊर्जा दक्ष उपकरणों का वित्तपोषण करके दोनों से निपटने का प्रयास किया जाएगा।
- इससे पूरे भारत में अंतिम बिंदु तक विद्युत कनेक्शन की सहायता से पर्यावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और कनेक्टिविटी में सुधार आएगा।
- इससे गैर-विद्युतीकृत घरों में केरोसीन की बत्ती का उपयोग कम करने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार इससे भारत को अपनी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताएं पूरा करने में सहायता मिलगी, जो अमेरिका और चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है।
- इस योजना से अर्थव्यवस्था में 16,000 करोड़ रुपये का अंतर्वाह होगा, परिसंपत्ति का सृजन होगा और रोज़गार उत्पन्न होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि, किसी भी सब्सिडी के बिना विद्युत का बिल बनाया जाएगा।

VISION IAS

- जीवन की बेहतर गुणवत्ता, विशेषकर दैनिक काम में महिलाओं के लिए

आगे की राह

नए भारत को ऐसे ऊर्जा ढांचे की आवश्यकता होगी जो समता, दक्षता और संधारणीयता के सिद्धांत पर आधारित हो।प्रत्येक परिवार को विद्युतिकृत किये जाने के बाद, सरकार का अगला लक्ष्य लोड शेडिंग समाप्त करना और 24x7विद्युत प्रदान करना होना चाहिए।

3.14. अरब सागर में तेल की खोज

(Oil Discovery in Arabian Sea)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में सरकारी स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने अरब सागर में प्रमुख मुंबई हाई फ़ील्ड्स के पश्चिम में तेल खोज की है।

मुख्य बिंदु

- कूप संख्या WO-24-3 में खोज द्वारा लगभग 20 मिलियन टन का भण्डार होने का अनुमान है।
- भारत के सर्वाधिक बड़े तेल क्षेत्र मुंबई हाई फ़ील्ड्स द्वारा वर्तमान में प्रतिदिन 205,000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा रहा हैं। (प्रतिवर्ष 10 मिलियन टन से थोड़ा अधिक)।
- यह नई खोज ONGC द्वारा मुंबई हाई में उत्पादन आरम्भ करने के लगभग 50 वर्ष पश्चात हुई है। यह खोज ONGC को इस बेसिन से वर्तमान में अनुमानित अवधि से अधिक समय तक उत्पादन स्तर बनाए रखने में सहायता करेगी।

तेल एवं गैस आपूर्ति श्रृंखला:

- **अपस्ट्रीम सेक्टर:** ये तेल और प्राकृतिक गैस निक्षेप का अन्वेषण करते हैं तथा इन भूमिगत संसाधनों के निष्कर्षण में संलग्न हैं। उदाहरण: ओएनजीसी (ONGC),ऑयल इंडिया लिमिटेड।
- **मिडस्ट्रीम सेक्टर:** इस क्षेत्र में तेल और गैस का ब्लॉक रिफाइनरी तथा रिफाइनरी से वितरण केंद्रो तक परिवहन शामिल है। इसमें भण्डारण अवसंरचना भी शामिल हैं।
- **डाउनस्ट्रीम सेक्टर:** इसमें रिफाइनरी और मार्केटिंग शामिल है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड - यह बिक्री करने में भारत की सबसे बड़ी कंपनी और दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी (31% हिस्सेदारी) है।

भारत में प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र

- उत्तर-पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र घाटी
- राजस्थान में बाड़मेर क्षेत्र
- तमिलनाडु में कावेरी उपतटीय बेसिन
- आंध्र प्रदेश में उपतटीय तथा अपतटीय दोनों प्रकार के तेल भंडार हैं
- अरब सागर में मुंबई हाई

भारत में तेल एवं गैस परिदृश्य:

- भारत में विश्व् के तेल और गैस संसाधनों का 0.5% और विश्व की जनसंख्या का 15% भाग है। यह भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर अत्यधिक निर्भर बना देता है।
- **भारत विश्व में तीसरा बड़ा तेल उपभोक्ता राष्ट्र है:** भारत की तेल खपत 8.3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है और यह 2016 में 212.7 मिलियन टन हो गई है, जबकि खपत की वैश्विक वृद्धि दर 1.5 प्रतिशत है।
- जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के बाद **भारत चौथा सबसे बड़ा तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) आयातक देश** है और भारत इसके कुल वैश्विक व्यापार के 5.8 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है।

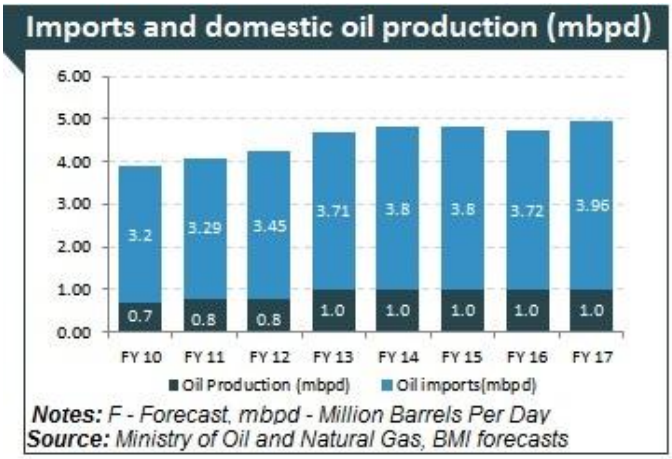

- सरकार ने प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण के उद्देश्य से **देश के ऊर्जा मिश्रण** में गैस के अंश को वर्तमान के लगभग 6.5 से बढ़ाकर 2020 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।
- **राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के प्रारूप** में तेल आयात को 2022 तक 10% (2014-15 स्तर से) कम करने का लक्ष्य तय किया गया है।
- **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री के अनुसार** भारत की तेल मांग 3.6 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर (CAGR) से बढ़कर 2040 तक 458 MTOE (Million Tonnes of Oil Equivalent) होने का अनुमान है। जबकि ऊर्जा के लिए मांग 2040 तक दुगुनी से अधिक होगी क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने वर्तमान आकार से पांच गुना से अधिक आकार की हो जाएगी।

VISION IAS

- तेल मंत्रालय की डेटा और नीति विश्लेषण शाखा **पेट्रोलियम योजना विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC)** के अनुसार भारत का कच्चे तेल आयात का बिल 2016-17 में 70 बिलियन डॉलर से 23% बढ़कर वर्तमान वित्तीय वर्ष में 86 बिलियन डॉलर होने की संभावना है।

3.15. इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स

(Intelligent Transportation Systems)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में नीति आयोग एवं *इंटरनेशनल रोड फेडरेशन* (IRF जिनेवा) ने *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आशय वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किये है ।

अंतराष्ट्रीय सड़क महासंघ (IRF)

- IRF एक वैश्विक, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य बेहतर, सुरक्षित और अधिक स्थायी सड़कों तथा सड़क नेटवर्क के विकास एवं रख-रखाव को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना है।
- IRF समाज के सभी स्तरों पर सतत और पर्यावरण के अनुकूल सड़क परिवहन अवसंरचना के विकास से सामाजिक और आर्थिक लाभों को प्रोत्साहित करता है।
- यह तकनीकी समाधान और प्रबंधकीय कार्यो में भी सहायता करता है जिससे राष्ट्रीय सड़क निवेश से अधिकतम आर्थिक एवं सामाजिक लाभ सुनिश्चित किया जा सके।
- यह सरकारों और वित्तीय संस्थानों को सड़क नीति और विकास के सभी पहलुओं में सड़क विकास रणनीति (road development strategy) और नीति (policy) की योजना के लिए विशेषज्ञता का व्यापक आधार प्रदान करता है।

विषय संबंधित अतिरिक्त जानकारी

- आशय वक्तव्य (SoI) का उद्देश्य इस क्षेत्र में भारत सरकार से संबंधित सभी हितधारकों, सक्रिय भारतीय और विदेशी कंपनियों एवं प्रासंगिक तकनीकी विशेषज्ञों को शामिल करके निम्नलिखित के लिए *नेशनल इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम* नीति का विकास करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफार्म का निर्माण करना है:
- यातायात प्रबंधन
- पार्किंग प्रबंधन
- यातायात नियमों और विनियमों का इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन
- *फ्लीट* प्रबंधन और निगरानी।
- *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) के क्षेत्र में नवोन्मेष ।
- *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) के क्षेत्र में शिक्षा।
- यह नीति शहरी यातायात संकुलन को कम करने, शहरों में वाहनों की पार्किंग के चारों ओर स्थिति में सुधार करने, सड़क सुरक्षा में सुधार करने, एवं यात्री और माल परिवहन की सुरक्षा में सुधार करने में योगदान करेगी।

***इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) क्या हैं?**

- यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एवं उन्नत वाहन प्रौद्योगिकियों द्वारा वास्तविक समय (रियल टाइम) के आधार पर सचल (mobile) वाहनों एवं अवसंरचना सम्बन्धी सूचना में सहायता करने की परिकल्पना करती है।
- यह अनिवार्य रूप से बहु-अनुशासनात्मक एवं बहु-कार्यात्मक है और इसमें निम्नलिखित प्रणालियों को शामिल किया जाता है:
- **उन्नत या०तायात प्रबंधन प्रणालियाँ (ATMS)**: आवागमनों को प्राथमिकता देने, भीड़ को कम करने और नेटवर्क दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिवहन संचालनों का गतिशील एकीकरण एवं प्रबंधन।
- **उन्नत यात्री सूचना प्रणालियाँ (ATIS)**: अंतिम उपयोगकर्ताओं तक वास्तविक समय में गतिशील सूचना प्रदान करना ताकि सूचित गतिशीलता विकल्प उपलब्ध हो सके।
- **उन्नत वाहन नियंत्रण प्रणालियाँ (AVCS)**: वाहनों के अंदर कम्प्यूटेशनल संचार प्रणालियाँ जो आंतरिक प्रणालियों को बाहरी अवसंरचना एवं अन्य मोबाइल प्रणालियों से समन्वय स्थापित करने के लिए सेंसर कंट्रोल और अबॉर्ट मेकनिज्म (abort mechanism) को नियोजित कर यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
- **वाणिज्यिक वाहन संचालन (CVO):** निजी वाणिज्यिक **फ्लीट** के संचालन नियंत्रण, निगरानी, और उत्पादकता संवर्धन।
- **उन्नत सार्वजनिक परिवहन प्रणालियाँ (APTS)**: ऐसी प्रणालियाँ जो सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और उपयोग को बढ़ाती हैं।
- **उन्नत ग्रामीण परिवहन प्रणालियाँ (ARTS)**: ऐसी प्रणालियाँ जो आर्थिक महत्व को पूरा करते हुए विरल आबादी वाले क्षेत्रों में परिवहन सेवाओं की पर्याप्तता को सुनिश्चित करती हैं।

VISION IAS

भारत में *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) अपनाए जाने की महत्ता

- **सुचारु सार्वजनिक परिवहन**: यह सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा जिससे यातायात संकुलन कम होगा।
- **नये आर्थिक अवसर**: यह स्मार्ट फोन एप्स एवं वेब आधारित पोर्टलों के बाजार के विकास में सहायता करेगा।
- **स्मार्ट सिटी:** *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) का कार्यान्वयन स्मार्ट शहर लक्ष्य को बेहतर रूप से वास्तविकता में परिणत करने में सहायता करेगा।
- **यात्रियों की बेहतर सुरक्षा:** विभिन्न ऑनलाइन एप्स जैसे दिल्ली पुलिस के आपरेशन हिम्मत (Himmat) को *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) में सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है क्योंकि यह यात्रियों को मार्गों का ज्ञान रखने और सुरक्षित यात्रा करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त स्मार्ट फोन में DEITY द्वारा प्रस्तावित आपात बटन भी यहाँ सहायक होगा।
- **वास्तविक समय (रियल टाइम) जानकारी:** यह वास्तविक समय में बस आगमन, विलम्ब, निर्धारित बस उपलब्धता इत्यादि जानकारी प्रदान करेगा और तदनुसार यात्रियों को अपनी यात्राओं की योजना बनाने में सहायता करेगा।
- **समावेशी विकास को बढ़ावा देना:** नागरिकों के लिए श्रम बाजारों, शिक्षा और अवकाश के स्थानों तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए सक्षम और सस्ती गतिशीलता महत्वपूर्ण है।
- **सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव**: *इंटेलीजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स* (ITS) के परिणामस्वरूप नागरिकों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरे पैदा करने वाली वायु और ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्याएँ कम हो जाएंगी।

3.16. भारत परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना में तृतीय स्थान पर

(India Third In Nuclear Power Installations)

सुर्खियों में क्यों ?

- विश्व परमाणु उद्योग स्थिति रिपोर्ट 2017 (**World Nuclear Industry Status Report 2017**) के अनुसार, भारत विश्व में परमाणु रिएक्टरों की स्थापना में तृतीय स्थान पर है, जबकि चीन सूची में सबसे ऊपर है।

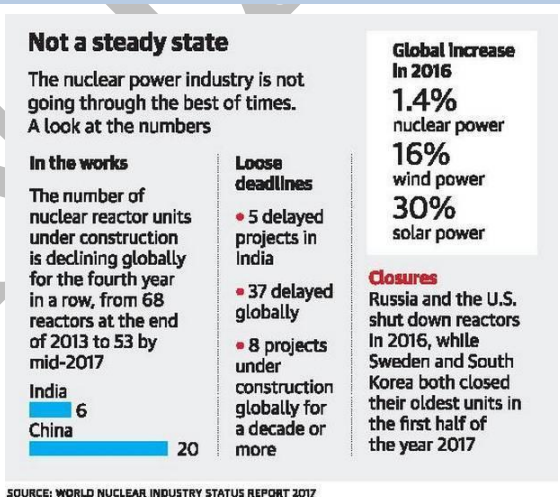

मुख्य बिंदु:

- 2016 में वैश्विक परमाणु ऊर्जा उत्पादन में 1.4% की वृद्धि ,चीन में परमाणु ऊर्जा की 23% की वृद्धि के कारण हुई, हालांकि विश्व के विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी 10.5% पर स्थिर है।

परमाणु ऊर्जा उत्पादन के भविष्य के संबंध में चिंताएं

- **बिजली उत्पादन में देरी:** ज्यादातर परमाणु रिएक्टर का निर्माण, समय से पीछे चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप होने वाले विलम्ब से परियोजना लागत में वृद्धि हुई है।
- **अक्षय ऊर्जा का पुनरुत्थान:** 1997 से, विश्व भर में, अक्षय ऊर्जा ने परमाणु ऊर्जा से चार गुना अधिक नए किलोवाट-घंटे बिजली का उत्पादन किया है।
- **वित्तीय संकट:** परमाणु उद्योग, वित्तीय समस्या से ग्रसित है जैसे तोशिबा ने अपनी अमेरिकी सहायक वेस्टिंग हाउस (जो कि इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा निर्माता है) के दिवालिया होने की याचिका दायर की है।
- **समापन संबंधी घोषणा (Closure announcement):** जर्मनी ने 2022 तक सभी परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों को बंद करने की योजना की घोषणा की है। स्विट्ज़रलैंड ने 2034 तक परमाणु ऊर्जा को समाप्त करने की प्रतिज्ञा की है, और इटली वासियों ने देश में पुनः परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को आरंभ करने की योजनाओं के विरुद्ध मतदान किया है।

3.17. WEF का वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक

(WEF Global Competitiveness Index)

सुर्खियों में क्यों ?

- हाल ही में जारी **विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक (GCI) में** , भारत को सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओ में 40 वाँ स्थान दिया गया है, जो पिछले वर्ष की रैंकिंग से एक स्थान कम है।

VISION IAS

GCI रिपोर्ट

- GCI स्कोर की गणना 12 श्रेणियों के आधार पर की जाती है जिन्हें 'प्रतिस्पर्धात्मकता के स्तंभ (इन्फोग्राफिक देखें) कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को संस्थाओं, नीतियों और कारकों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि एक देश की उत्पादकता और समृद्धि का स्तर निर्धारित करते हैं।
- यह 2008 के वैश्विक संकट के 10 वर्षों के बाद भी वित्तीय क्षेत्र की सुभेद्यता तथा नवाचार एवं स्वचालन (ऑटोमेशन) के अगले चरण के संबंध में तैयारी की कमजोर स्थिति को दर्शाती है।

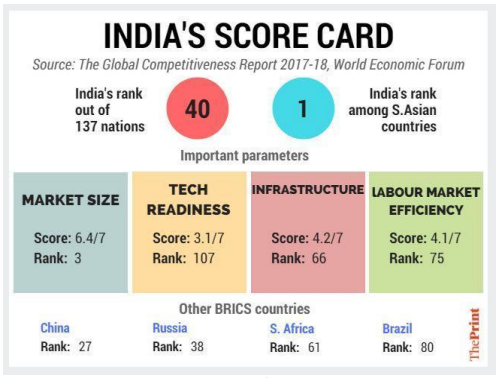

भारतीय परिप्रेक्ष्य में

- WEF के अनुसार , वर्तमान पद्धति में भारत का स्कोर पूर्व की तुलना में उच्चतम स्तर पर है।
- संस्थाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से सार्वजनिक खर्च की दक्षता के मामले में, जो कि प्रतिस्पर्धा के अधिकांश स्तंभों में प्राप्त अंको में सुधार द्वारा परिलक्षित होता है।
- भारत एक श्रम प्रधान देश है, और इस प्रकार ऑटोमेशन और रोबोटाईज़ेशन (107 रैंक) जैसी तकनीकी प्रगति को अपनाने के क्रम में यहाँ अनेक प्रतिरोध व्याप्त हैं। जिसके कारण अभिनव गतिविधियों का लाभ व्यापक रूप से साझा नहीं किया जाता। इसके साथ ही भारत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी तकनीकी शक्तियों का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम नहीं है।
- **WEF के एक्ज़ीक्युटिव ओपिनियन सर्वे 2017** के अनुसार, भारत में व्यापार करने के लिए भ्रष्टाचार, वित्त तक पहुंच, कर दरें एवं आधारिक संरचना की अपर्याप्त आपूर्ति आदि सबसे अधिक समस्यात्मक कारक है।

INDIA'S PERFORMANCE OVERVIEW

India remains the most competitive country in South Asia, appearing at No. 40 in the ranking of 137 countries by the World Economic Forum's Global Competitiveness Report 2017-18 . This has been due to the country investing in infra-structure, higher education and training, backed by its state of technological readiness.

	Rank/137 (2017-18)	Score (1-7)
Global Competitive Index	**40**	**4.6**
Institutions	39	4.4
Infrastructure	66	4.2
Macroeconomic environment	80	4.5
Health and primary education	91	5.5
Higher education and training	75	4.3
Goods market efficiency	56	4.5
Labour market efficiency	75	4.1
Financial market development	42	4.4
Technological readiness	107	3.1
Market size	3	6.4
Business sophistication	39	4.5
Innovation	29	4.1

3.18. सड़क सुरक्षा: भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2016

(Road Safety: Road Accident in India 2016)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 'भारत में सड़क दुर्घटनाएँ 2016' रिपोर्ट जारी की गयी है। इस रिपोर्ट में, भारत में सड़क सुरक्षा की वस्तुस्थिति पर प्रकाश डाला गया है।

पृष्ठभूमि

यू.एन. डिकेड ऑफ़ एक्शन ऑफ़ रोड सेफ्टी तथा **सतत विकास लक्ष्य (लक्ष्य 3.6)** में सड़क सुरक्षा संबंधी प्रावधान शामिल किये गए हैं। इनके द्वारा राष्ट्रों से **2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों में 50% तक कमी** लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु आग्रह किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- पूरे देश में पिछले वर्ष औसतन प्रत्येक घंटे 55 सड़क दुर्घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई है। इसका आशय यह है कि भारतीय सड़कों पर प्रत्येक 3.5 मिनट में एक मौत होती है।

सड़क दुर्घटनाओं का बोझ

- **आर्थिक लागत**: योजना आयोग के अनुसार प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में देश की GDP के 3% से अधिक भाग का ह्रास होता है। 2016 में यह राशि 3.8 लाख करोड़ रूपए थी।
- **सामाजिक लागत**: परिवार के सदस्य विशेषकर कमाने वाले सदस्य की मृत्यु परिवार को गरीबी और सामाजिक संकट की ओर अग्रसर करती है। इसके अतिरिक्त, दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई विकलांगता से मानव उत्पादकता की क्षति होती है और यह आजीवन कलंक की भाँति विद्यमान रहती है।
- **प्रशासनिक लागत:** इसमें यातायात प्रबंधन, कानून प्रवर्तन, संसाधन लागत (नुकसान हुई संपत्ति का भुगतान) और बीमा प्रशासन शामिल हैं।

- पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई है, जबकि दुर्घटनाओं में 4.1% की कमी आई है, जिससे दुर्घटनाओं की विभीषिका में वृद्धि का संकेत मिलता है।
- सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की संख्या में 1.1% की गिरावट आई और 2016 में कुल 4.95 लाख लोग घायल हुए।

- 2015 में 29.1 और 2014 में 28.5 की तुलना में **दुर्घटना की विभीषिका(Accident severity)** (इसे 100 दुर्घटनाओं में मरने वाले लोगों की संख्या के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है) 2016 में 31.4 के उच्चतम स्तर पर दर्ज की गयी है।

सड़क सुरक्षा हेतु सुझाव

सड़क सुरक्षा में बुनियादी ढांचे से लेकर प्रवर्तन एजेंसियों जैसे विभिन्न हितधारकों को शामिल किया जाता है जैसे कि:

सड़क

- सड़क की लम्बाई तथा कवरेज का विस्तार करने की अपेक्षा **सड़कों के लिए प्रायोगिक वैज्ञानिक अध्ययन** की दिशा में नीतिगत परिवर्तन करना समय की आवश्यकता है।
- सड़क सुरक्षा पर गठित **एस. सुंदर समिति ने 2007** में सड़क ढांचे के वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता पर बल दिया गया था। इसमें डिजाइन के चरण में प्रभावी सड़क अभियांत्रिकी समाधान, दुर्घटना के **प्रमुख स्थानों(hotspots)** में सुधार आदि शामिल हैं।
- एशियाई विकास बैंक(ADB) द्वारा तैयार की गई **सड़क सुरक्षा कार्य योजना** में यातायात की इष्टतम गतिशीलता, यातायात संचलन को बढ़ावा देने, व्यस्ततम समय हेतु अलग रास्तों(rush-hour lanes) का निर्माण और **सेल्फ एक्सप्लेंड** सड़कों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।

लोग

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के ***सेफ सिस्टम एप्रोच*** ने इस बात को स्वीकार किया है कि सड़क सुरक्षा हेतु लोगों की भूमिका को दंडात्मक तरीकों से पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसके अपेक्षा नीतिगत दृष्टिकोण को समाज के सभी वर्गों के लिए **शिक्षा और जागरूकता** की दिशा में परिवर्तित किया जाना चाहिए।

सेफ सिस्टम एप्रोच

यह सड़क सुरक्षा प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे जीवन और स्वास्थ्य का समझौता हमारी यात्रा करने की आवश्यकता से नहीं किया जाना चाहिए।

- भारत में सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में से 19 प्रतिशत हिस्सा पैदल यात्रियों का है। इसका कारण **पैदल चलने हेतु अनुकूल परिवेश का अभाव और फुटपाथों का अतिक्रमण** है।

वाहन

- सुरक्षा सम्बन्धी स्टार रेटिंग निर्धारित करने की दिशा में ***भारत न्यू व्हीकल सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम*** की शुरुआत दुर्घटनाओं को प्रभावी रूप से कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है।
- वाहन तकनीकी जैसे *कॉलिज़न-अवॉइडन्स सिस्टम्स*, (सेमी)ऑटोनोमस वेहिकल, *स्टेबिलिटी कंट्रोल*, बेहतर सड़क-वाहन संपर्क, *आटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम*, *एयर कुशन टेक्नोलॉजी* और गति वाले पोत वाहनों में गति नियंत्रक आदि का आधुनिकीकरण।

सरकार

- सड़क सुरक्षा पर गठित **के.एस. राधाकृष्णन** पैनल द्वारा शराब पीकर गाडी चलाने एवं तेज गति से वाहन चलने से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए ***ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी*** और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के अधिक मजबूत तरीके अपनाने का समर्थन किया गया है।
- यात्री वाहनों पर यातायात के बोझ को कम करने के लिए ***गुड्स ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल फ्रेट पॉलिसी*** लागू की जानी चाहिए।

सड़क परिवहन और सुरक्षा विधेयक 2014 का प्रारूप

- इसमें तीन प्रमुख एजेंसियों के निर्माण का प्रस्ताव किया गया है: राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा प्राधिकरण, *नेशनल ट्रांसपोर्ट एंड मल्टीमॉडल कोआर्डिनेशन अथॉरिटी* और राज्य परिवहन प्राधिकरण।
- गैर-मोटर वाहन परिवहन और पैदल यात्री व साइकिल चालकों हेतु बुनियादी ढाँचा करने का प्रावधान किया गया है।
- अपराधी को पकड़ने की प्रणाली में सुधार, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया, वाहनों का पंजीकरण और जुर्माना, को युक्तियुक्त बनाना तथा डिजिटल सिस्टम की शरुआत।
- एकीकृत वाहन पंजीकरण प्रणाली और पंजीकरण को बीमा, वाहन सम्बन्धी अपराध और वाहन के रखरखाव (fitness) के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

सड़क सुरक्षा संबंधी सरकार की पहल

- सरकार द्वारा 2020 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया गया है।
- राजमार्गों पर जोखिम वाले स्थानों को समाप्त करने के लिए **प्रधान मंत्री सुरक्षित सडक योजना**।
- **लोकसभा** में **मोटर वाहन संशोधन बिल 2016**,पारित।

VISION IAS

इसमें शामिल हैं:

- ड्राईवर लाइसेंसिंग की मौजूदा श्रेणियों में संशोधन,
- वाहनों में कमी पाए जाने पर वाहनों को वापस ले लेना,
- किसी भी नागरिक या आपराधिक कार्रवाई से भले नागरिकों(good Samaritans) की सुरक्षा और
- 1988 के अधिनियम के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दंड में वृद्धि करना।

- **एस. सुंदर** समिति द्वारा सड़क सुरक्षा परिदृश्य को परिवर्तित करने हेतु सड़क सुरक्षा और आवागमन प्रबंधन निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की गई है।
- **राकेश मोहन** समिति ने **राष्ट्रीय परिवहन विकास नीति** पर सुरक्षा मानकों के प्रतिदिन अनुपालन सुनिश्चित करने और मौजूदा नीतियों एवं मानकों का अध्ययन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर संचालन एजेंसियों में सुरक्षा विभाग स्थापित करने का सुझाव दिया है।

निष्कर्ष

सड़क सुरक्षा पर WHO द्वारा जारी 2015 की *ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट* द्वारा 15-29 वर्षों के आयु समूह के लिए सड़क दुर्घटनाओं को वैश्विक स्वास्थ्य खतरे की संज्ञा दी गयी है। देश में प्रभावी सड़क सुरक्षा के लिए नई नीतियों और कार्यक्रम को **2015 के ब्रासीलिया घोषणापत्र** पर आधारित होना चाहिए। यह घोषणापत्र परिवहन के लिए अधिक स्थायी तरीकों और साधनों हेतु नीतियों पर पुनर्विचार करने पर बल देता है।

4. सुरक्षा

(SECURITY)

4.1. पुलिस सुधार: पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना

(Police Reforms: Modernisation of Police Force Scheme)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- केन्द्रीय कैबिनेट ने हाल ही में पुलिस बल आधुनिकीकरण (MPF) योजना नामक एक अम्ब्रेला स्कीम को स्वीकृति दी है। इस योजना हेतु वर्ष 2017-18 से 2019-20 की बीच की अवधि के लिए □ 25,060 करोड़ का आवंटन किया गया है।
- यह ज्ञात हुआ है कि MPF योजना के तहत इससे पहले आवंटित □ 9,203 करोड़ की कुल अनुदान राशि में से राज्यों ने मात्र 14% ही व्यय की थी।

पुलिस बल आधुनिकीकरण (MPF) योजना

- MPF योजना को वर्ष 1969-70 में शुरू किया गया था। हाल की कैबिनेट की घोषणा के अनुसार इसके अंतर्गत आवंटित राशि को दोगुना कर दिया गया है।
- इस कोष का उपयोग आंतरिक सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियार उपलब्ध कराने, पुलिस बलों की लामबंदी, लॉजिस्टिक सहायता, हेलीकॉप्टरों को किराए पर लेने, पुलिस वायरलेस को अपग्रेड करने, नेशनल सेटेलाइट नेटवर्क, CCTNS प्रोजेक्ट, ई-प्रिजन प्रोजेक्ट (E-prison project) आदि के लिए किया जाएगा।
- अपराध और अपराधियों से सम्बंधित सूचनाओं का डेटा बेस बनाने के लिए पुलिस थानों को एकीकृत किया जाएगा। इस डेटा बेस को आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े अन्य स्तम्भों जैसे जेल, फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज और अभियोजन कार्यालयों से जोड़ा जाएगा।
- 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का अनुसरण करते हुए MPF योजना को 2015-16 से केन्द्रीय अनुदान से अलग कर दिया गया। राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे अपने स्वयं के संसाधनों से इस योजना का वित्त पोषण करेंगे।
- इस योजना के तहत अमरावती (आंध्रप्रदेश) में एक अत्याधुनिक फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने तथा जयपुर में स्थित सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्यूरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड एंटी-इनसर्जेंसी और गाँधीनगर में गुजरात फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय को अपग्रेड करने का प्रावधान है।

अपेक्षित लाभ

- स्मार्ट पुलिसिंग (SMART Policing) अर्थात ***स्ट्रिक्ट*** *एंड सेंसिटिव*, ***मॉडर्न*** *एंड मोबाइल,* ***अलर्ट*** *एंड अकान्टबल* , ***रिलाएबल*** *एंड रेस्पोंसिव,* ***टैक सैवी*** *एंड ट्रेन्ड पुलिसिंग* की प्राप्ति का उद्देश्य।
- यह वामपंथी उग्रवाद, जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर के विभिन्न समूहों द्वारा उत्पन्न होने वाली सुरक्षा चुनौतियों के मामले में एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा।
- पुलिस ढांचे, फोरेंसिक साइंस लैबोरेट्रीज, संस्थाओं और उनमे उपलब्ध उपकरणों के अपग्रेडेशन आदि आपराधिक न्याय प्रणाली की महत्वपूर्ण कमियों को कम करने में विशेष भूमिका अदा करेंगे।

पृष्ठभूमि

- पुलिस संगठन, पुलिस एक्ट,1861 पर आधारित है।
- पुलिस को संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत 'राज्य सूची' में रखा गया है। हालांकि, संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच कार्यकारी और विधायी कार्यों के विभाजन की व्यवस्था की गई है, जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है; (चित्र-1)।
- भारतीय समाज में बढती जटिलताओं और आधुनिकीकरण के चलते पुलिस संगठन में ढांचागत, कार्यात्मक और कर्मचारियों से संबंधित सुधारों की आवश्यकता है।
- पुलिस सुधारों पर विभिन्न विशेषज्ञ समूह निम्न प्रकार रहे हैं:

Figure 1: Responsibilities of centre and states with regard to police

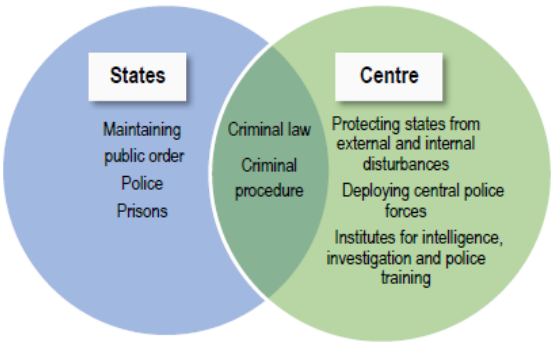

1977-81 का राष्ट्रीय पुलिस आयोग

- रिबेरो समिति 1988
- पद्मनाभाय समिति 2000

VISION IAS

- मलिमथ समिति 2002-03
- *प्रकाश सिंह बनाम केंद्र सरकार* 2006 वाद में दिया गया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, 2007
- पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी II, 2015

पुलिस सुधार

बोझ तले दबी पुलिस बल:

- पिछले दशक (2005-2015) के दौरान प्रति लाख जनसंख्या पर होने वाले अपराधों में 28% तक की वृद्धि देखी गई। जबकि अधिकाँश राज्यों में प्रति लाख लोगों पर मात्र 137 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध हैं। यह संख्या पुलिस कर्मियों की स्वीकृत सीमा 181 और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुशंसित 222 पुलिस कर्मियों की संख्या के अनुरूप नहीं है।
- वर्ष 2016 में पुलिस के 24% पद रिक्त थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने विशेष रूप से प्रदर्शित किया कि ट्रैफिक प्रबंधन, आपदा राहत और अतिक्रमण हटाने जैसी अतिरिक्त जिम्मेदारियों ने पुलिस बल को कार्यों में वृद्धि कर दी है।

जाँच की गुणवत्ता

- विधि आयोग (2012) के अनुसार अपराध जांचों की निम्न गुणवत्ता के कारण अभियोजन की दर मात्र 47% रही। पुलिस संगठन में पेशेवर जाँच के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और विशेषज्ञता का नितांत अभाव है। इस संगठन में आवश्यक कानूनी जानकारी और बुनियादी फोरेंसिक व साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने संस्तुति दी कि अपराधों की बेहतर जाँच के लिए राज्यों को पुलिस बल के भीतर ही जाँच की अलग इकाइयाँ बनाने की आवश्यकता है।

पुलिस की जवाबदेही

- राजनीतिक कार्यपालिका के पुलिस पर नियंत्रण होने से पुलिसकर्मियों का दुरुपयोग और उनके निर्णय लेने की शक्ति में हस्तक्षेप किया जाता है। इस सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए कुछ दिशा -निर्देश निम्नलिखित हैं:
  - पुलिस संगठन के लिए तीन संस्थानों की स्थापना (i) राज्य सुरक्षा आयोग (ii) पुलिस स्थापना बोर्ड (iii) पुलिस शिकायत प्राधिकरण
  - पुलिस महानिदेशक (DGP) का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सूचीबद्ध किए गए तीन सर्वाधिक वरिष्ठ अधिकारियों में से किया जाना चाहिए तथा DGP का कार्यकाल न्यूनतम दो वर्ष का होना चाहिए।
  - महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थ फील्ड अधिकारियों (रेंज के प्रभारी महानिरीक्षक, थाना प्रभारी) का न्यूनतम दो वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए।
  - जाँच की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जाँच से सम्बंधित कार्यवाहियों में संलग्न पुलिस बल को क़ानून एवं व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस बल से अलग रखा जाना चाहिए।

कमर्चारियों की क्षमता में वृद्धि करना

- पुलिस में अधिकाँश संख्या (86%) कांस्टेबल स्तर के कर्मियों की है। इन पुलिसकर्मियों को निम्न स्तरीय और अपर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त होता है। परिणामस्वरूप कानून एवं व्यवस्था में कुप्रबंधन की स्थिति उत्पन्न होती है।
- तनाव का उच्च स्तर, अनियमित कार्य-घंटे, पारिवारिक मुद्दे अथवा अच्छा कार्य करने पर भी प्रशंसा न मिलना आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके चलते पुलिसकर्मियों द्वारा आत्महत्या और अपने सहकर्मियों के साथ झगड़े जैसे मामलें देखने को मिलते है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की पांचवी रिपोर्ट पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया, प्रशिक्षण व सेवा शर्तों में सुधार तथा कार्य के घंटे घटाने और बेहतर आवास सुविधाएं देने का सुझाव दिया गया है।

पुलिस पब्लिक रिलेशन

- लोगों के बीच पुलिस की छवि समस्या सुलझाने वाले की न होकर समस्या पैदा करने वाले की है। जबकि दूसरी तरफ पुलिसकर्मी अपराध की जांच के लिए गवाहों और मुखबिरों हेतु लोगों पर ही निर्भर होते हैं।
- समुदाय आधारित पुलिस व्यवस्था (कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल) इन चुनौतियों से निपटने का एक तरीका है। कई राज्यों ने इस तरह के कार्यक्रमों को लागू भी किया है जिनमें **केरल का जनमैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट, राजस्थान की जॉइंट पेट्रोलिंग कमिटीज, असम का मीरा पैबी, तथा महाराष्ट्र की मोहल्ला कमिटीज** प्रमुख हैं।

निष्कर्ष

क़ानून एवं व्यवस्था, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे खतरे हैं जिनके लिए सशक्त और कुशल पुलिस व्यवस्था की आवश्यकता है। इस प्रकार, इन जटिल सुरक्षा चुनौतियों के आलोक में समग्र पुलिस सुधार वर्तमान समय की मांग है।

4.2. रोहिंग्या: राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बंधित मुद्दा

(Rohingya:National Security Issue)

सुर्खियों में क्यों ?

- रोहिंग्या के निर्वासन पर जनहित याचिका की प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार ने विभिन्न खुफिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए उच्चतम न्यायालय को रोहिंग्या प्रवासियों से संभावित खतरो के बारे में अवगत कराया है।

प्रिंसिपल ऑफ़ नॉन-रिफॉलमेंट (Principle of Non-refoulement)

- **1951 के** *कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजीस* के अनुच्छेद 33(1) के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है।
- इस सिद्धांत के अंतर्गत सरकार को देश में प्रवेश करने वाले आप्रवासियों को उस देश में भेजने से प्रतिबंधित करता है जहाँ पर उनके उत्पीड़न का खतरा होता है।

निहित मुद्दे

- **भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19** केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही उपलब्ध है-इसलिए रोहिंग्या लोगों को भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार उपलब्ध नहीं है।
- रोहिंग्या वैधानिक आधार पर निवास का दावा नहीं कर सकते हैं। इसका कारण यह है कि भारत न तो शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित सम्मेलन 1951 के *कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ़ रिफ्यूजीस*, न ही शरणार्थियों से सम्बंधित प्रोटोकॉल 1967 का हस्ताक्षरी और न ही नॉन-रिफॉलमेंट का प्रावधान आप्रवासी लोगों पर लागू हो सकता है।
- इसके अलावा, फोरेनर एक्ट,1946 (Foreigners Act of 1946) , वैधानिक तौर पर केंद्र सरकार को ऐसे लोगों को निर्वासित करने का अधिकार देता है जो अवैध आप्रवासी है।
- इसके अलावा, सरकार ने इस बात पर बल दिया है कि आप्रवासियों के प्रवेश से भारतीय नागरिकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ,क्योंकि यह भारतीय नागरिकों को रोजगार, सब्सिडी वाले आवास, चिकित्सा और शैक्षिक सुविधाओं में अपने वैध हिस्से से वंचित करेगा। संसाधन की कमी के कारण आप्रवासियों के प्रति शत्रुता की भावना उत्पन्न हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव और कानून एवं व्यवस्था जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से खतरा

- सरकार ने हलफनामे में बताया कि म्यांमार से अवैध अप्रवासियों का प्रवाह संगठित रूप से एजेंट्स के माध्यम से किया गया था। इन एजेंट्स द्वारा बेनापोल-हरिदासपुर (पश्चिम बंगाल), हिली (पश्चिम बंगाल), सोनमुरा (त्रिपुरा), कोलकाता और गुवाहाटी के माध्यम से गैरकानूनी आप्रवासियों/रोहिंग्याओं को भारत में प्रवेश कराया गया।
- सुरक्षा एजेंसियों से मिली सूचना के अनुसार रोहिंग्या लोगों की हवाला चैनल के माध्यम से धन जुटाने, मानव तस्करी एवं नकली भारतीय पहचान संबंधी दस्तावेज रखने में संलिप्तता भी पायी गयी है।
- खुफिया रिपोर्ट ने ISI और ISIS के सांप्रदायिक तर्ज पर रोहंग्या को भी विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया, जो सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं और बौद्ध धर्म केंद्रित पूर्वोत्तर क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं।

4.3. अस्त्र मिसाइल

(Astra Missile)

- हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर तट के समीप, बंगाल की खाड़ी में **अस्त्र मिसाइल** का फाइनल डेवलपमेंट ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा किया गया। अस्त्र-दृश्य बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल [Astra - Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVRAAM)] है।
- यह मिसाइल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन(DRDO) द्वारा भारतीय वायु सेना (IAF) के सहयोग से विकसित की गई है।
- इसे सभी मौसमो में प्रयोग में लाया जा सकता है। यह मिसाइल दुश्मन के 60-70 किमी दूरी तक के लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। एक विशिष्ट अस्त्र मिसाइल के अंतर्गत लांचर और लक्ष्य दोनों 1000 किमी प्रति घंटा से गति कर सकते हैं।
- स्वदेशी निर्मित, अस्त्र मिसाइलों का विकास भारत को प्रमुख व्यापारिक अवसर प्रदान करेगा।

4.4 DRDO द्वारा नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया

(DRDO Successfully Tests NAG MISSILE)

- DRDO द्वारा तीसरी पीढ़ी की *एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल* (ATGM) नाग मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- DRDO द्वारा IGMDP के तहत विकसित पांच यह मिसाइल प्रणालियों में से एक है।
- यह मिसाइल अत्यधिक उन्नत इमेजिंग इन्फ्रारेड रडार (IRR) अन्वेषक से लैस है और इसके शस्त्रागार(ARSENAL) में इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है।
- सफलतापूर्वक परीक्षण के साथ NAMICA (Nag Missile Carrier) के साथ नाग मिसाइल की पूर्ण कार्य क्षमता स्थापित की गई है।

इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्लान की परिकल्पना पूर्व राष्ट्रपति डॉ. A P J अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाना था।
इस प्रोग्राम के तहत अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी एवं नाग नामक पांच मिसाइल प्रणालियाँ विकसित की गई हैं।

VISION IAS

4.5. सैन्य अभ्यास

(Military Excercises)

4.5.1 युद्ध अभ्यास 2017

(Yudh Abhyas 2017)

- यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण था। यह सैन्य अभ्यास वाशिंगटन,अमरीका में 14 से 27 सितंबर 2017 तक भारतीय एवं अमेरिकी सेनाओं द्वारा आयोजित किया गया था।
- यह अभ्यास U.N पीस कीपिंग परिदृश्य में इन दोनों देशों की सेनाओ के मध्य ज्ञान के आदान-प्रदान में वृद्धि करता है। एक-दूसरे के संगठनात्मक ढांचे और युद्ध प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न परिस्थितियों का अभ्यास करवाया जाएगा।
- दोनों पक्षों के विशेषज्ञ विभिन्न विषयो पर एक दूसरे के अनुभवों को साझा करते हुए पारस्परिक लाभ हेतु अकादमिक और रणनीतिक चर्चा करेंगे।

4.5.2 सूर्य किरण अभ्यास

(Surya Kiran Exercise)

- यह भारत-नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण था। यह सैन्य अभ्यास नेपाल में आयोजित किया गया।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य भारतीय और नेपाली सैन्य इकाइयों के बीच अंतर-संचालन (inter-operability) को बढ़ाना है। यह प्रशिक्षण पहाड़ी क्षेत्रो में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, आपदा प्रबंधन और आपदा राहत के लिए संयुक्त संचालन पर भी केंद्रित होगा।
- सूर्य किरण अभ्यास श्रृंखला भारत नेपाल के बीच बारी-बारी से आयोजित की जाती है।

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: 90 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: 110 classes (approximately)

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

5. पर्यावरण

(ENVIRONMENT)

5.1. तटीय अपरदन

(Coastal Erosion)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- एक अध्ययन के अनुसार, पराली-1 द्वीप (बांगारम एटोल का भाग), लक्षद्वीप के समृद्ध जैव विविधता वाले निर्जन द्वीपों में से एक हैं जो तटीय अपरदन के कारण लुप्त हो गए हैं तथा लक्षद्वीप सागर में अवस्थित ऐसे ही अन्य चार द्वीप तेजी से सिकुड़ रहे हैं।
- अन्य समुद्री देश की तरह, भारत के लंबे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को निरंतर अपरदन का सामना करना पड़ रहा है। प्रायः विकास संबंधी गतिविधियां, तटीय गतिशीलता को समझे बिना किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप विशेषकर स्थानीय समुदायों को दीर्घकालिक क्षति होती है।

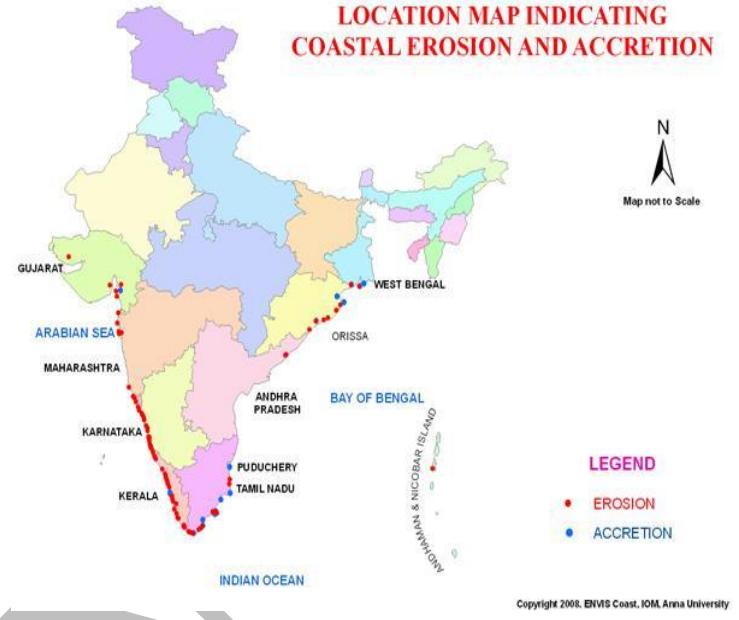

भारत में तटीय अपरदन

- **MOEF&CC के अनुसार,** भारत की 8414 किलोमीटर लंबी तटरेखा का 40% हिस्सा तटीय अपरदन (उच्च, मध्यम या निम्न) की समस्या से ग्रस्त है।
- **पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)**, वार्षिक आधार पर भारतीय तट के साथ-साथ तटीय रेखा में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी करता है। हाल की कुछ निष्कर्षों के अनुसार:
  - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक तटीय अपरदन का सामना करते हैं जिस कारण इसकी लगभग 89 प्रतिशत तटरेखा बंगाल की खाड़ी में जलमग्न हो गई है।
  - जबकि दूसरी तरफ तमिलनाडु है,जहाँ पर तटीय क्षेत्र का 62% (वृद्धि: जल के द्वारा क्रमिक रूप से मृदा निक्षेपण, रेत निक्षेपण के रूप में सूखी भूमि के निर्माण) सबसे नवीन तटरेखा के साथ है।
  - गोवा में 52 प्रतिशत सर्वाधिक स्थिर तटरेखा विद्यमान है।

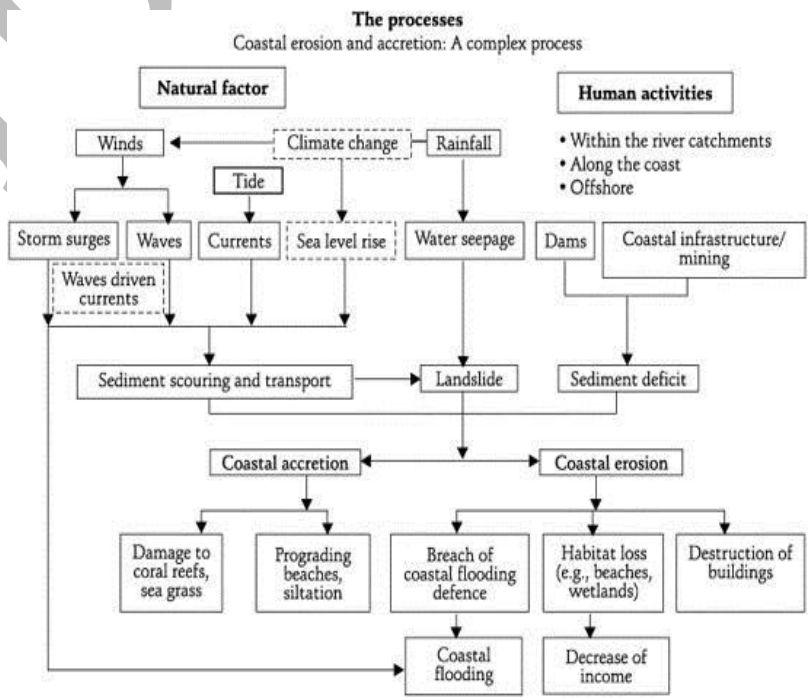

तटीय अपक्षरण के कारण

- तटीय अपक्षरण का मुख्य कारण **तरंग ऊर्जा** है।
- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग और आइस शीट्स एवं महाद्वीपीय ग्लेशियरों के पिघलने से निरंतर समुद्री जल के स्तर में वृद्धि हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप कई प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूनामी, तूफानी लहरें, समुद्री जल तथा चक्रवातों के तापीय विस्तार आदि उत्पन्न होते हैं; ये प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं और अपक्षरण में वृद्धि करते हैं।
- भारत में तटवर्तीय क्षेत्र तीव्र समुद्रतटीय बहाव क्षेत्रो के रूप में चिन्हित हैं। जिसके परिणामस्वरुप एक वर्ष में अनुमानित 1.5 मिलियन टन रेत दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पूर्व की ओर प्रवाहित होती है।

VISION

- जलग्रहण क्षेत्रों जैसे:- नदियों और बंदरगाहों, मत्स्यन स्थलों पर तथा घाटों (jettis) में बांधों के निर्माण से अपक्षरण में वृद्धि और नदी के मुहानों से तलछट के प्रवाह को कम करता है जिससे तटीय अपक्षरण को बढ़ावा मिलता है।
- रेत और प्रवालों के खनन और निकर्षण (Dredging) तट संबंधी गतिविधियों को कई प्रकार से प्रभावित करती है, जैसे:- तटीय व्यवस्था में तलछट में कमी लाना तथा जलीय गहराई को रूपांतरित करना, जिससे तरंग अपवर्तन और तटवर्ती प्रवाह परिवर्तित होता है।

तटीय अपक्षरण से निपटने के उपाय:

सुरक्षा: तीव्र या चिरकालिक अपक्षरण को रोकने के लिए कठिन व सरल समाधान, इन दोनों के अंतर्गत कई विकल्पों को पहचाना गया है।जिसमें निम्नलिखित शामिल है:

- समुद्री तटों पर कुछ हस्तक्षेपों के माध्यम से ***सेलाइन स्टोन-पैकेजिंग*** **और** ***ब्रेकवाटर*** जैसी संरचनाओं के निर्माण द्वारा जिसे पारंपरिक रूप से तटीय रक्षा के हिस्से के रूप में माना जाता है।
- तट के अपक्षरण की रोकथाम के लिए समुद्र में **निम्न दीवारों** का निर्माण किया जाता है जिसे **ग्रॉयन्स** कहा जाता है।
- ***जियो-सिंथेटिक ट्यूब*** नामक एक सरल इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग ओडिशा तट पर किया गया है।
- **वनस्पति:** ढलान स्थिरता में सुधार, तलछट को संघटित करने और तटरेखा को कुछ संरक्षण प्रदान करने के लिए वनस्पति महत्वपूर्ण है।

कोस्टल ग्रीन बेल्ट:

- **सामाजिक वानिकी:** इसे सरकारी या निजी क्षेत्र के राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि तटीय समुदायों की सतत आजीविका विकास का समर्थन करने हेतु इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- **पारिस्थितिकी विकास:** यह संरक्षण गतिविधियों, शैक्षिक और मनोरंजनात्मक अवसरों के लिए लाभप्रद है।
- **भागीदारी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी:** स्थानीय समुदायों के स्थानिक ज्ञान (indigenous knowledge) को निर्णय प्रक्रिया में उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वे प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त कर सके।

5.2. प्लास्टिक बैग/अपशिष्ट प्रबंधन

(Plastic Bags/Waste Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हाल ही में दिल्ली के बाजारों में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली "प्लास्टिक की थैलियों" पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को कहा है।

संबंधित मुद्दे

- NGT के इस आदेश में कहा गया है कि प्लास्टिक की थैलियों के कारण "गंभीर पर्यावरणीय क्षरण" हो रहा है तथा इसके कारण लोगों के स्वास्थ्य एवं शहरी पशुओं को हानि पहुँच रही है। इन थैलियों के कारण नालों एवं सीवर लाइनों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है जो बारिश के दौरान बाढ़ का कारण बनता है।
- यद्यपि 17 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (दिल्ली सहित) ने प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन संपूर्ण देश में इन प्लास्टिक की थैलियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पूर्ण प्रतिबंध के विरुद्ध तर्क

- प्लास्टिक की थैलियों पर इस प्रकार का व्यापक प्रतिबंध उचित नहीं है। प्लास्टिक स्वाभाविक रूप से लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है लेकिन प्लास्टिक कचरे को एकत्र करने की अक्षमता स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है।
- आरंभ में प्लास्टिक की थैलियों की शुरुआत वनों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था। इसलिए प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से वनोंमूलन को पुनः बढ़ावा मिल सकता है।
- प्लास्टिक की थैलियों का अधिकतम उपयोग सब्जियां, फल, मांस और मछली के लिए किया जाता है क्योंकि वे सुविधाजनक, आसानी से उपलब्ध और लागत प्रभावी होती हैं। प्रतिबंध लगाने से पहले हमें प्लास्टिक के एक व्यवहार्य विकल्प को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- नीलगिरी में, यह केवल प्रतिबंध ही नहीं था जिसने नीलगिरी को "प्लास्टिक मुक्त" बनाया था, बल्कि एक "जन आंदोलन" था जिसने प्रतिकूल पर्यावरणीय आदतों के साथ-साथ डंपिंग यार्ड में एकत्रित की गई प्लास्टिक की थैलियों को जलाने से भी रोका था।

(नोट: प्लास्टिक प्रदूषण और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम, 2016 की समस्याओं के विवरण के संबंध में, पर्यावरण मेन्स 365 देखें)

5.3. नदी तलछट प्रबंधन नीति का मसौदा

(Draft Policy on Sediment Management)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने हाल ही में नदी तलछट प्रबंधन नीति पर मसौदा जारी किया है।
- इस मसौदा नीति में रेत खनन और बांधों एवं बैराजों के निर्माण के प्रभावों की ओर इंगित किया गया है। और नदी तलछट प्रबंधन के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों की सिफारिश की है।

नीति की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

(a) तलछट/अवसादीकरण के लिए ज़िम्मेदार कारक हैं:

- जलग्रहण के भौतिक और जल विज्ञान संबंधी विशेषताएं, जैसे ढलान, भूमि उपयोग, भूमि कवर, शहरीकरण, कृषि पद्धतियां, बाढ़, नदी बेड का अतिक्रमण, वनों की कटाई आदि।
- खनिजों के अति-दोहन के साथ ही जलग्रहण क्षेत्र (परत, रील, अवनालिका और धारा चैनल के क्षरण) में क्षरण की तीव्रता।
- नदी द्वारा लाये गए तलछट की गुणवत्ता, मात्रा और सांद्रता।
- जलाशय का आकार, बनावट और लंबाई तथा जलाशयों की दक्षता को प्रभावित करने वाली संचालन रणनीतियाँ।

(b) अवसादीकरण पर अवसंरचनाओं के निर्माण का प्रभाव: बांध या बैराज जल की गति को कम करते हैं और नदियों में जल एवं तलछट के प्रवाह के संतुलन को बदल देते हैं, जिसके कारण अधिवृद्धि (अवसादों के जमाव के कारण भूमि की ऊंचाई में वृद्धि) होती है। यद्यपि, वे बाढ़ के खतरे को कम करते हैं, बाढ़ का जोखिम कम होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा निचले बाढ़ के मैदानों पर अतिक्रमण उन्हें तलछट और क्षरण के उच्च जोखिमों के लिए सुभेद्य बनाता है ।

(c) अवसादीकरण पर रेत खनन का प्रभाव: जब यह एक इष्टतम स्तर पर किया जाता है, तो रेत का खनन नदियों से अत्यधिक तलछट को हटा देता है। हालांकि, अवैज्ञानिक तरीके से होने वाले रेत खनन के कारण नदी खनिज तेज़ी से नष्ट हो जाते हैं, जिनका नदी तंत्र द्वारा पुन: पूर्ति कर पाना संभव नही होता है। अत्यधिक खनन उन पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए नदी तल और नदी किनारों की क्षमता को नष्ट करती है। जो योजनाएं वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा समर्थित हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए साइट की शर्तों को लागू किया जाना चाहिए। यह खनन हेतु उपयुक्त साइटों की पहचान करने, उचित निर्माण सामग्री और ड्रेजिंग (नदी तल की सफाई) को नियंत्रित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में मदद करेगा। रेत खनन GSI दिशानिर्देशों और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन्स - 2016 के अनुसार किया जा सकता है।

(d) नदी तलछट प्रबंधन के सिद्धांत:

(i) तलछट प्रबंधन को एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन का एक भाग बनाना, और

(ii) नदी के प्रवाह के नुकसान को कम करने के लिए सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों का उपयोग करके, साक्ष्य के आधार पर गाद को हटाना।

(iii) तेज़ी से विकसित हो रहे अवसंरचनात्मक परियोजनाओं (इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट) में वार्षिक तलछट की आवश्यकता का अनुमान लगाया जा सकता है और नदी के प्रसार में होने वाली बेतहाशा वृद्धि एवं आसपास के क्षेत्र में उसके विस्तार का भौतिक मोड में विश्लेषण किया जा सकता है।

नदी तलछट प्रबंधन के दृष्टिकोण

- **युवा चरण** - इस चरण में, नदियों में तीव्र ढाल एवं तलछट परिवहन की उच्च क्षमता होती है।
  - तलछट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जा सकता है जो: **कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट, स्टोरेज रिजर्ववोयर एवं बोल्डर/ग्रेवेल माइनिंग**।
- **परिपक्व चरण -** इस अवस्था में, नदी मैदानों में प्रवेश करती है और इस अवस्था की विशेषता व्यापक नदी तल एवं बाढ़ के मैदान हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप द्वारा परिवर्तन किया जाता है, जिसमें भारी मात्रा में जल के बहाव को मोड़ना/कम करना और घरेलू, औद्योगिक और कृषि गतिविधियों से उच्च प्रदूषक पदार्थों का भारी बोझ होता है।
  - निम्नलिखित तलछट प्रबंधन प्रथाओं को अपनाया जा सकता है: **नदी किनारों का संरक्षण, प्रोत्साहन आदि, रेत खनन, तलछट निकालना/निकर्षण (ड्रेजिंग) जैसे नदी प्रशिक्षण कार्य करना।**

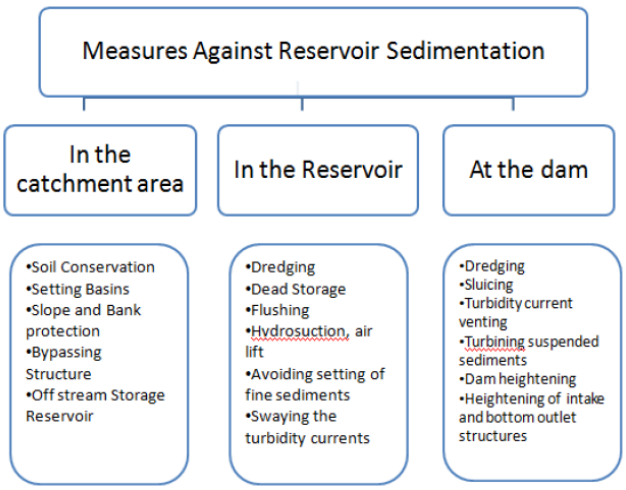

- **प्रौढ़ावस्था चरण** - इस चरण में, नदी के तलछट परिवहन एवं अवसादीकरण में काफी बदलाव आ जाता है, जो व्यापक बाढ़ का कारण बनता है, नदी मार्ग/ डेल्टा निर्माण में लगातार परिवर्तन होता है।
  - इन क्षेत्रों में प्रवाह की निरंतरता और तलछटों का समुद्र तक परिवहन बनाए रखने के लिए इन क्षेत्रों में ड्रेजिंग/तलछटों को हटाने का कार्य किया जाता है।
- **जलाशय अवसादीकरण प्रबंधन:** (चित्र देखें)

VISION IAS

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन:** ठोस अपशिष्ट का निपटान स्थानीय नगर निकायों और सरकारी निकायों द्वारा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
- **बाढ़ मैदान प्रबंधन:** जल विज्ञान और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, नदी तल और बाढ़ मैदानों के विभिन्न क्षेत्रों पर विभिन्न गतिविधियों का नियमन और निषेध आवश्यक है। जरूरी क्षेत्रों के सीमांकन करने के लिए रिवर रेगुलेशन जोन को यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।
- **संस्थागत व्यवस्थाएं: दोआबिया समिति (Doabia Committee)** की सिफारिश के अनुसार सभी नदी बेसिनों के लिए **नदी बेसिन प्राधिकरण** स्थापित करने की आवश्यकता है। किसी भी अंतर-राज्यीय/अंतर्राष्ट्रीय नदी बेसिनों से एक लाख क्यूबिक मीटर से अधिक का कोई भी तलछट निकालने के कार्य को अन्य मंजूरी के अतिरिक्त, CWC या संबंधित बेसिन के नदी बेसिन प्राधिकरण से मंजूरी को आवश्यक बना देना चाहिए।

5.4. मानव-हाथी संघर्ष से निपटने के लिए रणनीतिक क्षेत्रीय योजना

(Strategic Regional Plan to Tackle Human-Elephant Conflict)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, पांच राज्यों -ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने मानव-हाथी संघर्षों से निपटने के लिए कई रणनीतिक उपाय पेश किए।

पृष्ठभूमि

- 2016-17 में, इन राज्यों में कम से कम 253 लोगों की मौत हुई, जो इस प्रकार के हुए मानव-पशु संघर्ष के मामले में देश में सबसे अधिक है। इसके साथ ही फसलों को नुकसान और आजीविका भी प्रभावित हुई।
- यद्यपि इन राज्यों में हाथियों की जनसंख्या कुल हाथियों की कुल जनसंख्या का मात्र 10 प्रतिशत स्थित है। लेकिन देश में मानव-हाथी संघर्ष के कारण होने वाली हाथियों की मौत का 50 प्रतिशत से अधिक इन्ही राज्यों में होता है।

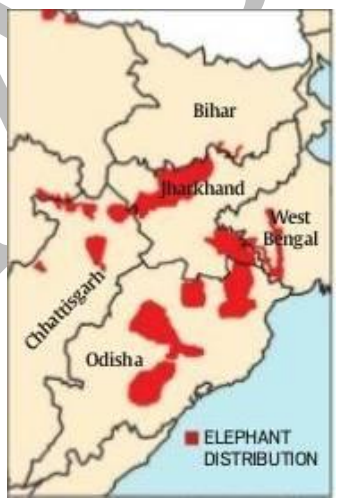

हाथी-मानव संघर्ष के कारण

- यह प्राकृतिक आवासों के नष्ट होने एवं विखंडन का परिणाम है।
- चूंकि हाथियों के आवास या आवास रेंज के अधिकांश क्षेत्र मानव बस्तियों के आस-पास या उसके साथ संलग्न हैं, अतः वहां अक्सर भोजन या चारे के लिए पलायन करने वाले पशुओं और स्थानीय लोगों के बीच संघर्ष होता है।
- **प्राकृतिक आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तन:** पिछले दो-तीन दशकों में जंगलों के बाहर हाथियों का बढ़ता प्रसार और **"रेंज में विस्तार"**। उदाहरणस्वरुप: पिछले 10-15 वर्षों में हाथियों ने छत्तीसगढ़ में भी प्रवेश बना लिया है जो एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहाँ पर मुगल काल से ही कोई हाथी नहीं था।

CONFLICT TOLL

Number of people killed by elephants

	2014-15	2015-16	2016-17
Chhattisgarh	32	59	67
Jharkhand	53	66	42
Odisha	64	63	62
West Bengal	89	112	82

Source: Project Elephant

महत्व

- यह योजना इस क्षेत्र में लगभग 3,000 से अधिक हाथियों से निपटने के लिए बेहतर अंतर्राज्यीय समन्वय की ओर पहला कदम है।
- यह योजना प्राकृतिक आवासों को तीन क्षेत्रों में विभाजित करती है:
  - **बड़े वनावरण वाले क्षेत्र** जो अपेक्षाकृत अक्षुण्ण हैं जहां हाथियों को संरक्षित किया जा सकता है,
  - **मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र**, यह मानव बस्तियों और हाथियों के बीच एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करेगा,
  - **कृषि क्षेत्रों में एलीफैंट रिमूवल जोन**, यहां से उन्हें हटाकर अन्य अक्षुण्ण वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जाएगा, लेकिन यदि यह विफल होता है, तो उन्हें कैद में रखा जाएगा।
- हाथियों को शांत करने और उन्हें कैद करने के लिए वन अधिकारियों को प्रशिक्षित कर उनका **क्षमता निर्माण** करना।

सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना: छत्तीसगढ़ और झारखंड ने ऐसे एप्प (apps) विकसित किए हैं जो इस क्षेत्र में हाथियों की जनसंख्या का पता लगा सकते हैं, इसे अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा सकता है।

5.5.बाँध सुरक्षा

(Dam Safety)

सुर्खियों में क्यों ?

तमिलनाडु जल संसाधन विभाग द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।जिसका उद्देश्य बाँध सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आपात कार्य योजना को अंतिम रूप देना था।

VISION IAS

पृष्ठभूमि

- बाँध एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना हैं।जिसके बहुउद्देशीय उपयोग होते हैं जैसे कि सिंचाई, विद्युत् उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण तथा पेयजल एवं औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जलापूर्ति।
- भारत में लगभग 5254 बड़े बाँध और लगभग 447 निर्माणाधीन बांध हैं। इन बांधों में से लगभग 4% यानी 209 लगभग 100 वर्ष पुराने है तथा 17% यानी 876 बांध 50 वर्ष से अधिक पुराने हैं। अतः, इन बांधो की सुरक्षा अनिवार्य हो जाती है और इसे योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू बनाना चाहिए।

यद्यपि, हाल के दिनों में बांधों को सुरक्षा के मॉडल के रूप में नहीं देखा गया है। उदाहरणस्वरूप :

  - **मुल्लापेरियार बांध से उत्पन्न संकट**- केरल और तमिलनाडु के मध्य सुरक्षा मुद्दों को लेकर लगातार विवाद जारी है।
  - 2015 की चेन्नई बाढ़ का कारण भारी बारिश थी, परन्तु **चेम्बरामबक्क्म बांध** से **अड्यार नदी** में पानी की अप्रत्याशित निकासी ने बाढ़ को और अधिक गंभीर बना दिया था।
- 1979 में गुजरात में माचू बांध, लगभग 25,000 मौतों का कारण बना।
- केन्द्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किये गए विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ है कि देश के लगभग आधे बाँध निर्धारित वर्तमान सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं हैं।
- इसलिए सरकार द्वारा कुछ निश्चित कदम उठाये जा रहे है, जैसे कि बांध पुनर्वास और सुधार योजना, बांध सुरक्षा विधेयक और हाल ही में आपात कार्य योजना।

बाँध पुनर्वास और सुधार योजना (DRIP)

- यह भारत सरकार की एक परियोजना है जिसे विश्व बैंक की वित्तीय सहायता द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।
- झारखंड (DVC), कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड (UJNVL), इन सात राज्यों में शुरूआत में 225 बांधो की मरम्मत और पुनर्वास के लिए अप्रैल 2012 में इस परियोजना का आरम्भ किया गया।
- वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 198 बांध हैं जिन्हें पूरा करने के लिए जून 2018 तक का समय निर्धारित हैं।
- यह एक बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना है जिसके लिए विश्व बैंक द्वारा 80% और राज्य / केंद्र सरकारों (CWC) द्वारा 20% सहायता प्रदान की जा रही है ।
- DRIP के उद्देश्य -
  - चयनित विद्यमान बांधों और संबद्ध व्यवस्थाओं की सुरक्षा और संचालन- निष्पादन में स्थायी रूप से सुधार, और
  - भागीदार राज्यों / कार्यान्वयन एजेंसियों की संस्थागत बांध सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना।

बाँध सुरक्षा विधेयक

- बाँध सुरक्षा में सुधार के लिए एक संस्थागत तंत्र लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित विधेयक में देश में 5000 से अधिक बांधों को नियंत्रित और प्रबंधित करने का प्रावधान है।
- पूर्व सरकार द्वारा भी 2010 में बाँध सुरक्षा विधेयक लाने का प्रयास किया गया था जिसका निम्न मुद्दों के कारण राज्यों द्वारा विरोध किया गया -
  - राज्य विधान सभा द्वारा पारित कानून पर संसद द्वारा पारित कानून का अध्यारोपण हो जायेगा।
  - दीर्घकालीन अंतरराज्यीय समझौतों जैसे कि मुल्लापेरियार, पराम्बिकुलम, थुनककडूव आदि को यह विधेयक मान्यता प्रदान नही करता।
  - राष्ट्रीय बांध सुरक्षा संगठन की अधिभावी (ओवर-राईडिंग) शक्तियां।
- तत्पश्चात, विधेयक को संसदीय स्थायी समिति की निर्दिष्ट किया गया जिसने विधेयक पारित करने की अनुशंसा की । हालांकि, 15वीं लोकसभा के विघटन के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया।

आपात कार्य योजना(EAP)

- DRIP के अंतर्गत बांधों के लिए आपात कार्य योजना (EAP) प्रस्तावित की गई है। EAP एक औपचारिक योजना है, जो किसी बांध पर संभावित आपातकालीन स्थितियों को स्पष्ट करती है तथा जीवन एवं संपत्ति की होने वाली हानि को कम करने की प्रक्रिया को निर्धारित करती है।
- EAP विभिन्न प्रयासों को सुव्यवस्थित करने तथा बचाव एवं राहत संबंधी गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए विभिन्न एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायता करती है।
- बांध सुरक्षा बिल, 2010 द्वारा EAP को प्रस्तावित किया गया था।
- EAP के तहत सभी संबंधित एजेंसियों के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और साथ ही, विभिन्न परिस्थितियों के दौरान मानक परिचालन प्रोटोकॉल (SOP) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है।

VISION IAS

- इसमें डाउनस्ट्रीम (अनुप्रहाव) बस्तियों को प्रभावित करने वाली बाढ़ की डाउनस्ट्रीम लहरों के बारे में सभी तकनीकी विवरण शामिल हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों में केन्द्रीय जल आयोग के तहत केन्द्रीय बांध सुरक्षा संगठन (CDSO) की स्थापना शामिल है। CDSO के मुख्य लक्ष्य निम्न है-

- बांध सुरक्षा संबंधी गतिविधियों का प्रोत्साहन तथा उन्हें सुगम बनाना, जिससे पूर्ण क्षमता और उद्देश्यों के साथ बांधों का संचालन सुनिश्चित हो सके।
- बांधों की संरचनात्मक और परिचालन संबंधी घटनाओं और विफलताओं के परिणामस्वरूप होने वाली जीवन और संपत्ति की क्षति को कम करना।

5.6.पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन

(Amendments to Environment Protection Act)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है। जिसमें प्रदूषण फ़ैलाने वाले पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- इसका लक्ष्य पर्यावरण का संरक्षण और सुधार है।
- यह पर्यावरणीय प्रदूषण को विनियमित करने, औद्योगिक अपशिष्ट, उत्सर्जन, खतरनाक कचरे आदि के लिए प्रक्रियाओं और मानकों को नियंत्रित करने के नियमों का वर्णन करता है।
- इसके अतिरिक्त यह पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण से संबंधित है।

आवश्यकता :

- प्रदूषणकारी उद्योग को दंडित करने हेतु वर्तमान व्यवस्था के तहत उपलब्ध उपाय निम्नलिखित हैं:
  - एक लाख रुपए के अधिकतम जुर्माने के साथ पांच वर्ष तक का कारावास।
  - उल्लंघन को फौज़दारी अपराध की श्रेणी में रखा जाता है जिससे पूरी प्रक्रिया बोझिल हो जाती है।
  - प्रदूषणकारी उद्योग को बंद करने या अस्थायी रूप से ऐसे उद्योग के किसी हिस्से के संचालन को बंद करना। चूँकि औद्योगिक इकाइयों को उन मामलों में भी बंद करना पड़ता है जहां उल्लंघन छोटे और उत्क्रमणीय होते हैं ऐसे में यह देश की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी हो सकता है।
- नमामि गंगे परियोजना की धीमी प्रगति का मुख्य कारण जुर्माना लगाने की शक्ति का अभाव था।

प्रस्तावित संशोधन का महत्व

- प्रदूषण को एक दीवानी (सिविल) अपराध बनाना, जिसके तहत सरकार न्यायालयों में गए बिना प्रदूषण फैलाने वालों से लागतों की मांग कर सकती है।
- प्रदूषण के मामलों की जांच करने हेतु एक विशेषज्ञ पैनल की स्थापना की जाएगी और प्रशोधन (रीमेडिएशन) की लागत की गणना की जाएगी। एक निर्दिष्ट अधिकारी प्रदूषक इकाई से वसूली जाने वाली लागत को निर्धारित करने का अंतिम प्राधिकारी होगा।
- **1 करोड़ जुर्माना**: भारी जुर्माने का उद्देश्य प्रदूषणकारी उद्योगों को नियंत्रित करना है।
- **मामूली उल्लंघन के लिए स्पॉट पेनाल्टी**: ऐसे उद्योगों के लिए जो पर्यावरण को न तो वास्तविक और न ही अवास्तविक हानि पहुंचाते हैं।

5.7. गंध प्रदूषण के लिए दिशा-निर्देश

(Guideline For Odour Pollution)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, नगरों में **नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (MSW)** निपटान सुविधाओं से गंध को कम करने की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करते हुए **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** ने इसे सुलझाने के लिए दिशानिर्देशों का प्रस्ताव किया है।

- **गंध (odour)** मूल रूप से महक से सम्बंधित एक धारणा है, यह अप्रिय (कचरे की सड़ी हुयी गंध) से लेकर सुखद (सुगंध-खुशबु) तक हो सकती है।
- गंध का प्रभाव भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर अलग-अलग होता है, लेकिन पर्याप्त उच्च सांद्रतायुक्त गंध युक्त यौगिकों का मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

पृष्ठभूमि

- **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016,** गंध की पहचान एक **सार्वजनिक समस्या** के रूप में करता है।
- भारत में वायु प्रदुषण को नियंत्रित करने के लिए विनियामक ढांचा है, लेकिन गंध के शमन और नियंत्रण के लिए कोई विनियमन नहीं है। जो कि बढ़ते नगरीकरण एवं औद्योगीकरण के साथ बड़ी समस्या का कारण बनती जा रही है।

- एक टिकाऊ सभ्यता (sustainable civilization)के लिए स्वच्छ और प्राकृतिक वायु आवश्यक है और इसे सम्पूर्ण विश्व में एक मौलिक अधिकार के रूप में माना जाता है।

कारण:

शहरी क्षेत्रों में गंध के आम स्रोत **कचरा (जैबायो-डीग्रेडेबल MSW) और सीवेज** है।

दिशानिर्देशों के मुख्य बिंदु

- **लैंडफिल साइट्स के आसपास हरित मेखला का निर्माण :** लैंडफिल साइटों पर वनस्पतियों की उपयुक्त प्रजातियों द्वारा हरित सीमा विकसित करनी चहिए। यह गंध प्रदूषण को कम करने और लैंडफिल साइट्स में एवं उनके आसपास के क्षेत्र में गंध को सीमित करने के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है।
- **LFG (लैंडफिल गैस) का कुशलता पूर्वक दोहन करना**: MSW लैंडफिल प्रणाली गंध युक्त उत्सर्जन कम करने के लिए डिजाइन की गई है।
- **शहरी विकास योजना के साथ एकीकरण :** लैंडफिल साइट का चयन इस प्रकार होना चाहिए कि अगले दो या तीन दशकों में संभावित शहरी विस्तार चयनित MSW साइट से प्रभावित न हो। अतः ऐसी साइटों को शहर से निश्चित दूरी पर बनाया जाना चाहिए।

महत्व

- यह भारत में गंध प्रदूषण को समझने और इसके समाधान हेतु निश्चित उपायों के लिए पहला वैज्ञानिक कदम है।
- यह नियामक एजेंसियों के लिए MSW लैंडफिल साइटों के चयन हेतु एक उपयोगी उपकरण के रूप में काम करेगा। इसके अतिरिक्त यह वर्तमान MSW साइटों में सुधार करने के साथ ही इन साइटों पर गंध की निगरानी, कमी और प्रबंधन में सहायता करेगा।

सुझाव

- गंध और गंध युक्त यौगिकों के लिए **ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना करना।** आरंभ में ऐसे सिस्टम एक या दो शहरी लैंडफिल साइट्स पर उनके मूल्यांकन हेतु स्थापित किये जा सकते हैं।
- गंध की समस्या के समाधान हेतु MSW नियमों, चिकित्सकीय जैव अपशिष्ट नियमों और खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों आदि के नियामिकीय ढांचों एवं संशोधनों के तहत **गंध को एक मानदंड के रूप में शामिल करना।**
- गंध उत्सर्जन हेतु समयबद्ध मानकों को विकसित करने के लिए गंध फैलाने वाले उद्योगों जैसे पल्प एंड पेपर, उर्वरक, कीटनाशक, टेनरीज, चीनी मिल और आसवनी, रसायन, डाई इंटरमीडिएट्स, थोक दवाएं एवं फार्मास्यूटिकल्स तथा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र आदि में **गंध की निगरानी और प्रबंधन के लिए अलग से अध्ययन होना चाहिए।**

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

(solid waste management rules, 2016)

- नियम में कहा गया है कि अपशिष्टों को स्रोत क्षेत्र से ही अपशिष्ट प्रबन्धन प्रक्रिया से लाभ प्राप्त करने की दिशा में (waste to wealth) कार्य करना, रिकवरी, री-यूज़, रीसायकल (3R) का प्रयोग किया जाये।
- कचरे को गीला (wet), शुष्क (dry) और खतरनाक (Hazardous) में विभाजित करने की ज़िम्मेदारी अपशिष्ट उत्पादक की होगी। उन्हें अपशिष्ट एकत्रणकर्ता (waste collector) को उपभोग शुल्क (user fine) देना होगा और गंदगी फ़ैलाने पर स्पॉट फाइन (spot fine) लगाया जायेगा। जुर्माने की राशि स्थानीय निकाय द्वारा तय की जाएगी।
- दो वर्ष के अंदर 1 मिलियन या इससे अधिक आबादी वाले सभी स्थानीय निकायों द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा स्थापित की जानी चाहिए।
- नियम में राज्य सरकार द्वारा कूड़ा बीनने वाले, कचरा उठाने वाले तथा कबाड़ी वाले को अनौपचारिक क्षेत्र से औपचारिक क्षेत्र में समाहित करने का उल्लेख किया गया है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क के विकासकर्ता (डेवलपर्स) को रिकवरी और रीसाइक्लिंग सुविधा के लिए कुल क्षेत्रफल का कम से कम 5 प्रतिशत निर्धारित करना है।

5.8. फेकल स्लज मैनेजमेंट सिस्टम (FSM)

[Fecal Sludge Management (FSM) System]

FSM क्या है?

FSM में पिट लेट्रिंस, सेप्टिक टैंक या अन्य ऑनसाइट सैनिटेशन प्रणालियों से मल मूत्र और सेप्टेज एकत्रित करना, उसका परिवहन और उपचार करना शामिल है। तत्पश्चात इस कचरे का सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में प्रशोधन किया जाता है जिसका बाद में पुन: उपयोग या संधारणीय निपटान किया जा सकता है। (चित्र देखें।)

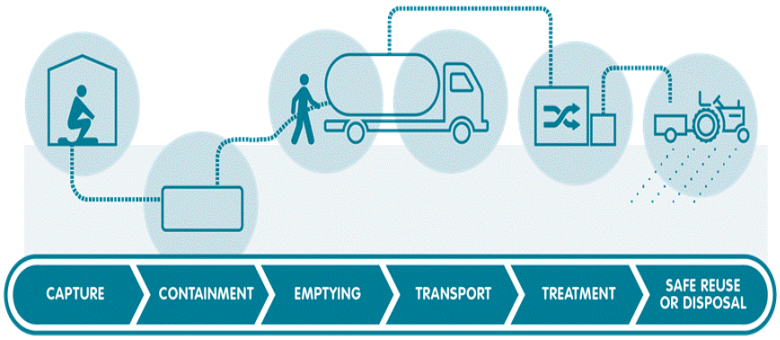

पृष्ठभूमि

- लगभग 80 प्रतिशत मानव अपशिष्ट (मानव मलमूत्र और जल का मिश्रण जो रोगग्रस्त बैक्टीरिया और रोगाणुओं से युक्त होता है) अनुपचारित होता है और नालियों, झीलों या नदियों में बहा दिया जाता है जो सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के समक्ष एक गंभीर खतरा है।
- 2011 की **सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना** के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में 1,82,505 घरों को मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में बताया जाता है। उचित निपटान प्रणाली या सुरक्षा नियमों की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
- सुरक्षित शौचालय सुविधाओं वाले 70% से ज्यादा घर ऐसे ऑनसाइट सिस्टम पर आधारित हैं और अधिकांश शहरों में कोई सीवर नेटवर्क या सीवेज उपचार संयंत्र नहीं है।

फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट सिस्टम (FSSM) पर राष्ट्रीय नीति

- प्रत्येक घर, सड़क, शहर और शहर में सभी के लिए सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता को एक वास्तविकता बनाने हेतु सभी ULBs में FSSM सेवाओं के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन की परिस्थितियाँ, प्राथमिकतायें और दिशाएं निर्धारित करने हेतु।
- शीघ्रातिशीघ्र या सम्भवतः 2019 तक सभी के लिए संधारणीय स्वच्छता को साकार करने के लिए SBM, AMRUT और स्मार्ट सिटीज़ मिशन जैसे केंद्र सरकार के प्रासंगिक कार्यक्रमों के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करना।
- स्वास्थ्य बोझ, संरचनात्मक तोड़-फोड़ की घटनाओं को कम करना तथा स्वच्छता अवसंरचना के नियोजन तथा उसकी डिजाईन में स्त्री एवं पुरुष दोनों को संलग्न करते हुए प्रत्यक्ष तौर पर FSSM से संबंधित लिंग-आधारित स्वच्छता सम्बन्धी असुरक्षा का शमन करना ।
- देशभर में FSSM सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न सरकारी संस्थाओं और एजेंसियों की भूमिकाओं और दायित्वों तथा निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और नागरिक जैसे अन्य महत्वपूर्ण हितधारकों को परिभाषित करना।

महत्व

- **अल्टरनेटिव डिस्पोजेबल सिस्टम**: FSM परंपरागत सीवरेज (भारत में कवरेज 32%) नेटवर्क के लिए एक प्रभावी विकल्प है - निर्माण लागत और समय पर संपन्न होने के सन्दर्भ में।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार**: अधिक स्वच्छ जल निकायों का अर्थ जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को कम करना और डायरियल बीमारियों से जुड़ी मृत्यु दर (विशेष रूप से पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बीच) को कम करना क्योंकि भारत में अस्वच्छता से प्रतिदिन लगभग 1,000 बच्चों की मृत्यु होती है।
- **मैनुअल स्कैवेंजर्स का सशक्तिकरण**: उचित प्रशिक्षण के माध्यम से स्वच्छता श्रमिक स्वयं का FSM व्यवसाय चलाने के लिए सशक्त हो सकते हैं।
- **आर्थिक लाभ**: चूँकि मलीय अपशिष्ट पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं अतः इसे जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रशोधन भी किया जा सकता है और बायोगैस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या इसे ईंधन अथवा इथेनॉल के निर्माण के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- **जल का स्रोत**: एक बार रोगजनक और बैक्टीरिया मुक्त करने के बाद जल का उपयोग सिंचाई, निर्माण, उद्योगों द्वारा कूलिंग प्लांटों में, RWA और हाउसिंग सोसायटी द्वारा बागीचों में तथा सरकारी एजेंसियों द्वारा पार्कों के रख-रखाव में किया जा सकता है।
- **प्रदूषण को रोकना**: FSM प्रदूषण रहित भूजल को प्रदूषित किए बिना अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या को समाप्त करता है।

यह स्वच्छ भारत मिशन 2019 तक सभी के लिए सुरक्षित स्वच्छता (sanitation) का उद्देश्य प्राप्त करने का एक उपकरण है।

5.9. कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी

(Carbon Capture Technology)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- ऐतिहासिक पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात भारत अब जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं के हिस्से के रूप में ***कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज*** **(CCUS)** की संभावना की तलाश में है।

आवश्यकता

- **CO2 की वाणिज्यिक कीमत:** इसका वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग हैं, विशेष रूप से समाप्त होता जा रहे तेल क्षेत्रों में एन्हांस्ड ऑयल रिकवरी (EOR) के प्रयोग हेतु। इसमें तेल के गुणों को परिवर्तित करने और इसके निष्कर्षण को सरल बनाने की क्षमता है।
- CCUS **विश्व के लिए निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था** का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा।
- CCUS आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य होने वाले **अंतर्विरोध में सुधार** कर सकता है।
- **CCUS अनिवार्य है:** CO2 उत्सर्जन की दर को कम करने के लिए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों और कुशल ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने के अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन [IPCC 2013] के हानिकारक प्रभावों को सीमित करने हेतु वायुमंडल में उपस्थित CO2 की संचित मात्रा कम करने की आवश्यकता है। इसलिए, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा समाधानों को लागू करने के बावजूद, CCUS प्रौद्योगिकियों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

- **कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (CCS):** यह बड़े बिंदु स्रोतों से CO2 अवशोषित/इकठ्ठा करने की प्रक्रिया है जैसे कि जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली संयंत्र, साथ ही अवशोषित CO2 को भंडारण स्थल पर ले जाता है तथा इसे वहां जमा करता हैं, जहां से यह वातावरण में प्रवेश नहीं कर पाएगा ,यह स्थल आम तौर पर एक भूमिगत भूगर्भीय संरचना होता है ।
- **कार्बन कैप्चर यूटिलिटी स्टोरेज (CCUS):** एक प्रक्रिया है जो कोयला आधारित बिजली संयंत्रों जैसे स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को अवशोषित/इकठ्ठा करता है और या तो इसका पुन: उपयोग या भंडारण करता है, ताकि यह वातावरण में प्रवेश नहीं कर सके।
- CCS में, अवशोषित CO2 को भूमिगत चट्टानों में उच्च कीमत पर भंडारित किया जाता है और इससे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता है जबकि CCUS का उद्देश्य अवशोषित CO2 को एक संसाधन के रूप में दोहन करना तथा आस-पास नए बाजारों का निर्माण करना।

- **वनस्पतिकरण** : ढाल स्थिरता में सुधार करने, अवसादों के सुदृढ़ीकरण करने एवं तटरेखा संरक्षण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **तटीय हरित मेखला** :
- **सामाजिक वानिकी:** इसे सरकारी या निजी क्षेत्र के राजस्व के स्रोत के रूप में नहीं देख कर तटीय समुदाय में संवहनीय आजीविका के विकास का समर्थन करने वाले माध्यम के रूप में देखना चाहिए।
- **पारिस्थितिकी विकास:** यह संरक्षण गतिविधियों, शैक्षिक और मनोरंजक अवसरों के लिए फायदेमंद है।
- **भागीदारी योजना, कार्यान्वयन और निगरानी:** स्थानीय समुदायों के स्वदेशी ज्ञान का उपयोग निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में किया जाना चाहिए ताकि वे सीधे लाभ प्राप्त कर सके।

5.10. भारत की तलछट घाटियाँ

(Sedimentary Basins of India)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2019-20 तक भारतीय तलछट घाटियों के मूल्यांकन के लिए 48,243 लाइन किलोमीटर (LKM) 2D सिस्मिक डेटा को अधिग्रहित करने की मंजूरी दी। इससे तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार के पर्यवेक्षण में सहायता मिलेगी

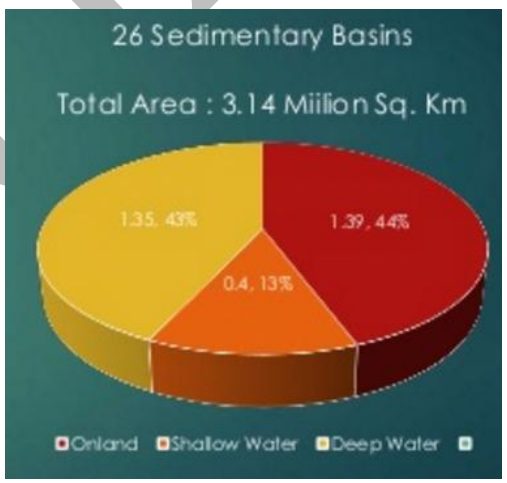

पृष्ठभूमि

- भारत में 26 तलछट घाटियाँ हैं। इनका क्षेत्रफल 3.14 मिलियन वर्ग किमी है। ये घाटियाँ स्थल पर उथले और गहरे जल में फैली हुई हैं। कुल तलछट घाटी क्षेत्र में से 48% क्षेत्र के लिए पर्याप्त भौगोलिक-वैज्ञानिक डेटा उपलब्ध नहीं है।

महत्त्व

- **GDP में वृद्धि**: यह परियोजना तेल एवं गैस के घरेलू उत्पादन में निवेश को बढ़ाने में मदद करेगी।
- **हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी (HELP) को बढ़ावा**: डाटा संग्रहण महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे घाटियों के विषय में मूलभूत जानकारी प्राप्त होती है। तथा भविष्य में अन्वेषण तथा उत्पादन (एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन: E&P) गतिविधियों हेतु योजना बनाने में मदद मिलेगी।
- **रोज़गार के अवसर**: इस परियोजना द्वारा 11,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोज़गार पैदा होने की संभावना है। इसमें कुशल और अकुशल श्रमिकों के साथ-साथ सहायक सेवाओं हेतु आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं। भविष्य की E&P गतिविधियों के लिए दिए जाने वाले ब्लॉक्स से भी रोज़गार का सृजन होगा ।

तलछट घाटियाँ वे क्षेत्र हैं जहाँ गाद की काफी मात्रा एकत्रित हो गयी है (कई स्थान पर एकत्रित गाद की मोटाई 20 किलोमीटर तक है)। तलछट घाटियाँ अपतटीय तथा तटवर्ती दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से मौजूद हैं।

महत्त्व:

- **विश्व के लगभग सभी हाइड्रोकार्बन भंडार** इन्हीं घाटियों में स्थित हैं।
- **अन्य खनिज:** इसमें कोयला तथा यूरेनियम, फॉस्फेट (आवश्यक उर्वरक खनिज) के भंडार तथा कई औद्योगिक कच्चे पदार्थ जैसे सीमेंट निर्माण के लिए चूनापत्थर, चीनी मिट्टी (काओलीनिटिक क्ले), जिप्सम तथा लवण शामिल हैं।
- **मेटालिफेरस भंडार (कम मात्रा में)** जिसमें सीसा (लीड), जस्ता (जिंक), लौह तथा मैंगनीज के अयस्क शामिल हैं तथा इसमें बॉक्साइट भी हो सकता है।

VISION IAS

5.11. प्राकृतिक संपदा का संरक्षण

(Saving Natural Capital)

प्राकृतिक सम्पदा क्या है ?

- प्राकृतिक सम्पदा को दुनिया के प्राकृतिक संपत्ति के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिसमें भूतत्व, मृदा, वायु, जल और सभी जीवित वस्तुएँ शामिल हैं।
- **महत्वपूर्ण प्राकृतिक पूंजी (CNC)** को प्राकृतिक पर्यावरण के उस भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो महत्वपूर्ण और अपूरणीय कार्य करता है।

भारत की प्राकृतिक संपदा :

- भारत में विश्व के 11% वनस्पति और जीवों की प्रजातियों हैं, भारत 17 सबसे बड़े पारिस्थितिक विविधता वाले देशों में से एक है। भारत के वन संपदाओ का वित्तीय मूल्य 1.7 ट्रिलियन डॉलर अनुमानित है।

प्राकृतिक संपदा का महत्व :

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवा:** मानव प्राकृतिक संपदा/संसाधन से कई तरह की सेवाएं प्राप्त करता है, जिसे सामान्यतः पारिस्थितिक तंत्र सेवा कहा जाता है, जो मानव जीवन को संभव बनाता है जैसे ताजी हवा, जल, भोजन आदि।
- **अभौतिक और अमूर्त प्रकृति:** वे कई सामाजिक-आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।जिनका मूल्यांकन गुणात्मक और मात्रात्मक मूल्यांकन पद्धतियों के माध्यम से किया जा सकता है।
- **संतुलित प्रकृति :** वे वातावरण की संरचना को बनाए रखने के लिए कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के माध्यम से बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित और संग्रहीत करते हैं।
- **आर्थिक योगदान:** ये रोजगार प्रदान करते हैं और कई आर्थिक गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं।
- **देशों के लिए संपत्ति:** प्राकृतिक सम्पदा एक महत्वपूर्ण संपत्ति है, विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए यह उनकी सम्पूर्ण संपत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा (36%) है।

प्राकृतिक सम्पदा पर संकट :

- **मानवता को प्रभावित करना :** बढ़ती आर्थिक गतिविधि के साथ, प्राकृतिक पूंजी परिसंपत्तियां गिरावट पर हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं और संभावित रूप से भविष्य में अर्थव्यवस्था की अक्षमताओं को उत्पन्न करेंगे।
- **प्राकृतिक सम्पदा को नजर अंदाज करना या कम आंकना:** यह परियोजनाओं को लागू करने में लाभ के मुकाबले उच्चतर नकारात्मक परिणामों की ओर अग्रसर कर रहा है।
- **वित्तीय प्रभाव :** प्राकृतिक सम्पदा का असंधारणीय उपयोग जल की कमी आदि जैसी घटनाओं को बढ़ावा देता है। जो प्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था की न्यून लाभप्रदता से जुड़ा हुआ है। अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत सामाजिक दबाव शामिल है जो मांग और विनियमन में परिवर्तन का संकेत देता है और संसाधनों की कमी के कारण सामाजिक-आर्थिक अशांति उत्पन्न कर सकता है।
- **ग्रहीय सीमाओं को नष्ट करना (Depleting planetary boundaries):** इसका अर्थ है कि मानव गतिविधि ने कुछ नाजुक संतुलनों (delicate equilibriums) की साम्यावस्था को परिवर्तित कर दिया है, जिसका परिणाम मौसम के पैटर्न में बदलाव, वनस्पतियों और जीवों दोनों के तेजी से विलुप्ती की घटना और ग्लोबल वार्मिंग आदि के रूप में दिखता है।

ग्रहीय सीमाएं(Planetary Boundaries)

- यह मानवता के लिए **सुरक्षित संचालन स्थल** को परिभाषित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- यह इंगित करता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद से, मानवीय क्रिया-कलाप धीरे-धीरे वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन का मुख्य कारण बन गया है।
- वैज्ञानिकों ने नौ पृथ्वी प्रणाली प्रक्रियाओं (earth system processes) सीमाओं की पहचान की है यथा जलवायु परिवर्तन, बायोस्फीयर इंटिग्रिटी, भूमि प्रणाली में बदलाव, मीठे पानी का उपयोग, बायोजिओकेमिकल प्रवाह, महासागरीय अम्लीयता, नव अस्तित्व, वायुमंडलीय एरोसोल लोडिंग और स्ट्रैटोस्फियरिक ओजोन क्षरण। ये नौ प्रक्रियाएं और प्रणालियां पृथ्वी प्रणाली की स्थिरता और लचीलेपन को विनियमित करती हैं।
- इनमें से चार सीमाएं (जलवायु परिवर्तन, बायोस्फीयर इंटिग्रिटी, भूमि प्रणाली में बदलाव और बायोजिओकेमिकल प्रवाह) मानवीय क्रिया-कलाप के कारण अपने चरम को पार कर लिया है, जो यह दर्शाता हैं कि अपरिवर्तनीय और अचानक पर्यावरण परिवर्तन का खतरा बना हुआ है।

VISION IAS

आगे की राह

- **अमूर्त प्रकृति की प्राकृतिक परिसंपत्तियों का लेखांकन :** प्राकृतिक सम्पदा के मानक हेतु नीति और मूल्यांकन ढांचा अपनाना चाहिए जैसे नेचुरल कैपिटल प्रोटोकोल (प्रोटोकॉल संगठनों को पहचानने, मापने और उनके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावों और प्राकृतिक पूंजी पर निर्भरता का मूल्यांकन करने के लिए एक मानकीकृत ढांचा प्रदान करता है।)।
- वास्तविक आर्थिक विकास और विकास की गणना में पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्य में प्राकृतिक सम्पदा की गणना करना।
- **प्राकृतिक पूंजी को शामिल करने में जोखिम प्रबंधन**: एक व्यापक मूल्यांकन प्रणाली जो आर्थिक गतिविधियों के अवांछनीय दुष्प्रभाव को भी शामिल करती हो।

- धन लेखा और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन (Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services:WAVES) भागीदारी का उद्देश्य स्थायी विकास को सुनिश्चित करना है। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों को विकास योजना और राष्ट्रीय आर्थिक खातों के अनुरूप उपयोग किया जाता है।
- विश्वबैंक समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राकृतिक सम्पदा लेखा अग्रिम हेतु एक साझेदारी का नेतृत्व करता है।

- **अधिकतम लाभ:** प्राकृतिक पूंजी के उचित मूल्यांकन द्वारा संसाधनों की संभाव्यता की क्षमता का पता चल सकता है जिससे विकास और आर्थिक विकास के शुद्ध लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।
- हमारी आर्थिक प्रणाली में प्राकृतिक संपदा निर्धारण और मूल्यांकन को एकीकृत करना ,भारत के संधारणीय भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

5.12. भारतीय सुंदरवन में पशु प्रजातियाँ

(Animal Species in the Indian Sundarbans)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा भारतीय सुंदरवन के पशु प्रजातियों का एक संग्रह प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार उनमें से लगभग 2626 प्रजातियाँ भंगुर द्वीपीय पारितंत्र(fragile island ecosystem) में निवास करती हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological survey of India)

- स्थापना: 1916, मुख्यालय: कोलकाता
- **एशियाटिक सोसायटी ऑफ़ बंगाल तथा इंडियन म्यूजियम** की जीवशास्त्रीय शाखा से विकसित: **सर विलियम जोन्स**
- **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** के अंतर्गत
- विभिन्न राज्यों, पारिस्थितिकी तंत्रों और भारत के संरक्षित क्षेत्रों में प्रजाति विविधता का अन्वेषण, सर्वेक्षण, इन्वेंटरी और मॉनिटरिंग करता है।
- संकटग्रस्त और देशज प्रजातियों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करता है।
- भारत के जीवों, राज्यों के जीवों पर रिपोर्ट एवं रेड डाटा बुक तैयार करता है।

महत्त्व

- सुंदरवन का भारतीय हिस्सा, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। यह 104 द्वीपों के बीच बसा हुआ है तथा गंगा-ब्रह्मपुत्र डेल्टा के 9,630 वर्ग किमी में विस्तृत है।
- यह संग्रह रिपोर्ट सुंदरवन की प्राणी विविधता (faunal diversity) से सम्बंधित पहली समेकित और अद्यतित जानकारी है।
- पर्यावास पर लोगों के बढ़ते दबाव तथा प्राकृतिक खतरों, जिनके कारण मैन्ग्रोव के दलदली पर्यावास सिकुड़ गए हैं, के परिणामस्वरूप स्तनधारी पशुओं की संख्या में कमी आ रही है।

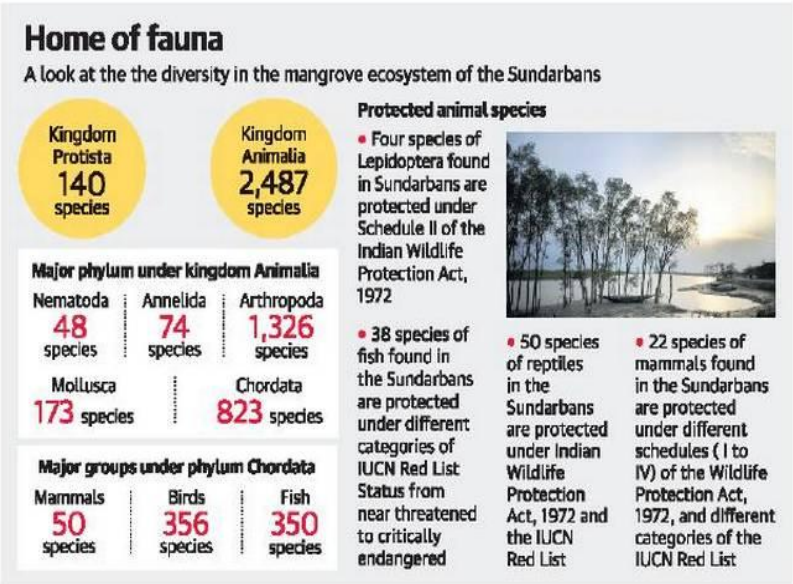

सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में

- यह कोलकाता के दक्षिण में गंगा के विशाल डेल्टा में स्थित है।
- यह विश्व का **सबसे बड़ा और एकमात्र मैंग्रोव रिजर्व है जहाँ बाघ निवास करते हैं।**
- यह **मानव और जीवमंडल कार्यक्रम (MAB)** का एक भाग है तथा नीलगिरि बायोस्फीयर रिजर्व के बाद वैश्विक बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल होने वाला दूसरा बायोस्फीयर रिजर्व है।

VISION IAS

- सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा अविक्षिन्न मैंग्रोव क्षेत्र है तथा विश्व विरासत सम्मलेन द्वारा नामित **भारत के विश्व विरासत स्थलों** में से एक है।
- इस रिजर्व में शामिल हैं:
  - रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व;
  - सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान;
  - सजनखली वन्यजीव अभयारण्य;
  - लोथियन आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य;
  - हॉलिडे आइलैंड वन्यजीव अभयारण्य।

5.13. हिम तेंदुआ

(Snow Leopard)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ़ कंसर्नड साइंटिस्ट (IUCN) ने हिम तेंदुआ को 'एनडेंजर्ड स्पिशीज' की सूची से हटाकर (downlisted) कर 'वल्नरेबल' सूची में शामिल किया है।
- इसके साथ ही IUCN ने क्रिसमस आइलैंड **पिपिस्ट्रेल** (चमगादड़ की एक प्रजाति जो केवल ऑस्ट्रेलिया के क्रिसमस आइलैंड में पाई जाती है) को **आधिकारिक रूप से विलुप्त** के रूप में वर्गीकृत किया है।

महत्त्व

- प्रजातियों को रेड लिस्ट से हटाना यह दर्शाता है कि उनकी संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है (rebounding)। इसके साथ ही यह राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हिम तेंदुए के संरक्षण हेतु किये जा रहे प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव भी प्रदर्शित करता है।

चिंताएँ

- **संरक्षण प्रयासों को रोक दिया जाना: प्रजातियों को** 'एनडेंजर्ड की श्रेणी से हटाकर (downlist) कर 'वल्नरेबल' में शामिल किये जाने से यह संकेत प्रेषित होगा कि प्रजातियों को अब पहले की तरह उतने संसाधनों और ध्यान दिए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- **विश्वसनीय आंकड़ों की कमी:** वैज्ञानिकों के एक समूह का यह मानना है कि प्रजाति को अपर्याप्त और गलत आंकड़ों के आधार पर हटाया गया है क्योंकि वैज्ञानिक समुदाय की पहुँच वैश्विक हिम तेंदुओं की संख्या के 2 प्रतिशत से भी कम तक ही रही है।
- **खतरे अभी भी हैं:** हिम तेंदुओं की आबादी के समक्ष अभी भी शिकार, किसानों द्वारा प्रतिशोधात्मक शिकार, उनके भोजन योग्य प्रजातियों की कमी, सिकुड़ते पर्यावास तथा जलवायु परिवर्तन के खतरे विद्यमान हैं।
- **निरंतर प्रयासों की आवश्यकता:** प्रजातियों को हानि पहुँचाने वाले कारक अभी भी परिवर्तित नहीं हुए हैं तथा IUCN द्वारा डाउनलिस्ट किये जाने को नीति-निर्माताओं द्वारा सही तरीके से समझे जाने की आवश्यकता है। IUCN 1968 से ही लगातार वर्गीकरण में परिवर्तन करता रहा है।

हिम तेंदुआ परियोजना (2009) (Project Snow Leopard)

- इसका शुभारम्भ भारत के **उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निवास करने वाले वन्यजीवों की जनसंख्या** तथा उनके पर्यावास की **अद्वितीय प्राकृतिक विरासत** को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने हेतु सहयोगमूलक नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया।
- इसके द्वारा उच्च अक्षांश क्षेत्र में हिम तेंदुओं को वही महत्त्व प्रदान किया गया जो स्थलीय परिदृश्य में बाघ को प्राप्त है।
- यह परियोजना **पांच हिमालयी राज्यों में कार्यरत** है। यथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश।
- **खतरा-** हिम तेंदुआ- पारिस्थितिक पिरामिड के शीर्ष पर स्थित है- सापेक्षिक रूप से कम जनसंख्या तथा मानव-पशु संघर्ष के कारण सर्वाधिक खतरे में है। यह स्थिति उनके पर्यावास में कृषि गतिविधियों के कारण शत्रुतापूर्ण परिदृश्य के कारण अधिक बिगड़ गयी है।

हिम तेंदुआ की प्रास्थिति:

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 के तहत **प्रथम अनुसूची** में;
- **कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ़ एंडेंजर्ड स्पिशीज (CITES) के परिशिष्ट 1** में शामिल है जोकि हस्ताक्षरकर्ता देशों में पशु शरीर के अंगों (यानी, फर, हड्डियों और मांस) के व्यापार को अवैध बनाता है।

VISION IAS

- कन्वेशन आन माइग्रेटरी स्पिशीज (CMS) के **परिशिष्ट 1** में;
- **द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, GSLEP** ।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जिन देशों में हिम तेंदुओं के पर्यावास हैं, उन्होंने 2020 तक इसकी रेंज में 20 भू-परिदृश्य सुरक्षित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

5.14. नवीन आर्द्रभूमि संरक्षण नियम

(New Wetland Conservation Rules)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा **आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) विनियम, 2017** अधिसूचित किया गया।
- अद्यतित नियम 2010 के नियमों तथा 2016 में अधिसूचित आर्द्रभूमि मसौदा नियमों का स्थान लेंगे।

पृष्ठभूमि

- **विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की एक रिपोर्ट के अनुसार** आर्द्रभूमियों की हानि का दुष्प्रभाव शहरों में आने वाली बाढ़ों की अधिक आवृत्ति के रूप से सम्बंधित है। मुंबई और चेन्नई की बाढ़ इसका उदाहरण हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र** के महत्त्वपूर्ण निष्कर्षों के अनुसार, आर्द्रभूमियाँ- कच्छ भूमि, स्वाम्प, दलदल, छोटी और बड़ी झीलें तथा तालाब- किसी भी अन्य पारितंत्र की तुलना में अधिक तेजी से समाप्त हो रही हैं। इसका कारण अतिक्रमण एवं तेजी से होता शहरीकरण है।

आर्द्रभूमि

- आर्द्रभूमि को **स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक प्रणालियों के मध्य** ऐसे संक्रमण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां जलस्तर आम तौर पर सतह पर या सतह के निकट होता है, या भूमि उथले पानी से आवृत्त होती है।
- ये **मानवनिर्मित या कृत्रिम** भी हो सकती हैं।
- **महत्त्व:** ये समृद्ध जैवविविधता को समर्थन प्रदान करते हैं तथा इकोसिस्टम सेवाओं की वृहद् श्रृंखला प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए जल संग्रहण, जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, अपक्षरण नियंत्रण, एक्विफर रिचार्ज, कार्बन सिंक के रूप में कार्य तथा अन्य।
- केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर 115 आर्द्रभूमियों की पहचाना की गई है। इसमें से 26 को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में पहचाना गया है।

राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के कार्य

- ये प्राधिकरण, अधिसूचित आर्द्रभूमियों तथा उनके प्रभाव क्षेत्र के भीतर नियंत्रित एवं अनुमन्य गतिविधियों की एक समेकित सूची विकसित करेंगे; विशिष्ट आर्द्रभूमि के लिए अतिरिक्त निषिद्ध गतिविधियों का निर्धारण करेंगे, आर्द्रभूमियों के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए रणनीति निर्मित करेंगे; तथा आर्द्रभूमियों के मूल्य एवं प्रकार्यों पर हितधारकों एवं स्थानीय समुदायों में मध्य जागरूकता के प्रसार हेतु उपाय करेंगे।
- राज्य प्राधिकरण तीन महीनों के अन्दर राज्य अथवा संघशासित प्रदेशो में स्थित आर्द्रभूमियों की सूची बनाएगा, छह महीनों के अंदरआर्द्रभूमियों की सूची की अधिसूचना जारी करेगा तथा एक वर्ष के अन्दर सभी आर्द्रभूमियों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एक वेबसाइट पर एक कॉम्प्रेहेंसिव डिजिटल इन्वेंटरी के रूप में अपलोड करेगा तथा इसे प्रत्येक दस वर्षों में अद्यतित भी करेगा।

नए नियमों के अंतर्गत प्रावधान

- **आर्द्रभूमि की परिभाषा:** आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि को इस तरह परिभाषित किया गया है, "दलदल, दलदली भू पट्टी, वनस्पति पदार्थों से ढकी भूमि, प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी या अस्थायी, स्थिर या बहता हुआ, मीठा, खारा या लवणीय जल के क्षेत्र तथा समुद्री जल के वे क्षेत्र जिनकी गहराई कम ज्वार में छह मीटर से अधिक नहीं रहती है।"

- **शक्ति का विकेंद्रीकरण:** नए नियमों के अंतर्गत, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों तथा संघराज्य क्षेत्रों को आर्द्र भूमियों की पहचान और उनके प्रबंधन की शक्तियां प्रदान की गयी हैं।
- प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में **राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण** का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व राज्य के पर्यावरण मंत्री करेंगे और इसमें कई सरकारी अधिकारी शामिल होंगे। यह आर्द्रभूमि के प्रबंधन को शासित करने वाले 'व्यापक उपयोग सिद्धांत' (wide use principle) को निर्धारित करेगा।
- **राष्ट्रीय आर्द्रभूमि समिति का गठन**: यह नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने और केंद्र सरकार की उचित नीतियों और कार्रवाई कार्यक्रमों को आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग के लिए केन्द्रीय आर्द्रभूमि विनियामक प्राधिकरण (सीडब्ल्यूआरए) का स्थान लेगा।
- **इन नियमों में** ठोस अपशिष्ट भण्डारण, उद्योगों, शहरों, कस्बों, गांवों, और अन्य मानव बस्तियों द्वारा आर्द्रभूमियो में प्रवाहित अनुपचारित अपशिष्ट और प्रदूषण पर प्रतिबन्ध शामिल है।
- **प्रतिबंधित गतिविधियां:** उद्योगों की स्थापना, ठोस, इलेक्ट्रॉनिक, खतरनाक और निर्माण सम्बन्धी कचरे के भण्डारण, जानवरों के शिकार, आर्द्रभूमियों का अन्य उद्देश्यों के लिए रूपांतरण, अतिक्रमण और यहां तक कि किसी भी स्थायी संरचना का निर्माण आदि गतिविधियाँ अधिसूचित आर्द्रभूमि क्षेत्र में प्रतिबंधित होंगी।
- **नियमों का अनुपयोग :** ये नियम निम्नलिखित आर्द्रभूमि या आर्द्रभूमि परिसरों पर लागू होंगे, जिनमे:
    - रामसर कन्वेंशन के तहत 'अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि' के रूप में वर्गीकृत आर्द्रभूमि;
    - केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अधिसूचित की जाने वाली आर्द्रभूमि;

संबंधित मुद्दे

- **नियमो का दुरुपयोग:** नए नियम के प्रावधान, राज्य सरकार या केंद्रशासित प्रशासन द्वारा प्राधिकरण की सलाह पर किसी भी (निषिद्ध) गतिविधियों को हटाने के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार मान सकती है, या इसका दुरुपयोग हो सकता है।
- **प्रावधान का न्यूनीकरण:** पर्यावरणविदों का मानना है कि नियमों में विकास और पर्यावरणीय चिंताओं के संतुलन के लेबल (label) के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण को प्राथमिकता दी गयी।
- **आर्द्रभूमि के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ अपील की प्रक्रिया:** 2010 के नियमों के अनुसार, CWRA के फैसले के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अपील दायर कर सकता था। लेकिन 2017 के नए नियम में अपील प्रक्रिया उल्लिखित नहीं है।
- "बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग" की विषयपरक परिभाषा (बुद्धिमानीपूर्वक उपयोग को स्थायी उपयोगों के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया है जो संरक्षण के साथ संगत है) जो कि राज्य आर्द्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किये गए हैं।
- **राज्यों का खराब रिकार्ड :** आर्द्रभूमि की पहचान और अधिसूचित करने की जिम्मेदारी राज्यों को दी गई है, जो पहले से ही पुरानी आर्द्रभूमि को संरक्षित नहीं कर पाए हैं तथा पुराने नियमों को लागू करने में पीछे हैं।

महत्व

- आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन में किए गए संकल्पों को पूरा करने की दिशा में यह एक कदम है, जिस का भारत एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।
- नए नियम में, राज्य सरकारों को शक्तियां दी गई हैं ताकि आर्द्रभूमियों को स्थानीय स्तर पर सुरक्षा और संरक्षण सम्बन्धी कार्य किया जा सके।

जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (NPCA) के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना

- आर्द्रभूमियों और झीलों के संरक्षण के लिए, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा दो अलग-अलग केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (CSS) क्रियान्वित की जा रही हैं। जिनके नाम **राष्टीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम (NWCP)** और **राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना (NLCP)** है।
- NPCA को ओवरलैप से बचने, बेहतर सहयोग को बढ़ावा देने और संरक्षण / प्रबंधन कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था।

NPCA का उद्देश्य संवहनीय संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से जलीय पारिस्थितिक तंत्र (झीलों एवं आर्द्रभूमियों) का संरक्षण करना और एक समान नीति और दिशा-निर्देशों के उपयोग के साथ शासित करना है।

VISION IAS

आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन

- 1971 में ईरान के रामसर शहर, में हस्ताक्षरित कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ,आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर्सरकारी संधि है। भारत इस संधि का एक सदस्य है।
- यह आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण एवं बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग पर राष्ट्रीय कार्ययोजना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए ढांचा प्रदान करता है।

कन्वेंशन के सदस्य देशों के प्रमुख दायित्व हैं:

- अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाली आर्द्रभूमि को सूची में शामिल किए जाने हेतु आर्द्रभूमियों की पहचान करना।
- जहां तक संभव हो, उनके क्षेत्र में स्थित आर्द्रभूमियों का बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना।
- सीमापारीय आर्द्रभूमियों(transboundary wetlands), साझा जल तंत्रों और साझा प्रजातियों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
- आर्द्रभूमि संरक्षण क्षेत्र की स्थापना करना।

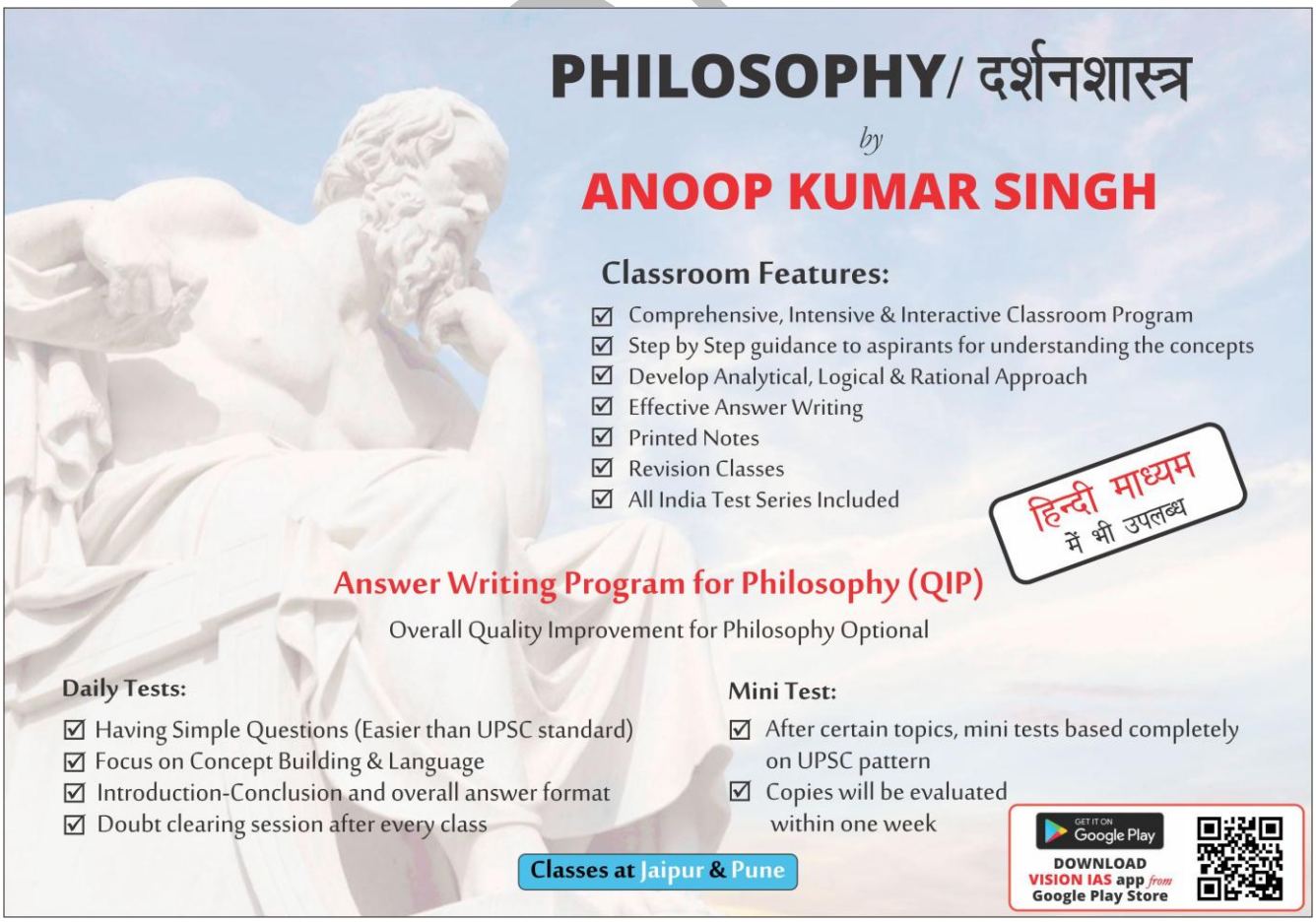

6. विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी

(SCIENCE AND TECHNOLOGY)

6.1. हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन

(Hospital Acquired Infections)

सुर्खियों में क्यों?

- गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 84 बच्चों की मौत, फर्रुखाबाद में 49 मौतों तथा मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में 24 बच्चों की मौत की त्रासदी ने, भारत की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन (HAI) के सन्दर्भ में गंभीर चिंताओं को जन्म दिया है।

इंटरनेशनल नोसोकोमिअल इन्फेक्शन कंट्रोल कंसोर्टियम एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन है जो स्वास्थ्य संबंधी संक्रमण को रोकने के लिए कार्य करता है।

हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या है?

- इसे अस्पताल में उत्पन्न होने वाला संक्रमण (नोसोकोमिअल इन्फेक्शन) भी कहा जाता है। अस्पताल परिसर में भर्ती होने वाले मरीज़ HAI के शिकार हो जाते हैं।
- जब तक गोरखपुर त्रासदी जैसी महामारी की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक आम तौर पर यह समस्या अनदेखी रह जाती है।

भारत में वर्तमान स्थिति

- हालाँकि इसे भारत में हेल्थकेयर सिस्टम द्वारा अनदेखा कर दिया जाता है तथापि इंटरनेशनल नोसोकोमियल इन्फेक्शन कण्ट्रोल कंसोर्टियम द्वारा 2015 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यह स्वास्थ्य क्षेत्र की एक गंभीर समस्या है।
- ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अन्य अध्ययन में इंगित किया गया है कि भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य से संबंधित संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है। एक अनुमान के अनुसार भारत में प्रति 100 मरीजों पर 15.5 व्यक्ति इन संक्रमणों का शिकार होते हैं, जोकि यूरोप और अमेरिका के स्तर से दोगुने से भी ज्यादा है।
- स्वास्थ्य उपलब्धियों को प्राप्त ना कर पाने के कारण ही भारत "गुड वेल बीइंग एंड हेल्थ" के सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (MDG) को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है।
- भारत में मरीज़ की सुरक्षा, अपशिष्ट निपटान तथा अन्य मानकों के सन्दर्भ में अस्पताल प्रक्रियाओं से सम्बंधित विभिन्न दिशानिर्देश उपस्थित हैं। हालाँकि आमतौर पर इनका पालन नहीं किया जाता।

HAI के कारण

- **उचित उपकरणों का अभाव:** इसमें गोरखपुर त्रासदी के मामले की भाँति ऑक्सीजन सिलेंडर जैसे क्लिनिकल और गैर-क्लिनिकल दोनों ही प्रकार के उपकरण शामिल हैं। इससे उपचार के अनुचित तरीकों में वृद्धि होती है उदाहरण के लिए एक ही इन्क्यूबेटर में दो शिशुओं को रखना। CAG के अनुसार, क्लिनिकल उपकरणों में 27.21% की कमी तथा नॉन-क्लिनिकल उपकरणों में 56.33% की कमी व्याप्त है।
- **मूलभूत संक्रमण नियंत्रण उपायों की उचित जानकारी न होने के साथ ही इन्हें गंभीरता पूर्वक न अपनाना:** इसके अंतर्गत अस्पताल परिसर में सफाई का अभाव, आगंतुक हेतु पृथक कुर्सी की व्यवस्था ना होना तथा इंटेंसिव केयर यूनिट्स (ICU) में मुलाकात के संबंध में कठोर नियमों का अभाव शामिल हैं।
- **खराब अवसंरचना:** ख़राब अवसंरचना से संबंधित प्रमुख समस्याओं में मरीजों के लिए उचित बिस्तर तथा आगंतुकों और मरीजों के लिए पृथक और असंक्रमित शौचालय की व्यवस्था का अभाव सम्मिलित है।
- **स्टाफ की अनुपलब्धता और रोगियों की अत्यधिक संख्या (अंडरस्टाफिंग एंड ओवरक्राउडिंग):** यह अस्पतालों द्वारा मूलभूत स्वच्छता मानकों का अनुपालन ना किए जाने हेतु उत्तरदायी मूल कारणों में से एक है।
- **प्रक्रिया का अभाव**: संक्रमित रोगियों के उपचार हेतु मानक प्रक्रिया का अभाव होना। इससे HAI का जोखिम अधिक गंभीर हो जाता है।
- **इंजेक्शन और रक्त आधान संबंधी सुरक्षा उपायों का पर्याप्त ज्ञान ना होना**: इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक उचित प्रशिक्षण का अभाव होने के कारण HIV और हेपेटाइटिस बी जैसे रोगों के संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा, भारत में (विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में) नीमहकीमी व झोलाछाप डॉक्टर अत्यधिक प्रचलित हैं। इन सब के कारण संक्रमण की समस्या बढ़ जाती है।
- **पर्यावरणीय स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान तंत्र का अभाव:** गर्भपात के उपरांत भ्रूण को तथा अस्पताल के अपशिष्ट को जल निकायों के निकट फेंके जाने की कई घटनाएँ सामने आई हैं। कचरे का उचित निपटान ना होने से न केवल HAI की संभावना बढ़ जाती है बल्कि यह पर्यावरण हेतु भी एक संकट बन जाता है।
- **स्थानीय और राष्ट्रीय दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति:** अस्पताल के रखरखाव, मान्यता और कानूनों से सम्बंधित उचित दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति रोगियों के लिए खतरे को बढ़ा देती है।

VISION IAS

- **आक्रामक एंटीबायोटिक दवाओं और उपकरणों का दीर्घकालीन एवं अनुचित उपयोग:** भारत में तीसरी और चौथी पीढ़ी की एंटीबायोटिक दवाओं जैसे सेफलोस्पोरिन और कार्बापेनम के प्रति रोगाणुओं में प्रतिरोध विकसित होने के लक्षण पाए गए हैं। इससे मरीजों का इलाज मुश्किल हो जाता है।
- प्रतिरक्षा-दमन तथा रोगी की अन्य गंभीर अंतर्निहित स्थितियां।
- मानक तथा पृथक्करण प्रक्रियाओं का उचित अनुपालन ना होना।

निहितार्थ

- रोगियों को अतिरिक्त कष्ट उठाना पड़ता है और उनके परिवारों को ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है।
- यह अस्पताल में अधिक दिनों तक भर्ती रहने की अनिवार्यता को जन्म देता है और दीर्घकालिक विकलांगता को जन्म देता है।
- एंटीमाइक्रोबिअल रेजिस्टेंस (प्रतिसूक्ष्मजीवी प्रतिरोध) को बढ़ाता है।
- स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की लागत में वृद्धि करता है और अनावश्यक मौतों का कारण बनता है।

आगे की राह

- **स्थानीय कारकों की पहचान-** HAI की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए अस्पताल के पास एक निर्धारित प्रोटोकॉल होना चाहिए।
- **रिपोर्टिंग और निगरानी प्रणाली में सुधार:** स्वास्थ्य राज्यसूची का विषय है, लेकिन सरकार को HAI के लिए राष्ट्रीय निगरानी योजना के निर्माण संबंधी प्रयास करने चाहिए।
- निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों पर **संक्रमण नियंत्रण के लिए मानक प्रक्रियाओं का** पालन किया जाना चाहिए। हालाँकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसके लिए कार्यशालाएँ सृजित करती है लेकिन मानकीकरण की कमी के कारण व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।
- अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा हाथों को स्वच्छ रखने जैसे मानकों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- **स्टाफ की शिक्षा और उत्तरदायित्व में सुधार:** नाजुक स्थिति वाले रोगियों की देखभाल के तरीकों की बेहतर समझ देने हेतु अस्पतालों के सभी कर्मचारियों विशेष रूप से अनौपचारिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं जैसे नर्सों एवं नीम हकीमों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यह मरीजो के स्वास्थ्य संबंधी प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।
- झोला छाप डॉक्टरों/ नीमहकीमों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और कानूनों का निर्माण कर उन्हें उपचार करने से रोकना चाहिए क्योंकि वे प्रशिक्षित नहीं हैं।
- HAI की समयबद्ध जानकारी हेतु रोगियों और उनके परिवारों के लिए जागरूकता अभियान आयोजित किए जाने चाहिए।
- इन्फ्लूएंजा और अन्य संचारी रोगों के लिए टीकाकरण और कर्मचारियों का टीकाकरण अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए।
- एंटीबायोटिक्स को केवल प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के रूप में ही बेचा जाना चाहिए। भारत का रेड लाइन अभियान इस दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है।
- एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस से निपटने हेतु भारत ने नीतिगत मोर्चे पर पर्याप्त काम किया है। हालांकि, हमें उन नीतियों को लागू करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाना चाहिए।
- यह सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से किया जा सकता है। इससे अपर्याप्त वित्तपोषण और मानव संसाधन के अभाव की समस्या का भी समाधान होगा।
- अस्पतालों द्वारा मानक उपचार प्रक्रियाओं, अपशिष्ट निपटान के तरीकों और अन्य प्रोटोकॉल का पालन न करने के संबंध में उन्हें जवाबदेह बनाया जाना चाहिए और उन पर इनके उल्लंघन हेतु पर्याप्त जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
- इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने प्रस्ताव दिया है कि सभी सरकारी अस्पतालों को निजी अस्पतालों की तरह NABH से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- रक्त आधान के लिए एकत्र किए गए रक्त के सभी नमूनों का परीक्षण होना चाहिए। HIV संक्रमण को कम करने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) अनिवार्य होना चाहिए। NAT से 11 दिनों से दो सप्ताह तक की अवधि में हुए HIV संक्रमण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जबकि वर्तमान में प्रयुक्त एलिसा छः सप्ताह अथवा 30 से 40 दिनों की अवधि में हुए संक्रमण का पता लगा सकता है।

6.2. HIV का माँ से शिशु तक संचरण

(Mother-to-Child Transmission of HIV)

पृष्ठभूमि

- किसी HIV पॉजिटिव माँ से शिशु को गर्भावस्था, प्रसव अथवा स्तनपान के दौरान संचारित होने वाला HIV *मदर-टू-चाइल्ड-ट्रांसमिशन* (MTCT) कहलाता है।
- NACO *टेक्निकल एस्टीमेट रिपोर्ट* (2015) के अनुमान के अनुसार भारत में एक वर्ष में 2.9 करोड़ गर्भधारण होते हैं जिनमें से 35,255 HIV पॉजिटिव गर्भवती महिलाएं रहती हैं। किसी प्रकार के चिकित्सीय हस्तक्षेप के बिना एक वर्ष में 10,361 संक्रमित शिशुओं के जन्म होने की संभावनाएं हैं।
- हालांकि, NACO द्वारा यह पाया गया कि इस आंकड़े को कम करके 2030 तक 2% तक लाया जा सकता है, जिसे वैश्विक मानकों के अनुसार इसका उन्मूलन स्तर माना जाता है।
- UNAIDS रिपोर्ट के अनुसार, भारत उन दस देशों में से एक है जहाँ AIDS के 95% मामले पाए गए हैं। HIV/AIDS के नए मामलों का उन्मूलन MTCT के निवारण (*प्रिवेंशन ऑफ़ MTCT*:PMTCT) से भी किया जा सकता है।

- SDG का लक्ष्य 3 निम्न बिन्दुओं पर भी बल देता है:
  - नवजात शिशु में होने वाले HIV संक्रमण की संख्या 90% तक कम करना।
  - HIV सम्बंधित मातृ मृत्यु को 50% तक कम करना।
- इस प्रकार सरकार के लिए HIV/AIDS के MTCT को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाना आवश्यक है।

MTCT

- MTCT मामलों में हस्तक्षेप में शामिल हैं –
  - माँ के लिए **एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट** तथा शिशु के लिए एंटीरेट्रोवायरल ड्रग का एक छोटा कोर्स।
  - माँ के लिए **परामर्श तथा मनोवैज्ञानिक सहायता** जिससे बच्चों को संक्रमण से बचाया जा सके।
- PMTCT के प्रति **WHO का व्यापक दृष्टिकोण**:
  - सभी गर्भवती तथा स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को आजीवन *असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़* (ART) प्रदान करना।
  - MTCT के जोखिम काल के दौरान उन महिलाओं को ART प्रदान करना तथा उसे आजीवन जारी रखना।
  - प्रसव की उम्र में महिलाओं में नए HIV संक्रमण को रोकना।
  - HIV संक्रमित महिलाओं में अनैच्छिक गर्भधारण को रोकना।
- **भारत में उठाये जा रहे कदम::**
  - भारत में पहले, '*सिंगल डोज़ थेरेपी*' दी जाती थी जिसमें जन्म के 72 घंटे बाद ART दिया जाता था। हालाँकि, अब WHO की अनुशंसा के अनुसार *मल्टीड्रग थेरेपी* को अपना लिया गया है ।
  - **मल्टीड्रग थेरेपी (बहुऔषधीय उपचार)** तीन दवाओं - *टेनोफोविर, लैमीवुडीन तथा इफावरेन्ज* (TLE) का एक संयोजन है जिसे संक्रमित माँ को आजीवन लेना होता है जबकि एक दवा *नेविरेपीन* को नवजात को केवल छः हफ़्तों तक दिया जाता है।
  - **2002** में माता-पिता से बच्चों में HIV/AIDS के संक्रमण की रोकथाम (*प्रिवेंशन ऑफ़ पैरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ़ HIV/AIDS*: PPTCT) कार्यक्रम की शुरुआत की गयी। अभी तक 20,756 एकीकृत परामर्श तथा जांच केन्द्रों को इस कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया है।
  - PPTCT कार्यक्रम में मल्टीड्रग थेरेपी भी दी जाती है।

आगे की राह

- भारत की विशाल आबादी के कारण स्वास्थ्यसेवा कर्मियों के सामने सभी गर्भवती महिलाओं तथा प्रसवपूर्व देखभाल के लिए पंजीकरण में अत्यधिक देरी कर चुकी महिलाओं तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती है।
- NACO के अनुसार, 2.9 करोड़ में से मात्र 52.7% गर्भवती महिलाएं कुशल देखभाल प्राप्त करने का प्रयास करती हैं।
- ICDS, जननी शिशु योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ शिशु सुरक्षा योजना आदि द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे अपनी नज़दीकी चिकित्सा केंद्रों पर जाकर स्वयं को पंजीकृत करवाएं। यह संक्रमित गर्भवती महिलाओं की पहचान करने में मदद करेगा।
- महिलाओं को सलाह दी जानी चाहिए कि वे शिशु को केवल छह माह तक स्तन पान कराएं। सरकार को ऐसी महिलाओं को सहायता देनी चाहिए ताकि अनुदान की मदद से शिशुओं की आधारभूत पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जा सकें।
- HIV संक्रमित महिलाओं में C-सेक्शन द्वारा प्रसव को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि सामान्य प्रसव में बच्चों के संक्रमण के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है।
- हाल ही में पाया गया कि ART किट्स का अभाव था तथा छोटे बच्चे सर्वाधिक बुरी तरह प्रभावित थे। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं के लिए ART किट्स की आपूर्ति उपलब्ध हो।
- भारतीय दवा कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे दवाओं की सस्ती तथा निरंतर आपूर्ति के लिए अनुसन्धान तथा विकास करें।

राष्ट्रीय AIDS नियंत्रण संगठन (नेशनल AIDS कण्ट्रोल आर्गेनाइजेशन: NACO)

यह संगठन स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य HIV/AIDS के निवारण तथा नियंत्रण के लिए नीति निर्माण तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना है।

6.3. 5G

(5G)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- सरकार ने 2020 तक देश में 5G को अपनाने की रणनीति बनाने तथा उसके लिए रोडमैप का मूल्यांकन करने हेतु एक उच्च स्तरीय फोरम स्थापित किया है।

5G क्या है?

- 5G एक वायरलेस संचार प्रौद्योगिकी है। यह 4G LTE नेटवर्क के बाद अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी है।
- 5G के लिए अंतिम मानक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा स्थापित किये जाएँगे।

5G के लाभ

- डिजिटल आर्थिक नीति पर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (आर्गेनाइजेशन फॉर इकनोमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट: OECD) समिति के अनुसार, 5G प्रौद्योगिकी अपनाने से GDP में वृद्धि होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को डिजिटाइज़ करने में मदद मिलेगी।
- 5G प्रौद्योगिकी अबतक की तुलना में अधिक अपलोड और डाउनलोड स्पीड प्रदान करेगी। यह क्लाउड सिस्टम को सॉफ़्टवेयर अपडेट, संगीत और चालक-रहित कारों में नेविगेशन डेटा को स्ट्रीम करने में सहायता करेगी। दूसरे शब्दों में, यह हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने में सहायता करेगी।
- यह स्मार्ट डिवाइसों को डेटा का आदान-प्रदान करने में सक्षम बनाएगी जिससे इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स (IOT) के लिए परिवेश निर्मित हो सकेगा।

Comparison

Technology / Features	*1G*	*2/2.5G*	*3G*	*4G*	*5G*
Start/ Deployment	1970/ 1984	1980/ 1999	1990/ 2002	2000/ 2010	2010/ 2015
Data Bandwidth	2 kbps	14.4-64 kbps	2 Mbps	200 Mbps to 1 Gbps for low mobility	1 Gbps and higher
Standards	AMPS	2G: TDMA, CDMA, GSM 2.5G: GPRS, EDGE,1xRTT	WCDMA, CDMA-2000	Single unified standard	Single unified standard
Technology	Analog cellular technology	Digital cellular technology	Broad bandwidth CDMA, IP technology	Unified IP and seamless combination of broadband, LAN/WAN/	Unified IP and seamless combination of broadband,

चुनौतियाँ

- भारत में 5G को अपनाने हेतु आवश्यक सशक्त बैकहॉल का अभाव है। बैकहॉल एक ऐसा नेटवर्क है जो सेल साइट्स को सेंट्रल एक्सचेंज से जोड़ता है। अब तक 80% सेल साइट माइक्रोवेव बैकहॉल के माध्यम से जुड़ी हुई हैं, जबकि फाइबर के माध्यम से जुड़ी साइट्स की संख्या 20% से भी कम हैं। माइक्रोवेव बैकहॉल के साथ बैंडविड्थ से सम्बंधित समस्याएँ जुड़ी हैं क्योंकि यह पारम्परिक बैंड्स का प्रयोग करता है जबकि फाइबर कम विलंबता और असीमित क्षमता (5G के लिए एक शर्त) प्रदान करता है।
- भारतीय बाजार अभी तक पूरी तरह से 4G के अनुकूल भी नहीं हुआ है और यह AI क्रांति के लिए तैयार नहीं है।

फोरम का महत्त्व

- 5G को अपनाने का यह कदम कंपनियों को 5G प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों के निर्माण तथा डिजाईन हेतु प्रेरित करेगा। अतः 5G से सम्बंधित कुछ बुनियादी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विकास हेतु इस फोरम की आवश्यकता है।
- 5G प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, सरकार का उद्देश्य पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में 10 GBPS और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 GBPS ब्रॉडबैंड की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करना है।
- घरेलू दूरसंचार विनिर्माण बाजार को मजबूत करके यह स्थानीय निर्माण उद्योग को घरेलू बाजार का 50 प्रतिशत और वैश्विक बाजार का 10 प्रतिशत हासिल करने में सक्षम बनाएगा।

आगे की राह

- 5G को निर्विघ्न रूप से अपनाने के लिए बैकहॉल के फाइबराइज़ेशन की महती आवश्यकता है।
- स्पेक्ट्रम लाइसेंसिंग प्रणाली को ओवरहाल करने के लिए विनियामक मुद्दों पर दोबारा गौर किया जाना चाहिए।
- 5G को अपनाने हेतु तैयार होने के लिए यह आवश्यक है की 5G सक्षम प्रौद्योगिकी को बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाए।

6.4. भारत क्वांटम कम्प्यूटिंग की दौड़ में शामिल

(India Joins Quantum Computing RACE)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग क्वांटम कम्प्यूटरों को विकसित करने के लिए एक परियोजना का निधीयन करने की योजना बना रहा है।

क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है?

- क्लासिकल कंप्यूटर में, सूचना बाइनरी यूनिट्स या *बिट्स* का उपयोग कर संग्रहित की जाती है। बिट या तो 0 या 1 होता है। क्वांटम कंप्यूटर *क्वांटम बिट्स* या *क्यूबिट्स* का उपयोग कर सूचना को प्रोसेस करने के लिए क्वांटम मैकेनिकल गुणों का लाभ उठाता है।
- एक *क्यूबिट* (qubit) एक ही समय में दोनों 0 या 1, या 0 और 1 के बीच की संख्याओं की कोई भी श्रेणी हो सकती है।
- वे क्वांटम भौतिकी के दो प्रमुख सिद्धांतों के अनुसार कार्य करते हैं: ***सुपरपोजिशन*** और ***एनटैंगलमेंट***।
- **सुपरपोजिशन** का अर्थ है कि प्रत्येक क्यूबिट एक ही समय में 1 और एक 0 दोनों को दर्शा सकता है।

- **एनटैंगलमेंट** का अर्थ है कि एक सुपरपोजिशन में क्यूबिट्स एक दूसरे के साथ सह-संबद्ध हो सकते हैं; अर्थात्, एक की स्थिति (चाहे वह 1 हो या 0) दूसरे की स्थिति पर निर्भर कर सकती है।
- इन दो सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, क्युबिट्स अधिक परिष्कृत स्विच के रूप में कार्य कर सकते हैं, तथा ये क्वांटम कंप्यूटर को उन तरीकों से कार्य करने में सक्षम बना सकते हैं जिससे अपेक्षाकृत अधिक कठिन समस्याओं का समाधान किया जा सके। ये समस्याएं वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर हल नहीं कर सकते।
- एक क्वांटम कंप्यूटर की कंप्यूटिंग पावर में क्यूबिट्स बढ़ने के साथ-साथ चरघातांकी वृद्धि होती है।

क्वांटम कम्प्यूटिंग के उपयोग

- **दवा और जैविक पदार्थों के क्षेत्र में अनुसंधान-** यह क्लासिकल कंप्यूटर की तुलना में अधिक तेज़ी से शोधकर्ताओं की नयी सामग्रियों का परीक्षण करने में मदद करेगा। यह देखा गया है कि एक परंपरागत मशीन की तुलना में क्वांटम कंप्यूटरों को 3.5 लाख कम चरणों की आवश्यकता होगी।
  - IBM ने हाल ही में एक शोध पत्र प्रकाशित किया है जिसमें इसने क्वांटम कंप्यूटर पर अणुओं को अनुकरण (सिमुलेट) करने का नया तरीका विकसित किया है।
- **आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स** - यह अत्यधिक प्रभावी लॉजिस्टिक्स और कुशल डिलीवरी व्यवस्था की खोज के माध्यम से बेहतर समाधान खोजने में सक्षम होगा।
- **वित्तीय सेवाएं-** यह वित्तीय डेटा को संसाधित करने और विश्वव्यापी निवेश में वैश्विक जोखिम कारक को कम करने के लिए बेहतर मॉडल ढूंढने में भी मदद करेगा।
- ***आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस*** **(AI)**- यह इमेज या वीडियो जैसे जटिल डेटा का तेजी से प्रसंस्करण करके AI के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगा।
- **तेज़ संचार** - यह जटिल *सिक्यूरिटी कीज़* को अत्यंत सरल तरीके से *डिकोड* करने में मदद करेगा।

चुनौतियाँ

- क्वांटम कंप्यूटिंग आसानी से और बहुत तेज़ी से सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करके विश्व के एन्क्रिप्टेड डेटा को डिकोड और क्रैक करने की क्षमता रखती है। यह राष्ट्रों के डेटा और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरे उत्पन्न करेगी।
- वर्तमान में, शोधकर्ताओं ने एक ऐसा सिस्टम विकसित करने में **हार्डवेयर सम्बन्धी कठिनाइयों** का भी उल्लेख किया है जैसे कि सिलिकॉन परमाणुओं से बनाये जाने वाले क्यूबिट्स शून्य डिग्री केल्विन जितने अत्यधिक कम तापमान पर काम करते हैं।
- मौजूदा क्वांटम कंप्यूटर्स के साथ मुद्दा यह है कि जैसे-जैसे विश्लेषित किये जा रहे अणु का आकार बढ़ता है, इन कंप्यूटर्स में त्रुटियाँ आने लगती हैं।

6.5. पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी

(Biotechnology in North East Region)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- हाल ही में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी विभाग (*डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी:* DBT) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (*नॉर्थईस्ट रीजन:* NER) में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव लाने के लिए कई कार्यक्रमों और अभियानों की एक श्रृंखला की घोषणा की है।

पृष्ठभूमि

- NER विश्व के ***बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स*** (जैवविविधता तप्तस्थलों) में से एक है। इस क्षेत्र की अद्वितीय **जैव-भौगोलिक स्थिति,** कृषि और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान, फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान आदि जैसी अन्य गतिविधियों के विकास के लिए इस क्षेत्र को अत्यधिक संभावनाएँ प्रदान करती है। इस प्रकार इस क्षेत्र के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है।
- NER की क्षमता का फायदा उठाने के इस प्रयास में DBT, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास कार्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है जो स्थानिक प्रजातियों के लिए अत्यधिक लाभप्रद पेटेंट प्राप्त करने में मदद करेगा।
- 2009-10 में DBT ने NER में 180 करोड़ रुपये के वार्षिक निवेश के साथ जैव प्रौद्योगिकी गतिविधियों के समन्वय और प्रचार के लिए ***नॉर्थईस्टर्न रीजन- बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम मैनेजमेंट सेल:*** (NER-BPMC) की स्थापना की थी। DBT ने NER के लिए बजट का 10% भी निर्धारित किया।
- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप NER उन्नत तकनीकी युक्त, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र बन गया है और साथ ही इस क्षेत्र में नवाचार और उद्यमशीलता में वृद्धि हुई है।

DBT द्वारा आरम्भ किए गए हालिया कार्यक्रम और मिशन

फाइटो-फार्मा प्लांट मिशन

- यह मिशन लुप्तप्राय और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करेगा।

- इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं:
  - NER के **चयनित औषधीय पौधों की कैप्टिव कल्टीवेशन** जो कि औषध उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
  - निर्यात बाजार के लिए अच्छे विनिर्माण ग्रेड के औषधीय पौधों के अर्क के लिए **पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का विकास**।
  - **वैश्विक मानकों** के अनुरूप आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सु**रक्षित प्रभावशाली फाइटो-फार्मास्यूटिकल दवाओं का उत्पादन**।

ब्रह्मपुत्र बायोडाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी बोट (B4)

- विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप और भारत के पहले द्वीप जिले- माजुली के संरक्षण की दिशा में एक प्रयास- B4 प्रोग्राम को DONER के सहयोग से आरम्भ किया गया है।
- माजुली **अत्यधिक अपरदन** के कारण गंभीर खतरे में है। इसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग किलोमीटर से संकुचित होकर वर्तमान में केवल 500 वर्ग किलोमीटर रह गया है ।
- इस कार्यक्रम के तहत, बड़ी नौकाओं को नदी में स्थापित किया जाएगा जिसमें नमूने एकत्र करने के लिए **कोल्ड स्टोरेज** सुविधा के साथ ही भलीभांति **सुसज्जित प्रयोगशाला** होगी। इसके साथ ही सैटेलाइट नावें और छोटी नौकाएं भी होंगी जो नदी से नमूने एकत्रित करेंगी।
- यह प्रयोगशाला संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के सभी घटकों पर निगरानी रखने में मदद करेगी, इस प्रकार यह विभिन्न **पर्यावरणीय और नृविज्ञान कारकों** के नदी पर पड़ने वाले प्रभाव पर निरंतर निगरानी रखेगी और साथ ही और इन प्रभावों का शमन भी करेगी।

मानव संसाधन कौशल कार्यक्रम

- **ट्विनिंग R&D प्रोग्राम (Twinning R&D Program)** - इस कार्यक्रम के तहत DBT ने देश के शेष हिस्सों के साथ NER में लिंक इंस्टिट्यूट्स की स्थापना आरम्भ की है। इसके परिणामस्वरूप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में छात्रों को 252 शोध प्रकाशन और 600 जूनियर और सीनियर फेलोशिप प्रदान की जा रही हैं ।
- स्कूल स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए ***बायोटेक्नोलॉजी लैब्स इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स*** (BLiSS) प्रोग्राम।
- जैव सूचना विज्ञान केंद्र - जीनोमिक्स, प्रोटिओमिक्स और डेटा विश्लेषण पर शोध करने के लिए 30 केंद्र स्थापित किए गए हैं।
- **बायोटेक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोग्राम**- बायोटेक के विद्यार्थियों को कौशल विकास के लिए उद्योग-विशिष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने और बायोटेक उद्योग में उनके लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु यह प्रोग्राम-आरम्भ किया गया है। इससे बायोटेक इंडस्ट्री के लिए उपयुक्त जनशक्ति बनाने में मदद मिलेगी और प्रशिक्षुओं को भी पारितोषिक प्रदान किया जाएगा ।
- **DBT ई-लाइब्रेरी कंसोर्टियम** (DeLCON) - यह जनवरी 2009 से संचालित हो रहा एक अनन्य *इलेक्ट्रॉनिक जर्नल कंसोर्टियम* है, जो छात्रों को विश्व स्तर की पत्रिकाओं और प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करता है। वर्तमान में 16 DBT संस्थान और 18 NER संस्थान 900 से भी अधिक हाई इम्पैक्ट जर्नल्स तक पहुंच प्रदान करते हैं।

बुनियादी ढांचा और रिसोर्स बाइंडिंग

- विभिन्न संस्थानों में 126 बायोटेक केन्द्रों की स्थापना के द्वारा **बुनियादी ढांचागत सहायता** प्रदान की गई है।
- **डिब्रूगढ़ के *रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर*** (RMRC) **की *एनिमल हाउस फैसिलिटी***, को 45 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है, जिसका प्रयोग NER के सभी बायोमेडिकल फैसिलिटीज़ द्वारा रोग जीवविज्ञान, मॉलिक्यूलर मेडिसिन,, वैक्सीनोलॉजी और फार्माकोलोजी के महत्वपूर्ण पशु प्रयोगों हेतु किया जा सकता है।
- NER से विदेशी और जूनोटिक (zoonotic) रोगजनकों की निगरानी और नियंत्रण के लिए **एडवांस एनिमल डिजीज डायग्नोस्टिक एंड मैनेजमेंट कंसोर्टियम** (ADMaC) भी संचालित किया जा रहा है।
- **DBT** ने NER की अतिसंवेदनशील पारिस्थितिकी के संरक्षण के लिए IISC, NCBS, और UAS बंगलौर के सहयोग से NER की रासायनिक पारिस्थितिकी पर एक प्रमुख नेटवर्क प्रोग्राम-भी लॉन्च किया है।
- DBT NER-सुगंधित चावल और NER-केला के विकास के लिए भी योजना बना रहा है।

6.6. पंडित दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना

(Pt. Deen Dayal Upadhayay Vigyan Gram Sankul Pariyojana)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तराखंड में पं० दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना की शुरुआत की।

पं० दीन दयाल उपाध्याय विज्ञान ग्राम संकुल परियोजना के बारे में

- इस योजना के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ग्राम समूहों (संकुलों) को गोद लेगा व उन्हें समयबद्ध ढंग से स्व-संधारणीय (self-sustainable) इकाई के रूप में विकसित करेगा।
- इसके अंतर्गत स्थानीय संसाधनों और मानव शक्ति (manpower) का प्रयोग किया जाएगा जिससे स्थानीय रूप से उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य संवर्धन किया जा सकेगा।
- अब तक चार संकुलों की पहचान की जा चुकी है- गैंडीखाता, बजीरा, भिगुन (गढ़वाल), कौसानी (कुमाऊँ)। एक बार मंजूरी मिलने के पश्चात इनका आगे भी विस्तार किया जाएगा।

- इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जाएगा:
  - दूध, शहद, मशरूम, हर्बल चाय की बागवानी एवं वन उत्पादों आदि का प्रसंस्करण तथा मूल्य संवर्धन।
  - उत्तराखंड के परंपरागत हस्तशिल्प।
  - धूप में सुखाने (solar drying) के माध्यम से कीवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, तुलसी आदि का फसल-पश्चात् प्रसंस्करण।
  - कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी द्वारा खूबानी (एक फल) का निष्कर्षण।
  - उर्जा और जल संरक्षण के लिए उत्पाद और प्रक्रिया के नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6.7. आर्टिफिशियल लीफ

(Artificial Leaf)

सुर्ख़ियों में क्यों?

CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आर्टिफिशियल लीफ (कृत्रिम पत्ता) बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर जल से हाइड्रोजन ईंधन उत्पन्न करता है।

CSIR

- काउंसिल ऑफ़ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 1942 में स्थापित भारत का राष्ट्रीय स्तर का अग्रणी अनुसन्धान व विकास संगठन है।
- यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत संस्था के रूप में कार्य करता है और मुख्य रूप से विज्ञान व प्रोद्योगिकी मंत्रालय के अधीन आता है।
- भारत के प्रधानमंत्री CSIR के पदेन अध्यक्ष हैं।

क्रियाविधि

- यह आर्टिफिशियल लीफ अपने आप में एक अत्यधिक महीन वायरलेस डिवाइस है जिसमें अर्धचालकों को कुछ इस तरह से जोड़ा गया है कि यह पत्तों की प्राकृतिक प्रणाली की नकल करने में सक्षम है।
- जब दृश्य प्रकाश इन अर्धचालकों पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रान एकल दिशा में गमन करने लगते हैं। इससे विद्युत प्रवाह (electric current) उत्पन्न होता है और तत्काल जल से हाइड्रोजन पृथक हो जाती है।
- हथेली के आकार का एक आर्टिफिशियल लीफ प्रति घंटे छह लीटर हाइड्रोजन ईंधन का उत्पादन करने में सक्षम है जिससे इसके अत्यंत पर्यावरण-अनुकूल होने का पता चलता है।

बायोनिक लीफ जल से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कणों को अलग करने के लिए सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड से तरल ईंधन उत्पादन के लिए हाइड्रोजन खाने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल करता है।

महत्व

- आर्टिफिशियल लीफ हाइड्रोजन उत्पादन के मामले में एक दीर्घकालिक समाधान उपलब्ध करा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन उत्पादन के वर्तमान तरीके अत्यधिक मात्रा में कार्बन-डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं।
- इस प्रकार उत्पादित हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन सेलों को उर्जा देने में किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में उर्जा की प्राप्ति होती है और उप-उत्पाद के रूप में केवल जल बचता है।
- इससे भारत में हरित उर्जा विकास को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इस आर्टिफिशियल लीफ में आगत के रूप में केवल सूर्य के प्रकाश का इस्तेमाल होता है जो भारत में प्रचुरता से उपलब्ध है।
- आने वाले समय में आर्टिफिशियल लीफ से उत्पादित हाइड्रोजन से चलने वाली कार वास्तविकता बन सकती है व इस प्रकार भारत में तुलनात्मक रूप से अधिक हरित परिवहन समाधानों (Greener transport solutions) का मार्ग प्रशस्त होने की सम्भावना है।

6.8. मंकी फीवर

(Monkey Fever)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वैज्ञानिकों ने गोवा के काजू बागानों में बार-बार होने वाले एक बुखार क्यासनूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ (KFD) या "मंकीफीवर" के स्रोत का पता लगाया।

मंकी फीवर के लक्षण

- सिरदर्द के साथ तेज बुखार जिसके बाद नाक, गले और मसूड़ों से खून बहने जैसे हैमरेज से जुड़े लक्षणों का दिखाई देना।
- मांसपेशियों में तनाव, झटके, ऐबसेन्ट रिफ्लेक्सेज़ तथा
- मानसिक परेशानी।

मंकी फीवर क्या है?

- इसका कारण क्यासनूर फॉरेस्ट डिज़ीज़ वायरस (KFDV) है। यह वायरस फ्लाविविरिडी (Flaviviridae) वायरस परिवार का सदस्य है तथा यह येलो फीवर व डेंगू के फैलने के लिए भी जिम्मेदार है।
- सर्वप्रथम 1957 में कर्नाटक के शिमोगा में इसका पता लगाया गया और यह वायरस दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए स्थानिक (endemic) है।
- इसे मंकी फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से काले चेहरे वाले लंगूरो (black-faced langurs) और लाल मुहँ वाले बंदरो (red-faced bonnet monkeys) को संक्रमित करता है तथा उनकी मृत्यु का कारण बनता है। बंदर के मरने के बाद भी KFD वायरस उसके शरीर पर पलने वाले परजीवियों (ticks) के माध्यम से संचारित होता चला जाता है।
- ये परजीवी (Hemaphysalis spinigera) KFDV का भण्डार हैं तथा पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये मानवों में भी इस रोग के संचार हेतु जिम्मेदार हैं।

6.9. जीवन बिंदी

(Jeevan Bindi)

सिंगापुर स्थित एक मार्केटिंग एजेंसी और महाराष्ट्र के एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) ने मिलकर जीवन बिंदी नामक एक सिंदूर बनाया है जिसमें आयोडीन मौजूद है।

अन्तर्निहित मुद्दा

- देश में 7 करोड़ से अधिक लोग घेंघा और आयोडीन की कमी से होने वाले अन्य रोगों से जूझ रहे हैं।
- विभिन्न भू-आकृतिक परिघटनाओं जैसे हिमाच्छादन, बाढ़, नदियों के मार्ग बदलने व वनोन्मूलन आदि के चलते मिट्टी के ऊपरी परत में मौजूद आयोडीन का निक्षालन होता है।
- इसके परिणामस्वरूप आयोडीन की कमी वाली मिट्टी में उपजाई जाने वाली फसलों में भी आयोडीन की कमी रह जाती है। नतीजतन, पशुओं और मानवों के भोजन में भी आयोडीन की कम मात्रा ही पहुँच पाती है।

आयोडीन

- यह एक ट्रेस मिनरल और पोषक तत्व है जो प्राकृतिक रूप से शरीर में पाया जाता है और आसानी से नमक के साथ आबंधित किया जा सकता है।
- मानवों के लिए थाइरॉइड हार्मोन्स की रक्षा हेतु आयोडीन आवश्यक होता है।
- यह कोशिकाओं द्वारा भोजन को उर्जा में बदलने हेतु आवश्यक है।
- इसकी कमी घेंघा, हाइपरथाइरोइडिज़्म, अल्प वृद्धि और मानसिक अक्षमताओं का कारण बनती है।
- स्त्रोत: सीफ़ूड (समुद्री भोजन), डेयरी उत्पाद व अन्य प्रोटीन युक्त भोजन्

नेशनल आयोडीन डेफिशियेंसी डिसऑर्डरस् कण्ट्रोल प्रोग्राम 1992

- इसका उद्देश्य देश में आयोडीन की कमी को 5 प्रतिशत से कम के स्तर तक लेकर आना है।
- घरेलु स्तर पर पर्याप्त रूप से आयोडीन युक्त नमक (15 ppm) का शत-प्रतिशत उपभोग सुनिश्चित करना है।
- पूरे देश में मौजूद खाने योग्य नमक को आयोडीन युक्त बनाना है।

जीवन बिंदी

- यह सामान्य बिंदी का ही चिकित्सकीय रूप से संवर्धित रूप है जिसमें आयोडीन के साथ-साथ गोंदयुक्त आधार दिया गया है।
- यह बिंदी त्वचा द्वारा अवशोषण के माध्यम से प्रतिदिन आवश्यक 100-150 माइक्रोग्राम आयोडीन की मात्रा शरीर तक पहुँचाती है।
- इसका लाभ प्राप्त करने के लिए इसे प्रतिदिन आठ घंटे तक लगाना जरूरी है।
- इस पहल के पूरक के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (CHCs) पर आयोडीन की गोलियाँ भी उपलब्ध करवाई गई हैं।
- यह पहल गर्भवती महिलाओं पर ध्यान केन्द्रित करती है क्योंकि आयोडीन की कमी उन्हीं में सबसे अधिक है और इसी कारण नवजातों में भी प्रदर्शित होती है।

VISION IAS

6.10. चन्द्रयान-1 से प्राप्त आंकड़ों द्वारा चंद्रमा पर विद्यमान जल का मानचित्रण

(Mapping Lunar Water With Data From Chandrayaan -1)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, ब्राउन यूनिवर्सिटी,अमरीका के वैज्ञानिकों ने चन्द्रमा की मिट्टी में सबसे ऊपरी परत में मौजूद जल का पहला मानचित्र बनाया है। यह मानचित्र चंद्रयान-1 द्वारा भेजे गए डाटा पर आधारित है।

इस विषय से सम्बंधित अधिक जानकारी

- वैज्ञानिकों ने बताया कि चंद्रयान-1 द्वारा खोजा गया जल मुख्यतः केवल ध्रुवीय क्षेत्र में केंद्रित न हो कर प्रत्येक स्थान पर उपस्थित है।
- यह भी पाया गया कि जल का संकेन्द्रण 60 डिग्री से कम अक्षांशों पर चंद्र दिवस (lunar day) के दौरान बदलता रहता है, अर्थात् प्रातःकाल एवं सांयकाल के समय नमी तथा मध्याह्न में शुष्कता के बीच 200ppm तक का उतार-चढ़ाव देखा गया है।

चंद्र दिवस (लूनर डे)

- चंद्र दिवस का अर्थ है कि चंद्रमा के सन्दर्भ में पृथ्वी का उसके अक्ष पर एक परिक्रमा पूर्ण करने में लिया गया समय है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक कक्षा पूरी करने के लिए चन्द्रमा द्वारा लिया गया समय भी है।
- एक चंद्र दिवस 27 पृथ्वी दिवस, 7 घंटे, 43 मिनट और 12 सेकंड के बराबर है।
- यह आमतौर पर दो नए चंद्रमाओं के बीच का चरण होता है।

चंद्रयान-1 के बारे में

- भारत द्वारा चंद्रयान-1 का प्रक्षेपण अक्टूबर2009 में PSLV C-11 की सहायता से किया गया था।
- इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य चन्द्रमा का निकट एवं दूर का त्रि-आयामी एटलस तैयार करना तथा चन्द्रमा के रासायनिक, खनिज संगठन और भौगोलिक अवस्थिति का मानचित्रण करना था।
- 2009 में पृथ्वी से संपर्क समाप्त होने के पहले उसने चंद्रमा की लगभग 3400 परिक्रमाएं पूरी की थी।

चंद्रयान-1 द्वारा की गई खोज

- **जल की खोज -** प्रमुख खोज चंद्रमा की सतह पर जल (H2O) और हाइड्रोक्सिल (OH) का पता लगाना था, आंकड़ों ने ध्रुवीय क्षेत्र के निकट बहुतायत मात्रा में जल की मौजूदगी को उजागर किया है।
- **मैग्मा ओशन हाइपोथीसिस (Magma Ocean Hypothesis) -** यह मेग्मा ओशन हाइपोथिसिस की पुष्टि करता है, अर्थात् एक समय चंद्रमा एक बार पूरी तरह पिघला हुआ था। यह जानकारी HySI और TMC की सहायता से प्राप्त की गयी।
- **अपोलो 15 और 17 की लैंडिंग साइट के प्रमाण**- TMC ने अमेरिका के अपोलो-15 और 17 के लैंडिंग से चंद्रमा की सतह पर कुछ विसंगतियां पायी।
- **न्यू स्पिनेल-रिच रॉक (New Spinel-rich Rock)-** TMC, HySI, M3 और SIR2 के आंकड़ों से चन्द्रमा पर दूर-दूर तक के क्षेत्र में नई स्पिनेल समृद्ध चट्टानों के प्रकार का पता लगा है।
- **एक्स-रे संकेतों का पता चला**- कमज़ोर सोलर फ्लेर्स (solar flares) के दौरान C1XS की सहायता से एक्स-रे संकेतों का पता लगा है, इस प्रकार चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन और कैल्शियम की उपस्थिति का संकेत मिलता है।

भारत द्वारा चंद्रयान-1 में निम्नलिखित पेलोड लगाया गया था:

- टेरेन मैपिंग कैमरा (TMC)
- हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजर (HySI)
- लूनर लेजर रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट (LLRI)
- हाई एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर (HEX)
- मून इम्पैक्ट प्रोब(MIP)

VISION IAS

6.11. राष्ट्रव्यापी हैकथॉन # OpenGovDataHack लांच किया गया

(Nation-Wide Hackathon #Opengovdatahack Launched)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी हैकथॉन # 'OpenGovDataHack' लांच किया गया है। इसके तहत युवाओ के नए विचारों एवं प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने और समर्थन करने के उद्देश्य से उन्हें ओपन गवर्नमेंट डेटा के इस्तेमाल से ऐप्स (Apps) या इन्फोग्राफिक्स को विकसित करने में सक्षम बनाया जायेगा।

पृष्ठभूमि

- #OpenGovDataHac एक ऑन-साइट 24hrs चैलेंज है जो 7 केंद्रों पर आयोजित की जायेगी। भाग लेने वाली टीमों को ऐप प्रोटोटाइप और इनफार्मेशन-ग्राफिक्स प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उक्त ऐप्स में से चयनित ऐप्स को आगे विकसित किया जायेगा और विजेताओ को सम्मानित किया जाएगा।
- हैकथॉन का थीम "ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, क्राइम एंड हेल्थ" है।

ओपन गवर्मेंट डाटा(OPEN GOVERNMENT DATA-OGD) प्लेटफार्म

- OGD का विकास राष्ट्रीय सूचना केंद्र (नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर-NIC) द्वारा नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP) 2012 के तहत किया गया है।
- यह एक प्लेटफार्म प्रदान करता है:
  - ओपन डेटा सेट (open data sets) के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस होगा, यह विभागों को वेब आधारित कार्य क्षमता (workflow) प्रदान करता है ताकि वे एक पूर्वनिर्धारित मेटा डेटा(metadata) के माध्यम से अपने डेटासेट (datasets) को प्रकाशित कर सकें।
  - बेहतर दृश्य (Visualisation) उपकरण, उपयोगकर्ता को बेहतर अनुभव और संसाधनों को प्रभावी रूप से खोजने की योग्यता।
  - ब्लॉग, इंफो-ग्राफिक्स, विज़ुअलाइज़ेशन, मोबाइल एवं वेब ऐप्स आदि के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी।
  - यह भविष्य में विभिन्न हैकथॉन, डेटा एकत्रण (data meets),ओपन ऍप चैलेंजेस में सहायक होगा जो सरकारी डेटा का अभिनव तरीकों से प्रयोग करेंगे।
- OGD प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ,गृह मामले, कृषि, राज्य सभा, सांख्यिकी और कार्यक्रम आदि जैसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा पूरक की भूमिका निभाई जा रही है।
- यह प्लेटफार्म नागरिकों को ब्लॉग्स एवं अन्य विभिन्न प्लेटफोर्म्स के माध्यम से भी योगदान करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऐप डेवलपर कम्युनिटी को प्रोत्साहित करने के लिए प्लेटफार्म द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा:
  - 12th प्लान हैकथॉन
  - एक आइडिया की खोज में (In pursuit of an Idea)
  - CMA हैकथॉन आदि।

नेशनल डेटा शेयरिंग एंड एक्सेसिबिलिटी पॉलिसी (NDSAP), 2012

- इस नीति का उद्देश्य सरकार के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध सार्वजनिक निधियों (public funds) के माध्यम से तैयार किए गए डेटा तक सक्रिय एवं खुली पहुंच प्रदान करने के लिए एक सक्षम प्रावधान करना और प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करना है।
- यह नीति सरकार को साझा करने योग्य डेटा ,पढ़ने योग्य (रीडेबल) और मशीन रीडेबल फॉर्म तक पहुंच की सुविधा देती है, इसे उपलब्ध विभिन्न नीतियों, अधिनियमों और नियमों के अंतर्गत एक अखिल भारतीय नेटवर्क ढांचे के भीतर किया जायेगा।
- डेटा शेयरिंग एवं एक्सेसिबिलिटी का सिद्धांत ,खुलेपन, पारदर्शिता, गुणवत्ता, सुरक्षा और मशीन रीडेबल योग्यता पर आधारित है।

6.12. ओसीरिस-रेक्स स्पसेक्राफ्ट

(Osiris-Rex Spacecraft)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, क्षुद्रग्रह बेन्नू पर पहुंचने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए ओसीरिस-रेक्स स्पसेक्राफ्ट को प्रक्षेपित किया गया।

ओसीरिस-रेक्स के बारे मे

- स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन,सिक्योरिटी-रेगोलिथ एक्सप्लोरर (OSIRIS-REx) नासा का पहला मानव रहित **एस्टेराइड सैंपलिंग मिशन** है, जिसे **सितंबर 2016** में प्रक्षेपित किया गया था।
- क्षुद्रग्रह बेन्नु सूर्य के चारों ओर की कक्षा में परिक्रमा करता है लेकिन इसकी कक्षा पृथ्वी की तुलना में अधिक झुकी हुई है। यह पृथ्वी की कक्षा को वर्ष में केवल दो बार पार करता है। इस कारण OSIRIS-REx को क्षुद्रग्रह से होकर गुजरने के लिए अपने मार्ग में समायोजन करना होगा।

क्षुद्रग्रह, मीटियोरॉइड्स,मीटियोर्स, मीटियोराइट्स

क्षुद्रग्रह – क्षुद्रग्रह चट्टानों के छोटे टुकड़े हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। हमारे सौर मंडल में क्षुद्रग्रह मेखला मंगल और बृहस्पति के बीच पाई जाती है।

मीटियोरॉइड्स– जब क्षुद्रग्रह एक-दूसरे से टकराते हैं तो छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन टुकड़ों को **मीटियोरॉइड्स** कहा जाता है।

मीटियोर्स–जब ये **मीटियोरॉइड्स** पृथ्वी के समीप आते हैं और इसके वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे आकाश में प्रकाश की एक चमक के साथ वाष्पित हो जाते हैं। ये **मीटियोर्स** अथवा टूटते तारे कहलाते हैं।

मीटियोराइट्स– जब **मीटियोर्स** पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद भी पूरी तरह से वाष्पित नहीं हो पाते तो उन्हें **मीटियोराइट्स** कहा जाता है।

6.13. कैसिनी मिशन

(Cassini Mission)

सुर्खियों में क्यों?

शनि गृह के लिए भेजा गया **कैसिनी मिशन** की यात्रा समाप्त होने वाली है। यह अक्टूबर में शनि की ओर बढ़कर वातावरण में स्वयं को जला देगा।

कैसिनी के बारे में

- कैसिनी NASA, ESA और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी, एजेन्ज़िया स्पैजियेल इटालियाना के सहयोग से शुरू किया गया एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन है।
- कैसिनी ने 2004 में शनि और इसके वलय एवं उपग्रह तंत्र का पहला नजदीकी अध्ययन शुरू किया। यह शनि की कक्षा में पहला अंतरिक्ष यान था।
- शनि के सबसे बड़े उपग्रह टाइटन के बारे कैसिनी के पर्यवेक्षणों ने वैज्ञानिकों को जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में संकेत दिए है।

6.14. यूरोप ने विश्व की सबसे शक्तिशाली एक्स-रे लेज़र का अनावरण किया

(Europe Unveils World's Most Powerful X-Ray Laser)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में हैम्बर्ग, जर्मनी में विश्व के सबसे शक्तिशाली लेज़र **यूरोपीयन एक्स-रे फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर** (European XFEL) का अनावरण किया गया ।

विवरण

- XFEL जापान की (SACLA) और US की (LCLS) परियोजनाओं, जो पहले से परिचालन में है, के बाद विश्व की तीसरी प्रमुख एक्स-रे लेजर सुविधा है ।
- 3.4 किमी की यह सुविधा भूमिगत सुरंगों की एक श्रृंखला में स्थापित की गई है। जो शून्य से 2 डिग्री अधिक तापमान पर रखी जाती है।

लेज़र : लाइट ऐम्प्लिफिकेशन बाई स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ़ रेडिएशन(LASER)

- यह एक ऐसा उपकरण है जो सुसंगत मोनोक्रैमैटिक लाइट (या अन्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण) की तीव्र बीम उत्पन्न करता है।
- इसका अर्थ यह है कि परंपरागत प्रकाश के विपरीत, लेजर केवल एकल तरंग दैर्ध्य (मोनोक्रैमिक) की विकिरण होती है और वे स्पेस और टाइम में सदैव एक ही फेज (सुसंगत) में होते हैं।

फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र

- ये इलेक्ट्रॉनों के एक बीम को निरंतर त्वरित करते हुए सुसंगत प्रकाश उत्पन्न करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र एक बहुत ही लघु तरंग दैर्ध्य, नैनोमीटर के कुछ दसवे अंश तक अर्थात् एक परमाणु के स्तर वाली विकिरण उत्पन्न कर सकते हैं।

VISION IAS

यूरोपीयन XEFL कैसे काम करता है?

- एक्स-रे फ्री-इलेक्ट्रॉन लेजर के रूप में, यूरोपीयन XFEL त्वरित इलेक्ट्रान से एक्स-रे लेजर बीम उत्पन्न करता है। यह ऐसा अनडुलेटर (सुपरकंडक्टिंग तापमानों पर रखे गये प्रत्यावर्ती (अल्टरनेटिंग) चुंबकीय क्षेत्र के लंबे खंड) का उपयोग करके करता है।
- इलेक्ट्रॉन्स की यह लेजर बीम प्रति सेकंड लगभग 27000 पल्सेज़ के फ़्लैश की तरह है जो अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में काफी अधिक है।

उपयोग

- यह **एंजाइमों द्वारा पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयां बनाने** की आणविक यांत्रिकी को समझने में मदद करेगा। जिससे एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन के नए तरीकों के विकास में मदद मिल सकती है।
- एक्स-रे लेज़र के जबरदस्त हीटिंग इफ़ेक्ट के साथ तापमान को फोकल पॉइंट पर लगभग 200 मिलियन डिग्री तक बढ़ाया जा सकता है और इस प्रकार यह सूर्य के कोर में घटित होने वाली प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा।
- इसी तरह, लेजर का उपयोग किसी पदार्थ पर असाधारण दाब आरोपित करने के लिए भी किया जा सकता है। यह दाब पृथ्वी के केंद्र से 3 गुना अधिक हो सकता है। इस उच्च दाब का उपयोग पहले कभी न देखे गए विन्यास में पदार्थों को रूपांतरित करने के लिए किया जा सकता है।

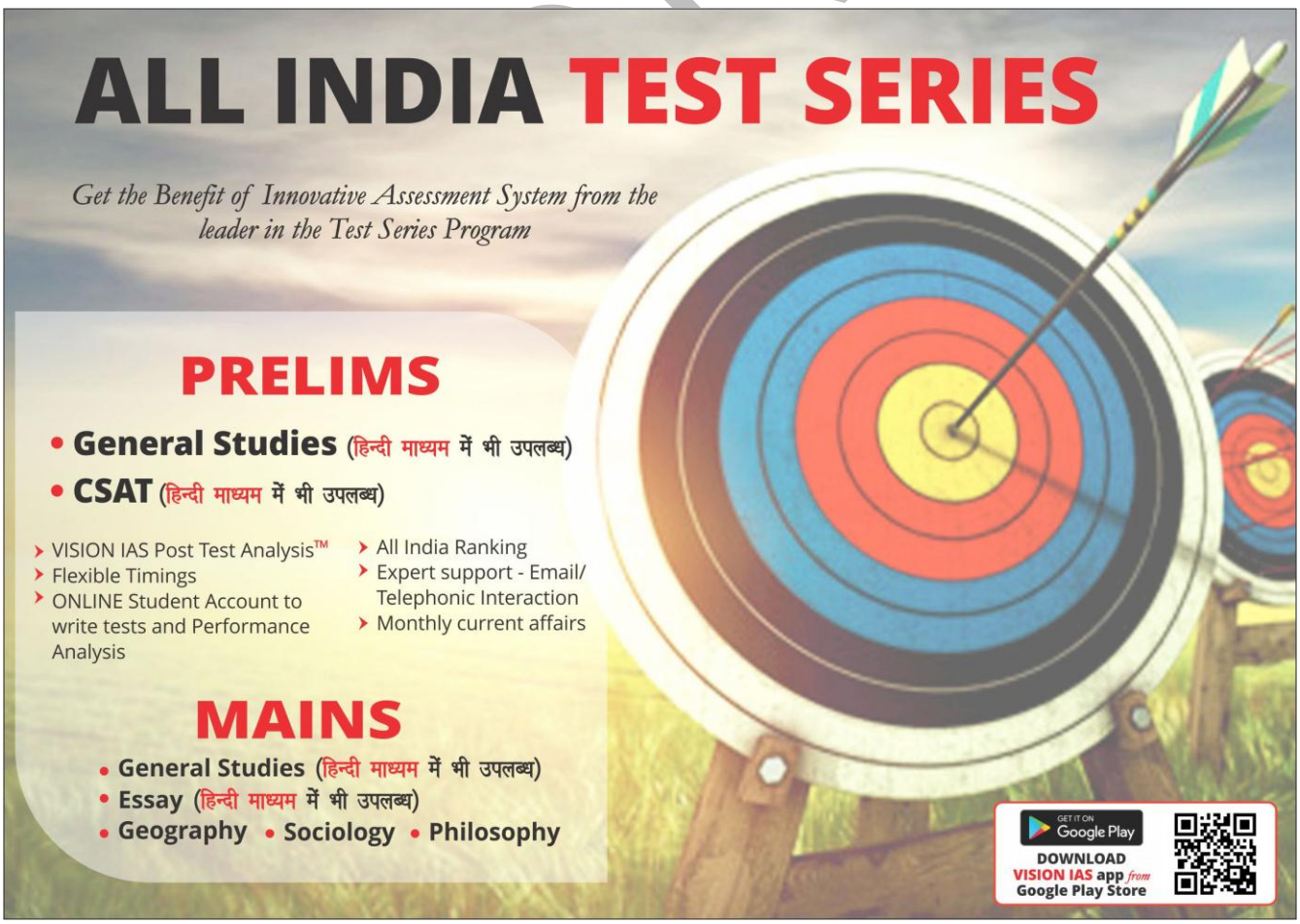

7. सामाजिक मुद्दें

(SOCIAL)

7.1. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अनुमति

(Allowing Foreign Universities in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने** एक पत्र के माध्यम से **आर्थिक कार्य विभाग** और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसे विद्यमान कानूनों में परिवर्तन करने के लिए कहा है, जो उच्च शिक्षा में निजी निवेश के लिए प्रकृति में प्रतिबंधात्मक हैं।

यह क्या है?

नीति आयोग द्वारा सुझाये गये संशोधन निम्नलिखित हैं-

- **AICTE अधिनियम की धारा 10(n)** के तहत AICTE को तकनीकी शिक्षा का वाणिज्यीकरण रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की शक्ति प्रदान की गई है।
- **UGC डीम्ड विश्वविद्यालय विनियमन के पैराग्राफ 5.1** के अनुसार सभी डीम्ड होने वाले विश्वविद्यालयों को **सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के तहत नॉन प्रॉफिट सोसायटी के रूप में या **पब्लिक ट्रस्ट एक्ट** के तहत नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट के रूप में या **कंपनी अधिनियम, 2013** की धारा 8 के तहत एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।
- **UGC** (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रख-रखाव) **विनियमन पैराग्राफ 2.1** निजी विश्वविद्यालय को परिभाषित करता है। इसके अनुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना एक **राज्य/केंद्रीय अधिनियम** के माध्यम से किसी ऐसी प्रायोजित संस्था द्वारा की जाती है, जिसका पंजीकरण एक नॉन प्रॉफिट सोसाइटी या कंपनी के रूप में हो।

वर्तमान स्थिति

- 762 विश्वविद्यालयों के साथ, भारत में **विश्व का सबसे बड़ा उच्च शिक्षा क्षेत्रक** है। इसके साथ ही छात्र नामांकन के मामले में भारत का दूसरा स्थान है।
- भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के इतने विशाल स्वरूप के बावजूद, भारतीय संस्थान विश्व में अच्छी रैंकिंग प्राप्त करने में विफल रहते हैं। इसका कारण निम्न स्तरीय शिक्षा (rot learning), रोजगार क्षमता और कौशल विकास के अभाव से ग्रस्त होना है।
- भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली विभिन्न निकायों द्वारा विनियमित की जाती है। इससे विश्वविद्यालयों और संस्थानों (विशेष रूप से विदेशी विश्वविद्यालयों) को स्वायत्तता से संचालित करना कठिन हो जाता है।
- भारत सरकार द्वारा 2002 में शिक्षा क्षेत्र (स्वचालित मार्ग) में 100% FDI की अनुमति प्रदान की गई है।
- **UGC अधिनियम** के अनुसार, केवल संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और सरकार द्वारा घोषित डीम्ड विश्वविद्यालय ही डिग्री प्रदान कर सकते हैं।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का इतना कम प्रतिनिधित्व क्यों है?

- वर्तमान में, भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा परिसर स्थापित करने के लिए आवश्यक कानूनी ढाँचे का अभाव है।
- समस्या यह भी है कि विदेशी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान करने के लिए किसी सोसाइटी या ट्रस्ट या कंपनी के रूप में पंजीकृत होना पसंद नहीं करेंगे।
- इसके अतिरिक्त, यदि उन्हें डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाता है, तब भी वे UGC के अधीन होंगे तथा इन्हें स्वायत्तता से कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

अब तक किये गए प्रयास

- नीति आयोग द्वारा वर्ष 2017 की शुरुआत में इस मुद्दे का समाधान करने के लिए दो विधायी और एक कार्यकारी मार्ग प्रस्तावित किया गया।
- केंद्र सरकार द्वारा विदेशी परिसरों को अनुमति प्रदान करने हेतु UGC अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है, जिससे वे भारत में पूर्ण मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य कर सकेंगे। उन्हें एक नया विधेयक पारित करके डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में कार्य करने की अनुमति भी प्रदान की जा सकती है।
- कार्यकारी मार्ग के अंतर्गत विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा खोले गए परिसरों को UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालयों के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला विनियमन जारी किया जा सकता है।
- सरकार ने **विदेशी शिक्षण संस्थान (प्रवेश एवं परिचालन विनियमन), 2010** तथा **उच्च शिक्षा संस्थान विधेयक, 2010** नामक दो विधेयकों को प्रस्तुत किया है, जो अभी भी लंबित हैं।
- टी एस सुब्रमण्यम समिति ने भी सिफारिश की है कि विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाये तथा उन्हें वही डिग्री प्रदान करने का अधिकार दिया जाये जो कि उस विश्वविद्यालय के देश में स्वीकार्य है।

VISION IAS

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार की पहलें

- सरकार द्वारा उच्च शिक्षा क्षेत्र हेतु विश्व स्तर के संस्थानों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जबकि विदेशी संस्थानों के प्रवेश को सुगम बनाने वाली योजनाओं को लंबित रखा गया है।
- विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय की योजना पर पुनः कार्य करने के लिए एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति बनाई गयी है। इन संस्थानों को **प्रतिष्ठित संस्थान (institutes of eminence)** भी कहा जाएगा।
- विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय योजना का उद्देश्य शैक्षिक और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के प्रभाव को समाप्त करना है। ऐसे सार्वजनिक संस्थानों को HRD मंत्रालय से 10,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।
- केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए डॉ. के. कस्तूरीरंगन के नेतृत्त्व में एक नई समिति का गठन किया गया है।

उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए नीति आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशें

- **विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का दर्जा**: स्वायत्त शासन के लिए 20 विश्वविद्यालयों (10 निजी और 10 सार्वजनिक) की पहचान की गयी है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक वित्त पोषण प्राप्त करने हेतु स्तरित व्यवस्था (tiered system) को अपनाया जाना चाहिए।
- **शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता**: उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड वाले कॉलेजों को स्वायत्तता से कार्य करने और एकात्मक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित होने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए।
- **नियामक प्रणाली में सुधार:** इसके द्वारा UGC में एक विनियामक निकाय के रूप में आमूलचूल परिवर्तन की सिफारिश की गयी है। इसके साथ ही एक ऐसी व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया गया है जो कि विश्वविद्यालयों के सूक्ष्म प्रबंधन की अपेक्षा, सूचना के प्रकटीकरण और प्रशासन पर केंद्रित हो।
- कुछ विश्वविद्यालयों को अनुसंधान केंद्र और रोजगार-केंद्रित करने के संदर्भ में अलग किया जाना चाहिए जबकि अन्य को उच्च शिक्षा के प्राथमिक कार्य निर्दिष्ट किये जाने चाहिए।
- परियोजना तथा शोधार्थी विशिष्ट अनुसंधान अनुदान प्रणाली की स्थापना।
- व्यावसायिक और रोजगारपरक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना।

7.2. भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा

(Public Healthcare in India)

सुर्खियों में क्यों ?

- गोरखपुर के अस्पताल में 70 से अधिक बच्चों की मौत और हाल ही में फर्रुखाबाद में 49 बच्चों की मौत भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की भयावह स्थिति को दर्शाती है।

संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशें

- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग 2025 तक मौजूदा स्तरों से 50% तक बढ़ाएँ।
- 2020 तक उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में *इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड* (IPHS) मानदंड के अनुसार पारम्परिक तकनीकें और डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को समयबद्ध तरीके से जीडीपी के 2.5% तक बढ़ाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाए।
- अवसंरचना और मानव संसाधन विकास के अंतर्गत-सेवित क्षेत्रों तक पहुँचाने के लिए लक्षित दृष्टिकोण। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के माध्यम से सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल का विस्तारीकरण।
- आपदाओं को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना, मानव संसाधन और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में एक निश्चित अतिरिक्त क्षमता बनाए रखें।
- नर्स प्रैक्टिशनर्स और पब्लिक हेल्थ नर्स जैसे काडर की स्थापना ताकि सबसे आवश्यक क्षेत्रों में उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वास्थ्य बुनियादी ढाँचे के अंतराल को भरने के लिए CSR का उपयोग किया जाना चाहिए।

7.2.1. अपर्याप्त संसाधन- अवसंरचना और मानव

(Inadequate Resources– Infrastructure & Human)

सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवन शैली, रोग और चोट की रोकथाम ,संक्रामक रोगों का पता लगाने और नियंत्रण के लिए अनुसंधान, प्रचार के माध्यम से परिवारों और समुदायों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और सुधार का विज्ञान है। कुल मिलाकर,सार्वजनिक स्वास्थ्य पूरी आबादी की स्वास्थ्य की रक्षा से सम्बंधित है। इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना, निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य, अस्पताल प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न घटकों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित कारण ऐसी भयावह स्थिति के उत्तरदायी थे :

चिकित्सक

- WHO की रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत के पाँच चिकित्सकों में से केवल एक चिकित्सक ही प्रैक्टिस करने के योग्य हैं। इसमें नीमहकीमी (अयोग्य लोगों का चिकित्सको के रूप में प्रैक्टिस करना) की व्यापक समस्या पर प्रकाश डाला गया है।

VISION IAS

- सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में 10 लाख आधुनिक चिकित्सकों में से केवल 10% ही कार्यरत हैं।

अस्पताल

- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों जैसे कुछ क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या में कमी आ रही है, यह संख्या 2002 में 3808 से घटकर 2015 में 3497 हो गयी। जबकि इसी अवधि के दौरान आबादी में काफी वृद्धि हुई है।
- भारत में, हर 10189 लोगों के लिए एक सरकारी एलोपैथिक चिकित्सक, प्रत्येक 2046 लोगों के लिए सरकारी अस्पताल का एक बिस्तर और प्रत्येक 90343 लोगों के लिए एक सरकारी अस्पताल है।

उपकरण

- हाल ही में कैग की रिपोर्ट के अनुसार, चिकित्सीय उपकरणों के लिए 27.21% कमी और गैर-चिकित्सीय उपकरणों में 56.33% की कमी है। ऑक्सीजन की आपूर्ति भी इसका हिस्सा है।
- इसके अलावा, अनेक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरणों का उपयोग पाँच वर्ष से भी अधिक समय से नहीं किया गया था क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई वार्षिक रख-रखाव अनुबंध नहीं था।

वित्त

- सार्वजनिक व्यय का भारत के कुल स्वास्थ्य व्यय में 30% से भी कम योगदान है। ये आंकड़े यूरोपीय संघ, उत्तरी अमरीक जैसे अधिकांश देशों में 80 -90 % हैं।
- देश में स्वास्थ्य सेवा पर कुल सार्वजनिक खर्च GDP का सिर्फ 1.2% है। भारत में 78% *आउट ऑफ़ द पॉकेट एक्सपेंडीचर* है, जो हर वर्ष लोगों को निर्धनता के दुष्चक्र में धकेल देता है।

नेशनल हेल्थ अश्योरेन्स मिशन 2019 तक 50 से अधिक मुफ्त दवाओं, एक दर्जन नैदानिक परीक्षणों और बीमा कवरेज का वचन देता है।
वाजपेयी आरोग्यश्री योजना, कर्नाटक ने गरीबी रेखा के नीचे के घरों में संकटपूर्ण बीमारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है। इसने 64% मौतों को कम कर दिया और आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च को घटा कर आधा कर दिया।

आवश्यक कदम

- प्रारम्भिक उपचार के लिए चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को मजबूत करना।
- स्वास्थ्य आघात और गरीबी के गर्त से बचने के लिए लोगों का बीमा कवरेज सुनिश्चित किया जाए। जर्मनी, जापान और थाईलैंड जैसे देशों ने इस तरह के कुछ संसाधनों की पूलिंग और पूर्व भुगतान पर बल देकर प्रभावी स्वास्थ्य सेवा का निर्माण किया है। इसे या तो कराधान या बीमा के माध्यम से किया गया है।

7.2.2. निवारक सार्वजनिक चिकित्सा पर कम ध्यान

(Less Focus on Preventive Public Health)

उपचारात्मक देखभाल के महत्व को काम आंकना बहुत बड़ी गलती होगी जबकि तथ्य यह कहते हैं निवारक स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य क्रियाएँ संक्रामक रोग फैलने या महामारी के आवधिक प्रकोप से बचा सकती हैं। निवारक सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल में सामाजिक निर्धारकों की जाँच करना शामिल है जैसे;

- **स्वच्छता और साफ सफाई**: इसमें सुरक्षित पीने के पानी के साथ-साथ जल निकासी और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली भी शामिल है। यह वेक्टर जनित बीमारियों को रोकने में भी मदद करेगा। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रमुख भारतीय नदियों में एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी पदार्थ होते हैं जो उपलब्ध दवाओं के लिए प्रतिरक्षा जैसे खतरे उत्पन्न कर सकते हैं।
- प्रतिरक्षा उत्पन्न करने और रोग के प्रति आबादी के जोखिम को कम करने के लिए **सुपोषण।**
- **संक्रामक रोगों की रोकथाम:** एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के माध्यम से जिले अपने इलाके की संक्रमित रोग प्राथमिकता अनुसार निपटते हैं। यह सुसज्जित प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से तृतीयक देखभाल केंद्रों के समर्थन से संभव है। इससे रोग के प्रकोप के दौरान सैंपल एकत्र करने, विश्लेषण करने और जवाब देने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षमता में वृद्धि कर सकते है।
- **स्क्रीनिंग और टीकाकरण:** निजी क्षेत्र द्वारा सक्रिय मामलों का पता लगाने और बीमारी की निगरानी करना।

संबंधित NHP 2017 की सिफारिश

- 2020 तक स्वास्थ्य पर्यवेक्षण प्रणाली को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व के रोगों के लिए पंजीकरण व्यवस्था की स्थापना करना
- नियामक प्रावधानों को लागू करके, स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने हेतु सार्वजनिक स्वास्थ्य कैडर को सशक्त बनाना
- सार्वजनिक अस्पतालों में - उपयोगकर्ता शुल्क और लागत वसूली से मुफ्त दवाये,सभी को नैदानिक और आपातकालीन सेवाएं।
- रोग निगरानी को मजबूत करने के लिए, निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को डेटा पूलिंग और साझा करने के लिए लगाया जा सकता है।

VISION IAS

7.2.3 खरीद प्रबंधन में विफलता

(Failure in Procurement Management)

खरीद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के अत्यंत महत्वपूर्ण भागों में से एक है। स्वास्थ्य सेवा बजट का लगभग 26% भाग दवाइयों, टीकों और चिकित्सा आपूर्ति की खरीद पर खर्च होता है। खरीद में अक्षमता से इनमें कमी और अपव्यय को बढ़ावा मिलता है। इसके परिणामस्वरूप विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए वेंडर द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति में कटौती के कारण उत्तरप्रदेश में बच्चों की मौत। सार्वजनिक खरीद प्रणाली से संबंधित विभिन्न मुद्दे निम्नलिखित हैं:

- **अल्प बजट और विलम्ब**- अल्प बजट, निविदाओं के निपटारे में विलम्ब, भुगतान न करना या देय राशि का विलम्ब से भुगतान करना आदि के कारण चिकित्सा आपूर्ति में विलम्ब होता है। कई अवसरों पर आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी में 6-12 महीने तक का विलम्ब हो जाता है।
- **विशेषज्ञता की कमी**- डॉक्टरों को खरीद अधिकारियों की भूमिका प्रदान करने के कारण आपूर्ति मात्रा का गलत निर्धारण तथा निविदा के निर्णय में विलंब हो जाता है। डॉक्टर का एकमात्र कार्य मरीजों और अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करना होना चाहिए।
- **सन्निहित भ्रष्टाचार**- विभाग द्वारा खरीद करने वाली एजेंसी को कमीशन देना पड़ता है तथा प्रक्रिया की अपारदर्शिता के कारण कटौती (CUT) परिवर्तित होती रहती है।
- **अपर्याप्त निगरानी**- डेटा का मैन्युअल संग्रह तथा उचित भंडारण और इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए किसी भी विश्वसनीय सूचना प्रणाली का अभाव है। इससे खरीद की मात्रा के अनुमान में विलम्ब होता है।

उठाये जाने योग्य कदम

- पारदर्शिता बनाये रखने तथा सेवा वितरण में विलम्ब से बचने के लिए विक्रेता या सेवा प्रदाता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान हस्तांतरण तथा ई-निविदा को लागू करना।
- दवाओं तथा विभिन्न गोदामों में उनके भंडारण का समय ट्रैक करने हेतु कार्यात्मक और ऑनलाइन MIS (*मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स*) लागू करना।
- स्मार्ट कार्ड, भुगतान स्वीकृति, रोगियों के रिकॉर्ड तथा उपयोग दरों के बारे में पूछताछ को ट्रैक करने के लिए मजबूत डेटा प्रबंधन प्रणाली।
- सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों से सीख लेने की आवश्यकता है जैसे तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन लिमिटेड (TNMSC) पिछले 15 वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। इसकी तर्ज पर एक केन्द्रीय खरीद एजेंसी की स्थापना की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य राज्यों जैसे कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश आदि में भी अच्छे खरीद मॉडल हैं, जिनसे सीखा जा सकता है।
- WHO द्वारा जनसंख्या की आवश्यकता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राथमिकताओं के अनुसार लागत प्रभावी ढंग से धनराशि आवंटित करने के लिए रणनीतिक खरीद की वकालत की गई है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की खराब गुणवत्ता के कारण लोग निजी अस्पतालों को प्राथमिकता देते हैं। प्रत्येक वर्ष करीब 6 करोड़ लोग भारत में स्वास्थ्य सेवा बिलों के कारण निर्धनता की चपेट में आ जाते हैं। यही कारण है कि बीमार होने के बावजूद 20% से अधिक लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकार द्वारा उपरोक्त मुद्दों को संबोधित करने के अलावा निम्नलिखित कदम उठाये जाने चाहिए:

- **लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व तय करना**- अब तक सार्वजनिक अस्पतालों का अधिकारियों के लिए बहुत कम महत्व है जबकि विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति मुख्य रूप से निजी चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं। इस रवैये को बदला जाना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को दंडित किया जाना चाहिए।
- प्राथमिकता निर्धारण में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और परिणामों की निगरानी में **सार्वजनिक भागीदारी** सुनिश्चित की जानी चाहिए। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों को उनके क्षेत्र में उपलब्धता, लागत और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के लिए जवाबदेह बनाएगा।
- **क्षमता निर्माण**- अधिक डॉक्टरों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि WHO के निर्देशानुसार देश में लगभग 5 लाख डॉक्टरों की कमी है। वर्तमान शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ निजी प्रैक्टिस जारी रखते हैं जिससे वे मुख्य लक्ष्य पर ध्यान केन्द्रित नही कर पाते हैं। इसके लिए ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता है जो कि केवल डॉक्टरों को प्रशिक्षित करें।
- **बुनियादी ढाँचे में निवेश में वृद्धि करना**- अब तक केवल चिकित्साकर्मियों का वेतन बढ़ाया जाता रहा है जबकि दवा आपूर्ति, उपकरण, अवसंरचना और रखरखाव पर खर्च में कमी आयी है।

7.3. भारत का महत्वाकांक्षी 'जीरो हंगर' कार्यक्रम

(India's Ambitious 'Zero Hunger' Program)

सुर्खियों में क्यों ?

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, ओडिशा के कोरापुट और महाराष्ट्र के ठाणे को **16 अक्टूबर (विश्व खाद्य दिवस) को** कृषि क्षेत्र में हस्तक्षेप के माध्यम से भारत के महत्वाकांक्षी 'जीरो हंगर' कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए चुना गया है।

बायो -फोर्टिफाइड पौधों / फसलों के लिए आनुवंशिक उद्यान में, प्राकृतिक रूप से प्रजनन के माध्यम से बायो -फोर्टिफाइड फसलों या पौधों के जर्मप्लास्म में शामिल होते हैं। इसमें वे पौधे और फसलें हैं जो आयरन, आयोडीन, विटामिन ए और जिंक सहित सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को पूरा करते हैं।

बायोफोर्टिफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य फसलों में पोषण की गुणवत्ता को कृषि संबंधी प्रक्रियाओं,पारंपरिक पौधों के प्रजनन या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुधारा जा सकता है।

कार्यक्रम के बारे में

- यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) द्वारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR), एम एस स्वामिनाथन रिसर्च फाउंडेशन और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) के सहयोग से आरम्भ किया जाएगा। संबंधित राज्य सरकारों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।
- यह भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करने हेतु साहचर्य तरीके से कृषि, स्वास्थ्य और पोषण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- इसमें पोषण के लिए कृषि प्रणालियों का संयोजन, बायोफोर्टीफाइड पौधों की फसल के लिए आनुवंशिक उद्यानों की स्थापना और एक 'ज़ीरो हंगर' प्रशिक्षण का आरम्भ शामिल होगा ।
- यह हस्तक्षेप के प्रभाव को मापने के उपयुक्त तरीकों को भी सुनिश्चित करेगा।
- प्रत्येक जिले में पोषण संबंधी दुर्बलता और उचित कृषि / बागवानी और पशुपालन उपचार की पहचान करने के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा।
- यह 2022 तक भारत को कुपोषण मुक्त करने और 'ज़ीरो हंगर' के लिए SDG (नंबर 2) को प्राप्त करने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं के अतिरिक्त काम करेगा।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2016 स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने में भारत अब भी पीछे है। वर्षों से, सरकार ने अपने लोगों के बीच कुपोषण से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हालांकि, इस क्षेत्र में बहु-क्षेत्रीय समन्वय की कमी है जो कुपोषण की अन्तः पीढ़ीगत और बहुमुखी प्रकृति को संबोधित करने के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। यह कुछ सीमा तक, इस कार्यक्रम द्वारा संबोधित किया गया है।

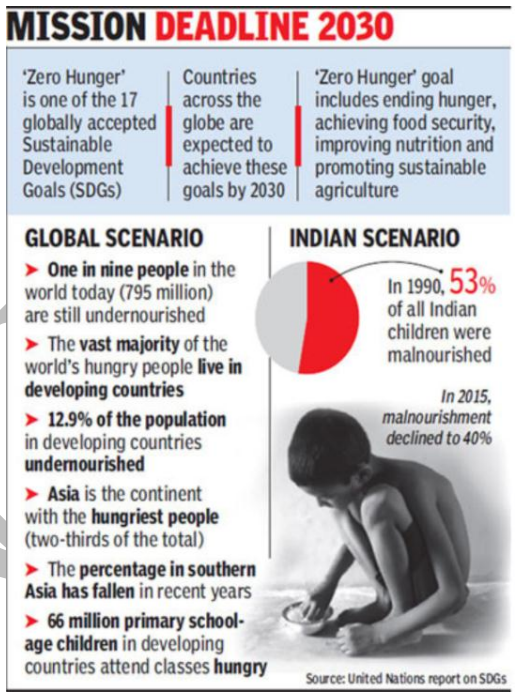

कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की अन्य पहलें

- एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम
- स्कूलों में मिड-डे मील स्कूल
- लक्षित जन वितरण व्यवस्था
- राष्ट्रीय पोषण रणनीति

7.4. स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो नये गर्भ निरोधकों का शुभारंभ किया

(Health Ministry Launches Two New Contraceptives)

सुर्खियों में क्यों ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दम्पत्तियों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो नए गर्भ निरोधकों, एक इंजेक्शन गर्भनिरोधक 'अंतरा' और एक गर्भनिरोधक गोली 'छाया' शुरू की है।

विवरण

- अंतरा *मेड्रोक्सिप्रोजेस्टेरोन एसीटेट* (MPA) का एक इंजेक्शन है। यह एक गर्भनिरोधक हार्मोन है और यह 3 महीने के लिए प्रभावी होगा।
- 'छाया' एक *नॉन-स्टेरायडल, नॉन-हार्मोनल,* मौखिक गर्भनिरोधक गोली है जो 1 सप्ताह के लिए प्रभावी होगी।
- मेडिकल कालेजों और जिला अस्पतालों में गर्भनिरोधक नि: शुल्क उपलब्ध होंगे।
- हाल ही में महाराष्ट्र देश में पहला राज्य बन गया है जो महिलाओं को गर्भनिरोधक इंजेक्शन उपलब्ध करवा रहा है।

आवश्यकता

- वर्तमान में केवल 56% विवाहित महिलाएँ ही भारत में परिवार नियोजन की कुछ विधि का उपयोग करती हैं। इनमें से अधिकांश (37%) ने नसबंदी (*स्टरलाइजेशन*) जैसे स्थायी तरीकों को अपनाया है।
- हाल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के आंकड़ों के मुताबिक, गर्भ निरोधकों की अपरिवर्तनीय आवश्यकता 12.9% है और इसकी उपलब्धता की कमी के कारण यह अवांछित प्रजनन क्षमता में योगदान देता है।

VISION

प्रासंगिकता

- अनुसंधान ने दर्शाया है कि मौजूदा उपायों में एक गर्भनिरोधक पद्धति को बढ़ाने से आधुनिक गर्भ निरोधकों के उपयोग में 8-12% वृद्धि हुई है।
- गर्भ निरोधकों तक पहुँच न केवल विकासशील देशों में गुणवत्ता वाले परिवार नियोजन के लिए उपलब्धता और चयन को बढ़ाता है बल्कि इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और महिला सशक्तिकरण के संकेतकों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- हाल ही में आये नए गर्भ निरोधक दम्पत्तियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे और महिलाओं को परिवार नियोजन और उनके गर्भधारण अंतराल में सहायका होंगे ।
- गर्भ निरोधकों का नि:शुल्क वितरण परिवार विकास मिशन में अभिव्यक्त 2.125 के कुल जनन क्षमता स्तर (TFR) को प्राप्त करने में मदद करेगा और इस प्रकार भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2002 के तहत 2045 तक वांछित जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त करने में सहायक होगा।
- आधुनिक गर्भनिरोधक उपयोग को बढ़ाने के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए MOH और FWs ने निरंतर परिवार नियोजन उपायों के साथ प्रयास किया है और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि आधुनिक निरोधकों की माँग का 74%, 2020 तक लोगों को उपलब्ध कराया जाए। ऐसा सेवाएं प्रदान करते रहने, माँग पैदा करने और आपूर्ति के अंतराल को पूर्ण करने पर निरंतर जोर देने के माध्यम से किया जायेगा।

7.5. भारत वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न चुनौतियाँ

(Challenges of Ageing in India)

सुर्खियों में क्यों ?

हाल ही में, रिपोर्ट *"केयरिंग फॉर अवर एल्डर्स: अर्ली रेस्पॉन्सेस, इंडिया एजिंग रिपोर्ट - 2017 (UNFPA)"* को जारी किया गया है, जो देश में वृद्धावस्था की चिंताओं और नीतिगत प्रतिक्रियाओं को विश्लेषित करती है।

अनुच्छेद 41- "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, बुढ़ापे के मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा"।

पृष्ठभूमि

तीन प्रमुख जनसांख्यिकीय परिवर्तन- घटती प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर में कमी और बुढ़ापे की उम्र में बढ़ती हुई वृत्ति- आबादी की उम्र बढ़ने में योगदान देते हैं जिससे युवाओं से बुढ़ापे तक की आयु संरचना में एक बदलाव में परिलक्षित होता है।

जब जनसंख्या आयु तेजी से बढ़ती है, तो सरकार की तैयारी सामान्यतः परिणामों को कम करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसके बुजुर्गों की सामाजिक-आर्थिक और स्वास्थ्य स्थिति के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।

भारत में,60 वर्ष से अधिक की आयु की आबादी का हिस्सा वर्ष 2015 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 2050 में 1 9% हो जाने का अनुमान है।

भारत में वृद्धों की बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियाँ

- **प्रवासन और बुजुर्गों पर इसका प्रभाव**: युवा लोगों के प्रवास के कारण, बुजुर्ग अकेले रह गए हैं या वे केवल पति या पत्नी के साथ हैं। वे सामाजिक अलगाव, गरीबी और संकट का सामना करते हैं हालांकि, वे अपने बच्चों के संपर्क में रहते हैं।
- **स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव**: NCDs में वृद्धि से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है; कर्मचारियों को विक्षिप्तता या दुर्बलता से पीड़ित रोगियों को इलाज/सलाह देने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं किया गया है। उच्च रक्तचाप जैसी परिस्थितियों के शीघ्र निदान और प्रबंधन के लिए चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता अस्थिर है। अस्पताल में भर्ती की लागत अत्यधिक और स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर पड़ रही है।
- **सामाजिक असामंजस्य का प्रभाव**: 2005-2012 के दौरान अंतर-जाति या अन्य संघर्षों से प्रभावित, गाँवों में रहने वाले NCD से पीड़ित लोगों का अनुपात दोगुना हो गया है। सामाजिक सामंजस्य के अभाव में लाचारी, चिकित्सा आपूर्ति और संगठन पर विश्वास की कमी सम्मिलित है।
- **डिजिटल निरक्षरता:** परिवार के पुराने सदस्यों द्वारा संचार की आधुनिक डिजिटल भाषा और अधिक माँग वाली जीवन शैली को समझने में असमर्थता के कारण, वृद्ध और युवा सदस्यों के बीच पारस्परिक संचार की कमी है। उन्हें योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने में कठिनाई भी आती है, जिन्हें तेज़ी से डिजीटल किया जा रहा है।
- **वृद्धावस्था में स्त्रीत्व:** वर्तमान में सभी राज्यों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए बुजुर्गों में उच्च जीवन प्रत्याशाएँ हैं (2011 में बुजुर्गों में -1000 पुरुषों की तुलना में 1033 महिलाएँ थीं)। वृद्धावस्था के स्त्रीकरण (वृद्धों में स्त्रियों की अधिक जनसंख्या) का परिणाम महिलाओं के साथ भेदभाव और उनकी उपेक्षा है। क्योंकि अक्सर उम्र बढ़ने के साथ वैधव्य और दूसरों पर पूर्ण निर्भरता के कारण उनकी परेशानी और अधिक बढ़ जाती है।

- **गाँव में वृद्धों की बढ़ती संख्या:** 2011 की जनगणना के अनुसार, ग्रामीण भारत में 71 प्रतिशत वृद्ध रहते हैं। आय-असुरक्षा, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल और पर्याप्त पहुँच की कमी शहरी समकक्षों की तुलना में ग्रामीण बुजुर्गों के लिए अधिक तीव्र है। यह भी देखा गया है कि ओडिशा, बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में ग्रामीण बुजुर्गों का बड़ा प्रतिशत है।

हालिया पहलें जो NPOP से संबंधित हैं

- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
- अटल पेंशन योजना
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा
- वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017
- गरीबी रेखा से नीचे के वरिष्ठ नागरिकों को अनुदान और असिस्टेड लिविंग डिवाइस प्रदान करने की योजना
- वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष
- वृद्धावस्था पर दक्षिण एशिया साझेदारी: काठमांडू घोषणापत्र 2016 - 18 वीं सार्क शिखर सम्मेलन की बैठक के दौरान इस क्षेत्र में बुजुर्ग आबादी की विशेष आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

वृद्धावस्था के लिए नीतिगत प्रयास

- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPOP),1999**: इसमें वृद्धों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय और अन्य जरूरतों को सुनिश्चित करने, विकास में उचित हिस्सेदारी, दुरुपयोग और शोषण के प्रति संरक्षण, और सुधार के लिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गयी है।
- **जीवन की गुणवत्तापरक देखभाल अधिनियम 2007**: यह अधिनियम वृद्ध माता-पिता और दादा दादी की देखभाल के लिए एक कानूनी रूपरेखा प्रदान करता है और कई चरणों में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रख्यापित किया जाता है।
- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए एकीकृत कार्यक्रम:** PRIs/स्थानीय निकायों, गैर-सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, धर्मार्थ अस्पतालों/नर्सिंग होम आदि को वित्तीय सहायता प्रदान करता है (जैसे कि वृद्धावस्था घरों, डे केयर सेंटर, बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी क्लीनिक, वृद्धों के लिए विकलांगता सहायता आदि)।
- **वृद्ध व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल:** राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 2011 से MOHFW द्वारा बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। 2010-11 के दौरान मंत्रालय ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुजुर्गों के राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPHCE) का शुभारंभ किया
- **सामाजिक पेंशन:** गरीबों और निराश्रितों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया गया था।
- **वरिष्ठ नागरिकों पर राष्ट्रीय नीति, 2011** ने भी, आय सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सलामती सुरक्षा, आवास, उत्पादक आयु बढ़ाने, कल्याण, बहुउद्देशीय संबंधों जैसे वृद्धावस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ ही इसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक राष्ट्रीय परिषद भी स्थापित की, जिसका कार्य बुजुर्गों के लिए आवश्यक नीतिगत परिवर्तन का सुझाव देना है।

आगे की राह

- राज्य सरकारों द्वारा इस क्षेत्र से फीडबैक, नीति और कार्यक्रम ऑडिट को प्रोत्साहित करना और अच्छी नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाना। यह नीतियों और कार्यक्रम की प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है।
- बेहतर परिणाम एक सहयोगी वातावरण बनाकर प्राप्त किया जा सकता है, उदाहरणार्थ -पीढ़ियों के बीच बेहतर संबंध बनाना, उनकी सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- मध्य स्तर के प्रबंधकों, PRI, स्वास्थ्य पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं जैसी एजेंसियों की क्षमता विकास के उपक्रमो को बढ़ावा देना ।

7.6 महिला आरक्षण विधेयक

(Women Reservation Bill)

सुर्खियों में क्यों

सरकार संसद में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने पर विचार कर रही है, जिसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित हो जाएँगी।

राज्य स्तर पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व

- राज्य स्तर पर महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति गंभीर है। राज्यों में महिलाओं का औसत प्रतिनिधित्व अनुपात लगभग 7% है।
- उदाहरण के लिए नागालैंड या मिज़ोरम में कोई भी महिला विधायक नहीं हैं। अन्य निम्नतम महिला प्रतिनिधित्व वाले राज्य जम्मू और कश्मीर (2.27%), गोवा (2.5%) और कर्नाटक (2.65%) हैं।
- भारत में सबसे अधिक महिला प्रतिनिधियों वाला राज्य हरियाणा (14.44%) है, उसके बाद पश्चिम बंगाल (13.95%), राजस्थान (13.48%) और बिहार (11%) हैं।

पृष्ठभूमि

- विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारणों और पितृसत्तात्मक परंपराओं के कारण महिलाएँ ऐतिहासिक रूप से सामाजिक बहिष्कार की स्थिति में रहीं हैं। इसके कारण स्वतंत्रता के 70 वर्ष पश्चात् भी देश की राजनीतिक एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है।
- लोकसभा में महिलाओं का अनुपात 1951 में **4.4% से बढ़कर 2014 में 11%** हो गया है। इस गति से लैंगिक संतुलन की स्थिति प्राप्त करने में 180 वर्ष लग जाएँगे।
- **महिलाओं को सक्रिय बनाने में पंचायत में दिया गया आरक्षण,** अपेक्षा से अधिक प्रभावी सिद्ध हुआ। इसके द्वारा उच्च निकायों ,जैसे राज्य विधानमंडलों और संसद में आरक्षण की आवश्यकता को बल मिला है।
- लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% स्थानों को आरक्षित करने के उद्देश्य से राज्यसभा में **संविधान संशोधन (108वां संशोधन) विधेयक पेश किया गया**। हालांकि, 15वीं लोकसभा के विघटन के साथ ही यह विधेयक समाप्त हो गया।

विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- इसके द्वारा लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
- संसद द्वारा निर्धारित प्राधिकारी ही इन आरक्षित सीटों का आवंटन करेगा।
- लोकसभा और विधान सभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों का एक तिहाई इन समुदायों की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।
- राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में नियमित आवर्तन (Rotation) द्वारा आरक्षित सीटें आवंटित की जाएँगी।
- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष पश्चात् महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा।

गीता मुखर्जी की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति (1996) की अनुशंसाएँ

- 15 वर्ष की अवधि के लिए आरक्षण।
- एंग्लो-इंडियंस के लिए उप आरक्षण (sub-reservation) को शामिल करना।
- जिन राज्यों में लोकसभा में सीटें तीन से कम है (या SC / ST के लिए तीन से कम सीटें है), वे भी आरक्षण में शामिल हैं।
- दिल्ली विधान सभा में भी आरक्षण संबंधी प्रावधान लागू होगा।
- राज्यसभा और विधान परिषदों में सीटों का आरक्षण।
- संविधान द्वारा आरक्षण व्यवस्था को OBC तक विस्तारित करने के पश्चात्, OBC महिलाओं के लिए उप-आरक्षण प्रदान किया जाए।

महिला विधेयक में, पहली चार सिफारिशों को शामिल किया गया व अंतिम दो को छोड़ दिया गया था।

संसदीय स्थायी समिति (2008) की सिफारिशें

- प्रत्येक राजनीतिक दल को अपने कुल टिकटों का 20% महिलाओं को वितरित करना होगा।
- वर्तमान में भी, कुल सीटों का 20% से अधिक आरक्षित नहीं होना चाहिए।
- OBC और अल्पसंख्यकों से संबंधित महिलाओं के लिए एक हिस्सा निर्धारित होना चाहिए।
- राजनैतिक दलों द्वारा सीटों के एक न्यूनतम प्रतिशत के लिए महिलाओं को नामांकित करना आवश्यक होगा।
- द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण किया जाना चाहिए, एवं ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में दो सीटों में से एक सीट महिला के लिए आरक्षित होगी।

चुनौतियाँ

- स्थानीय और विविध परिस्थितियों का आंकलन किये बिना, केंद्र द्वारा **सभी के लिए एक समान रूप से निर्मित नीतियाँ** कारगर नहीं रही हैं। नागालैंड में स्थानीय निकायों में आरक्षण और अनुच्छेद 371 (A) के तहत वहाँ की अद्वितीय संस्कृति को संरक्षित करने हेतु प्रदान किये गए संवैधानिक संरक्षणों के बावजूद नागालैंड में होने वाले आंदोलनों से यह तथ्य स्पष्ट होता है।
- **महिलाओं को स्वतंत्र प्रतिस्पर्द्धा के अयोग्य ठहराने वाला :** यह महिलाओं की असमानता की स्थिति को बनाए रखेगा क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा योग्य नहीं माना जाएगा।
- **महत्वपूर्ण मुद्दों से भटकाव :** इस नीति के कारण चुनाव सुधार संबंधी बड़े मुद्दों, जैसे कि राजनीति का अपराधीकरण और दलों में आंतरिक लोकतंत्र, से ध्यान भटकता है।
- **चयन का अधिकार :** संसद में सीटों का आरक्षण, मतदाताओं के लिए केवल महिला उम्मीदवारों का ही विकल्प उपलब्ध करवाता है।
- **भाई-भतीजावाद/पक्षपात को बढ़ावा :** जिन राजनीतिज्ञों का निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, आरक्षण द्वारा केवल उनकी पत्नियों एवं बेटियों को बढ़ावा मिल सकता है, जो विधेयक के उद्देश्य के विपरीत है।
- **पंचायत पति सिंड्रोम :** पुरुष अपनी निर्वाचित पत्नियों के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करते हैं।

VISION IAS

प्रासंगिकता

- **राजनीतिक सशक्तिकरण :** महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, निर्णय/नीति निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का अनिवार्य कानूनी प्रयास है। यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करेगा तथा प्रस्तावना एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में प्रस्तावित, राजनीतिक न्याय की उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- **सामाजिक सशक्तिकरण :** संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, सभी स्तरों पर महिलाओं के पिछड़ेपन का प्राथमिक कारक है। अतः, महिलाओं को सामाजिक-लैंगिक बाधाओं को पार करने और उनके समकक्षों के समान स्तर/समान अवसर दिलाने के लिए आरक्षण की आवश्यकता है।
- **समानता प्राप्त करने के लिए :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए आरक्षण की आवश्यकता है, ताकि वे उच्च जातियों की महिलाओं के साथ उचित प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
- **सच्चे लोकतान्त्रिकरण के लिए :** आरक्षण एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, जिसका जन्म लोकतान्त्रिक प्रक्रिया को समावेशी बनाने और *सोशल री-इंजीनियरिंग* की प्रक्रिया को संपन्न करने दौरान हुआ है। नीति निर्माण तंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है।

पंचायत में आरक्षण के सकारात्मक प्रभाव :

- पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों के आरक्षण के माध्यम से वे अर्थपूर्ण योगदान करने में सक्षम हुई हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व 42.3% यानी आरक्षण प्रतिशत से अधिक हो गया है। इसने सरकार को स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए प्रेरित किया है।
- पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और प्रदर्शन, मुख्यतः उनके लिए सीटों के सांविधिक आरक्षण के कारण सुनिश्चित हो सका है।

पंचायत चुनावों में आरक्षण

- संविधान संशोधन (73वें और 74वें संशोधन) के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
- 1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन कानून के अनुसार, सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- हालांकि,16 राज्यों में ऐसे कानून हैं, जो महिलाओं के लिए ग्रामीण स्थानीय निकायों में 50% सीटें आरक्षित करते हैं।

आगे की राह

- **उच्च सदन में आरक्षण प्रदान करना :** संविधान के तहत संसद और राज्य विधान मंडलों के उच्च सदन को समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गयी है। अतः, राज्य सभा एवं विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि समानता के सिद्धांत को लागू करते हुए, महिलाओं को भी संसद के तथा राज्य विधान मंडलों के द्वितीय या उच्च सदन में पर्याप्त स्थान मिल सके।
- **समाज का समावेशी विकास :** यह प्रमाणित है कि राजनीतिक आरक्षण ने, आरक्षण से लाभान्वित समूहों के पक्ष में संसाधनों के पुनर्वितरण को बढ़ावा दिया है। इस प्रकार, चुनी हुईं महिलाएँ महिला मुद्दों से सम्बंधित सार्वजनिक संसाधनों में अधिक निवेश करती हैं।
- **संविधान के सिद्धांत की रक्षा के लिए :** विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के मुद्दे को राजनीतिक दलों के विवेक पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपितु इसे संविधान के तहत सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा सभी संभव तरीकों से कार्यान्वित भी किया जाना चाहिए।
- **एक प्रारंभिक कदम के रूप में विधेयक:** विधेयक एक मात्र समाधान नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है। विधेयक केवल राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण के लिए सिद्धांत/मूल रूपरेखा को स्पष्ट करता है।

7.7 भारत में भिक्षावृति पर कानून

(Laws on Beggary in India)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा भिक्षावृति पर एक नया व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

'भिक्षुक' कौन हैं?

2011 की जनगणना के आधार पर देश भर में 400,000 से ज्यादा बेसहारा लोगों को भिक्षुक, अभावग्रस्त व्यक्तियों आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में इनकी संख्या 41% कम हुई। 2001 में भिक्षुकों की संख्या 6.3 लाख दर्ज की गई थी।

VISION IAS

(लेकिन यह आँकड़ा विवादास्पद है तथा सरकार मानती है कि इनकी संख्या का कोई प्रामाणिक डेटा उपलब्ध नहीं है। सामजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार के आँकड़े भिक्षुकों की संख्या को बताने में असमर्थ रहे हैं।)

वर्तमान स्थिति

- वर्तमान में भिक्षावृति और अभावग्रस्त व्यक्तियों (destitutes) के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है और अधिकतर राज्यों ने बम्बई भिक्षावृति रोकथाम अधिनियम, 1959 को अपनाया हुआ है।
- भिक्षावृति भारत के 21 राज्यों (उत्तराखंड सहित, जिसमें हाल ही में भिक्षावृति को प्रतिबंधित किया गया है) और दो केंद्र शासित प्रदेशों में एक अपराध है। इसे संज्ञेय और ग़ैर-जमानती अपराध माना जाता है।
- 2013 में अभावग्रस्त व्यक्ति (प्रशिक्षण, समर्थन और अन्य सेवाएँ) विधेयक नामक एक ड्राफ्ट तैयार किया गया तथा इसे महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिया गया था। इस विधयेक में अत्यधिक संवेदनशील परिस्थितियों में अभावग्रस्तता को मान्यता प्रदान की गयी। इसके साथ ही उनके प्रति संवैधानिक कर्तव्य तथा साथ ही उनकी संवेदनशीलताओं को संबोधित करने का भी प्रावधान किया गया है।
- 2016 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निराश्रयित व्यक्तियों के लिए अभावग्रस्त व्यक्ति (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) मॉडल बिल 2016 नामक एक नया मसौदा प्रस्तुत किया।
- हालांकि, हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जवाब देते हुए अपने एक साल पहले के विचार से यू-टर्न लेते हुए कानून के जरिए भिक्षावृति को आपराधिक श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव त्याग दिया।

बम्बई भिक्षावृति रोकथाम अधिनियम, 1959

- यह भिक्षावृति को एक सामाजिक मुद्दे के बजाय अपराध के रूप में स्वीकार करता है।
- कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास "निर्वाह का कोई प्रत्यक्ष साधन" नहीं है तथा सार्वजनिक स्थान पर वह "घुमक्कड " के रूप में भटकता है, तो उसे भिखारी माना जा सकता है। भिक्षावृति के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम एक वर्ष की अवधि और दूसरी बार अपराध के लिए 10 साल तक की अवधि के लिए हिरासत में लिया जा सकता है।
- न्यायालय उन सभी लोगों को भी हिरासत में लेने का आदेश दे सकता है जो कि भिक्षावृति करने वाले व्यक्ति पर निर्भर हैं।

वर्तमान कानूनों से सम्बंधित मुद्दे

- **पुलिस की शक्तियाँ**- यह कानून पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है तथा राज्य अधिकारियों को किसी व्यक्ति को भिक्षुक घोषित करने और बिना परीक्षण के उन्हें कैद करने की शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं।
- **भिक्षुक और बेघर के बीच कोई भेद नहीं**- यह न केवल गरीब भिखारियों को बल्कि दिव्यांग व्यक्तियों, छोटे पुस्तक विक्रेताओं, कूड़ा बीनने वाले, गायन, नृत्य इत्यादि द्वारा थोड़े बहुत पैसे कमाकर जीवनयापन कर रहे व्यक्तियों को भी शामिल करता है।
- **बाल न्याय अधिनियम, 2015 से विरोधाभास**- यह कानून बाल भिखारियों को "देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों" के रूप में स्वीकारता है। इसके अंतर्गत बाल कल्याण समितियों के माध्यम से समाज में उनके पुनर्वासन और समावेशन का प्रावधान किया गया है। जबकि भिक्षावृति कानून में इसे अपराध माना गया है।
- **संवैधानिक अधिकार**- संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक भिखारी या किशोर या आश्रित रहने वाले व्यक्ति को जीवन जीने का मौलिक अधिकार है। भिक्षावृति उन लोगों के जीवन निर्वाह के साधनों में से एक है और इसे तभी समाप्त किया जाना चाहिए जब इसके स्थान पर अन्य विकल्प उपलब्ध हों।
- **विभिन्न परिभाषाएँ**- उदाहरण के लिए- कर्नाटक और असम में भिखारियों की परिभाषा से धार्मिक साधुओं को बाहर रखा गया है जबकि तमिलनाडु में गली के कलाकारों, कवि, बाजीगर और सड़क के जादूगरों को भिक्षावृति कानून से बाहर रखा गया है।

अभावग्रस्त व्यक्ति (संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास) मॉडल बिल 2016 में किए गए परिवर्तन

- **अधिकार आधारित दृष्टिकोण**- यह अभावग्रस्त व्यक्तियों को राज्य से सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है।
- **भिक्षावृति को दोषमुक्त करना**- यह अपराधों के दोहराव के अतिरिक्त भिक्षावृति को क़ानूनी बनाता है। इसमें अभावग्रस्त व्यक्तियों को अपराधी मानने के बजाय, उन लोगों पर कठोर कार्यवाही का प्रावधान किया गया है जो लोग संगठित भिक्षावृति व्यवसाय समूह चलाते हैं।
- **अभावग्रस्त व्यक्तियों की पहचान करना**- प्रत्येक जिले में भ्रमण करने वाली या सुगम्य इकाइयों की स्थापना के माध्यम से अभावग्रस्त व्यक्तियों की श्रेणी में आने वाले लोगों की पहचान करना तथा उनकी सहायता करना।
- **भिक्षुकों का पुनर्वास करना**- प्रत्येक जिले में योग्य डॉक्टरों, मनोरंजन और अन्य सुविधाओं से युक्त पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से भिक्षुकों का पुनर्वास करना। बिहार जैसे कुछ राज्यों द्वारा ऐसे कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।
- **रेफरल(सम्प्रेषण) समितियों की स्थापना**- अभावग्रस्त व्यक्तियों की जरूरतों की पहचान करते हुए उनकी आवश्यकता के अनुसार संबंधित संस्थानों जैसे चिकित्सा सेवाओं, आश्रय, रोजगार के अवसर आदि तक उनकी पहुँच सुनिश्चित कराना।

- **परामर्श समितियों की स्थापना**- उनके साथ बातचीत करना और उनकी वरीयताओं के अनुसार विशिष्ट व्यावसायिक प्रशिक्षण को अपनाने में उनकी सहायता करना। यह उनके कौशल में वृद्धि करेगा तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।
- **निगरानी और सलाहकार बोर्ड का गठन**- योजनाओं के कार्यान्वयन में समन्वय और सरकार को परामर्श, संरक्षण, कल्याण और विधियों के पुनर्वास से संबंधित मुद्दों पर सलाह देने हेतु।

आगे की राह

राज्य को अभावग्रस्त व्यक्तियों (destitutes) के प्रति अधिक मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। एक ऐसे कानून की आवश्यकता है जो ऐसे व्यक्तियों को गरीबी के कारण दंडित करने के बजाय उनकी गरिमा का सम्मान करता हो। इस प्रकार मौजूदा भिक्षावृति कानूनों को निरसित किया जाना चाहिए और लोक कल्याण तथा सामाजिक सुरक्षा कानूनों के साथ-साथ मनरेगा की तर्ज पर भिक्षुकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसके अलावा निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए:

- उनके अधिकारों के बारे में जागरुकता का प्रसार करना चाहिए जैसे कि **गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता** का अधिकार।
- **भिक्षुको को स्मार्ट कार्ड और आधार संख्या प्रदान करना**- जनगणना में आसानी से सम्मिलित करने, आसान ट्रैकिंग, सहजता से बैंक खाते खोलने और कम लागत वाली बीमा पॉलिसियाँ तथा उनके कल्याण के लिए नीतिगत योजनाओं हेतु।
- **डाटा बैंक का निर्माण**- आगंतुक समितियों (विज़िटिंग कमेटी) के माध्यम से समय-समय पर इन संस्थानों में पुनर्वास, परामर्श संस्थान आदि की स्थिति को ट्रैक करने के लिए।
- भिक्षुक गृह से बाहर आने के बाद **समाजिक समावेशन** में उनके द्वारा अनुभव की जा रही चुनौतियों का सामना करने में सहायता करने के लिए **कौशल प्रशिक्षण**।
- **व्यक्तियों और अधिकारियों को संवेदनशील बनाना** - भीख माँगने के बारे में लोकप्रिय धारणा है कि यह आसानी से पैसा कमाने का पसंदीदा तरीका है। इसे बदलने और लोगों को उनकी परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है।
- **भोजन तक पहुंच**- उन्हें भोजन का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाने के लिए एक तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- सड़क पर भोजन और वस्त्रों को अपमानजनक तरीके से लोगों को देने के बजाय राज्य को भूख के लिए एक हेल्पलाइन प्रदान करनी चाहिए जिसके तहत किसी भी भूखे व्यक्ति को कहीं भी भोजन मिल सके।
- सरकार को विभिन्न हितधारकों जैसे कि स्ट्रीट चिल्ड्रेन के लिए कार्य करने वाले ग़ैर-सरकारी संगठनों, यातायात पुलिसकर्मियों आदि को शामिल करके कार्य करना चाहिए।

7.8. केंद्र की हाफवे होम बनाने की योजना

(Centre Plans Halfway Homes)

सुर्खियों में क्यों ?

- मानसिक रूप से बीमार लोगों के पुनर्वास के प्रयास में केंद्र ने **"हाफवे होम्स"** स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

पृष्ठभूमि

- **मानसिक स्वास्थ्य देखभाल विधेयक, 2017** को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद, **केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय** ने अधिनियम के तहत नियमों और नियमों को नियंत्रित करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई।
- "हाफ वे होम्स" का प्रस्ताव मानसिक स्वास्थ्य देखभाल नियम 2017 के मसौदे के तहत दिए गए कई प्रस्तावों में से एक है जिन पर टिप्पणियाँ आमंत्रित की गयी हैं।
- इन नियमों में यह भी प्रस्तावित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम स्वीकार्य मानकों के अनुसार अस्पताल तथा समुदाय आधारित पुनर्वास की स्थापना की जाए और सम्बंधित सेवाएँ प्रदान की जाएँ।
- मानसिक देखभाल अधिनियम 2017, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के प्रतिस्थापन हेतु लाया गया है और देश के कानूनों को ***UN कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़*** में प्रस्तावित क़ानूनों से संगत बनाता है (भारत ने 2007 में इस कन्वेंशन को अंगीकार किया था)।

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की मुख्य विशेषताएँ

- आत्महत्या करने के प्रयास को अपराध की श्रेणी से बाहर करना।
- मानसिक बीमारी वाले बच्चों के इलाज के लिए बिजली के झटके से चिकित्सा पर प्रतिबंध।
- वयस्कों पर शॉक उपचार के सशर्त उपयोग की अनुमति देता है लेकिन, उन्हें *एनेस्थीसिया* और *मसल रिलैक्सेंट* देने के बाद ही।
- उपचार तथा पुनर्वास के किसी भी चरण के दौरान मानसिक बीमारी वाले लोगों के अधिकार और गरिमा में किसी प्रकार का अतिक्रमण न हो, यह सुनिश्चित करने पर बल देता है।

"हाफ वे होम्स" क्या हैं?

- हाफवे होम्स में मानसिक रूप से बीमार उन मरीजों के लिए ठीक होने के दौरान रहने की सुविधा होती है जिन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन वे स्वयं या परिवार के साथ रहने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं।

- ऐसे हाफ वे होम्स मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों के परिसर से बाहर संचालित किये जायेंगे और उपर्युक्त अधिनियम के तहत मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान के रूप में पंजीकृत होंगे।
- उन्हें मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों द्वारा पालन किये जाने वाले सभी मानकों और अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
- रोगियों को विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा।
- उन्हें परिसर में अधिक स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने की, समुदाय में रिश्ते बनाने की अनुमति दी जाएगी। निर्धारित समय के भीतर प्रभारी मेडिकल अधिकारी के विवेकानुसार उन्हें निगरानी में बाहर जाने की अनुमति भी दी जाएगी।
- इस तरह की पहल से मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति को समाज में घुलने-मिलने का तथा नया जीवन शुरू करने का का दोबारा अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही, उन्हें वास्तविक दुनिया के सामने आने से पहले उन्हें अपने डर और बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

मानसिक स्वस्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के विषय में अधिक जानकारी के लिए विज़न IAS करेंट अफ़ेयर्स का मार्च 2017 का अंक देखें।

7.9. वैश्विक मानव पूँजी सूचकांक (ग्लोबल हयूमन कैपिटल इंडेक्स)

(Global Human Capital Index)

सुर्खियों में क्यों ?

- WEF's *ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स* में भारत ने 130 देशों के बीच 103वीं रैंक प्राप्त की है।
- यह रिपोर्ट 130 देशों की पाँच अलग-अलग आयु समूहों में चार प्रमुख क्षेत्रों (जैसा कि आंकड़े में दिखाया गया है) में गणना करती है, ताकि किसी देश की सम्पूर्ण मानव पूँजी क्षमता पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जा सके।

विश्व आर्थिक मंच

यह 1971 में स्थापित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है।

WEF द्वारा प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स

- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (*ग्लोबल कॉम्पिटीटिव रिपोर्ट*)
- वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट (*ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट*)
- वैश्विक मानव पूँजी रिपोर्ट (*ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट*)
- समावेशी विकास सूचकांक (*इन्क्लूज़िव डेवलपमेंट इंडेक्स*)
- यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता रिपोर्ट (*ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटीटिवनेस रिपोर्ट*)
- वैश्विक ऊर्जा संरचना प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट (*ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉरमेंस इंडेक्स रिपोर्ट*)

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने पिछले साल की 105वीं रैंक से इस वर्ष अपने स्थान में **2 स्थानों का उन्नयन** करते हुए 103वीं रैंक प्राप्त की है। तथापि यह अभी भी **जी-20 में सबसे निम्नतम** है और ब्रिक्स देशों में भी सबसे कम है।
- अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों में भी भारत, श्रीलंका (70) और नेपाल (98) से भी कम स्थान पर है।
- भारत ने लैंगिक अंतर में सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है। 130 देशों के बीच 65वीं रैंक के साथ भविष्य के लिए आवश्यक कौशल पर अच्छा प्रदर्शन किया है।

ख़राब प्रदर्शन की वजह

- **कम शैक्षणिक योग्यता**- उदाहरण के लिए भारत में 25-54 वर्ष के बच्चों के बीच प्राथमिक शिक्षा उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है।
- इसकी मानव पूँजी का **कम उपयोग** हुआ है जिसका मतलब है कि उपलब्ध कौशल को सही तरह से प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 35-54 वर्ष की जनसांख्यिकी की श्रम बल में भागीदारी में भारत का स्थान 118वां है। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में भारतीय अनौपचारिक व मात्र जीवन निर्वाह भर रोजगार में संलग्न है।
- हालांकि देश की मौजूदा शिक्षा -प्राप्ति दर में पिछले दशकों में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ है, लेकिन इसकी युवा साक्षरता दर अभी भी केवल 89% है। यह अन्य प्रमुख उभरते हुए बाजारों की दर से बहुत पीछे है।

VISION IAS

7.10. यौन हमले का निर्धारण करने के लिए नये प्रतिमान

(New Paradigm for Determining Sexual Assault)

सुर्खियों में क्यों ?

- यौन सहमति के मुद्दे पर पर दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया फैसले ने **महिला की सहमति और बलात्कार के बीच अस्पष्ट अंतर के सन्दर्भ में** कानूनी समुदाय में विभिन्न प्रकार के मत उत्पन्न किये हैं।
- सोनीपत में बलात्कार के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में भी सहमति का एक ऐसा ही मुद्दा उठाया गया था।

बलात्कार बुनियादी मानव अधिकारों के खिलाफ एक अपराध है और **अनुच्छेद 21** में निहित जीवन के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 में भारत में बलात्कार के अपराध का विवरण है ।

उच्च न्यायालयों के निर्णय

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी निर्देशक महमूद फारूक़ी को बरी कर दिया। उन्हें इस आधार पर बरी किया गया कि उन परिस्थितियों में सहमति से इनकार स्पष्ट नहीं था तथा शिकायतकर्ता ने सिर्फ "मामूली" विरोध किया था।
- अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया गया क्योंकि उसका बलात्कार करने का कोई इरादा नहीं था और यह स्पष्ट नहीं था कि महिला ने सहमति से इनकार कर दिया था।
- इसके साथ ही, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पीडिता को एक "स्वच्छंद संभोगी रवैये और एक कामुक प्रवृत्ति" वाली स्त्री बताया और यह भी सुझाया कि अपराधियों के साथ युवा महिला सुविधाजनक स्थिति में रहती थी।

सहमति को परिभाषित करना

सहमति वह है जो बलात्कार से संसर्ग को पृथक करती है। हालांकि, सहमति ऐसी चीज है जिसे निर्धारित करना और साबित करना मुश्किल है, खासकर बलात्कार के मामलों में जहां कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।

विभिन्न देशों में सहमति पर कानून

कैनेडियन क्रिमिनल कोड में कहा गया है कि सहमति स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए और स्वैच्छिक सहमति/ समझौते से कम कुछ भी पर्याप्त नहीं होगा (धारा 273)। यह आरोप साबित करने का भार आरोपी पर होता है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि नहीं कि पीड़िता सहमति दे रही है।

UK के *सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट* में भी ऐसा ही उल्लेख है।

ऑस्ट्रेलिया में भी, यौन उत्पीड़न के अपराधों पर निर्णय लेने के दौरान सहमति पर अधिक ध्यान दिया गया है और आरोपी पर भार दिया जाता है कि उसे साबित करना है कि उसने पीड़ित की सहमति ली है।

- **न्यायमूर्ति वर्मा समिति** ने सहमति परिभाषित करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। समिति द्वारा दी गई परिभाषा को IPC में जोड़ा गया था।
- इसके स्पष्टीकरण में कहा गया है कि सहमति का अर्थ एक **स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता** होता है, जब महिलाएँ शब्दों, इशारों या किसी भी तरह के मौखिक या गैर-मौखिक संचार द्वारा किसी विशिष्ट यौन कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती हैं।
- इसके अलावा, **उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों** में कहा गया है कि बलात्कार के अपराध को साबित करने के लिए, एक महिला को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि बलात्कार के कृत्य के दौरान उसके द्वारा सक्रिय विरोध किया गया था। इन कारकों की अनुपस्थिति यह इंगित नहीं करती है कि एक महिला ने सहमति दी है।

निर्णय के विरुद्ध तर्क

- इस फैसले पर आरोप लगाया गया है कि यह बलात्कारियों को एक नई सुरक्षा प्रदान करेगा जो मौजूदा कानूनों में नहीं है। एक दोहरी पूर्वधारणा है - बलात्कार के इरादे का अभाव (अभियुक्त द्वारा) और स्पष्ट 'न' के बावजूद महिला द्वारा अपनी इस भावना की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति न करना।
- इस फैसले से यौन कृत्य के लिए सहमति या इनकार साबित करने का भार महिलाओं पर डाल दिया गया।
- इसके अलावा पंजाब उच्च न्यायालय ने युवा पीड़िता के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो पीड़ित पर आरोप लगाने (*विक्टिम ब्लेमिंग*) की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है।

7.11. एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के लिए डीबीटी

(DBT for Integrated Child Development Scheme [ICDS])

सुर्खियों में क्यों ?

महिला और बाल विकास मंत्रालय ,एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के तहत पके हुए भोजन की जगह नकद हस्तांतरण पर विचार कर रहा है।

एकीकृत बाल विकास योजना

1975 में शुरुआत, लाभार्थी: बच्चे (6 महीने से 6 वर्ष) और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माँ, चाहे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कुछ भी हो।

लक्ष्य: एसडीजी के लक्ष्य 2 और 3 (क्रमशः पोषण में सुधार और स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा देना)।

केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोर योजना के रूप में वर्गीकृत।

छह सेवाओं का एक एकीकृत पैकेज प्रदान करता है जिसमें शामिल हैं; i) पूरक पोषण कार्यक्रम; (ii) टीकाकरण; (iii) स्वास्थ्य जाँच; (iv) रेफरल सेवाएँ; (v) पूर्व-विद्यालय गैर-औपचारिक शिक्षा; और (vi) पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा

योजनाएँ आंगनवाडी केंद्र (AWC) पर उपलब्ध करायी जाती हैं।

राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर 5-स्तरीय निगरानी और समीक्षा तंत्र।

पूरक पोषण कार्यक्रम (ICDS)

अनुशंसित आहार भत्ता (FDA) और औसत दैनिक भत्ते (ADI) के बीच अंतर को कम करने के लिए डिज़ाइन किया गया।

बच्चों के विभिन्न आयु समूहों के लिए 'ICDS खाद्य अनुपूरक' के रूप में चिह्नित सूक्ष्म पोषक तत्वों पौष्टिक खाद्य और / या ऊर्जा पूर्ण भोजन के रूप में गृह राशन (THR) उपलब्ध कराता है।

इस सन्दर्भ में कुछ और जानकारी

- ICDS की विभिन्न प्रदर्शन रिपोर्टों में रिसाव, भ्रष्टाचार, खराब गुणवत्ता वाले पूरक आहार के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और घर लाये जाने जाने वाले राशन को **मुद्रास्फीति से** नहीं जोड़ा गया है।
- मंत्रालय ने सुझाव दिया कि नगदी हस्तांतरण के अलावा, आँगनवाड़ी केन्द्रों में गर्म, पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के बजाय पोषक तत्व पैकेट सीधे डाकियों के माध्यम से लाभार्थियों को भेजा जाना चाहिए।
- आंगनवाड़ी में महिलाओं और **बच्चों को आकर्षित करने में खाद्य वितरण** महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे बच्चो के विकास सम्बन्धी जाँच, पोषण संबंधी परामर्श और प्रसव-पूर्व देखभाल से संबंधित अन्य आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करें।
- 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने ICDS के लिए **निजी ठेकेदारों को प्रतिबंधित करने** और ग्रामीण समूहों, महिला मंडल और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विकेंद्रीकृत उत्पादन और वितरण को प्रोत्साहित करने का आदेश पारित किया था।
- **NFSA की अनुसूची 2** में कहा गया है कि तीन से छह वर्षीय आयु वर्ग के बच्चों को प्रत्येक दिन नाश्ता और एक समय भोजन दिया जाना चाहिए और अन्य लाभार्थी समूह घर का राशन लेने का हकदार होना चाहिए।

नीति आयोग के सुझाव

- राष्ट्रीय पोषण रणनीति के तहत नीति आयोग ने ICDS के अंतर्गत राशन को घर ले जाने की सुविधा (THR) पर पुनः विचार की सिफारिश की है।
- **कैश ट्रांसफर** को सेवा की गारंटी, पूरक सेवा में सुधार (जैसे स्वास्थ्य पोषण और भोजन) और व्यवहार परिवर्तन योजना से जोड़ा जाना चाहिए।
- इसके अलावा संरचनात्मक सुधार पर नीती आयोग के सुझाव ;
    - ICDS को *बैंकिंग आउटरीच* से जोड़ा जाना चाहिए।
    - कम-लागत स्थानीय स्वीकार्य पोषण योजना।
    - बच्चे की मासिक पोषण स्थिति के साथ नकद हस्तांतरण समायोजित किया जाना चाहिए।
    - आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा प्राथमिकता वाले घर के साथ देखभाल परामर्श शुरू करना।
    - स्तनपान करने वाली माताओं हेतु स्थानीय रूप से अनुकूल परामर्श दृष्टिकोण और ट्रैकिंग।
    - प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के साथ राज्य विशिष्ट प्रोत्साहन योजनाओं को जोड़ना।
    - आशा, आंगनवाड़ी और ANMs की टीमों को प्रोत्साहन।

VISION IAS

नगद Vs वस्तु हस्तांतरण :

नकद हस्तांतरण	वस्तु हस्तांतरण
पक्ष में • यह सेवा वितरण की बाधाओं को समाप्त करता है, जो गंभीर रिसाव से ग्रस्त है। • यह मार्केट विकृतियों से मुक्त है (आपूर्ति-माँग, वस्तुओं की व्यष्टि अर्थशास्त्रीय शर्तें)। • हस्तांतरण में नौकरशाही की भागीदारी (भंडारण, वितरण और रिकॉर्ड रखने) को कम करता है। • मूल तकनीकि के साथ सफल एकीकरण, नकद हस्तांतरण प्रति वर्ष जीडीपी का 0.5% तक बचा सकता है। • नकद हस्तांतरण से प्राप्तकर्ताओं को अपने स्वाद और परिस्थितियों के अनुसार उपभोग करने में अधिक लचीलापन प्राप्त होता है।	**पक्ष में** • यह लाभार्थी के बेहतर लक्ष्यीकरण और व्यवस्थित आत्म-अनुभाग (self-selection) में मदद करता है। • प्रमाण आधारित अनुसंधान द्वारा शॉर्ट-रन में योजना को संशोधित करना आसान है। • सेवाओं के आपूर्ति पक्ष के प्रबंधन के द्वारा एक विशेष प्रकार के अभाव को बेहतर बनाने में सहायता, उदा. कुपोषित बच्चे के लिए फोर्टिफाइड भोजन और किशोरावस्था की लड़कियों में लौह-तत्व की कमी के लिए आयरन फोलिक टैबलेट्स। • यह स्थानीय और मूल स्तर समुदाय से जुडी विभिन्न योजनाओं के लिए विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है।
विपक्ष • इससे वंचितों द्वारा गैर-लक्षित उद्देश्यों के लिए नकदी का इस्तेमाल हो सकता है। • इससे आकांक्षापूर्ण खपत में वृद्धि हो सकती है। • साथ ही यह भी कि नकद हस्तांतरण में भी भ्रष्टाचार को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता है, उदाहरणार्थ घोस्ट लाभार्थी।	**विपक्ष** • प्रसार और हस्तांतरण में भ्रष्टाचार का उच्च प्रभाव (शांता कुमार समिति 2015)। • यह एक विशेष वस्तु के लिए मूल्य विरूपण उत्पन्न करता है जो काला बाज़ारी को जन्म दे सकता है। उदाहरण-पीडीएस के तहत चावल के लिए अलग कीमत और खुले बाजार में अलग कीमत। • यह सब्सिडी वाली सामग्री के पक्ष में लोगों के उपभोग पैटर्न को विचलित करता है अर्थात लोग वास्तविक माँग से ज्यादा उपभोग करने लगते हैं।

7.12. उच्च शिक्षा में सुधार

(Reforms in Higher Education)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

- सितंबर 2017 में, उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने मानव संसाधन मंत्रालय को उच्च शिक्षा के लिए अल्पावधि सुधारों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।

पृष्ठभूमि

- भारत का उच्च शिक्षा विभाग दुनिया में सबसे बड़ा है, तथा 2020 तक इसके 37.8 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।
- वर्ष 2015-16 में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 20.8% से बढ़कर 24.5% हो गया है।

उच्च शिक्षा में आने वाली समस्याएँ

- शीर्ष स्तर पर UGC और AICTE ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं कर पा रहे हैं। इनमें संरचनात्मक स्तर पर राजनीतिक प्रभाव ने संस्थान की स्वायत्तता में गिरावट और अक्षमता को जन्म दिया है।
- प्रमुख संस्थाओं में संकाय की कमी के चलते **तदर्थ विस्तार** को बढ़ावा मिल रहा है।
- स्वतंत्र शोधकर्ताओं को कम प्रोत्साहन मिलता है तथा नामांकन के अभाव में गुणात्मक काम को पहचानना मुश्किल होता है।
- प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और कॉलेज अधिकांशतः महानगरीय और शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे उच्च शिक्षा तक पहुँच में क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है।
- सामाजिक संरचना में पूर्वाग्रह के चलते दलित और महिलाओं के प्रति उच्च शिक्षा में पूर्वाग्रह अभी भी बड़े पैमाने पर है।
- वित्त की कमी और वित्त की समय पर उपलब्धता न होना उच्च शिक्षा के बेहतर उपयोग न हो पाने का मूल कारण है।
- साहित्यिक चोरी, कॉपीराइट और अनुसंधान के लिए रेफरेन्स सामग्री की कमी से संबंधित मुद्दे।
- अच्छे संकाय नए संस्थानों में शामिल होने के लिए अनिच्छुक होते हैं क्योंकि उनमे बुनियादी ढाँचे का अभाव होता है तथा उनमें से कई दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित हैं।

VISION IAS

उच्च शिक्षा पर कार्य एजेंडा (नीति आयोग)
[Higher Education Action Agenda (NITI Aayog)]

- **विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय का दर्ज़ा:** नियामक शासन से मुक्त होने के लिए 20 विश्वविद्यालयों (10 निजी और 10 सार्वजनिक) की पहचान करना। दस सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में से केवल दो को श्रेणीकृत आधार पर (Tiered based) वित्तपोषण मॉडल के लिए चयनित करना।
- **शीर्ष कॉलेजों के लिए स्वायत्तता:** शीर्ष कॉलेजों को केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त रखा जाए, अकादमिक मामलों में ज्यादा लचीलेपन की अनुमति तथा एकक (unitary) विश्वविद्यालय में बदलने का विकल्प। इससे विश्वविद्यालय के तहत कॉलेजों के क्लस्टर में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा।
- **नियामक प्रणाली में सुधार:** 1956 के पुराने यूजीसी अधिनियम के प्रत्येक पहलू जैसे विद्यार्थी शुल्क, अनुदान, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम के घंटे आदि को वैश्विक शिक्षा प्रणाली जैसा विकसित किया जाना चाहिए।
- **एक विशिष्ट परियोजना/विद्वान(scholar) विशिष्ट अनुसंधान अनुदान की स्थापना:** सार्वजनिक महत्व के विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सार्वजनिक धन की एक व्यवस्था ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक नवीनता को प्रेरित किया है। **एक पुरस्कार व्यवस्था** की स्थापना की जानी चाहिए जहाँ फंडिंग/निधिकरण ऐसे अनुसंधान हेतु किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से किसी विशिष्ट समस्या का समाधान प्रदान करते हैं।
- **व्यावसायिक और पेशेवर प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाली शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** संस्थान के लिए परिणाम आधारित प्रमाणीकरण की स्थापना करना जोकि कौशल और व्यवसाय पर बारीकी से ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार से जुड़ा हो। सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कि नर्सिंग, पैरामेडिकल और शिक्षण आदि का संचालन कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण के आधार पर होना चाहिए।

उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सुझाव

- एक त्रि स्तरीय स्वायत्तता प्रस्तुत करना जिसमें शीर्ष रैंकिंग वाले संस्थानों को पूर्ण शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। जबकि कम रैंकिंग वाले संस्थानों को सरकारी नियंत्रण में रखना चाहिए।
- शैक्षणिक भागेदारी केवल विदेशी संस्थाओं के साथ ही होने चाहिए, जिन्हें दुनिया के शीर्ष 500 संस्थानों में स्थान दिया गया हो।
- जो संस्थान सरकार से सहायता प्राप्त नहीं करते उनको घटक कॉलेज खोलने, भौगोलिक प्रतिबंधों के बिना ऑनलाइन कार्यक्रम उपलब्ध कराने, अनुसंधान पार्क या ऊष्मायन केंद्र (incubation centres) खोलने, विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने तथा घरेलू छात्रों के 20% तक विदेशी छात्रों को प्रवेश देने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।
- संस्थान अपने स्वयं के संसाधनों द्वारा प्रतिभाशाली संकाय को आकर्षित करने हेतु UGC मानदंडों के आधार पर योग्यता आधारित प्रोत्साहन संरचना का निर्माण कर सकते हैं।
- प्रख्यात शिक्षाविदों से बनी विषय विशेषज्ञ समितियों द्वारा पत्रिकाओं की समीक्षा करके संकाय का निरंतर मूल्यांकन किया जाना।
- भारत में विदेशी शैक्षिक परिसरों की स्थापना के लिए उपयुक्त विधायी संशोधन की आवश्यकता है।
- संस्थानों के आकलन और मान्यता के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को अनुमति देना। यह संस्थानों और कार्यक्रमों को प्रत्येक सूचना सामग्री पर *अक्रेडिटेशन ग्रेड* अथवा *अनअक्रेडिटेशन स्टेटस* स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने का सुझाव देता है।
- इसके द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के लिए ऑनलाइन और दूरस्थ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी आधिकारिक मान्यता को अनिवार्य बनाया गया है।

7.13. स्वच्छता ही सेवा

(Swacchta Hi Seva)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार द्वारा कम्पनियों को **स्वच्छता ही सेवा अभियान** हेतु अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) निधियों के 7 प्रतिशत का योगदान करने के लिए कहा गया है।

कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी

- यह एक प्रबंधन अवधारणा है, जिसके अंतर्गत कंपनियों द्वारा पर्यावरण एवं लोगों के सामाजिक कल्याण पर अपनी कॉर्पोरेट योजनाओं के प्रभाव का आकलन करने और इसे अपने व्यापार मॉडल में एकीकृत करने का उत्तरदायित्व लिया जाता है।
- कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, 500 करोड़ रुपये की नेट वर्थ या 1 करोड़ रुपये की आय या 5 करोड़ रुपये के शुद्ध लाभ वाली कंपनियों को, गत तीन वर्षों के अपने औसत लाभ का 2% अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुपालन के रूप में खर्च करने चाहिए।

स्वच्छता ही सेवा अभियान क्या है?

- स्वच्छता ही सेवा अभियान, सरकार द्वारा **स्वच्छ भारत मिशन (SBM)** के अंतर्गत आरंभ किया गया 15 दिन का अभियान है। इस अभियान को **पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय** द्वारा समन्वित किया गया।

VISION IAS

- इस अभियान के अंतर्गत, SBM को **जनांदोलन (mass movement)** बनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से लोगों को **श्रमदान (ऐच्छिक श्रम)** करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
- इस अभियान के द्वारा सार्वजनिक और पर्यटन स्थलों की सफाई को लक्षित किया गया। इसने स्वच्छता और शौचालय निर्माण के लिए जन सामान्य को संगठित किया।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत इसी प्रकार की अन्य पहलें

- **स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि -** इस अभियान के अंतर्गत, स्कूल के बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए जन सामान्य के लिए, निबंध, शार्ट फिल्म और पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- **'स्वच्छाथन'- स्वच्छ भारत हैकाथन** - यह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा अनुभव किए जाने वाले कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दों हेतु अभिनव प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को प्रोत्साहित करता है। उदाहरण के लिए व्यापक स्तर पर हस्तक्षेप के बिना शौचालयों का उपयोग, बड़े पैमाने पर व्यवहार में परिवर्तन कैसे लाया जाए, दुर्गम स्थानों के लिए मितव्ययी प्रौद्योगिकी डिजाइन इत्यादि।

- यह अभियान भागीदारी के स्तर पर उल्लेखनीय ढंग से सफल रहा। इसमें भारत के राष्ट्रपति से लेकर, विधायकों, आम नागरिकों, मशहूर हस्तियों, सेना कर्मियों, स्कूल के बच्चों और अन्य कई व्यक्तियों की भागीदारी रही है।
- यह अभियान 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर समाप्त हुआ। इस दिन को **स्वच्छ भारत दिवस (Clean India Day)** के रूप में भी मनाया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन के सन्दर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु विज़न IAS करंट अफेयर्स का अगस्त 2017का अंक देखिये।

7.14. LPG पंचायत

(LPG Panchayat)

सुर्खियों में क्यों?

केंद्र सरकार द्वारा **प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना** को समर्थन प्रदान करने के लिए **LPG पंचायत** का शुभारंभ किया गया।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- इसका उद्देश्य 2019 तक BPL परिवारों को 500 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान करना है।
- यह पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत मई 2016 में प्रारंभ की गयी थी।
- महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु इस योजना के अंतर्गत LPG कनेक्शन घर की महिला के नाम पर जारी किए जाएँगे।
- इस योजना के अंतर्गत BPL परिवारों की पहचान, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के द्वारा की जाएगी।
- इसके द्वारा न सिर्फ़ रोजगार और व्यवसाय के अवसर प्रदान किये जाएँगे, अपितु "मेक इन इंडिया" अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा।

LPG पंचायत की आवश्यकता

- उज्ज्वला योजना के तीन करोड़ लाभार्थियों में LPG का औसत उपयोग प्रति वर्ष लगभग तीन सिलिंडर है, जबकि अन्य व्यक्तियों के द्वारा लगभग साढ़े सात सिलिंडर उपयोग में लाये जाते हैं।
- पंचायत का उद्देश्य तेल के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों, आशा कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को जोड़कर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से संबंधित मुद्दों और LPG के असुरक्षित होने के सन्दर्भ में व्याप्त गलत धारणाओं का समाधान करना है।

LPG पंचायत कैसे कार्य करेगी?

- केंद्र द्वारा आगामी डेढ़ वर्ष में, पूरे देश में एक लाख LPG पंचायतों के आयोजन की योजना बनायी गयी है।
- LPG पंचायत एक क्षेत्र के लगभग 100 LPG उपभोक्ताओं को एक साथ लाने और LPG के सुरक्षित और धारणीय उपयोग, इसके लाभ और स्वच्छ ईंधन के उपयोग एवं महिलाओं को इससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम कर उनके सशक्तिकरण के सम्बन्ध में अवगत कराने के लिए परस्पर संवाद हेतु (interactive) एक मंच प्रदान करेगी।
- पंचायत में सुरक्षित क्रियाओं, वितरकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा की गुणवत्ता और रिफिल सिलेंडर की उपलब्धता शामिल होगी।

7.15 पेंसिल पोर्टल

(Pencil Portal)

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में **श्रम एवं रोजगार मंत्रालय** द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल **'बाल मजदूरी निषेध पोर्टल के कारगर कार्यान्वयन हेतु मंच: पेंसिल'**(Platform for Effective Enforcement for Child Labour:PENCIL) का शुभारंभ किया गया। **इसका प्रमुख उद्देश्य, बाल श्रम, तस्करी आदि की रोकथाम करना है।**

आवश्यकता

- बाल श्रम, तस्करी एवं यौन शोषण के सम्बन्ध में अनेक कानून विद्यमान होने के बावजूद, इनका कार्यान्वयन एवं इनके तहत अपराधों का निपटारा दोषपूर्ण रहा है।
- पोर्टल का आरम्भ, विधायी प्रावधानों के प्रवर्तन और **राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना** के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक सशक्त कार्यान्वयन और निगरानी तंत्र बनाने की आवश्यकता के परिणामस्वरूप हुआ है।
- श्रम **राज्य-सूची** का विषय है। अतः इस प्रकार के पोर्टल के माध्यम से विद्यमान कानूनों को, विभिन्न राज्यों के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्तर पर भी, बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सकेगा।

बाल श्रम के विरुद्ध संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 23(1) के प्रावधानों के अनुसार मानव का दुर्व्यापार तथा भिक्षावृत्ति एवं इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम निषिद्ध है तथा इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय होगा।
- अनुच्छेद 24 यह प्रावधान करता है कि चौदह वर्ष या उससे कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।
- अनुच्छेद 39(e) के अनुसार राज्य द्वारा अपनी नीति का इस प्रकार संचालन किया जाना चाहिए जिससे पुरुष और स्त्री श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोज़गारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों।

8. संस्कृति

(CULTURE)

8.1. कोंकणी

(Konkani)

- **कोंकणी गोवा राज्य की आधिकारिक भाषा है और संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।**
- कोंकणी भाषा कोंकण और मालाबार तट के समीप स्थित क्षेत्रों में बोली जाती है। यहां तक कि कोंकणी भाषा बोलने वाले लोग कर्नाटक और केरल में भी प्रभावशाली अल्पसंख्यक हैं।
- कोंकणी एकमात्र ऐसी भाषा है जिसे पांच अलग-अलग लिपियों - **रोमन**, **देवनागरी**, **कन्नड़**, **फ़ारसी अरबी और मलयालम** में लिखा जाता है।
- मराठी कवि नामदेव (1270-1350) के छंदों से इस भाषा का पहला सुदृढ़ साक्ष्य मिलता है।
- 1510 ई. में गोवा पर पुर्तगाली हस्तक्षेप से पूर्व, कोंकणी के अस्तित्व के कुछ लिखित रिकॉर्ड पाये गए हैं।
- कोंकणी भाषा बोलने वाले लोगों का 12वीं शताब्दी में केरल में प्रवासन हुआ था। मंगलौर क्षेत्र में कोंकणी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रवासन 15वीं और 16वीं सदी में आरंभ हुआ था।
- कोंकणी 1556 में मुद्रित की जाने वाली पहली एशियाई भाषा बनी।
- पुर्तगाली हस्तक्षेप के दौरान कोंकणी मराठी से घनिष्ठतापूर्वक जुड़ गई। पुराने विजित क्षेत्रों में मराठी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता था, जबकि नव विजित क्षेत्रों में मराठी भाषा का बोलबाला था।
- पुर्तगालियों ने कोंकणी या मराठी भाषाओं का प्रयोग नहीं किया। इसकी बजाय उन्होंने पुर्तगाली को गोवा की भाषा बनाने का प्रयास किया।
- 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोंकणी भाषा का पुनरुद्धार हुआ। इसे केवल मराठी की बोली के रूप में ही नहीं बल्कि भाषा के रूप में भी देखा जाने लगा, जिसका अपना आधार था।
- कोंकणी को 1987 में गोवा की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया।

8.2. बोंडा जनजाति

(Bonda Tribe)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बोंडा विकास एजेंसी (BDA) ने उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के सुदूर बोंडा आबादी वाले गांवों में जांच और सर्वेक्षण का कार्य आरंभ किया है। BDA को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ये आदिम जनजाति रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में प्रवासन कर रही है और इनकी कुछ महिलाओं का यौन शोषण किया जा रहा है।

बोंडा जनजातिः एक परिचय

- बोंडा दक्षिण पश्चिमी उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में निवास करने वाली प्राचीन जनजातियों में से एक है।
- बोंडा को अनुसूचित जनजाति में रखा गया है और इन्हें दो समूहों में विभाजित किया जाता है- ऊपरी बोंडा और निचले (lower) बोंडा।
- 2015 में किए गए आधिकारिक सर्वेक्षण के अनुसार खैरापुट ब्लॉक की चार पंचायतों के 32 गांवों में लगभग 8,000 बोंडा निवास करते हैं।
- बोंडा जनजाति की अपनी भाषा **"रेमो"** है। इस भाषा की लिपि नहीं है। यह मुंदरी भाषा समूह से संबंधित है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह आस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवार के सदस्य हैं।
- आधुनिक सभ्यता ने बोंडा जनजाति को परिवर्तित नही किया है। वे अभी भी अपनी आदिम सामाजिक प्रथाओं और परंपराओं को अपनाये हुए हैं।
- बोंडा में अनूठी विवाह परंपरा है जो कि मातृप्रधान प्रभुत्व को दर्शाती है। अधिक आयु की महिलाएं अपने से कम आयु के पुरुषों से विवाह करती हैं।

VISION IAS

8.3. कावेरी महापुष्करम

(Cauvery Maha Pushkaram)

सुर्खियों में क्यों?

- हाल ही में, कावेरी महापुष्करम के अवसर पर देश के विभिन्न भागों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने तंजावुर और नागपट्टनम जिलों के विभिन्न घाटों पर कावेरी नदी में पवित्र डुबकी लगाई।

महापुष्करम के संबंध में

- पुष्करम नदियों की पूजा करने का भारतीय त्यौहार है। भारत में 12 नदियों के तटों पर इसे मनाया जाता है।
- यह उत्सव 12 वर्षों में एक बार प्रत्येक नदी के तट पर प्रति वर्ष मनाया जाता है। प्रत्येक नदी किसी एक राशिचक्र से संबंधित होती है। प्रत्येक वर्ष इस त्यौहार के लिए उस नदी का चयन किया जाता है जिस राशिचक्र में बृहस्पति स्थित होता है।
- गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु और प्राणहिता ऐसी 12 नदियां हैं, जिन पर पुष्करम मनाया जाता है।
- हिंदू पंचांग में कन्या राशि से तुला राशी में बृहस्पति ग्रह के खगोलीय पारगमन को महापुष्करम की अवधि कहा जाता है। यह खगोलीय घटना 144 वर्षों में एक बार होती है।

9. नीतिशास्त्र

(ETHICS)

9.1. नीतिशास्त्र और अंधविश्वास

(Ethics and Superstition)

कर्नाटक मंत्रिमंडल ने काला जादू, जादू-टोना, अमानवीय बुरी प्रथाएं और अन्य अंधविश्वास समाप्त करने के लिए अंधविश्वास विरोधी विधेयक को स्वीकृति दी है। हाल ही में दो शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। पहला, भारत में बढ़ते दकियानूसीपन और विज्ञान विरोधी सोच के विरूद्ध वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा और दूसरा, बुद्धिवादी और अंधविश्वास विरोधी कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया था, जो पिछले कुछ वर्षो के दौरान बुद्धिवादियों के हत्यारों की गिरफ्तारी और अभियोजन की मांग कर रहे थे।

अंधविश्वास को ऐसे अंध विश्वास या अतार्किक विश्वास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो सामान्यत: अज्ञानता या भय पर आधारित होता है और जिसकी विशेषता शगुन, जादू-टोने, आदि के प्रति आसक्तिपूर्ण श्रद्धा होती है। अंधविश्वास समाज में गहराई से जमे हुए हैं। ऐसे कई कारक हैं जो समाज में अंधविश्वासों को बढ़ावा देते हैं।

- **लालन-पालन-** परिवार और धर्म में प्रचलित विश्वास अंधविश्वासों के सबसे उपजाऊ प्रजनन आधार होते हैं।
- **मनोरंजन का स्रोत -** जैसे कि टीवी धारावाहिक और ऐसे ही अन्य स्रोत अंधविश्वासपूर्ण तत्वों को वास्तविक लगने वाली कहानियों के रूप में चित्रित करते हैं जिससे दर्शकों विशेषकर बच्चों की मानसिकता प्रभावित होती है।
- **अनिश्चित वातावरण -** यह कुछ विशेष प्रकार के अनुष्ठानवाद को प्रेरित करता है जैसे कि कई सफल खिलाड़ियों ने सभी प्रकार के अंधविश्वासों का व्यवहार किया है।
- **सुरक्षा की भावना -** मनुष्य की सुरक्षित होने की सामान्य प्रवृत्ति होती है। यह प्रवृत्ति आसानी से उन्हें नियंत्रित करने वाले अलौकिक तत्वों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करती है, जिन्हें नियंत्रित करने से कुछ अनिश्चितताओं को समाप्त करने में सहायता मिल सकती है।
- **नेताओं में विश्वास –** नेताओं द्वारा प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी या विमानन तकनीक के अस्तित्व जैसे उदाहरणों का उपयोग भी उनके अनुयायियों में ऐसे ही विश्वासों को घनीभूत करता है।

हालांकि, कुछ अंधविश्वासों को कुछ सकारात्मक परिणाम देने वाले अंधविश्वासों के रूप में भी देखा जाता है, जैसे कि

- कुछ मिथ्या मान्यताओं के कारण किसी में अपने सौभाग्य और क्षमताओं में विश्वास बढ़ता जैसे कि सौभाग्यदायी (लकी) कपड़े, शुभकामना तंत्र-मंत्र आदि। इससे व्यक्ति मनोवैज्ञानिक स्तर पर प्रभावित होता है जिससे उसका प्रदर्शन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है।
- **प्रकृति का संरक्षण -** जैसे कि पठानकोट में 'चरपत बानी' पवित्र उपवन पूरी तरह से अछूते बने हुए है क्योंकि इसे स्थानीय देवी-देवता का निवास माना जाता है।

हालांकि, ज्यादातर अंधविश्वासों से जुड़े विभिन्न नैतिक मुद्दों के कारण कुछ प्रकरणों में उत्पन्न अच्छाई महत्वहीन हो जाती है। ये मुद्दे हैं:

- **मानवाधिकारों का उल्लंघन -** जैसे: मानव बलि, आग पर चलने के लिए विवश करना, छड़ से जबड़ो को छेदना।
- **पशु अधिकार -** जैसे: गावु (*gaavu*) की बुरी प्रथा, गले में चुभाकर पशु मारना, पशु बलि आदि।
- **अपमान –** इससे मानव गरिमा का उल्लंघन भी होता है जैसे कि चुड़ैल या डायन की खोज, स्नान कराना, महिलाओं को अपमानजनक प्रथा के अधीन लाना जैसे कि पूजा के नाम पर उनकी नग्न परेड कराना, यौन शोषण जैसा कि देवदासी परंपरा में है आदि।
- **विवेकहीनता -** इसमें लोगों के मन में भय और अतार्किक प्रथाओं को बढ़ावा देना सम्मिलित है, जैसे- गर्भ में भ्रूण का लिंग बदलने का दावा।
- **भेदभाव –** अशुद्धता के कल्पित विचार के कारण मासिक धर्म के दौरान महिलाओं का निर्वासन, पिछड़े वर्ग के लोगों को मुश्किल अनुष्ठान करने के लिए विवश करना।
- **भाग्यवादी दृष्टिकोण -** जैसे कि कुछ पड़ोसी देशों में यह देखा गया कि माता-पिता ने अपने बच्चों का पोलियो टीकाकरण कराने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें बताया गया था कि यह भाग्य की बात है।

केवल कानून बनाकर ऐसे अंधविश्वासों का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। हालांकि, विधायी हस्तक्षेप कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के साथ-साथ इन प्रथाओं के संबंध में जागरुकता बढ़ाने में कुछ भूमिका अवश्य निभाते हैं। इसके साथ ही, विश्वास और अंधविश्वास के बीच बहुत महीन रेखा है। बच्चों को वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने और कम आयु में ही किसी भी बात के निरीक्षण की भावना पैदा करने के लिए शिक्षित करके इस रेखा को समझा जा सकता है। पुनश्च, कानून से रातों-रात अंधविश्वास समाप्त नहीं हो सकता है। यह एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है जिसके लिए पर्याप्त समर्पण और धैर्य की आवश्यकता है।

VISION IAS

9.2. ब्लू व्हेल चैलेंज

(Blue Whale Challenge)

ब्लू व्हेल चैलेंज एक ऑनलाइन गेम है जिसमें एक ऑनलाइन प्रशासक प्रतिभागियों को 50 दिनों तक प्रत्येक दिन 1 नियत कार्य (टास्क) सौंपता है। प्रतिभागियों से यह अपेक्षा की जाती है कि क्यूरेटर से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रमाण के रूप में प्रत्येक दी गई चुनौतियों (चैलेंज) को पूरा करने की अपनी फोटो लें या उसे रिकॉर्ड करें। इस श्रृंखला में अंतिम चुनौती आत्महत्या करना है। इससे इस गेम में सम्मिलित विभिन्न नैतिक मुद्दे इंगित होते हैं।

- **खिलाड़ी/शिकार की तलाश करना -** यह गेम नि:शुल्क डाउनलोड करने योग्य गेम या एप्लिकेशन नहीं है। सोशल मीडिया नेटवर्क पर गुप्त समूहों के बीच इसे साझा किया जाता है। इस प्रकार, यह विशेष रूप से अपना शिकार तलाशता है।
- **दूसरों की पीड़ा में आनंद -** टास्क की श्रृंखला में अपने आप को तीक्ष्ण वस्तुओं से हानि पहुंचाना, मनोविकृतकारी और डरावने वीडियो की श्रृंखला से अपने आप को दंडित करना सम्मिलित है।
- **ब्लैकमेल करना और साइबर धमकी देना –** प्रतिभागियों को गेम को पूरा करने के लिए धमकी दी जाती है।
- **नियंत्रित करने की प्रवृत्ति -** किसी व्यक्ति का जीवन नियंत्रित करने की इच्छा इस गेम के क्यूरेटर को रोमांच देने वाली प्रतीत होती है।

हालांकि, स्वयं ब्लू व्हेल चैलेंज ही एकमात्र खतरा नहीं है। इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे भी सम्मिलित हैं, जैसे कि-

- **रोमांच -** किशोरों के लिए, प्रतिबंधित काम करने का प्रयास करना निश्चित रूप से उनका रोमांच-स्तर बढ़ाता है और उनकी जिज्ञासा शांत करता है। आत्म-विनाश वाली चुनौती ग्रहण करने का उनका प्रलोभन और भी अधिक परेशान करने वाला है।
- **भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जागरूकता की कमी -** ये गुण सामान्य रूप से बच्चों और किशोरों को उनके जीवन के समक्ष आने वाली समस्याओं से मुकाबला करने की क्षमता में सुधार लाते हैं ।
- **सामाजिक स्वास्थ्य के मुद्दे -** इसमें स्वस्थ पारिवारिक संबंधों, पारिवारिक परिस्थितियों या साथी समूह (peer group circle) का अभाव सम्मिलित है।
- **मूल्यों की कमी -** किशोर अहिंसा के मूल्यों को आत्मसात करने वाले या स्वयं को चोट पहुंचाने, अनावश्यक रूप से साहस दिखाने और साहसिक कार्य (adventure) आदि से विमुख रहने वाले नहीं प्रतीत होते हैं।

इन सभी बातों से उत्तरदायित्व माता-पिता, शिक्षकों और समाज पर ही आ जाता है कि वे अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएं। ये बच्चे सोशल मीडिया का सबसे सुभेद्य समूह हैं और इस प्रकार इस ब्लू व्हेल चैलेंज के लिए ये ही सर्वाधिक प्रवण हैं। इस दिशा में माता-पिता, शिक्षकों, समाज या मीडिया आदि द्वारा उठाए जाने वाले कदमों की नीचे चर्चा की गई है:

- **मानसिक स्वास्थ्य** को समग्र स्वास्थ्य के एक घटक के रूप में देखना चाहिए और इस प्रकार, मानसिक उथल-पुथल या परेशानी से जुड़े कलंक को दूर करना चाहिए, जिससे बच्चों के लिए ऐसी समस्याओं के संबंध में खुलकर बात करना संभव हो। बाल मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का लाभकारी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए।
- **सहायता नेटवर्क बनाना -** माता-पिता और बच्चों के बीच संपर्क और सूचना की कमी उनमें अलगाव की भावना पैदा करती है, इससे बच्चों के मीडिया उन्मादी (media frenzy) बनने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि वे पूरे दिन अपने फ़ोन या कंप्यूटर स्क्रीन से चिपके रहते हैं।
- **उन पर ध्यान देना** ताकि उनका ध्यान कहीं और ना भटके। इस प्रकार उनके साथ समय बिताएं, अपने बच्चे के लिए एक आदर्श मॉडल बनें।
- **माता-पिता का नियंत्रण**- जैसे सीमित स्क्रीन समय, यह सुनिश्चित करता है कि आपका बच्चा पारिवारिक स्थान पर रखे कंप्यूटर से इंटरनेट तक पहुंचे, केवल आयु उपयुक्त ऑनलाइन साइटों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखना।
- **असामाजिक व्यवहार की जांच करना -** चूँकि बच्चे स्कूल में काफी समय बिताते हैं, अत: शिक्षकों को उनके गिरते प्रदर्शन पर नज़र रखनी चाहिए या ऐसे बच्चों से व्यक्तिगत रूप से बात करनी चाहिए जो अन्य बच्चों के साथ बहुत अधिक बातचीत नहीं करते हैं या दूर रहते हैं, आदि।
- **प्रौद्योगिकी का सकारात्मक उपयोग -** आत्म-विकास के लिए इंटरनेट या सोशल मीडिया जैसे साधनों का उपयोग करने के लिए शिक्षण संस्थानों को सही संस्कृति आत्मसात करनी चाहिए।
- **शिक्षित करना और जागरूकता फैलाना -** समय-समय पर इंटरनेट के पक्ष और विपक्ष के संबंध में तथा नैतिक और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार के संबंध में संवेदनशील बनाना। जैसे कि अपना पूरा डेटा ऑनलाइन साझा नहीं करना जैसा कि ब्लू व्हेल चैलेंज में है, यह जानकारी क्यूरेटर को उनके आवागमन, गतिविधियों आदि पर नियंत्रण प्रदान करती है।

VISION IAS

10. विविध

(MISCELLANEOUS)

10.1. खेलो इंडिया

(Khelo India)

खेलो इण्डिया की पृष्ठभूमि

- खेलो इण्डिया कार्यक्रम तीन भिन्न कार्यक्रमों अर्थात् राजीव गाँधी खेल अभियान (RGKA), शहरी खेल संरचना योजना (USIS) और राष्ट्रीय खेल प्रतिभा योजना (NSTSS) का विलय कर के 2016 में प्रारम्भ किया गया था।

सुर्खियों में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेलों के विकास के लिए 'खेलो इंडिया- नेशनल प्रोग्रामर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ स्पोर्ट्स' को मंजूरी दे दी है।

आवश्यकता

- अब तक की खेल नीतियां खेल संबंधी अवसरंचना में सुधार लाने पर केन्द्रित थीं, देश में खेल प्रतिभाओं को तराशने पर नहीं।
- दूरस्थ क्षेत्रों से युवा प्रतिभाओं को अपने चयनित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए वित्तपोषण या मंच उपलब्ध नहीं होता है।
- वर्षों से, विशेष रूप से शिक्षा की तुलना में खेल के क्षेत्र में सुधार करने पर बहुत कम या न के बराबर ध्यान दिया गया है जबकि दोनों को साथ-साथ चलाया जाना चाहिए।
- इस पुनर्योजित *खेलो इण्डिया* कार्यक्रम के साथ सरकार नयी खेल प्रतिभाओं का उपयोग करने और उन्हें उत्कृष्टता के अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

कार्यक्रम के उद्देश्य

- यह कार्यक्रम **"सभी के लिए खेल"** के साथ-साथ, "**उत्कृष्टता हेतु खेल"** को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है।
- इसका उद्देश्य खेलों को **मुख्यधारा के एक साधन के रूप में व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास** के लिए उपयोग करना है।
- इसका उद्देश्य सम्पूर्ण खेल तन्त्र को प्रभावित करना है, जिसमें अवसंरचना, सामुदायिक खेल, प्रतिभा की पहचान, उत्कृष्टता के लिए प्रशिक्षण, प्रतियोगिता सरंचना और खेल अर्थव्यवस्था सम्मिलित है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य अशांत और वंचित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को खेल गतिविधियों में लगा कर अनुत्पादक और अशांतिजनक गतिविधियों से हटा कर राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा में लाना है।
- इसका उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली के साथ सक्रिय जनसंख्या का सृजन भी है।

कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं

- **अखिल भारतीय खेल छात्रवृति योजना –**यह योजना चयनित खेलों में प्रतिवर्ष लगभग 1,000 सर्वाधिक प्रतिभावान युवा एथलीटों को शामिल करेगी। इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रत्येक एथलीट को निरंतर 8 वर्षों के लिए 5.00 लाख रुपये की वार्षिक छात्रवृति प्राप्त होगी।
- **विश्वविद्यालय के स्तर पर खेल हब** –देश भर से 20 विश्वविद्यालयों को खेल हब या स्पोर्टिंग हब के रूप में प्रोन्नत किया जाना है। यह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को शिक्षा और प्रतिस्पर्धी खेलों, दोनों ही मार्गों पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाएगा।
- **राष्ट्रीय फिटनेस ड्राईव–**यह कार्यक्रम 10-18 वर्ष के आयु वर्ग के 200 मिलियन बच्चों को शामिल करेगा। यह न केवल इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के शारीरिक फिटनेस की माप करेगा, अपितु उनकी फिटनेस से सम्बन्धित गतिविधियों में भी सहायता करेगा।
- **उपयोगकर्ताओं के अनुकूल नवीनतम प्रौद्योगिकी –**खेल प्रोत्साहन के सभी पक्षों में नवीनतम तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, जैसे खेल प्रशिक्षण के प्रसार के लिए मोबाइल ऐप का उपयोग, प्रतिभा की पहचान के लिए राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज पोर्टल, स्वेदशी खेलों के लिए इंटरएक्टिव वेबसाइट; खेल की आधारिक संरचना का पता लगाने के लिए GIS आधारित सूचना प्रणाली।

VISION IAS

10.2. दिव्यांग सारथी ऐप

(Divyang Sarathi Mobile App)

- भारत सरकार ने हाल ही में **दिव्यजनों (विकलांग व्यक्ति) के लिए सुगमतापूर्ण सूचना के प्रसार हेतु "दिव्यांग सारथी"** नामक मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया गया है।
- इस मोबाइल ऐप का **उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (DEPwD), सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधिनियमों, नियमों, विनियमों और दिशा निर्देशों, योजनाओं, विभिन्न संस्थानों के आऊटरीच के बारे में सूचनाओं सहित सभी जानकारी, रोजगार के अवसरों और विकलांगता बाजारो को एक सुलभ प्रारूप में प्रस्तुत करना है।**
- यह ऐप **सुगम्य भारत अभियान** के ICT (सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) घटक का एक अभिन्न अंग है।
- इस ऐप की अनूठी विशेषताओं में से एक इसके ऑडियो नोट्स हैं। ऐसा इसलिए है कि यह **(टेक्स्ट-टू-वायस कन्वर्जन सॉफ्टवेयर)** ऐप के साथ ही अंत-स्थापित है, जो लिखित जानकारी को एक ऑडियो फाईल में परिवर्तित कर देता है, साथ ही इसमें समायोज्य फॉण्ट आकार, जिसे उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार बदला जा सकता है भी उपलब्ध है।

10.3. नार्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल

(North East Calling Festval)

गन्तव्य पूर्वोत्तर(Destination North East)

- यह एक ऐसा कार्यक्रम है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रोन्नयन (प्रमोट) हेतु किया जाता है। इस प्रोन्नयन में व्यवसायिक सम्मेलनों, प्रदर्शन स्टालों के माध्यम से उत्तर-पूर्व की सर्वोत्तम विशेषताओं का प्रदर्शन किया जाता है और यह पर्यटन, कौशल, स्टार्ट अप, हथकरघा और हस्तशिल्प, बागवानी, औषधियों और सुगंधित पौधों में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य पर आधारित है।
- गन्तव्य पूर्वोत्तर, देश के शेष हिस्सों से इसे और इसकी विविधता का समावेश करने हेतु MoDNER द्वारा उठाये गये कदमों में से एक है।

सुर्खियों में क्यों?

हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मन्त्रालय (MoDNER) के राज्य मंत्री ने नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया था।

क्या है यह त्यौहार:

- पूर्वोत्तर भारत की **कला, संस्कृति, विरासत, व्यंजन, हस्तशिल्प, व्यवसाय और पर्यटन** के प्रोन्नयन हेतु "नॉर्थ-ईस्ट कॉलिंग फेस्टिवल" का आयोजन किया जाता है।
- इस त्यौहार या फेस्टिवल का आयोजन MoDNER के **"गन्तव्य पूर्वोत्तर"** द्वारा किया गया है।
- इस अवसर पर मंत्री द्वारा निम्नलिखित का भी शुभारम्भ किया गया:
  - पूर्वोत्तर क्षेत्र में युवा उद्यमियों के लिए MoDNER और **पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम** के संयुक्त उद्यम के रूप **नॉर्थ-ईस्ट वेंचर फंड**।
  - पूर्वोत्तर भारत में **संधारणीय पर्यटन** के प्रोन्नयन के उद्देश्य से **पूर्वोत्तर विकास परिषद।**

नार्थ ईस्ट डेवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन

- अगस्त 1995 में कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पंजीकृत एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है।
- यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक, आधारिक संरचना और कृषि सम्बन्धित परियोजनाओं की स्थापना के लिए सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा MFI/NGOs के माध्यम से माईक्रोफाइनांस भी करती है।

10.4. फार्मर कनेक्ट ऐप

(Farmer Connect App)

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास (APEDA) ने **फॉर्मर (किसान) कनेक्ट** नामक एंड्रायड ऐप विकसित किया है।
- यह भारत से यूरोपीय संघ को निर्यात करने के लिए मानकों के अनुपालन के अनुरूप **अंगूर, अनार और सब्जियों** के खेत पंजीकरण, परीक्षण और प्रमाणन की सुविधा हेतु APEDA द्वारा विकसित हॉर्टिनेट नामक ट्रेसिबिलिटी सिस्टम का एक भाग है।

- इससे किसानों और उनके अन्य हितधारकों के बीच सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- ये ऐप किसानों के पंजीकरण, खेतों और कृषि उत्पादों की भौगोलिक स्थिति का पता लगाने में राज्य बागवानी विभाग/कृषि विभाग की मदद करेगा।
- यह APEDA अधिकृत प्रयोगशालाओं द्वारा एकत्रित नमूनों के माध्यम से बागवानी सम्बन्धी उत्पादों के प्रयोगशाला परीक्षण को सुगम बनाएगा।

APEDA के सम्बन्ध में

- इसकी स्थापना **कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण अधिनियम 1985** के अंतर्गत की गयी थी।
- यह **वाणिज्य और उद्योग मन्त्रालय** के अधीन कार्य करता है।

कार्य

- वित्तीय सहायता के द्वारा उद्योगों का विकास करना
- निर्यातक के रूप में व्यक्तियों का पंजीकरण
- पैकेजिंग और विपणन में सुधार करना
- कृषि उत्पादों का निर्यातोन्मुखी प्रचार और विकास करना।

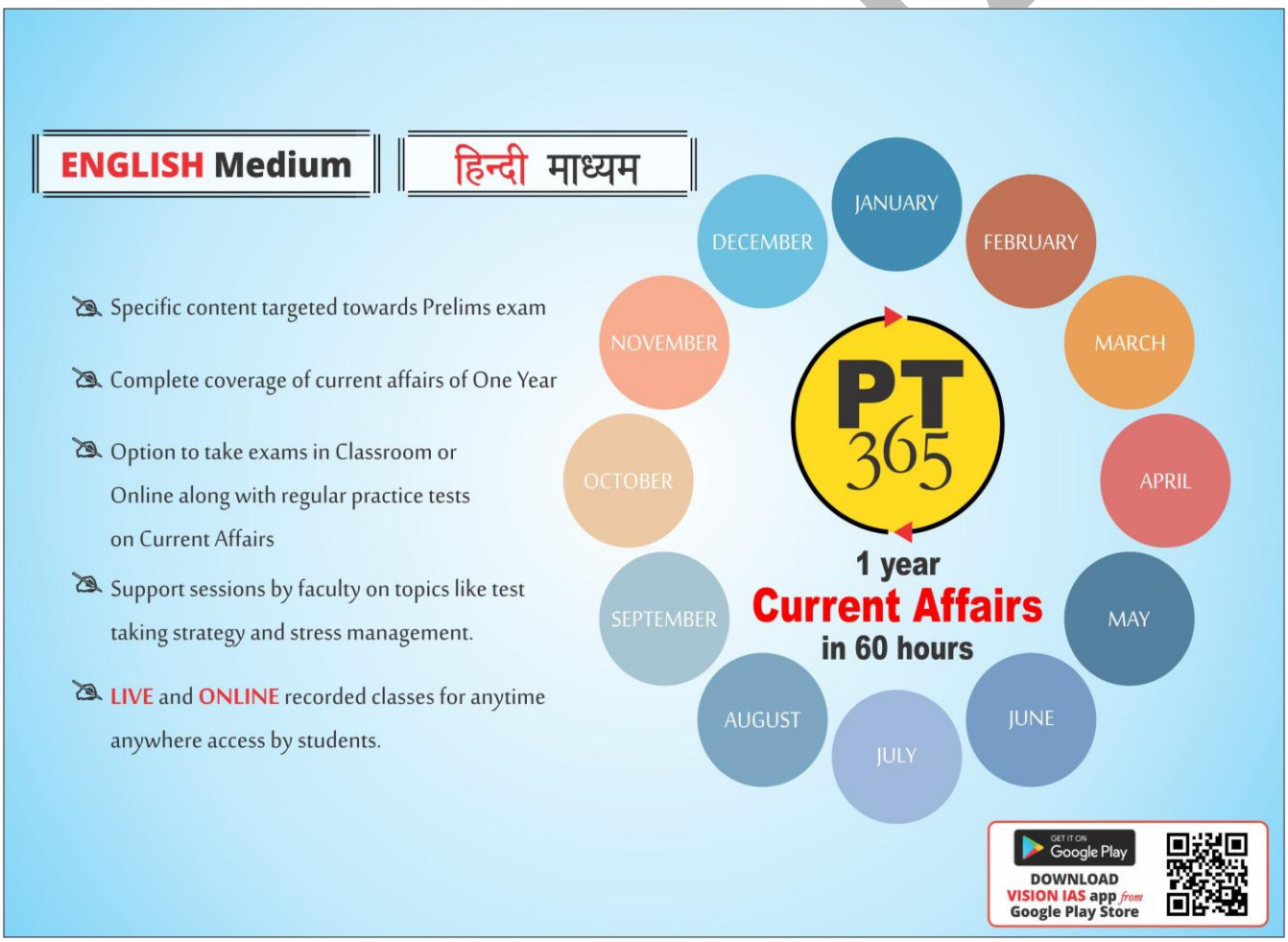

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS